महानगर नई दिल्ली बुधवार 11 मार्च, 2026, रु. 6.00 (24 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

एलएनजी आयात में कमी व किल्लत के बाद सरकार ने लगाया आवश्यक वस्तु अधिनियम

एलपीजी आपूर्ति पर असर से लड़खड़ाया खाद्य उद्योग; गैस आबंटन अब प्राथमिकता, समिति का गठन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

मध्य पूर्व में अमेरिका-इजराइल व ईरान के बीच दस दिन से जारी युद्ध की आंच अब भारतीय रसोई और व्यापार तक पहुंच गई है। ईरान के प्रभाव वाले होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकर की आवाजाही बाधित होने की वजह से एलएनजी (द्रवित प्राकृतिक गैस) के आयात में कमी हो रही है है। अपनी जरूरत के 85 प्रतिशत आयात पर निर्भर भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल आदि राज्यों के कई शहरों व दिल्ली-एनसीआर में द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की किल्लत का खतरा मंडराने लगा है।

यहां रेस्तरां व होटलों को वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति में दिक्कत शुरू हो गई है। इसे देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की अचानक किल्लत होने से होटल और रेस्तरां उद्योग में चिंता बढ़ने के बाद आपूर्ति से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है।

सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस के आवंटन में बदलाव किया है, जिसके तहत एलपीजी उत्पादन, सीएनजी और पाइप से मिलने वाली रसोई गैस (पीएनजी) को अन्य सभी क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जाएगी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण भारत की एक-तिहाई गैस आपूर्ति बाधित होने के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी कर गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों से गैस मोड़कर प्रमुख उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। भारत अपनी 19.1 करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन गैस खपत का लगभग आधा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकर की आवाजाही रुकने के कारण पश्चिम एशिया से आने वाली करीब छह करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन की गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। बची हुई तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) को नए सिरे से प्राथमिकता के आधार पर आबंटित किया गया है ताकि एलपीजी उत्पादन, सीएनजी और पीएनजी की मांग का 100 फीसद, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की 80 फीसद और उर्वरक इकाइयों की 70 फीसद जरूरत पूरी की जा सके।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम स्थिति पर मिनट-दर-मिनट नजर रख रहे हैं और बदलती जरूरतों को लेकर सतर्क हैं। सोमवार देर रात जारी गजट अधिसूचना में एलपीजी उत्पादन, सीएनजी और घरों में पाइप से मिलने वाली रसोई गैस को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों को छह महीने की औसत खपत के आधार पर 100 फीसद गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और उसके बाद ही अन्य क्षेत्रों को गैस उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने को कहा है।

उर्वरक क्षेत्र को इस सूची में दूसरी प्राथमिकता दी गई है और उसकी छह महीने की औसत मांग का कम-से-कम 70 फीसद पूरा किया जाएगा। इस सूची में तीसरे स्थान पर चाय उद्योग, विनिर्माण और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं बाकी पेज 8 पर

एअर इंडिया की हवाई यात्रा महंगी होगी

नई दिल्ली,10 मार्च (ब्यूरो)। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण विमान ईंधन एटीएफ की कीमतों में तेजी आने पर एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस 12 मार्च से प्रत्येक घरेलू उड़ान के टिकट पर 399 रुपए का ईंधन अधिभार लागू करेंगी। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी ईंधन अधिभार बढ़ाया जाएगा। इससे हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। पूरी खबर -पेज 10

रसोई गैस उत्पादन, सीएनजी, पीएनजी को मिलेगी गैस आबंटन में प्राथमिकता, अधिसूचना जारी। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने समिति बनाई।

एलपीजी की कमी से कई होटल और रेस्तरां मजबूरी में हो सकते है बंद, नौकरियों पर असर। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण भारत की एक-तिहाई गैस आपूर्ति बाधित होने के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी कर गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों से गैस मोड़कर प्रमुख उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम स्थिति पर मिनट-दर-मिनट नजर रख रहे हैं और बदलती जरूरतों को लेकर सतर्क हैं।

सोमवार जारी गजट अधिसूचना में एलपीजी उत्पादन, सीएनजी और घरों में पाइप से मिलने वाली रसोई गैस को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों को छह महीने की औसत खपत के आधार पर 100 फीसद गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी

इसके बाद ही अन्य क्षेत्रों को गैस उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने को कहा है।

पुनरीक्षण पर सुनवाई के लिए न्यायाधिकरण बनेगा : कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन परीक्षण (एसआइआर) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटा दिए गए लोगों की अपीलें सुनने के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का मंगलवार को आदेश दिया। इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश करेंगे।

न्यायालय ने उन प्रयासों के खिलाफ भी सख्त चेतावनी दी, जो एसआइआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए व्यक्तियों के दावे और आपत्तियों को निपटाने के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों की निष्पक्षता को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने ऐसे प्रयासों को न्यायपालिका के अपमान के रूप में वर्णित करते हुए कहा, 'आपने ऐसे आवेदन दायर करने की हिम्मत कैसे की? इससे लगता है कि आपको भरोसा नहीं है... किसी को भी न्यायिक अधिकारियों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर मैं इसे सहन नहीं करूंगा।' पीठ में न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जायमाल्य बाकी पेज 8 पर

शरिया के प्रावधानों की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

समान नागरिक संहिता का समय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अब समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का समय आ गया है। शीर्ष अदालत ने 1937 के शरिया कानून के प्रावधानों को मुसलिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिका को एक बहुत अच्छा मामला बताया और कहा कि इस पर केवल विधायिका (सरकार) को ही विचार करना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि यदि न्यायालय शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त करता है तो इससे कानून में शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मुसलिम उत्तराधिकार को नियमित करने वाला कोई वैधानिक कानून नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण से कहा, 'सुधारों के प्रति हमारे अति-उत्साह में, हम उन्हें वंचित कर सकते हैं और उन्हें पहले से मिल रहे अधिकारों से कम मिल सकता है। यदि 1937 का शरिया कानून खत्म हो जाता है तो फिर सवाल क्या उठता है? क्या इससे एक अनावश्यक शून्य उत्पन्न नहीं होगा?'

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, 'भेदभाव के मुद्दे पर आपका मामला बहुत मजबूत है, लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि न्यायालय इस मामले को विधायिका के विवेक पर छोड़ दे, जिसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार प्राप्त है?' प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, 'इसका उत्तर है समान नागरिक संहिता।' न्यायमूर्ति बागची ने जोर दिया कि 'एक पुरुष की एक पत्नी' का नियम सभी समुदायों पर समान रूप से लागू नहीं हो रहा है।

उन्होंने कहा, 'लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अदालत सभी बहुविवाहों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है? इसलिए, हमें निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए विधायी शक्ति का सहारा लेना होगा।' उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधायिका के विवेक पर छोड़ना ही सबसे अच्छा होगा। न्यायमूर्ति बाकी पेज 8 पर

पीठ ने कहा कि यदि न्यायालय शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त करता है तो इससे कानून में शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मुसलिम उत्तराधिकार को निर्देशित करने वाला कोई वैधानिक कानून नहीं है। पीठ ने कहा कि इस पर केवल विधायिका (सरकार) को ही विचार करना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सुधारों के प्रति हमारे अति-उत्साह में, हम उन्हें वंचित कर सकते हैं और उन्हें पहले से मिल रहे अधिकारों से कम मिल सकता है।

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश

चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंगलवार को चर्चा शुरू हुई। संकल्प पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस प्रस्ताव को सबसे पहले सदन की अनुमति के लिए रखा गया। संकल्प पेश करने के समर्थन में 50 से अधिक सदस्य खड़े हुए, जिसके बाद पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने इस संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

सबसे पहले विपक्ष ने पीठासीन अधिकारी का नाम तय किए जाने के मुद्दे पर सरकार को घेर लेकिन जब किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया, तो सदन में संकल्प पर चर्चा शुरू हो सकी। अब संभावना जताई जा रही बुधवार को खुद गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा का जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सवाल किया कि सरकार को बताना चाहिए कि इस संकल्प पर चर्चा के लिए सरकार ने पैनल किस प्रकार तैयार किया।

इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने गोगोई को टोका और कहा कि लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय व पद कभी खाली नहीं रहता। इसके बाद गोगोई ने कहा कि यह प्रस्ताव विपक्ष को मजबूरी में लेकर आना पड़ा है। विपक्ष के पास दो सौ से अधिक सांसद हैं और सदन में उपाध्यक्ष का पद आज तक खाली पड़ा है। सदन में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का समय नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि हम दुखी हैं और यह प्रस्ताव प्रसन्नता के साथ नहीं लाया गया है।

उन्होंने कहा कि फरवरी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बीस बार सदन में बोलने से रोका गया था, यह रोकटोक लोकसभा अध्यक्ष समेत सत्ता पक्ष के नेताओं ने की थी। उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष को सवाल सुनने की आदत नहीं है। अपने ही सदन की महिला सांसदों से असुरक्षा की टिप्पणी हो रही है। और आज बाकी पेज 8 पर

प्रियंका गांधी बोलीं, एक ही आदमी है जो 12 साल में किसी से नहीं डरा।

रिजीजू का तंज - प्रियंका नेता प्रतिपक्ष होती तो अच्छा।

तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष ने केवल विपक्ष को निशाना बनाया।

मेघालय में हिंसक झड़प, पुलिस की गोलियों से दो लोगों की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

मेघालय के पश्चिम गारो पर्वतीय जिले में मंगलवार तड़के गारो पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) चुनाव नामांकन प्रक्रिया को लेकर जारी तनाव के बीच हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अब्राहम टी संगमा ने बताया कि यह घटना चिबिनांग इलाके में हुई जहां जनजातीय और गैर-जनजातीय समूहों के बीच झड़प हो गई थी। उन्होंने कहा, मारे गए दोनों व्यक्ति चिविनांग के निवासी थे। वहीं,हिंसा के बाद सेना तैनात की गई है। जीएचएडीसी चुनावों को लेकर जनजातीय और गैर-जनजातीय समूहों के बीच झड़प हुई थी और यह गोलीबारी तब हुई जब हम भीड़ को तितर-बितर कर रहे थे। इलाके में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। तनाव को और बढ़ने से रोकने के बाकी पेज 8 पर

केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला

जलजीवन मिशन अब दिसंबर 2028 तक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में नल के माध्यम से साफ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

वैष्णव ने प्रेसवार्ता में कहा, मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे के निर्माण से सेवा वितरण की ओर पुनर्गठित और पुनर्निर्देशित करने की बात कही गई है।

उन्होंने बताया कि संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडल ने कुल परिव्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है, जिसमें 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 3.59 लाख करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय सहायता शामिल है।

मंत्री ने कहा कि ह्यसुजलाम भारतह्ण नामक एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक गांव को एक अद्वितीय सुजल गांव या सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जाएगी, जो स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण करेगी। मंत्रालय के मुताबिक जेजेएम 2.0 देश भर के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को दिसंबर 2028 तक नल-जल कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी ग्राम पंचायतों को ह्यहर घर जलह्ण के प्रमाणन में सहयोग देगा। मंत्रालय के मुताबिक, इस पहल से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों के माध्यम से समय-सीमा का पालन, योजना की निरंतरता और नागरिक-केंद्रित जल सेवाओं का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

-मंत्रिमंडल के अहम फैसले -पेज 10

'कोविड : दोष निर्धारण के बगैर मुआवजा देने की नीति बनाएं'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण के बाद होने वाले गंभीर दुष्प्रभाव के लिए दोष निर्धारण के बगैर मुआवजा देने की नीति तैयार करने का केंद्र सरकार को मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि टीकाकरण के बाद होने वाले दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।

-पूरी खबर पेज 8

इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

देश की सबसे बड़ी एअरलाइन कंपनी इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने मंगलवार को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

यह घटनाक्रम परिचालन संकट के करीब तीन महीने बाद सामने आया है, जिसके कारण यात्रियों में व्यापक नाराजगी हुई थी और नियामकीय कार्रवाई भी हुई थी। कंपनी के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया नए सीईओ की नियुक्ति होने तक अंतरिम तौर पर प्रबंधन का कामकाज संभालेंगे।

-पूरी खबर पेज 10

प्रश्न पत्रों में कई सुरक्षा उपाय होते हैं, जिनमें कोड भी शामिल | सीबीएसई | बोर्ड ने कहा, समझौता नहीं हुआ है

बारहवीं के गणित प्रश्न पत्र के क्यूआर कोड पर ब्रिटिश गायक का गीत और वीडियो

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 12वीं के गणित के प्रश्न पत्र पर छपे एक छोटे से क्यूआर कोड से ब्रिटिश गायक रिक एस्टली के चर्चित गाने 'नेवर गोना गिव यू अप' का वीडियो खुल गया। यह इंटरनेट पर एक चर्चित शरारत बन गई, जिसे 'रिकरोलिंग' कहा जाता है। हालांकि, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगी है।

गणित की बोर्ड परीक्षा नौ मार्च को हुई थी। इसके तुरंत बाद प्रश्न पत्र की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित हुईं। विद्यार्थियों का दावा था कि प्रश्न पत्र पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद यूट्यूब पर 1987 के हिट गाने का वीडियो खुल रहा है। क्यूआर कोड आमतौर पर बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में प्रमाणीकरण और सुरक्षा जांच के लिए शामिल किए जाते हैं। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि प्रश्न पत्रों में कई सुरक्षा उपाय होते हैं, जिनमें क्यूआर कोड भी शामिल हैं ताकि किसी सुरक्षा उल्लंघन की स्थिति में प्रश्न पत्र की प्रामाणिकता जांची जा सके। नौ मार्च को कक्षा 12 की गणित की परीक्षा हुई थी। कुछ प्रश्न पत्रों में ऐसा लगता है कि जब उनमें से किसी एक क्यूआर कोड को स्कैन किया गया, तो वह यूट्यूब वीडियो से जुड़ गया। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच प्रश्न पत्रों की सत्यता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। लेकिन पुष्टि की जाती है कि प्रश्न पत्र असली हैं और उनकी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि प्रश्न पत्रों में कई सुरक्षा उपाय होते हैं, जिनमें क्यूआर कोड भी शामिल हैं ताकि किसी सुरक्षा उल्लंघन की स्थिति में प्रश्न पत्र की प्रामाणिकता जांची जा सके।

नौ मार्च को कक्षा 12 की गणित की परीक्षा हुई थी। कुछ प्रश्न पत्रों में ऐसा लगता है कि जब उनमें से किसी एक क्यूआर कोड को स्कैन किया गया, तो वह यूट्यूब वीडियो से जुड़ गया। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच प्रश्न पत्रों की सत्यता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।

कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'यूट्यूब पर गाना सुनना है? सीबीएसई के प्रश्न पत्र पर दिए कोड को स्कैन करें और आनंद लें। हम मजाक नहीं कर रहे- ये मजाक केंद्र सरकार आपके बच्चों के भविष्य के साथ कर रही है।' आप खुद सोचिए- सरकार के गैरजिम्मेदार लोग और उनका नाकारा तंत्र आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर कितना गंभीर है। शर्म आनी चाहिए।

कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'यूट्यूब पर गाना सुनना है? सीबीएसई के प्रश्न पत्र पर दिए कोड को स्कैन करें और आनंद लें। हम मजाक नहीं कर रहे- ये मजाक केंद्र सरकार आपके बच्चों के भविष्य के साथ कर रही है।' पोस्ट में कहा गया कि 12वीं बोर्ड में गणित के प्रश्न पत्र पर एक क्यूआर कोड छपा है, जिसे स्कैन करते ही यूट्यूब पर गाने की लिंक खुल जाती है। आप खुद सोचिए- सरकार के गैरजिम्मेदार लोग और उनका नाकारा तंत्र आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर कितना गंभीर है। शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस की केरल इकाई ने भी इस मुद्दे को उठाया और सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक छात्र का वीडियो साझा किया।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, MOHAMMAD SALEEM S/O ABDUL MAJID R/O B-47 SECOND FLOOR, VISHWAKARMA PARK, Laxmi Nagar, Delhi-110092, HAVE CHANGED MY NAME TO SALEEM

0071023281-1

I, Km Priti Kumari W/o Deepak, 881, GF, Gali No-7, Govindpuri, Kalkaji, Delhi-19 have changed my name to Priti.

0071023286-1

I, Kausar Malik W/o Irfan Malik, R/o J-55, Abul Fazal Enclave, Okhla, Delhi-25 have changed my name to Kouser Malik.

0071023248-1

I, Jai Parkash S/o Mukesh R/o Shikarpur, Najafgarh,South West Delhi, Delhi-110043,have changed my name to Kuldeep.

0040843516-5

I, Guru Prasad Bhatt alias Guru Prasad S/o Satyeshwar Prasad R/o S D Mandir, Jagriti Enclave, Karkardooma, Krishna Nagar, Preet Vihar, Shahdara, Delhi-110092 have changed my name to Guru Prasad Batt for all purposes.

0071023212-1

I, Garv S/o Jagmohan Sharma, R/o H. No. A-786, Gali No. 9, Meet Nagar, VTC: Gokal Pur, State: Delhi, PIN Code: 110094, declare that the name of my father has been wrongly written as "SATISH" in my 10th class educational documents. The actual name of my father is JAGMOHAN SHARMA .

0071023195-1

I, Dakshita Vats D/o - Pawan Sharma. R/o - GF -1398, Pinewood Enclave, Sector - 2, Wave City, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201002. have changed my name to Dakshita Sharma.

0071023210-1

I, Bhoopender Kumar s/o Bhoop Singh, R/o A-28, Karam Pura, New Delhi-15, have changed my son name from Vyom Khorwal to Vyom (DOB:04-07-2013).

0040843441-1

I, Anil Kumar S/o Shri Ram Surat R/o T-1134, Mangolpuri, Delhi-110083, have change my son name from Rudra Yadav (DOB- 03/11/2017) to Laksh Yadav for all future purposes.

0040843450-1

I shahbuddin R/o B93/A joshi colony ip extension east delhi change my name sabuddin to shahbuddin for all future purposes

0071023233-1

I Neha Chaturvedi w/o Hemant Kumar Chaturvedi r/o D-106, Gali-3, Bhajanpura, Delhi-110053 have changed my name to NEHA.

0040843423-1

I Atharva Gautam S/o Sh. Vikas Gautam R/o House No.7/53, 3rd Floor, South Patel Nagar, Patel Nagar, Central Delhi, Delhi-110008 have changed my name to Veerat Gautam for all purposes.

0040843391-2

I , Punita Kumari W/O Arvind Kumar R/o G-250b, Sector-22, Noida, Up-201301 have changed my name After Marriage Punita Jha for all future purposes

0071023269-1

I,ANWARI BEGAM,W/O-LIYAKAT ALI,R/O-119, Vikram-Enclave, Shalimar Garden,Sahibabad,Ghaziabad, UP-201005,have changed my name to ANVARI, permanently,for all future purpose.

0040843512-6

I, Ranjeet Yadav S/O Dayaram Yadav R/O H.No. 3358/8F, Ekta Market, Near St. Aloysis College, Gouriya Ghat, Jabalpur, Madhya Pradesh-482001, hereby informed that correct D.O.B. of my father Dayaram Yadav is 30/09/1962 & my mother Sukhiya Yadav is 08/04/1964 instead of 01/07/1960 & 01/07/1962 as entered in my Service Record.

0040843514-3

I,GORA W/O GANDA RAM R/o RZD-84, Nihal Vihar, Nangloi, Nilothi,West Delhi, Delhi-110041, have changed my name to GORI.

0040843516-11

SS-46191 Y Major BALMUKUND of-8 Grenadiers,C/O-56,APO,via-affidavit dated-11-Nov-2025,of Akhnoor District-Court declare that as per his Class-X passing-certificate his mother's-name has been mentioned as MEERA SINHA. However correct spelling of his mother's name is MIRA SINHA.

0040843513-11

SS-46191 Y Major BALMUKUND of-8 Grenadiers,C/O-56,APO via-affidavit dated-11-Nov-2025 of Akhnoor District-Court,declare that as per his Class-X passing-certificate his father's name has been mentioned as B.K.SINHA. However his Father's complete name is BIRENDRA KUMAR SINHA.

0040843513-10

I,hitherto known as,Bharti Saini, D/o-Sh.Radha Krishan Saini,R/o-RZ-C-77 Dabri Extension(East)South West-Delhi,New Delhi-110045,have Changed my name and shall hereafter be known as Bharti Kumari.

0040843512-5

I,hitherto known as Pappu Roy,S/o Hiten Roy,R/o-Bhanu Nagar,Jalpaiguri, West-Bengal-735101,have changed my name and shall hereafter be known as Saikat Roy.

0040843488-7

I,hitherto known as Chhathi kumari,D/o-Sanjit Pandit,R/o Daultpur Bhojpuri Bihar-802313, have changed my name and shall hereafter be known as Chhoti Kumari

0040843512-10

I,hitherto known as Amit Kumar Choubey,S/o-Om Prakash Choubey,C-506,Police Cooperative Multistate Housing Society, Sector-49,Faridabad, Haryana-121001,have changed my name and shall hereafter be known as Amit Kumar Chaturvedi.

0040843516-3

I,Vandana Goyal W/o Vikas Goyal R/o A-909, Shastri Nagar,Delhi-110052,have changed my name to Vandana.

0040843508-9

I,VINITA KUMARI, W/O.MANSA RAM AHIRWAR,R/O.FLAT.NO-501, 5TH FLOOR, BLOCK-F,POCKET-7,NEAR MATA MANSA DEVI MANDIR, SECTOR-A1 TO A4,NARELA,DELHI-110040,HAVE CHANGED MY NAME TO VINITA KUMARI AHIRWAR.

0040843512-3

I,Surjeet Singh,S/o-Himmat Singh,R/o-10/12-A,Vijay-Nagar, Double-Storey, Del-110009,inform that my name has been wrongly-written as Surjit Singh in my Driving License.The actual name is my Surjeet Singh.Surjeet Singh and Surjit Singh,both name are of one and the same-person

0040843488-8

I,Sunita W/o Deepak Kumar R/o H-842 B, Palam Vihar, Choma(62), Gurgaon, Haryana-122017,have changed my name to Sunita Devi.

0040843513-5

I,Sudesh Bawa Arora W/o Harish Arora R/o-732 Bahawalapur CGHS Plot-1 Dwarka,Sector-4,South-West Delhi-110078,have changed my-name to Sudesh Bala Arora.

0040843516-7

I,Shashi Rani Sabharwal W/o Late Ashok Kumar Sabharwal R/o A-352,Surya Nagar,Ghaziabad, U.P.-201011,have changed my name to Shashi Sabharwal.

0040843516-4

I,Shashi Prabha Sandhu W/o-Sh.-Sada Ram R/o. H.No-131,Plot-no-22 Shruti Apartment Dwarka Sect-7 South-West Delhi Dwarka Delhi-110075,have changed my name from Shashi Sandhu to Shashi Prabha Sandhu,for all future purposes.

0040843488-3

I,Sat Narain S/o Kundan Lal,R/o A-909, Shastri Nagar,Delhi-110052 have changed my name to Satya Narayan Goel.

0040843508-8

I,SUNIL GOEL S/O Radhey Shyam R/O RZ-25, Bindapur, Matiyala, Road, Uttam Nagar,Delhi-110059,have changed my name to SUNIL KUMAR.

0040843516-2

I,SOUMI BHATTACHARJYA, W/O-PARTHA PRATIM CHOWDHURY R/O-FLAT.NO-26,BLOCK-JG1,GROUND FLOOR VIKAS PURI,NEW DELHI-110018 Changed my name to SOUMI CHOWDHURY,for all future purposes.

0040843513-8

I,SAZIDA W/o ROJUDDIN ANSARI,resident of,House No-D-272,Gali No-06, Malik-Nagar,Loni Dehat, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201102,have changed my name from SAZIDA to SAZIDA ANSARI.Henceforth I would be known by the name of SAZIDA ANSARI,for all future purposes.

0040843488-5

I,Gyan Chand Sindhi S/o-Banshi Lal,R/o-A1/46,Ground Floor,Huda Sushant Lok 2 Sector-55 Gurgaon(HR)-122011,have changed my name to Gyan Chand for all,purposes. 0040843508-5

I, Komila Wadhera, W/o- Vineet Kumar Wadhera, R/o- Flat No. 4073, ACE Golfshire Apartments, Sector-150, Noida, Uttar Pradesh-201301, After my marriage, I have changed my name from Komila Kalra to Komila Wadhera, for all future purposes. 0040843512-8

I,KANIHYA LAL S/O NAND RAM R/O 535, GALI NO-2, CHANCHAL PARK, BAKKAR WALA, DELHI-110041 have changed my name to KANHAIYA LAL.

0040843514-2

I,LALIT S/O Om Prakash,R/O Flat No-A-103,Antriksh Apartment, Sector-4, Dwarka,Delhi-110078,have changed my name to LALIT KHATRI.

0040843516-1

I,MANOJ KUMAR SHARMA,S/o Girdhar Lal Sharma,R/o Flat No.43,Pocket-7,Sector-23 Rohini,Delhi-110085,do hereby inform the general public that my name MANOJ SHARMA and MANOJ KUMAR SHARMA is same person

0040843488-2

I,MANSA RAM,S/O-RAM LAL AHIRWAR,R/O.FLAT.NO-501,5TH FLOOR,BLOCK-F,POCKET-7,NEAR MATA-MANSA DEVI-MANDIR, SECTOR-A1 TO A4,NARELA, DELHI-110040,HAVE CHANGED MY NAME TO MANSA RAM AHIRWAR.

0040843512-4

I,NENGNEICHING CHING,S/O-SATLAL KIPGEN.ADRESS-D-3/180 SECOND-FLOOR GALI.NO.7 MAHAVIR-ENCLAVE,PALAM VILLAGE,PO PALAM DIST,SOUTH-WEST DELHI-110045,NEW-DELHI, CHANGED MY NAME TO NENGNEICHING KIPGEN.

0040843513-9

I,Nandita Kumari,D/o Sh.Chumman Dan,R/o House.No.73, Sector-5,Part-6, Gurugram, Haryana-122001, have changed my name from Nandita to Nandita Kumari,for all future purposes.

0040843513-7

I,PARMINDER SINGH GUJRAL S/o JATINDER PAL SINGH GUJRAL R/o-H.No. 54,Malook Singh Marg St.No.2,West Arjun Nagar Krishna,Nagar Delhi-110051, have changed my minor daughter name MANEKAS KAUR GUJRAL aged 10 years to MANEQKAS KAUR

0040843488-10

I,PRIYANKA TRIPATHI alias PRIYANKA DUBEY W/o Umesh Kumar R/o-B-46B, Pocket-B, Shivam,Apartment Ashok Vihar Phase-2,Delhi-110052,have changed my name to PRIYANKA DUBEY.

0040843488-9

I,RAGHAVENDRA PRASAD S/o Raj Kumar Singh R/o Nyotara, Nevtara PO:Noorpur Kalan,Ambedkar Nagar,Uttar Pradesh-224139,have changed my name to RAGHVENDRA PRATAP SINGH.

0040843516-9

I,RITESH SINGH,S/O-BABAN SINGH ADDRESH-B-4-064 SHOBHA-CITY,SECTOR-108,DWARKA EXPRESSWAY GURGAON,HARYANA-122017,HAVE CHANGE MY NAME TO RITESH KUMAR SINGH.

0040843508-2

I,Rajender Kumar Jain,S/o Kapoor Chand Jain,R/o-N-68,Street No.4,N-Block, Uldhanpur,Naveen Shahdara, Delhi-110032,have changed my name to Rajendra Jain for all purpose,

0040843513-3

I,Nand Kishore S/o Parkash Chand,R/o C-8/43,Yamuna Vihar Delhi-110053 Have changed my name to Nand Kishore Bansal for all purposes.

0040843508-6

I,Ritu Mehra Taitriya D/o Anami Saran Mehra,R/o,Flat-No.D-1403 Tower-D Godrej-Aria Sector-79 Kherki-Daula, Gurgaon Haryana-122004,have changed my-name to Ritu Mehra.

0040843516-6

I,Gopal Dass s/o kashmiri Lal,r/o,B-6-161/162 first floor,sector-11,Rohini Delhi-110085,have changed my name to GOPAL DASS BANSAL,for all purposes.

0040843512-1

I,Deniel s/o-Faquir Magch R/o Plot No-13,3rd Floor,KH No-816,Arihant Apartment,Baba Colony,Burari,Delhi-110084 have changed my name to Daniel Masih.

0040843512-2

I,NEHA MEHTA W/O Hitesh Wadhera,R/O B-36,Rama Park,Uttam Nagar,Delhi-110059 , Changed my name after marriage is NEHA WADHERA. 0040843516-12

I,DANISH,S/o ROJUDDIN ANSARI,resident of House.No-D-272,Gali No-06, Malik Nagar,Loni Dehat,Ghaziabad,Uttar Pradesh-201102,have changed my name,from DANISH to DANISH ANSARI. Henceforth I would be known by the name of DANISH ANSARI for all future purposes.

0040843488-4

I,Bharat Bhushan Gulati S/O Hari Kishan Gulati R/O 140,Sainik Vihar, Pitampura, Delhi-110034,have changed my name to Bharat Gulati.

0040843513-2

I,BIMLA DEVI JAIN W/o Rajender Parshad Jain R/o-H.No-201/23,Tirth Market Gur Mandi, Sonipat Haryana-131001,have changed my name to BIMLA DEVI.

0040843516-10

I,Anshu Bhatia,D/o Kasturi Lal Bhatia,W/o-Ankit Arora,R/o-Flat.No.943, Tower.No.11,Orchid,Our Homes Society,Sector-37C,Gurugram,Haryana-122001,have changed my name to Anshu Arora for all Purposes. 0040843508-4

I, Sanjeev Kumar,S/O Randhir Singh,R/O H.No.81,Goyla Khurd Village, Najafgarh Delhi-110071,Have Changed my Name to Sanjeev Kumar Jakhar.

0040843488-1

I,Anjali Khoobchandani,W/o Karan Ahuja R/o-8/22,2nd and 3rd Floor,East Patel Nagar, Patel Nagar,Central Delhi,Delhi-110008,have changed my name to Anjali Ahuja,for all,purposes.

0040843508-7

I, Anil Kumar Jain, S/o-Chaman Lal Jain, R/o- E-5/8, Vasant Vihar, Kusum Pur, Vasant Vihar-1, South West Delhi, Delhi-110057, have changed my name to Anil Jain, for all future purposes.

0040843512-9

I,Amit Kumar Sindhi S/o Gyan Chand,R/o-A1/46 Ground-Floor,Huda Sushant Lok-2 Sector-55,Gurgaon (HR)-122011,have changed my name to Amit Kumar for all,purposes.

0040843508-1

I,Amish Taitriya S/o Ritu Mehra R/o,Flat-No.D-1403 Tower-D Godrej Aria Sector-79 Kherki-Daula Gurgaon Haryana-122004,have changed my-name to Amish Mehra.

0040843516-8

I,Aman Jolly,S/o J P S Jolly R/o H.No.7/31, near Subhash Nagar Metro Station, Tilak Nagar,New Delhi-110018, have changed the name of my minor daughter Rabani Jolly aged-17-years to Rabani Kaur Jolly.

0040843488-6

I,Akansha W/o Ashish Thukral R/o-1675,Outram lane Kingsway camp Delhi 110009,Have changed my name to Akanksha Thukral,for all purposes.

0040843513-4

I,Akansha Abrol Moitra,D/O.Deepak Abrol,R/O.BL-82,S/F,L-Block,Hari Nagar,New Delhi-110064,have changed my name to Akansha Abrol for all Purposes.

0040843508-3

I,ANKIT KUMAR,S/o Sh.Ajit Kumar Dogra,R/o RW-12,Second Floor,Rosewood Lane,Malibu Towne,Sector-47,Gurugram, Haryana-122018,have changed my name from ANKIT KUMAR to ANKIT DOGRA,for all future purposes.

0040843513-6

I,ABDUL BARI,S/O-SARWAR,R/O-Ward.no.6, Dumaria,Parshadpur,Araria, P.T Dumraha,Bihar-854311,has changed my name to ABDUL BARIQ permanently for all future purpose

0040843512-7

I, hitherto know as Sanjeev Gour alias Sanjeev Sharma S/o Sh. Satpal Sharma R/o 52-B, Block-A, Gali No.6, Anarkali Garden, Jagatpuri, Near Kangra Bank, Krishna Nagar, Delhi-110051 have changed my name and shall hereafter be known as SANJEEV SHARMA.

0040843395-1

I, hitherto know as Monika Gour alias Monika Sharma W/o Sh. Sanjeev Sharma R/o 52-B, Block-A, Gali No.6, Anarkali Garden, Jagatpuri, Near Kangra Bank, Krishna Nagar, Delhi-110051 have changed my name and shall hereafter be known as MONIKA SHARMA.

0040843396-1

I, Soofia Khatoon w/o Mohsin Jalil Shamsi, r/o 10A/1, Surya Vihar, Deenpur, Najafgarh, New Delhi 110043, have changed my name to Sofia Khatoon Shamsi

0071023209-1

I, Santosh Kumar Anantram Varma S/o, Anantram Bachharam Varma, resident of Tower D, 1703, 17th floor, Amrapali Platinum, Sector 119 NOIDA, UTTAR PRADESH 201301 have changed my name to Santosh Kumar Varma.

0071023211-1

I, SUMIT SAXENA,S/O-RAMESH CHANDRA,R/O-F-163, GULSHAN IKEBANA,SECTOR 143,NOIDA-201306,have changed my minor daughter's name ANAISHA SAXENA to ANAESHA SAXENA.Aged-7.10 years

0130062623-1

I, SHAURYA,C/O POOJA MEHRA,R/O-RZ-B-1/50-A,and B,S/F,GALI.NO-21, AMRIT-CONSTRUCTION, AND COLLABORATION KIRAN GARDEN (SHIVAJI GARDEN EXTN), D.K MOHAN-GARDEN, UTTAM NAGAR,NEW DELHI-110059, have changed my name to SHAURYA MEHRA

0040843392-1

I, Rasheeda d/o Abdul Majeed Khan (w/o Javed Khan) resident of 260/5, Choudhary Wara-3, Sikandrabd:203205, District: Bulandshahr (U.P.) As per High School Certificate No.0717133 my date of birth is 25/07/1979. I have changed my name from Rasheeda to RASHEEDA KHAN for all future purposes.

0040843394-2

I, Raminder Kaur W/o Amandeep Singh Bagga R/o 470, Sainik Vihar, Pitampura, Delhi- 110034, have changed my name to Raminder Kaur Bagga permanently.

0040843413-1

I, Ramendra Kumar S/O Shripal R/O H.No.580, Y Block, Mangol Puri, Delhi-110083,have changed my name to Ravinder Kumar.

0040843513-1

I, Rakesh Kumar Rai S/o Chandra Mohan Rai, TA-176/2, FF, Gali No-03, Tughlakabad Extn., Delhi-19 have changed my name to Rakesh Rai.

0071023283-1

I, Pratibha Dubey alias Pratibha Shukla W/o Sunil Kumar Dubey D/o Sushil Kumar Shukla R/o 19-B, KH No. 12/15, Samta Enclave Phase-1 Qutub Vihar DC Goyla, Delhi-110071 have changed my name to Pratibha Dubey for all purposes.

0071023291-1

I, Nishat d/o Abdul Majeed Khan (w/o Mohd Azhar Khan) resident of 260/5, Choudhary Wara-3 Sikandrabd:203205, District: Bulandshahr (U.P.) As per High School Certificate No.0741797 my date of birth is 01/07/1982. I have changed my name from Nishat to NISHAT KHAN for all future purposes.

0040843394-1

I, NAFEES AHAMED S/O MOHD HANEEF R/O C-19 F/F JAITPUR EXTN PART-2 BADARPUR DELHI-44 HAVE CHANGED MY NAME TO NAFEES AHMAD PERMANENTLY FOR ALL FUTURE PURPOSES

0040843514-1

I, Reetu W/o Sanjeev Kumar Sharma R/o C-168, Brij Vihar, Ghaziabad, U.P.-201011, have changed my name to Reetu Sharma.

0040842256-3

I, Navjeet Kaur Mahapatra W/o Rabindra Kumar Mahapatra R/o Flat No.1301,Tower No-12,Aspen Appt.,Suraj Kund Road, Sector-43, Faridabad, Haryana-121001, have changed my name from Navjeet Kaur to Navjeet Kaur Mahapatra for all future purposes.

0040843087-8

खोया+पाया

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा मूल विक्रय विलेख (सेल डीड) पंजीकरण संख्या 2343, दिनांक 22-03-2006, पुस्तक संख्या 1, श्री अशोक राय के नाम, संपत्ति स्थित प्लॉट संख्या 132, खसरा संख्या 317, 319, 320, ग्राम उत्तर्दौना, लखनऊ से संबंधित, खो गया है।

मैं ऊषा मौर्या पत्नी चन्द्रभान निवासी- दीनदास पुर जंसा वाराणसी उ.प्र.- 221405 अपनी मूल विक्रय विलेख- 08/02/2026 को लोहता वाराणसी में खो दी है- विवरण- बुक सं.-1 खण्ड-116 के पृष्ठ-293-316 दस्तावेज नं.-1614 रजिस्ट्री, 27/09/1999 उपरोक्त दस्तावेजों का उपयोग, दुरूपयोग

मैं संजीव कुमार पुत्र श्री जयपाल निवासी 84 चिपियाना बुजुर्ग थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर सूचित करता हूं कि मेरे प्रॉपर्टी के 07 ओरिजनल बैनामे (रजिस्ट्री) के पेपर कहीं खो गया है, जिसे मिले उपरोक्त पते पर संपर्क करें.

71023244-1

I, Sherien Madan,D/o Gurbax Rai Khanna,R/o-E-477, Greater Kailash-2,New Delhi-110048,have lost my original-Conveyance Deed,which was executed by DDA in favour of Mrs Surjeet,W/o-Gurbax Rai Khanna in respect of Property No.E-3,Masjid-Moth, Greater-Kailash-3,New Delhi-110048 which was duly registered as Document No.271,In Addl Book. No.1, Vol.No.1349,On Pages 50-51, on-13.01.1998 in the office of the Sub-Registrar-INA, Vikas-Sadan, New Delhi. Finder contact: 9990077300.

0040843512-11

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given on behalf of my clients SH. ANIL KUMAR JAIN son of Sh. Nem Chand Jain, and his wife Smt. Suman Jain, R/o PP-106, Pitampura, Delhi, who are negotiating with SH. SATYA NARAYAN BANSAL @ S.N. BANSAL S/o late Sh. Kirori Mal, R/o BM-18 (Paschimi/West) Shalimar Bagh, Delhi regarding to purchase the Entire Property No. BM-18 (Paschimi/West), land area measuring 207 sq.mtrs., situated at Shalimar Bagh, Delhi, who claims himself as the sole claimant/owner and in possession of the said property.

Any person(s) having any claim/ interest /right in respect of or against the above said property in any manner or by way of any Agreement to sell or inheritance or share or sale or transfer or assignment or loan or mortgage or gift or exchange or possession or covenant or easement or otherwise howsoever, is hereby called upon to bring the same to the knowledge of the undersigned in writing with all documentary evidence(s) at the office of the undersigned within 5 days from the date of publication thereof of the present notice, failing which the claim of such person(s), if any, shall be treated as null and void; and shall not have any legal sanctity; and shall be non-binding on my clients and the aforesaid proposed transaction of purchase of the said property shall be completed without any reference to any such claim(s)/ demand(s).

Parveen Garg (Advocate)
Enrol.No. D/713/86, RU-370,
Pitampura, ND-34, Mob.9810039884

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि दुकान नं. 4/7, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर जी, अलीगंज, लखनऊ की विक्रय विलेख (Sale Deed), जो बही नं. 1, जिल्द नं. 2469, पृष्ठ नं. 211 से 238, क्रमांक 9526, दिनांक 20 नवम्बर 2004 को पंजीकृत है तथा श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव पत्नी श्री बी.के. श्रीवास्तव के नाम दर्ज है, गुम हो गई है।

मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, कपूरथला शाखा, अलीगंज, लखनऊ

PUBLIC NOTICE

To whomsoever it may concern that My Client **Sh. Om Parkash** S/o Sh. Mathura Lal, R/o House No B-1/513 Madan Gir Ambedkar Nagar, Dr. Ambedkar Nagar, South Delhi, Delhi-110062 has severed his relationship with his cousin brother, namely **Sh. Ganga Sahay @ Shanti** S/o Late Sh. Itwari Lal R/o House No. B-1/512 Madan Gir Ambedkar Nagar, Dr. Ambedkar Nagar, South Delhi, Delhi-110062 due to his criminal involvement and absconding since 2024. My client will have no relation with him and his family as mentioned above and my client will not be responsible for any act done by him. Anybody dealing with him shall be doing so at their own risk and costs.

Sd/-
AJAY KHATANA
Advocate
Ch. No. 702, Lawyer's Chambers Block, Rohini Courts, Delhi-110085

सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि श्री राजे कुमार पुत्र श्री रतन लाल, जिन्होंने जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जीआईसीएचएफएल) से ऋण के लिए आवेदन किया था, श्री गोपाल दास के निधन की सूचना दी है, जिनका निधन 24.12.2015 को हुआ था। यह ऋण निर्मित द्वितीय मंजिल (छत टेरेस अधिकारों के बिना) से संबंधित है, संपत्ति संख्या 77, भूमि क्षेत्र 85 वर्ग गज, आयत संख्या 76, किला संख्या 16, ग्राम हस्तसल के राजस्व संपदा, जी-1 ब्लॉक कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित है। यह भी सूचित किया जाता है कि विक्रेता, श्रीमती... शीला रानी, श्री चमन लाल की पत्नी, उपरोक्त नाम वाले मृतक व्यक्ति का उत्तरजीवी सदस्य प्रमाण पत्र अपने पास नहीं रखती हैं और उन्होंने कहा है कि उपर्युक्त संपत्ति के संबंध में उनका कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है!

SUBHASH GUPTA
ADVOCATE
D-446/2002

PUBLIC NOTICE

Our clients Shri Vinod Joshi S/O Madhukar & Smt. Sonu W/O Sh. Vinod Joshi R/O B-409, Nehru Camp, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019, do hereby debarred/disowned their son Ritik, B-409, Nehru Camp, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 from all their moveable/immoveable properties due to his misbehavior and abusing language and severed their relations with them. Our client shall not be responsible for their any acts in future.

YOGESH SHARMA- ADVOCATE
CH.NO.711, 7th FLOOR, LAWYERS BLOCK,
SAKET COURT, NEW DELHI-110017
MOB: 9873574613, 7982981510

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the general public that Shri RAKESH AHUJA, S/o Shri Vilayati Ram Ahuja, R/o C-425, Second Floor, Vikas Puri, West Delhi-110018, hereby declares that he has severed all his relations, connections and dealings with his brother Shri PAWAN AHUJA S/o Shri Vilayati Ram Ahuja R/o A/107, Second Floor, Narang Colony, Janak Puri, Delhi-110058, due to personal reasons. It is hereby further notified that Shri RAKESH AHUJA and his family has no concern or relationship of any nature whatsoever, whether personal, professional, financial or otherwise, with the said Shri PAWAN AHUJA and with his family from the date of this notice. The general public, banks, financial institutions, companies, firms, government departments and other concerned authorities are hereby informed that Shri RAKESH AHUJA and his family shall not be responsible or liable in any manner whatsoever for any act, deed, omission, transaction, loan, borrowing, liability, agreement, business dealing or commitment made or undertaken by the said Shri PAWAN AHUJA and with his family with any person, institution or organization.It is also specifically declared that the said Shri PAWAN AHUJA has no right, title, interest, claim or authority in the movable or immovable properties, assets, finances, investments or business interests belonging to Shri RAKESH AHUJA and any person dealing with him shall do so at his/her own risk, cost and consequences.

Sd/-
Nikhil Bahari (Advocate)
Chamber No. 182, Lawyers Block-2, Delhi High Court New Delhi

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my client **Smt Shakuntla Devi**, Wife of Late Kishan Lal Pipal, R/o J-3/306, DDA Flats, Kalkaji, New Delhi-110019, have severed her all relations with her daughter **Monu Pipal** and disowned & disinherited her from her all moveable & immovable properties/assets. Anybody dealing with her shall do so at his/her/their own risk and cost.

Deepak Singh, Advocate
En. No. D/744/14

सार्वजनिक सूचना

यह बताया जाता है कि श्रीमती सीमा ग्रोवर, जिन्होंने LICHFL से 62.5 SQ. YDS की प्रॉपर्टी नंबर WZ-63-B के रेजिडेंशियल पूरे अपर ग्राउंड फ्लोर के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था, जो प्लॉट नंबर D-3 पर बना है और श्याम प्रसाद मुखर्जी पार्क नाम की कॉलोनी में है, जो गांव चौकंडी, नई दिल्ली-110018 के एरिया में है। और विक्रेता श्रीमती शशि आहूजा के पास मूल शीर्षक दस्तावेज नहीं है, अर्थात (1) बिक्री विलेख दिनांक 03.07.2013 को श्रीमती वेद बजाज द्वारा श्रीमती प्रीति शर्मा और श्रीमती रुचि के पक्ष में निष्पादित, पंजीकृत दस्तावेज संख्या 13931, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 21046, पृष्ठ संख्या 119-126, एसआर-II नई दिल्ली के कार्यालय में, उक्त संपूर्ण ऊपरी भूतल के संबंध में छत के अधिकार के बिना क्षेत्र 62.5 वर्ग गज मापने वाली संपत्ति संख्या WZ-63-B प्लॉट संख्या डी-3 पर निर्मित। उनके द्वारा खो दी गई है और उक्त संपत्ति के संबंध में 09.03.2026 को एफआईआर की गई है। यदि किसी अन्य दावे का पूर्वोक्त संपत्ति में कोई अधिकार या हित है, तो उसे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना चाहिए और इसकी सूचना देनी चाहिए।

सुभाष गुप्ता
एडवोकेट
D-446/2002

PUBLIC NOTICE

General public at large is hereby informed and cautioned that one of my clients Ms. Pritti Chadha attorney of her daughter Mrs. Nikita Varma, granddaughter of Mr. O.P. Chadha (owner) has lost/misplaced Original Agreement to Sell dated 14.02.1990, General Power of Attorney and other related documents of ownership pertaining to Lower Ground Floor of Property no. 265, (153.24 Sq. Yds.), Kailash Hills, East of Kailash, New Delhi (Property) somewhere in South Delhi on 27.02.2026. Complaint dated 10.03.2026 has been lodged with Police Station Crime Branch, Delhi vide LR no. 155565/2026. If anybody, person, body corporate have found or finds in future the said documents, then the same should be returned to the undersigned. Use of the said documents in any manner by anybody other than the owner, Mrs. Nikita Varma shall be illegal & void.

Vishal Chopra, Advocate
Narang & Associates
D-28, Jangpura Extension, New Delhi-110014

PUBLIC NOTICE

Be It Known that my clients (1) **SH. MUKESH** S/o Sh. Shiv Charan (2) **SMT. KAMLA** W/o MUKESH R/o 167 Village Bharola near Azadpur Delhi-110033 have disowned and severed all their relation with their son namely **ANAND** and his wife **PRIYANKA BANIWAL** and debarred them from their movable and immovable properties/ assets. Any body dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their Own risk, Cost and responsibility.

Sd/-
S.C. DIXIT
Advocate
Ch. No. 17 RU-Market Pitampura Delhi-34

PUBLIC NOTICE

Be it know to all concerned persons and general public that my client **Sh. Umesh Bhardwaj** S/o Late Sh. S. N. Bhardwaj, R/o E-244, 3rd floor, Naraina Vihar, New Delhi-110028 and clienteess **Smt. Babita Bhardwaj** W/o Umesh Bhardwaj, have already severed all their relations and links with their son **Sh. Anuj Bhardwaj** & his wife **Smt. Kamna Bhardwaj** who are currently living separately and have disowned and debarred them from all their movable and immovable properties. Anybody dealing with them will be doing so at his/her own risks and consequences and my clients shall not be liable for their acts and deeds.

Sd/-
GAGAN WADHWA (Advocate)
Ch. No. 277-A, 2nd Floor Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Nem Pal S/o Netrapal R/o H.No.1192, Gautampuri, PH-1, Delhi-110044 have severed his all relation from his both sons and their wife Namely Vivek and his wife Seema and Vikrant and his wife Rakhi and disown them from his all moveable and immovable properties due to their disobedient conduct. My client shall not be responsible for any act, deeds and things of their above named both sons and their wife in future.

Manoj Kumar (Advocate)
Ch. No. 232 Saket Court, New Delhi-17

सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि श्रीमती रीति ग्रोवर और श्री मोहित कुमार, जिन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) से लोन के लिए अप्लाई किया था, ने श्रीमती कस्तूरी सुमरा की मौत की सूचना दी है, जिनकी मृत्यु 14.01.2013 को हुई थी। और उनके पति श्री विपिन कुमार सुमरा की मृत्यु 12.11.2010 को हुई थी। और उनके बेटे श्री गौरव सुमरा की मृत्यु 11.08.2014 को हुई थी। यह लोन पूरी प्रॉपर्टी नंबर 7 (पुराने प्लॉट नंबर 31 पर बनी), खसरा नंबर 1258/510 में से 309 SQ. GDS एरिया के लिए है, जो गणेश नगर-II, शकरपुर की आबादी और मंडावली फजलपुर गांव, दिल्ली-110092 के एरिया में है। यह भी बताया जाता है कि सेलर, श्रीमती बबीता देवी के पास ऊपर बताए गए मृतक व्यक्ति का जीवित मेंबर सर्टिफिकेट नहीं है और उन्होंने बताया है कि इस प्रॉपर्टी के कोई दूसरे कानूनी वारिस नहीं हैं। यदि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त संपत्ति पर किसी प्रकार का दावा, अधिकार, स्वामित्व अथवा हित हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में सूचित करे। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे त्यागा हुआ माना जाएगा।

SUBHASH GUPTA
ADVOCATE
D-446/2002

IN THE COURT OF SHRI MUKESH KUMAR GUPTA, LD. DISTRICT JUDGE (COMMERCIAL, COURT)-07, ROOM NO. 302 CENTRAL, EXTENSION BLOCK, TIS HAZARI COURTS, DELHI

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT (Order 5. Rules 20 of the Code of Civil Procedures)

CS (COMM) 854/2025
TANU GOEL
VS
ANIL KAKKAR
TO
ANIL KAKKAR
SOLE PROP. OF M/S SHREE BALAJI ASSOCIATES
OFFICE AT:
FLAT-547, PKT-3, PASCHIM PURI, NEW DELHI, 110063
TEL: 9250167088
EMAIL: shreebalaji1705@gmail.com

WHEREAS you are intentionally evading service of summon it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **23.03.2026** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this **09.03.2026.**

Seal

Sd/-
District Judge (Commercial Court)

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Ajay Thukral S/O Subhash Chand Thukral R/O LIG Flat No. 504, Top Floor Sanjay Enclave Opp. Gtk Bus Depot Azadpur, N.S. Mandi, Model town, North West Delhi, Delhi-110033, declare that name of mine and my wife has been wrongly written as Ajay and Anju in my minor Daughter Pawni Thukral aged 16 years in his School Records. The actual name of mine and my wife are Ajay Thukral and Anju Thukral.

PUBLIC NOTICE

I, SATYA NARAYAN BANSAL alias S.N. BANSAL S/o late Sh. Kirori Mal, is the sole owner & in possession of Entire Property No. BM-18 (Paschimi), situated at Shalimar Bagh, Delhi. The DDA Original Auction Letter, Possession Letter, Site Possession etc. & other related documents of above stated property had already been lost/misplaced and not traceable till date, against which I have lodged the complaint with the Police Department, Delhi vide LR No. 154944/2026 on 10/03/2026, if anybody found, the same may submit or contact to me.

(Satya Narayana Bansal)
Mob.: # 9891238818
Email ID.: shrey0936@yahoo.co.in

PUBLIC NOTICE

**Residential Property

जनकपुरी हादसा

मुख्य ठेकेदार हिमांशु उदयपुर से गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 मार्च।

जनकपुरी में खोदे गए गहरे गड्ढे में गिरकर हुई कमल ध्यानी की मौत के मामले में मुख्य ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को पुलिस ने उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पिछले महीने जनकपुरी के इस गड्ढे में 25 वर्षीय बैंक कर्मचारी अपनी मोटरसाइकिल सहित गिर गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।

मंगलवार को पुलिस अधिकारी ने बताया कि ठेकेदार हिमांशु गुप्ता गिरफ्तारी से बच रहा था और पश्चिमी जिले की पुलिस टीम के गहन तलाशी अभियान के बाद उसे राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया गया। टीम ने मंगलवार तड़के गुप्ता को उदयपुर में ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आगे की पूछताछ के लिए गुप्ता को दिल्ली लाया जा रहा है। यह मामला पांच फरवरी की रात कमल ध्यानी की मौत से संबंधित है, जब उनकी मोटरसाइकिल जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान कथित तौर पर खुले छोड़े गए 15 फुट गहरे सीवेज के गड्ढे में गिर गई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर गड्ढे को असुरक्षित छोड़ने के लिए जिम्मेदार लोगों की तलाश शुरू की।

नरेला में कार में मिले दो शव, जांच जारी

दोनों रिश्ते के भाई थे; दम घुटने से मौत होने की आशंका, कार में मिले शराब के पाउच

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 मार्च।

दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक खड़ी कार के अंदर दो लोगों के शव मिले हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों रिश्ते के भाई थे और प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उनकी मौत दम घुटने के कारण हुई है।

उत्तर बाहरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पाया कि एक सफेद कार खड़ी थी। कार की खिड़कियां बंद थीं और दरवाजे खुले थे। उन्होंने बताया कि कार पर उत्तर प्रदेश का पंजीकरण नंबर अंकित है। अधिकारी ने बताया कि वाहन की जांच करने पर पुलिस को अंदर दो लोग नजर आए। उन्होंने बताया कि एक चालक की सीट पर जबकि दूसरा पिछली सीट पर बैठा था। उन्होंने बताया कि कार से तेज बदबू आ रही थी, जिससे पता चलता है कि शव कुछ समय से वहीं पड़े थे। उन्होंने कहा कि कार के अंदर तीन शराब के पाउच भी बरामद हुए, जिनमें से दो बंद थे और एक खुला था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पड़ताल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों के रिकार्ड से पता चला कि कार सोमवार को अपराह्न दो बजे के करीब उस स्थान पर खड़ी की गई थी और उसके बाद किसी को उसमें प्रवेश करते या बाहर निकलते नहीं देखा गया। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान विकास (42) और बिजेंद्र उर्फ भोला (36) के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों खेड़ा खुर्द के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि विकास चालक की सीट पर और बिजेंद्र पिछली सीट पर था। उन्होंने बताया कि दोनों क्रमशः चालक और नलसाज के तौर पर काम करते थे। पुलिस ने बताया कि यह वाहन राकेश कुमार (49) का है, जो खेड़ा खुर्द का रहने वाला है और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का निवासी है। राकेश ने यह वाहन किराए पर दिया था। उन्होंने कहा कि शवों पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं और प्रारंभिक जांच के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी मौत बंद कार के अंदर दम घुटने से हुई हो। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कि सटीक कारण पता करने के लिए शवों का पोस्टमार्टम किया गया है और आगे की जांच जारी है।

सीमापुरी में कैंची से गोदकर व्यक्ति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 मार्च।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद 26 वर्षीय एक युवक की कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, आठ मार्च को नई सीमापुरी में हुए झगड़े की सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के दौरान टीम ने पाया कि आरोपी जावेद उर्फ गुंडा (28) की पैसों के विवाद को लेकर रकीबुल (26) और आमिर (27) के साथ तीखी बहस हुई थी।

पैसे के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी की मदद से आरोपी जावेद को पकड़ लिया गया और कैंची भी बरामद कर ली गई है।

इस दौरान जावेद ने दोनों पर कैंची से हमला कर दिया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां रकीबुल की जान बच गई जबकि आमिर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई जिसने इलाके के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। फुटेज में आरोपी हमले के बाद इलाके में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी विश्लेषण की मदद से न्यू सीमापुरी के एक झुग्गी बस्ती इलाके से जावेद को पकड़ लिया गया और अपराध में इस्तेमाल की गई कैंची भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक, जावेद पढ़ा लिखा नहीं है और उसका आपराधिक इतिहास रहा है। वह पहले भी सीमापुरी थाने में दर्ज कम से कम दो आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

खबर कोना

गंदे पानी की आपूर्ति पर कांग्रेस का हमला, मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 मार्च।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि अगर रेखा गुप्ता की सरकार दिल्लीवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करा सकती, तो मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वी, उत्तरी और बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। यादव के अनुसार मधु विहार, आई.पी. एक्सटेंशन, मंडावली और पटपड़गंज में नलों के पानी में कीड़े निकलने की शिकायतें मिली हैं, जबकि भलस्वा, जनकपुरी, द्वारका और अशोक नगर जैसे क्षेत्रों में भी गंदे पानी से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कई बार बोरवेल या अन्य स्रोतों का पानी बिना सही उपचार के ही सप्लाई कर दिया जाता है। उन्होंने एक रपट का हवाला देते हुए कहा कि पानी के लगभग 40 फीसद नमूने जांच में फेल पाए गए हैं। साथ ही जल बोर्ड की 25 लैब में से केवल दो ही वैश्विक मानकों के अनुसार प्रमाणित हैं, जो चिंता का विषय है।

चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका प्रेरणादायक: रेखा गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 मार्च।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। आज महिलाएं डाक्टर, सर्जन, शोधकर्ता, नर्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में अपनी अहम जिम्मेदारी निभा रही हैं। वे न केवल मरीजों को बेहतर उपचार दे रही हैं, बल्कि समाज को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की संवेदनशीलता, सेवा भावना और समर्पण चिकित्सा क्षेत्र को और अधिक मानवीय बनाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं का योगदान लगातार बढ़ रहा है और यह समाज के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री यह बातें 'चिकित्सा जगत में महिलाएं' विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। यह कार्यक्रम दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक, चिकित्सा विशेषज्ञ, नर्सिंग स्टाफ और महिला स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहीं।

मुठभेड़ के बाद हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 मार्च।

बाहरी उत्तरी दिल्ली के बवाना में प्लास्टिक दाना व्यापारी वैभव गांधी की हत्या के मामले में फरार दो आरोपियों को पुलिस ने रोहिणी के शाहाबाद डेयरी इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद इरफान (40) और ऐश्वर्या पांडे (37) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों करीब एक महीने से फरार थे। सोमवार देर रात रोहिणी सेक्टर-34 में उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जिस पर उन्होंने भागते हुए गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी और उन्हें काबू कर लिया गया। आरोपियों के पास से दो पिस्तौल, कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

मेट्रो में यौन उत्पीड़न के मामले में व्यक्ति की दोषसिद्धि बरकरार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 मार्च।

दिल्ली की एक अदालत ने मेट्रो ट्रेन के अंदर महिला के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने पर बल दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी ने मोहम्मद ताहिर द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी।

विरोध

जंतर-मंतर पर मंगलवार को '67वें राष्ट्रीय विद्रोह दिवस' के अवसर पर प्रदर्शन कर नारे लगाते हुए तिब्बती समुदाय के लोग।

दिल्ली में चीनी दूतावास के पास प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी

नई दिल्ली, 10 मार्च (भाषा)।

तिब्बती समुदाय के सदस्यों और उनके समर्थकों ने 67वें तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह दिवस के अवसर पर मंगलवार को नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के पास एकत्र होकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों के सबसे बड़े संगठनों में से एक तिब्बती युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य तिब्बत क्षेत्र की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करना था। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर न्याय, स्वतंत्रता और तिब्बतियों के अधिकारों के सम्मान की मांग करते हुए चीन के खिलाफ नारेबाजी की।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चीनी दूतावास के पास प्रदर्शन स्थल से 24 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हमारी टीमों ने चीनी दूतावास के पास से 24 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्हें वहां से हटाकर अलग-अलग पुलिस थानों में ले जाया गया है।

ईडी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर हाई कोर्ट ने कहा

जो महसूस किया, वही कहा; जांच अनुचित थी, इसलिए टिप्पणियां कीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 मार्च।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और शराब घोटाला मामले में आरोपी 21 अन्य लोगों से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें निचली अदालत द्वारा ईडी के खिलाफ की गई अनुचित टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया गया है। मामले को 19 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि सीबीआई मामले में सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त करने वाले निचली अदालत के आदेश में की गई टिप्पणियां सामान्य प्रकृति की प्रतीत होती हैं। अदालत ने कहा कि ये सामान्य टिप्पणियां हैं और इनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने (मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने) ये बातें इस मामले के संदर्भ में नहीं कही थीं। उन्होंने जो भी महसूस किया, वही कहा कि उन्हें लगा कि जांच अनुचित थी, इसलिए उन्होंने टिप्पणियां कीं, जैसा कि कुछ न्यायाधीश आमतौर पर करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं।

ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एस वी राजू ने दलील दी कि

हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर केजरीवाल, सिसोदिया से जवाब मांगा।

निचली अदालत के न्यायाधीश को उस मामले में प्रतिकूल टिप्पणी करने और आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं था, जिसमें ईडी पक्षकार ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि ह्यईडी के खिलाफ सीधे आरोप लगाए गए हैं जबकि ईडी इस मामले में पक्षकार नहीं है। ईडी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। इनका इस्तेमाल मेरे (ईडी) खिलाफ किया जाएगा। राजू ने अदालत से अनुरोध किया कि वह निर्देश दे कि इन टिप्पणियों का किसी अन्य मामले पर कोई प्रभाव न पड़े। कुछ आरोपियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि ईडी द्वारा उजागर की गई टिप्पणियां संदर्भ से परे थीं और उन्हें टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। इसके बाद अदालत ने वकील से जवाब दाखिल करने को कहा और इस बात पर भी गौर किया कि सीबीआई ने पहले ही निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आरोपियों को आरोपमुक्त किया गया था।

'दिल्ली के अधिकांश आरोग्य मंदिरों में नहीं है नेत्र जांच की सुविधा'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 मार्च।

दिल्ली सरकार के 270 आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से अधिकांश में नेत्र जांच की बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की पायलट परियोजना 'रीसेट' (रिफ्रैक्टिव एरर एनालिसिस टूल) के तहत सामने आई है, जिसके आधार पर एम्स ने दिल्ली में अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर नेत्र देखभाल सेवाओं की भारी कमी है।

रपट के अनुसार केवल करीब 50 केंद्रों पर ही आंखों की जांच और इलाज की व्यवस्था है, जबकि राजधानी में बड़ी संख्या में लोग नजर से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। रपट में बताया गया

यह जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की पायलट परियोजना 'रीसेट' (रिफ्रैक्टिव एरर एनालिसिस टूल) के तहत सामने आई है, जिसके आधार पर एम्स ने दिल्ली में अध्ययन किया।

है कि दिल्ली की लगभग 30 फीसद आबादी, यानी करीब 60 लाख लोगों को नजर की कमजोरी की समस्या है। वहीं 50 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 70 प्रतिशत बुजुर्गों में आंखों की समस्या पाई जाती है। एम्स के डाक्टरों के अनुसार दिल्ली में केवल 489 आप्टोमेट्रिस्ट हैं, जबकि मानकों के अनुसार हर 50 हजार आबादी पर एक आप्टोमेट्रिस्ट होना चाहिए। रपट में सुझाव दिया गया है कि सभी आरोग्य मंदिरों में सप्ताह में कम से कम एक दिन नेत्र जांच की सुविधा शुरू की जाए।

उत्तम नगर में होली के दौरान हत्या का मामला

सुनवाई तक कोई तोड़फोड़ न की जाए : कोर्ट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 मार्च।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम से कहा कि वह उत्तम नगर में होली के दिन हुई हिंसा के मामले में कथित तौर पर शामिल व्यक्तियों के दो घरों के संबंध में 11 मार्च तक तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई न करे। हिंसा में 36 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने आरोपी इमरान की मां जरीना, और शहनाज की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही, जिनके बच्चों से पुलिस ने पूछताछ की थी।

अदालत ने कहा कि बुधवार सुबह 10:30 बजे तक, जब इस मामले पर सुनवाई होगी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने उत्तम नगर की जेजे कालोनी में स्थित अपने आवासीय परिसरों को मनमानी और अवैध तोड़फोड़ से बचाने के लिए निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था। अधिकारियों की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत से बुधवार को मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि इस बीच उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जरीना ने अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा आरोपी उमरदीप के घर को ध्वस्त किए जाने से इलाके में आतंक और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप यह वास्तविक आशंका है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसका घर भी ध्वस्त किया जा सकता है। याचिका में कहा गया कि तोड़फोड़ का आपराधिक मामलों में दंडात्मक उपाय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना तथा संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है। दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों में कहा कि एक 'पूरी तरह से व्यक्तिगत' विवाद को दुर्भावनापूर्ण तरीके से सांप्रदायिक रंग दिया गया है।

याचिका में कहा गया कि तोड़फोड़ का आपराधिक मामलों में दंडात्मक उपाय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना तथा संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

'धूलमुक्त अभियान से सड़कें होंगी साफ'

नई दिल्ली, 10 मार्च (संवाददाता)।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने अधिकार क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष 10-दिवसीय धूलमुक्त दिल्ली अभियान के तहत शहर में स्वच्छता की स्थिति सुधारने और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। यांत्रिक सड़क सफाई और धूल नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, विशेष रूप से मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की तैनाती और उपयोग को बढ़ाया गया है। निगम के प्रवक्ता का कहना है कि वर्तमान में 52 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स को लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर यांत्रिक सफाई के लिए तैनात किया गया है।

तैयारी

इस वर्ष के अंत तक दिल्ली में संख्या बढ़ाकर 7,500 तक पहुंचाने का लक्ष्य

बेड़े में इसी माह शामिल होंगी 200 नई विद्युत चालित बसें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 मार्च।

दिल्ली सरकार राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को अधिक स्वच्छ और आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (डीटीसी) के परिचालन की समीक्षा बैठक की। बैठक में विद्युत चालित बसों के बेड़े के विस्तार, ईवी चार्जिंग ढांचे और प्रमुख परिवहन परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को

जानकारी दी कि इसी महीने 200 नई विद्युत चालित बसों को बेड़े में शामिल किया जाएगा। बताया गया कि इस वर्ष के अंत तक दिल्ली में विद्युत चालित बसों की संख्या बढ़ाकर 7,500 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में शहर में 4,000 से अधिक ईवी बसों का संचालन हो रहा है।

परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली के ईवी बस बेड़े को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि पर्यावरण के अनुकूल और यात्रियों के लिए सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के 44 बस डिपो में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के पहले और दूसरे चरण के तहत 36 डिपो में ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। बैठक में प्रमुख परिवहन परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि दिल्ली सरकार भलस्वा क्षेत्र में लगभग 20 एकड़ भूमि पर नया डीटीसी अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाने की योजना पर काम कर रही है।

इसके साथ ही मंत्री ने विभाग को अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर-दो) गलियारे पर नया डीटीसी डिपो बनाने के लिए व्यवहारिकता अध्ययन करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को बुराड़ी स्थित मौजूदा बस डिपो को आधुनिक बनाने के भी निर्देश दिए, ताकि परिचालन क्षमता बढ़ाई जा सके और बढ़ते विद्युत चालित बस बेड़े के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3630 करोड़ से अधिक के संशोधित खर्च की मंजूरी दी

फरीदाबाद से 20 मिनट में पहुंचेंगे जेवर हवाई अड्डा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

नोएडा में बने रहे जेवर हवाई अड्डे की देश के अन्य भागों से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सरकार नए एक्सप्रेसवे और राजमार्ग बना रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद से जेवर हवाई अड्डे तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद फरीदाबाद और जेवर के बीच की दूरी महज 15-20 मिनट में तय की जा सकेगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंगलवार को इस एक्सप्रेसवे के 7.8 किलोमीटर लंबे एक खंड को उपरिगामी बनाने की मंजूरी मिल गई है। उपरिगामी गलियारे के लिए सेक्टर-65 के पास पिलर निर्माण का काम पहले ही शुरू हो चुका है। इस परियोजना के तहत कुल 31.42 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड गलियारे का निर्माण होगा। छह-लेन वाला एक्सप्रेसवे बल्लभगढ़ से जेवर के दयानतपुर गांव तक फैला होगा और चंदावली, सोतई, बहबलपुर, फफूंदा, पनहेरा खुर्द, नरहवली, महमदपुर, हीरापुर, मोहना और चैनसा जैसे गांवों से होकर गुजरेगा।

वहीं इस गलियारे का लगभग 11 किलोमीटर का हिस्सा उपरिगामी मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा। यह गलियारा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट गलियारे से जुड़कर यातायात को तेज और सुविधाजनक बनाएगा। परियोजना की कुल अनुमोदित लागत लगभग 3,630.77 करोड़ रुपए है, जिसमें उपरिगामी गलियारे का अतिरिक्त खर्च भी शामिल है।

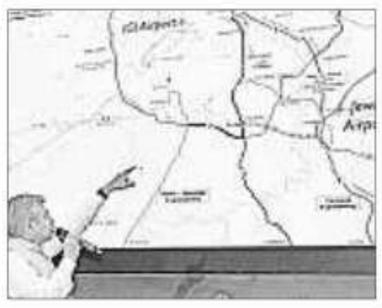

उपरिगामी गलियारे के लिए सेक्टर-65 के पास पिलर निर्माण का काम पहले ही शुरू हो चुका है। इस परियोजना के तहत कुल 31.42 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड गलियारे का निर्माण होगा। जिसमें से लगभग 11 किलोमीटर का हिस्सा उपरिगामी मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रस्तावित गलियारे की अतिरिक्त लागत 689.24 करोड़ रुपए है और हरियाणा सरकार ने इसमें 450 करोड़ रुपए वहन करने पर सहमति जताई है। अधिकारियों का कहना है कि इसके पूरा होने से हवाई अड्डे तक पहुंचने का समय काफी घट जाएगा, माल और यात्री परिवहन अधिक सुगम होगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर जाम से राहत दिलाने की तैयारी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 10 मार्च।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर नोएडा क्षेत्र में इन दिनों दिनभर जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। आने वाले महीनों में जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू होने के बाद इस एक्सप्रेस वे पर यातायात का दबाव और बढ़ने की आशंका है।

ऐसे में यातायात दबाव को कम करने के लिए यमुना पुश्ता मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज कर दी गई है। मौजूदा समय में यमुना के किनारे बनी करीब 45 मीटर चौड़ी सड़क के भूमि अधिग्रहण और निर्माण से जुड़े कार्य लंबे समय से अट-के हुए हैं, जिन्हें अब पूरा करने की दिशा में प्रयास तेज किए गए हैं।

करीब साढ़े 11 किलोमीटर लंबे यमुना पुश्ता मार्ग की मरम्मत और पुनर्निर्माण पर लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। चूंकि इस मार्ग की निगरानी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है, इसलिए विभाग ने मरम्मत के लिए यह अनुमान तैयार कर नोएडा प्राधिकरण को जांच के लिए भेजा है। अधिकारियों के मुताबिक, यदि इस पुश्ता मार्ग को सेक्टर-150 तक बढ़ाया जाता है तो यह नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेस वे पर बढ़ते वाहनों के दबाव को कम करने में मदद करेगा। साथ ही यह मार्ग ग्रेटर नोएडा और जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध कराएगा। हालांकि जेवर हवाई अड्डे के लिए यमुना पुश्ता मार्ग पर अलग से छह लेन का उपरिगामी मार्ग बनाने का प्रस्ताव भी है, लेकिन इसके निर्माण में दो साल से अधिक समय लगने की संभावना है।

हवाई अड्डा पहुंचना आसान बनाएगा यमुना बांध मार्ग।

प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह के मुताबिक, नोएडा एक्सप्रेस वे के साथ सेक्टर मार्ग के अधूरे हिस्सों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई है। पुश्ता रोड मार्ग मरम्मत और सेक्टर रोड के निर्माण से नोएडा- ग्रेनो एक्सप्रेस वे पर यातायात दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। सिंचाई विभाग के मुताबिक, प्राधिकरण की तरफ से मंजूरी और धनराशि उपलब्ध कराने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया गया हवाई अड्डे का संचालन लाइसेंस

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 10 मार्च।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर भारत सरकार की ओर से जारी संचालन (एयरोड्रम) लाइसेंस प्रस्तुत किया। इसके साथ ही जेवर स्थित हवाई अड्डे के संचालन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम पूरा हो गया है। इस लाइसेंस के बाद अब हवाई अड्डे के उद्घाटन और वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

हवाई अड्डे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ श्नेलमैन समेत अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को परियोजना की प्रगति और आगामी चरणों की जानकारी भी दी। अधिकारियों के अनुसार, एयरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद अब नियामकीय स्वीकृतियों की अंतिम प्रक्रिया जारी है। हवाई अड्डे का एयरोड्रम सिक्योरिटी प्रोग्राम इस समय ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के पास समीक्षा के लिए लंबित है। अब हवाई अड्डा प्रबंधन सभी संबंधित एजंसियों के साथ समन्वय कर औपचारिक उद्घाटन और वाणिज्यिक संचालन की तिथि तय करेगा।

ग्रेटर नोएडा देश में सबसे प्रदूषित, गाजियाबाद तीसरे पर

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा/गाजियाबाद, 10 मार्च

तापमान में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 340 दर्ज किया गया। यह स्तर 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है।

प्रदूषण की गंभीर स्थिति केवल ग्रेटर नोएडा तक सीमित नहीं रही। एनसीआर के अन्य शहर भी खराब हवा की चपेट में हैं। गाजियाबाद इस सूची में तीसरे स्थान पर रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 329 तक पहुंच गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में ही दर्ज किया गया। वहीं नोएडा की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 288 दर्ज किया गया, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। हवा की गिरती गुणवत्ता के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

दो युवकों पर चाकू से हमला, दो नाबालिगों को पकड़ा गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 मार्च।

उत्तरी दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन के पास दो नाबालिगों ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए।

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि दोनों नाबालिगों को पकड़ लिया गया है। उसने बताया कि नाबालिग लड़कों ने अपराध में इस्तेमाल किए गए चाकू आनलाइन खरीदे थे। पुलिस के मुताबिक, लड़के ने बताया कि पीड़ित आकाश तोमर (18) और उसके दोस्त कुछ समय से उन्हें परेशान कर रहे थे जिससे वे उसे सबक सिखाना चाहते थे।

उत्तर पश्चिम की पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने मंगलवार को बताया कि छह मार्च को तोमर ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि एक दिन पहले उस पर और उसके दोस्त पर चाकू से हमला किया गया था। पांच मार्च को शाम करीब पांच बजे तोमर और उसके कुछ दोस्त जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक ठेली पर खाना खा रहे थे। तभी गलती से तोमर के दूसरे लड़के से टकरा जाने के बाद उनके बीच बहस छिड़ गई। कहासुनी के दौरान तोमर के दोस्त अर्शील ने कथित तौर पर लड़के को थप्पड़ मारा और उसका बैग छीन लिया, जिसके बाद लड़कों ने तोमर और अर्शील पर चाकू से हमला किया और फिर मौके से फरार हो गए। इस हमले में तोमर पर दो-तीन बार चाकू से वार किया गया, जबकि अर्शील को चार-पांच जगह चोटें आईं। मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान टीम ने शिकायतकर्ता से पूछताछ की और स्थानीय जानकारी जुटाने के आधार पर एक नाबालिग को पकड़ लिया गया।

पीड़ित आकाश तोमर और उसके दोस्त कुछ समय से नाबालिगों को परेशान कर रहे थे जिससे वे उसे सबक सिखाना चाहते थे।

मेला — नई दिल्ली के भारत मंडपम में मंगलवार को आयोजित 40वें आहार-अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले में लगे स्टाल।

आत्मदाह की चेतावनी के बाद बैरंग लौटा जीडीए का दस्ता

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 10 मार्च

वेव सिटी इलाके में मंगलवार को उस समय भारी तनाव व्याप्त हो गया, जब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की टीम भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। हालांकि, किसानों के उग्र प्रतिरोध और आत्मदाह के प्रयास के कारण प्रशासन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। मामला महरौली निवासी एक किसान परिवार की जमीन से जुड़ा है, जिसे वेव सिटी परियोजना के अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर बताया जा रहा है।

वेव सिटी में किसान और जीडीए आमने-सामने।

घटनाक्रम के अनुसार, महरौली निवासी प्रमोद, सुबोध और सरवोश के नाम करीब आठ बीघे का खेत है, जिस पर वर्तमान में उनका कब्जा है। किसान पक्ष का दावा है कि यह भूमि अधिग्रहण के दायरे में नहीं आती है और परिवार इसी जमीन पर टीन शेड डालकर दुकान के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहा है। आरोप है कि मंगलवार दोपहर जीडीए की टीम बिना किसी आधिकारिक पूर्व सूचना के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने पहुंच गई। जैसे ही इसकी भनक ग्रामीणों को लगी, देखते ही देखते मौके पर महिलाओं समेत दर्जनों किसान एकजुट हो गए।

विरोध की चिंगारी भड़क गई और स्थिति उस वक्त काफी संवेदनशील हो गई जब ओमपाल यादव, अंकुर और उनकी मां संगीता सहित कुछ अन्य लोगों ने अपने ऊपर डीजल छिड़क लिया और आत्मदाह की धमकी देने लगे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में करीब आधे घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। किसानों का आरोप था कि बिल्डर प्रशासन की मिलीभगत से उनकी निजी भूमि को जबरन हथियाना चाहता है।

नोएडा सीईओ के निरीक्षण में कई जगह मिली गंदगी

छह सफाईकर्मियों को नौकरी से निकाला

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 10 मार्च।

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश ने मंगलवार को शहर के विभिन्न सेक्टरों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था, नालों की स्थिति और अन्य नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर गंदगी और अव्यवस्था मिलने पर छह कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए। वहीं, घर-घर से कूड़ा उठाने वाली एजंसी पर पांच लाख का जुर्माना लगाया।

निरीक्षण के दौरान सेक्टर-8 के ई-9 क्षेत्र में मलबा पड़ा मिला। वहां तैनात सफाई कर्मी राहुल व सोनी तथा हेल्थ सुपरवाइजर श्रीप्रकाश मिश्रा की सेवाएं समाप्त करने और अवर अभियंता हर्षित मलिक का दस दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। शहर के बड़े नालों को ढककर उनके ऊपर वाकिंग जोन विकसित करने की संभावनाओं का परीक्षण कर आगे की कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ए-ब्लाक मार्केट के पास नाली पर प्रीकास्ट स्लैब लगाकर पैदल मार्ग से जोड़ने के निर्देश दिए गए। सेक्टर-55 में में मलबा मिलने पर तत्काल सफाई कराने के लिए कहा गया, वहीं होटल रेडिसन ब्लू के पास सर्विस रोड का संपर्क मार्ग सुधारने के निर्देश दिए। सेक्टर-57 में सी-4 और सी-60 से 63 के आसपास भारी मात्रा में कूड़ा और मलबा मिलने पर वहां तैनात सुपरवाइजर आजाद की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए।

एजंसी पर पांच लाख का जुर्माना

शहर में घर-घर से कचरा उठाने की व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने पर एजंसी एजी एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रालि पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सभी वर्क सर्किलों को निर्देशित किया कि रोजाना सुबह 10 बजे तक सभी स्थानों से कूड़ा उठाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

खोड़ा के पास पथ विभाजक पर गंदगी मिलने पर सफाई कराने को कहा। साथ ही सेक्टर-62 में सड़क पर पड़े उद्यानिक कचरे को हटाने और सर्विस रोड को नियमित रूप से साफ कर आवागमन के लिए खोलने के निर्देश दिए। सेक्टर-62 में सड़कों पर बड़ी संख्या में निराश्रित गायें घूमती मिलीं, जिन्हें अभियान चलाकर गोशालाओं में भेजने और सेक्टर के बारातघर का निरीक्षण कर उसके नवीनीकरण के भी निर्देश दिए। फोर्टिस अस्पताल के समीप सड़क के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए गए। वहीं सेक्टर-63 के आंतरिक मार्गों पर उपले और सूखी पेड़ों की टहनियों का कूड़ा पड़ा मिला तथा सेंट्रल वर्ज पर सूखे पत्तों का ढेर पाया गया, जिसकी सफाई कराने को कहा गया।

पूर्वी दिल्ली में यूट्यूबर मृत पाया गया

नई दिल्ली, 10 मार्च (भाषा)।

पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में रहने वाले 31 वर्षीय यूट्यूबर एवं कारोबारी का शव डीडीए के एक खाली भूखंड में मिला। पीड़ित के परिवार ने मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि मृत व्यक्ति की पहचान पुष्पेंद्र उर्फ आकाश के रूप में हुई है और वह मंडावली का रहने वाला था। वह शनिवार को घर से बाहर निकला था और तब से लापता था।

परिवार ने दावा किया कि उसके पास लगभग 1.5 लाख रुपए नकद, सोने की एक अंगूठी, सोने की एक चेन और एक मोबाइल था। पुलिस के अनुसार, आठ मार्च को डीडीए के एक खाली भूखंड में एक अज्ञात व्यक्ति के शव होने की सूचना मिली थी।

योजना — मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की रफ्तार धीमी

रोजगार के लिए ऋण देने में नोएडा-गाजियाबाद फिसड्डी

हर्ष मिश्रा
नोएडा/गाजियाबाद, 10 मार्च।

प्रदेश सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' के अंतर्गत चल रहे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है, लेकिन प्रदेश के सबसे विकसित माने जाने वाले शहरों नोएडा और गाजियाबाद में इस योजना की रफ्तार बेहद धीमी दिखाई दे रही है।

स्थिति यह है कि प्रदेश के 75 जिलों की सूची में गौतमबुद्धनगर सबसे अंतिम स्थान पर पहुंच गया है, जबकि गाजियाबाद 61वें पायदान पर है। इस अभियान के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वहीं युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार तलाशने के बजाय खुद रोजगार देने वाला बनाना है। इसके लिए आवेदक का प्रदेश का मूल निवासी होना, आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना और न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है।

प्रशासन का कहना है कि कई आवेदनों में दस्तावेजों की त्रुटियां पाई जाती हैं, जबकि युवाओं का आरोप है कि बैंक तकनीकी कारणों का हवाला देकर फाइलें लंबित रख देते हैं। जानकारों का मानना है कि यदि बैंकों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय नहीं हुआ तो हाइटेक शहरों के युवाओं के लिए स्वरोजगार का सपना अधूरा रह सकता है।

नोएडा सभी जिलों में सबसे आखिरी स्थान पर, गाजियाबाद 61वें स्थान पर।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर जिले को 1800 लाभार्थियों का लक्ष्य दिया गया था। इसके लिए 2905 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2674 आवेदन बैंकों को भेजे गए, लेकिन केवल 721 युवाओं को ही ऋण स्वीकृत हो सका। गाजियाबाद में भी 2000 के लक्ष्य के मुकाबले 5123 आवेदन आए, मगर अंततः केवल 1274 आवेदनों को ही मंजूरी मिल सकी। इसके विपरीत आजमगढ़ जिले ने 2500 के लक्ष्य के मुकाबले 3437 ऋण स्वीकृत कराकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में 2700 के लक्ष्य के सापेक्ष 1945 आवेदन ही स्वीकृत हो पाए, जिससे वह 36वें स्थान पर रहा। विशेषज्ञों के अनुसार, बड़े शहरों में इस योजना की धीमी प्रगति के पीछे बैंकों का सख्त रवैया और परियोजनाओं को जोखिम भरा मानना मुख्य कारण है।

खबर कोना

इंटरचेंज परियोजना : किसानों के भूखंड और मुआवजे का 15 दिन में होगा निस्तारण

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 10 मार्च।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक मंच) की बैठक हुई। बैठक में जगनपुर-दनकौर इंटरचेंज परियोजना से प्रभावित सैकड़ों किसान शामिल हुए। यीडा के ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इंटरचेंज परियोजना से प्रभावित कुल 135 किसानों में से 75 को आवासीय भूखंड आबंटित किए जा चुके हैं। शेष 65 किसानों को एक सप्ताह के भीतर भूखंड आबंटित कर दिए जाएंगे। जिन किसानों की औपचारिकताएं लंबित हैं, उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा 64.7 फीसद बढ़ा मुआवजा भी आगामी 15 दिन के भीतर किसानों के खातों में भेज दिया जाएगा।

विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी, छह आरोपी दबोचे गए

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 10 मार्च।

नोएडा के सेक्टर-113 थाना क्षेत्र में सक्रिय एक फर्जी काल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जो सोशल मीडिया के जरिए बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सोशल मीडिया मंचों पर आकर्षक विज्ञापन चलाकर लोगों को देश और विदेशों में प्रतिष्ठित पदों पर नौकरी दिलाने का लालच देता था। एडीसीपी मनीषा सिंह के मुताबिक, पुलिस और मैनुअल इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम ने सेक्टर-73 स्थित एक फ्लैट पर छापा मारकर इस धोखाधड़ी का खुलासा किया। आरोपियों की पहचान सरीम खान, शोएब खान और उनकी सहयोगी रितिका, मंतसा अब्बासी, फातिमा व खुशी उर्फ खुशबू के रूप में हुई है।

दो करोड़ की एक किलो हेरोइन बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 मार्च।

दिल्ली पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से दो करोड़ रुपए मूल्य की एक किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। पुलिस के अनुसार, उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी के बीच संचालित होने वाले मादक पदार्थों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान फईम बेग (29), कयूम खान (33) और आमिर खान (28) के रूप में हुई है। उसने बताया कि सभी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी उस नेटवर्क का हिस्सा थे, जो दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के शामली और सहारनपुर सहित कई जिलों में हेरोइन के निर्माण और आपूर्ति में शामिल था। पुलिस ने बताया कि 22 फरवरी को सूचना मिली कि बेग, पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे भूमिगत पार पथ के पास हेरोइन की खेप पहुंचाएगा, जिसके बाद यह अभियान शुरू किया गया।

यीडा : चिकित्सा उपकरण पार्क में निवेश के लिए भूमि सबसिडी को मंजूरी

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 10 मार्च।

यूपी मंत्रिमंडल ने यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र (यीडा) में चिकित्सा उपकरण निर्माण इकाई स्थापित करने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत टीआइ मेडिकल्स प्रालि को भूमि सबसिडी प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कंपनी क्षेत्र में 4.48 हेक्टेयर भूमि पर करीब 215.20 करोड़ से चिकित्सा उपकरण निर्माण इकाई स्थापित करेगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की एफडीआइ, एफसीआइ व फार्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत प्रस्तावित है। कंपनी को अनुमन्य सबसिडी के तहत 14.77 करोड़ प्रतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। यह राशि केंद्र सरकार की चिकित्सा उपकरण पार्क योजना के तहत पहले से प्राप्त सबसिडी को समायोजित करने के बाद दी जाएगी।

करूर भगदड़ : टीवीके प्रमुख विजय को फिर तलब किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय को करूर भगदड़ मामले में 15 मार्च को दोबारा तलब किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एजंसी ने जनवरी में विजय से दो बार पूछताछ की थी और नौ मार्च को अभिनेता को फिर से तलब किया था, लेकिन उन्होंने इसे 15 दिनों के लिए टालने का अनुरोध किया था।

अधिकारियों ने बताया कि अभिनेता विजय ने आगामी विधानसभा चुनावों के कारण राजनीतिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए यह भी आग्रह किया था कि पूछताछ चेन्नई या तमिलनाडु के किसी कार्यालय में की जाए। उन्होंने बताया कि सीबीआइ ने अब विजय को 15 मार्च को दिल्ली स्थित एजंसी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। केंद्रीय जांच एजंसी ने करूर से द्रमुक विधायक सेंथिल बालाजी को भी 17 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है।

राज्य के पूर्व मंत्री बालाजी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह 17 मार्च को सीबीआइ के सामने पेश होकर करूर भगदड़ त्रासदी के संबंध में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआइ ने एसआइटी से मामला अपने हाथ में ले लिया था, और वह 27 सितंबर, 2025 को तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ से संबंधित मामले में सबूत जुटा रही है। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हुए।

अधिकारियों ने बताया कि अभिनेता विजय ने आगामी विधानसभा चुनावों के कारण राजनीतिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए यह भी आग्रह किया था कि पूछताछ चेन्नई या तमिलनाडु के किसी कार्यालय में की जाए। सीबीआइ ने अब विजय को 15 मार्च को दिल्ली स्थित एजंसी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है।एजंसी ने करूर से द्रमुक विधायक सेंथिल बालाजी को भी 17 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। राज्य के पूर्व मंत्री बालाजी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह 17 मार्च को सीबीआइ के सामने पेश होकर करूर भगदड़ त्रासदी के संबंध में अपना पक्ष रखना चाहते हैं।

वर्ष 2025-26 में 43 नए मेडिकल कालेज बनाए गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

राज्यसभा में सरकार ने मंगलवार को बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए देश भर में 43 नए मेडिकल कालेज बनाए गए हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने इसी शैक्षणिक वर्ष के लिए देश भर में 11,682 एमबीबीएस सीटों और 8,967 परास्नातक सीटों को मंजूरी दी है।

सरकार ने 11,682 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी।

उन्होंने कहा कि एनएमसी हर साल देश भर के मेडिकल कालेजों और संस्थानों से नए मेडिकल कालेज बनाने और स्नातक और परास्नातक सीटों को बढ़ाने के लिए आनलाइन आवेदन मंगाती है। इसके अलावा, अनुमति पत्र (एलओपी) या अस्वीकृति पत्र (एलओडी) चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियमन, 2023, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता (यूजीएमएसआर), 2023, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता (पीजीएमएसआर), 2023, और एनएमसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य प्रासंगिक मानदंडों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जांच और मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जारी किया जाता है।

पटेल ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पताल के साथ नए मेडिकल कालेज बनाने' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है।

इसमें उन इलाकों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कालेज नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए कोष केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 90:10 और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है।

खबर कोना

पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों व डाकघरों को बम से उड़ाने की धमकी

जयपुर, 10 मार्च (भाषा)।

जयपुर में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी वाला ई-मेल मिलने के बाद राजस्थान के कई शहरों में पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघरों की मंगलवार को गहन जांच की गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों ने तुरंत जयपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद प्रोटोकाल के अनुसार जांच की गई। जयपुर में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और पासपोर्ट सेवा केंद्र, डाकघर परिसर में संचालित पासपोर्ट कार्यालयों व सेवा केंद्रों को खाली कराया गया और जांच की गई। हालांकि, जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कार्यालयों में प्रवेश तुरंत रोककर अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया गया। सुरक्षा टीमों ने कार्यालय परिसर के अंदर और आस-पास गहन निरीक्षण किया। अधिकारी ने बताया कि जांच उन डाकघरों में भी की गई जहां सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें बांसवाड़ा, बीकानेर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर शामिल हैं। इससे पहले भी उच्च न्यायालय, निचली अदालतों और कई स्कूलों को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, जो बाद में झूठी साबित हुईं।

सरकार ने 2.81 लाख करोड़ के अतिरिक्त व्यय के लिए मंजूरी मांगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

सरकार ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष में 2.81 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए लोकसभा की मंजूरी मांगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुदान की अनुपूरक मांगों का दूसरा बैच लोकसभा में पेश किया। अनुदान की अनुपूरक मांगों में कहा गया है, '2,81,289.26 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है। इसमें से शुद्ध नकदी व्यय से जुड़े प्रस्ताव कुल 2,01,142.96 करोड़ रुपए और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूली से मेल खाते सकल अतिरिक्त व्यय 80,145.71 करोड़ रुपए हैं।'

दिक्कत बस्तर जिले की कुरेंगा पंचायत में मंगलवार को महिलाएं कुएं से बर्तनों में पानी भर रही हैं। कई गांव वाले पानी के लिए इसी कुएं पर निर्भर हैं।

मामूली विवाद में चौकीदार को जिंदा जलाया

भदोही के पीपर गांव का मामला, आरोपी प्रधान पुत्र गिरफ्तार किया गया

भदोही, 10 मार्च (भाषा/एजंसी)।

ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के पीपर गांव में सोमवार को मामूली विवाद के बाद ग्राम प्रधान के बेटे ने चौकीदार पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। 80 फीसद झुलस जाने के बाद चौकीदार 55 वर्षीय जैसलाल सरोज को गंभीर हालत में वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में हत्या व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सोमवार सुबह पीपर गांव में चौकीदार जैसलाल सरोज गांव में लगे एक हैंडपंप के खराब होने पर उसका पाइप बदलवाने के लिए प्रधान रामनाथ यादव के घर गया था। इस बीच वहां किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।

इस पर मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान रामनाथ यादव का बेटा कमलेश यादव घर के अंदर गया और पेट्रोल लेकर आया। पहले उसने जैसलाल सरोज पर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद आग लगा दी।

सरोज को जलता देख कुछ गांव वालों ने कंबल डालकर किसी तरह आग बुझाई और उसे तत्काल महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल, ज्ञानपुर पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया, जहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मांगलिक ने बताया कि सरोज के भाई बाबूलाल की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी में हत्या की धारा जोड़ दी गई है। इसके साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा भी लगाई गई है।

मांगलिक ने कहा कि आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि भारी तनाव को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी तैनात कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस शव के पोस्टमार्टम कराने सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई में जुटी है और क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर द्वारा पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है।

अस्सी फीसद झुलस जाने के बाद चौकीदार 55 वर्षीय जैसलाल सरोज को गंभीर हालत में वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस शव के पोस्टमार्टम कराने सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई में जुटी है और क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर द्वारा पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है। भारी तनाव को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी तैनात कर दी गई है। सरोज के भाई बाबूलाल की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी में हत्या की धारा जोड़ दी गई है। इसके साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा भी लगाई गई है।

कोर्ट ने 'एआइ' की मदद से तैयार याचिका खारिज की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लुधियाना के एक कपड़ा व्यापारी द्वारा दायर उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिका का मसविदा तैयार करने के लिए कृत्रिम मेधा (एआइ) उपकरणों का उपयोग करने की बात स्वीकार की गई और वह उसमें प्रयुक्त जटिल कानूनी शब्दों की व्याख्या करने में असमर्थ था।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा, 'जाओ, लुधियाना में 2-3 और स्वेटर बेचो, जिन लोगों का काम है ऐसी याचिका दाखिल करना, वो नुकसान कर देंगे आपका जुर्माना लगवा कर।' न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ को उस समय संदेह हुआ जब 12वीं कक्षा तक पढ़े कपड़ा व्यापारी रजनीश सिद्धू 'पीएम केयर फंड' से संबंधित अपनी याचिका पर बहस करने के लिए खड़े हुए। सिद्धू ने जैसे ही लिखित दलीलें पढ़नी शुरू कीं, प्रधान न्यायाधीश ने उनकी शैक्षणिक और अन्य पृष्ठभूमि पर सवाल किया। जब याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने पहले कोई याचिका दायर नहीं की थी और वह सीधे शीर्ष अदालत में अपनी पहली याचिका दायर करने आया है, तो प्रधान न्यायाधीश ने व्यंग्यपूर्वक कहा, 'बड़ा बहादुरी का काम किया, सीधा लुधियाना से चलकर आ गए।'

मोदी आज तिरुचिरापल्ली में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। वह तमिलनाडु की अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की एक रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर लिखा कि राज्य भर में राजग की बढ़ती लोकप्रियता से द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) परेशान है।

तमिलनाडु के लोगों ने द्रमुक के कुशासन और अधूरे वादों को देखा है। यही कारण है कि वे राजग के आशा और प्रगति के एजेंडे से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दे दी।

मोदी ने कहा कि इससे विशेष रूप से दक्षिणी तमिलनाडु में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। शाश्वत संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध मदुरै शहर अब वैश्विक स्तर पर अपने संपर्क को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है।' शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचा, ग्रामीण कनेक्टिविटी, राजमार्ग विकास और रेलवे सेवाएं शामिल हैं। वह दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इससे तमिलनाडु की रेल कनेक्टिविटी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पूर्वी भारत समेत अन्य क्षेत्रों से और मजबूत होगी, जिससे यात्रियों को लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

तमिलनाडु के लोगों ने द्रमुक के कुशासन और अधूरे वादों को देखा है। यही कारण है कि वे राजग के आशा और प्रगति के एजेंडे से जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दे दी। मोदी ने कहा कि इससे विशेष रूप से दक्षिणी तमिलनाडु में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

LT FOODS
NURTURING GOODNESS
CIN L74899DL1990PLC041790
पंजीकृत कार्यालयः- यूनिट संख्या 134, पहली मंजिल, रेक्टैंगल-1, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110017 दूरभाषः 011-29565344
कॉर्पोरेट कार्यालयः चौथी मंजिल, MVL-I पार्क, सेक्टर-15, गुरुग्राम-122001, दूरभाषः 0124-3055100, ईमेलः ir@ltgroup.in, वेबसाइटः www.ltfoods.com

पोस्टल बैलेट नोटिस/डाक मतदान सूचना

यह नोटिस 26 फरवरी, 2026 के पोस्टल बैलेट नोटिस में उल्लिखित कार्य (कार्यों) के संपादन के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 एवं 110 और अन्य सभी लागू नियमों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 और नियम 22, भारतीय सिक्योरिटी एवं प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक घोषणा) नियमन, 2015 ("सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन्स") के रेगुलेशन 44 (किसी भी कानूनी बदलाव या वर्तमान में प्रभावी कानून दुबारा लागू करने के साथ-साथ समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार) और आम बैठक के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("एसएस-2") के सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, 22 सितंबर, 2025 के एमसीए सामान्य सर्कुलर 03/2025 और 3 अक्टूबर, 2024 को जारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") के सेबी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी -पीओडी2/पी/सीआईआर/2024/133 और संबंधित अन्य सर्कुलरों (आगे सामूहिक रूप से एमसीए सर्कुलर कहा जाएगा) के तहत जारी और किसी भी अन्य प्रभावी कानूनों और विनियमों के अनुसार कम्पनी द्वारा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('ई-वोटिंग') से मतदान के लिए पोस्टल बैलेट हेतु सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए है।

1. श्री अभिराम सेठ (डीआईएनः 00176144) की कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक पद पर पुनः नियुक्ति।
2. सुश्री अंबिका शर्मा (डीआईएनः 08201798) की कम्पनी की स्वतंत्र निदेशक पद पर पुनः नियुक्ति।
3. सुश्री रीमा गुप्ता (डीआईएनः 00360408) की कम्पनी की स्वतंत्र निदेशक पद पर पुनः नियुक्ति।
4. श्री अशोक कुमार अरोड़ा (डीआईएनः 02259429) की कम्पनी के पूर्णकालिक निदेशक पद पर नियुक्ति।
5. कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में परिवर्तन।

यह नोटिस **सोमवार, 09 मार्च, 2026** को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सिर्फ उन सदस्यों को भेज दिया गया है, जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं और जिन्होंने शुक्रवार, 6 मार्च, 2026 (कट-ऑफ डेट) तक एनएसडीएल / सीएसडीएल में अपने इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स के संबंध में संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने ई-मेल पते और फिजिकल होल्डिंग्स के संबंध में कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानी मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास अपने ई-मेल पते दर्ज किए हैं। इसके अतिरिक्त एमसीए सर्कुलर के अनुसार मेंबर्स को पोस्टल बैलेट के लिए नोटिस की फिजिकल कॉपी, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफा नहीं भेजा जाएगा और कोई भी फिजिकल बैलेट फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

डाक मतदान सूचना और कथित अधिनियम की धारा 102 और 110 के अनुसार और एसएस-2 के तहत ज़रूरी जानकारियां, जिनमें वास्तविक तथ्यों और उनके कारण दर्ज करने के साथ-साथ ई-वोटिंग प्रक्रिया के निर्देश और प्रक्रियाएं शामिल हैं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com या कम्पनी की वेबसाइट www.ltfoods.com पर अपलोड की गई हैं। ये बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्य जिनके ईमेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर नहीं हैं, नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने ईमेल पते रजिस्टर या अपडेट कर सकते हैं –

1. यदि शेयर फिजिकल रूप में रखे हैं, तो कृपया हमारे आरटीए अर्थात् मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को bssdelhi.bd@bigshareonline.com पर अपना नाम, फोलियो नंबर, शेयर प्रमाणपत्र संख्या, पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल पता भेज दें।
2. सदस्य जिनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/ डीमैट में रखे हैं और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ यह अपडेट कर सकते हैं। हालांकि ऐसे सदस्य अस्थायी रूप से कम्पनी के आरटीए के सीएलआईडी लिंक पर भी यह रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सभी विवरण जैसे नाम, डीपी आईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल पते देने होंगे।

बोर्ड ने मेसर्स डी दीक्षित एंड एसोसिएट्स के प्रोपराइटर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़ को इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी डाक मतदान ई-वोटिंग के लिए स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है।

कम्पनी ने सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 44 के तहत अपने मेंबर्स को ई-वोटिंग की सुविधा देने के लिए एनएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। ई-वोटिंग की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी नोटिस में दी गई है।

ई-वोटिंग **मंगलवार, 10 मार्च, 2026 प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी और बुधवार, 08 अप्रैल, 2026 शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी (दोनों दिन शामिल)।** तदुपरांत वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा। इसलिए कोई सदस्य इसके बाद वोट नहीं दे पाएंगे।

आवश्यक वोट मिल जाने की स्थिति में ई-वोटिंग की अंतिम तिथि यानी 8 अप्रैल, 2026 को प्रस्ताव पारित माने जाएंगे।

स्क्रूटिनाइज़र वोटों की जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट चेयरपर्सन या उनके अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को देंगे।

ई-वोटिंग की समय सीमा समाप्त होने के बाद दो कार्य दिवसों के अंदर यानी शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2026 या उससे पहले चेयरपर्सन या उनका अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति डाक मतदान से ई-वोटिंग (ई-वोटिंग प्रक्रिया से) के परिणामों के साथ स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट की घोषणा करेंगे।

घोषित किए गए परिणामों के साथ-साथ स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.ltfoods.com पर निवेशक अनुभाग में तुरंत उपलब्ध होंगे और कम्पनी के शेयर जिन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं यानी www.bseindia.com और www.nseindia.com को भी फॉरवर्ड किए जाएंगे और एनएसडीएल की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर भी प्रकाशित किए जाएंगे।

यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में मेंबर्स के लिए उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और मेंबर्स के लिए ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल देख सकते हैं या 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं या (सुश्री पल्लवी म्हात्रे) को evoting@nsdl.com पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।

स्थान – गुरुग्राम
दिनांक – 09.03.2026

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते एलटी फूड्स लिमिटेड
हस्ता/–
मोनिका चावला जग्गिया
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सार्वजनिक सूचना

कंपनी रजिस्ट्रार दिल्ली के समक्ष
सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) तथा सीमित देयता साझेदारी नियम, 2009 के नियम 17 के संदर्भ में
तथा
क्राउनफील्ड इंफ्रा एलएलपी के संबंध में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 31-32, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है।

एतद्द्वारा जनता को सूचित किया जाता है कि क्राउनफील्ड इंफ्रा एलएलपी सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कंपनी के रजिस्ट्रार, दिल्ली के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति प्राप्त करने का निवेदन किया जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति के हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा अपने हित की प्रकृति एवं आपत्ति के आधारों का उल्लेख करते हुए शपथपत्र सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है या प्रस्तुत करवा सकता है।

उक्त आपत्ति की एक प्रति एलएलपी को उसके उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजना आवश्यक होगा।

क्राउनफील्ड इंफ्रा एलएलपी
की ओर से तथा उसके लिए
हस्ताक्षरित/–
रजनी कांत मिश्रा
नामित भागीदार
डिपीआईएन – 03116578
स्थान : नई दिल्ली दिनांक 10.03.2026

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities.
Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, outside India.
INTIMATION OF FILING OF THE PRE-FILED DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED MARCH 9, 2026 ("PRE-FILED DRAFT RED HERRING PROSPECTUS") OF SWARAJ GREEN POWER AND FUEL LIMITED ("COMPANY") UNDER CHAPTER IIA OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED, ("SEBI ICDR REGULATIONS") WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") AND BSE LIMITED AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (COLLECTIVELY, THE "STOCK EXCHANGES") IN RELATION TO THE PROPOSED INITIAL PUBLIC OFFERING OF ITS EQUITY SHARES BEARING FACE VALUE OF ₹10 EACH (THE "EQUITY SHARES") ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES

PUBLIC ANNOUNCEMENT

SWARAJ

SWARAJ GREEN POWER AND FUEL LIMITED

Registered and Corporate Office: Gat No. 332 B/2, Upalave, Phaltan, Satara – 415523, Maharashtra, India.
Contact Person: Lalit Ashok Karne, Company Secretary and Compliance Officer; **Email:** investors@swarajindia.co.in; **Tel:** (+91) 7378722722; **Website:** www.swarajindia.co.in; **Corporate Identification Number:** U01409PN2010PLC137013

This public announcement is being made pursuant to Regulation 59C(5) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company has filed the Pre-filed Draft Red Herring Prospectus with SEBI and the Stock Exchanges, under Chapter IIA of the SEBI ICDR Regulations in relation to the proposed initial public offering of its equity shares on the main board of the Stock Exchanges. The filing of the Pre-filed Draft Red Herring Prospectus shall not necessarily mean that the Company will undertake the initial public offering.

This public announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The securities described in this public announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**") and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. No public offering of securities in the United States is contemplated. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in "offshore transactions" as defined in, and in reliance on, Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.

For **Swaraj Green Power and Fuel Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Lalit Ashok Karne
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Phaltan, Maharashtra
Date: March 10, 2026

शिक्षा क्रोध में आए बिना या अपने आत्मविश्वास को खोए बिना लगभग कुछ भी सुनने की क्षमता है, जिससे कुछ सीखा जा सके।

– राबर्ट फ्रोस्ट

कुप्रबंधन का पानी

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिस दौर में विज्ञान और तकनीक के मामले में नई ऊंचाइयां छूने का दावा किया जा रहा है, उसमें आज भी करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराए जा रहे पीने योग्य नल-जल की सुविधा के तिहत्तर फीसद दूषित नमूनों पर उपचारात्मक उपाय नहीं हो पाया। यानी देश में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, जिन्हें आज भी स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। सवाल है कि विकास की यह कौन-सी दिशा है, जिसमें पीने के साफ पानी की अनुपलब्धता से जुड़ी समस्या की इस हद तक अनदेखी की जा रही है कि आज यह व्यापक संकट का एक बड़ा कारण बनता दिख रहा है। राज्यों की भागीदारी से वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल मुहैया कराने का कार्यक्रम शुरू किया गया। मगर देश भर में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रबंधन में जिस स्तर की कोताही बरती जा रही है, कहीं वह आने वाले समय में एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती की शक्ल में न सामने आए!

गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 में जल जीवन मिशन के तहत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच के लिए चौंतीस राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से आए पानी के नमूनों की जांच की गई। जांच के बाद दूषित पाए गए कुल नमूनों में से केवल 26.31 नमूनों पर ही उपचारात्मक उपाय किए जा सके। दरअसल, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों के घरों तक पहुंचाए जा रहे पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पेयजल के नमूने को संग्रह कर उनकी जांच की जाती है। जांच में अगर कहीं का पानी दूषित पाया जाता है, तो वहां जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाती है। अव्वल तो सवाल यह है कि पेयजल को स्वच्छ रखने के लिए क्या किया गया। फिर अगर कुल दूषित नमूनों में से तिहत्तर फीसद पर उपचारात्मक उपाय भी नहीं किए जा सके, तो क्या इसके लिए जिम्मेदारी तय की गई? क्या ऐसी ही लापरवाही की वजह से शहरों-महानगरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में लोगों के घरों तक पहुंचाए जाने वाले पेयजल के दूषित होने की समस्या और ज्यादा नहीं बढ़ती जा रही है?

यह छिपा नहीं है कि आज देश के कई हिस्सों में लोग गंदा पानी पीने और उससे उपजी बीमारियों की चुनौती का सामना करने को मजबूर हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब देश भर में सबसे स्वच्छ माने जाने वाले शहर इंदौर में दूषित पेयजल के सेवन की वजह पंद्रह लोगों की मौत और कई लोगों के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की खबर देश भर में चिंता का कारण बनी थी। मगर इंदौर कोई अकेला शहर नहीं है, जहां पेयजल खतरनाक स्तर तक दूषित हो गया। देश के अलग-अलग हिस्से से आए दिन गंदा पानी घरों तक पहुंचने या इसकी वजह से लोगों के बीमार पड़ने की खबरें आती रहती हैं। मगर शायद ही कभी पेयजल और सीवर के पाइप को सुरक्षित दूरी पर रखने की योजना पर ठोस तरीके से काम किया गया। पीने से लेकर खाना पकाने और नहाने जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जिस पानी का उपयोग किया जाता है, उसका अधिकांश हिस्सा भूजल से आता है। अक्सर भूजल में आर्सेनिक, अमोनिया या अन्य जोखिम वाले तत्त्वों के बढ़ते जाने की रपट आती हैं। मगर इससे इतर हर घर जल अभियान के तहत जिस स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का दावा किया जाता है, अगर वह भी दूषित है, तो आखिर सरकार इस मोर्चे पर क्या कर रही है।

सुविधा बनाम जोखिम

कृत्रिम मेधा पर आधारित चैटजीपीटी को एक सुविधा के तौर पर इसलिए देखा गया था, ताकि जानकारी जुटाने के मामले में लोगों को आसानी हो। मुश्किल और जटिल सवालों का जवाब वह इंसानों की तरह दे। उसने ऐसा किया भी। मगर इस बात पर शायद गौर नहीं किया गया था कि इसे जिस स्वरूप में तैयार किया गया है, उसमें इसका बेजा इस्तेमाल भी आसानी से किया जा सकता है। हालत यह है कि इसके दुरुपयोग की वजह से अब मनुष्य की मेधा ही नहीं, उसका जीवन भी खतरे में आ रहा है। हत्या और आत्महत्या के मामले में 'चैटबाट' के बढ़ते दुरुपयोग को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हाल ही में कनाडा के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में चैटजीपीटी के दुरुपयोग की खबर सामने आई है। इस घटना में बुरी तरह जख्मी एक छात्रा के माता-पिता ने मुकदमे में आरोप लगाया कि 'चैटबाट' बनाने वाली ओपनएआइ को पहले से मालूम था कि चैटजीपीटी के जरिए हमलावर सामूहिक हत्या की योजना बना रहा था। इस मामले में ओपनएआइ का हैरान करने वाला जवाब है कि उसने हमलावर की गतिविधियों पर विचार किया था, पर पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। इससे साबित होता है कि चैटजीपीटी का दुरुपयोग किस खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। निराशा की बात है कि इस पर नियंत्रण के लिए कोई नियामक नहीं है।

खास क्षमता से दक्ष चैटजीपीटी एक सलाहकार या सहयोगी की तरह काम करता है। यह व्यक्ति की मनोस्थिति के हिसाब से सवालों के जवाब देता है। हत्या या खुदकुशी के मामलों में इसके दुरुपयोग के कई मामले सामने आ चुके हैं। विचित्र बात है कि 'चैटबाट' गलत कदम उठाने को सही ठहरा देता है और अपनी या दूसरों की जान लेने के तरीके बता देता है। मगर इस तरह की गतिविधियों की निगरानी नहीं होती हो, ऐसा संभव नहीं है। कनाडा में हुई गोलीबारी के मामले में ओपनएआइ को हमलावर की गतिविधियों के बारे में पता था। अगर ऐसा है, तो समय रहते इसे रोकने के उपाय क्यों नहीं किए जा सकते हैं? तकनीक के सदुपयोग के साथ दुरुपयोग को रोकने की जवाबदेही तय नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में इससे उपजने वाली स्थिति का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है।

सिमटते संसाधनों के बीच अक्षय ऊर्जा

वैश्विक स्तर पर आज मनुष्य के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जाए। इससे प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत हो रही है। प्राकृतिक संसाधन लगातार घट रहे हैं। इन दोनों ही समस्याओं का एक ही समाधान है- अक्षय ऊर्जा का उपयोग एवं कार्यान्वयन।

चेतनादित्य आलोक

प्रदूषण का दिनोंदिन बेकाबू होना, पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों में तेजी से कमी तथा उनकी उपलब्धता की तुलना में अपेक्षाकृत अधिकाधिक दोहन किया जाना आज की बड़ी समस्याएं हैं। इससे सामान्यतः दुनिया के सभी देश और नागरिक प्रभावित हैं। वैश्विक स्तर पर आज मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लगातार बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जाए, जो प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत की वजह बन गया है। दूसरी ओर, प्राकृतिक संसाधन निरंतर घट रहे हैं। इनके बिना आज सुखद जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गौर करें, तो इन दोनों ही समस्याओं का एक ही समाधान है- अक्षय ऊर्जा का उपयोग एवं कार्यान्वयन। अक्षय ऊर्जा यानी ऊर्जा का ऐसा स्रोत, जिसका कभी क्षय नहीं हो। यह ऐसी स्वच्छ ऊर्जा है, जो वातावरण की स्वच्छता को न केवल बनाए रखने में सहयोगी है, बल्कि आज की वैश्विक पर्यावरणीय चिंताओं से मुक्ति दिलाने में भी सहायक है। सच कहा जाए, तो आज के दौर में यदि किसी भी राष्ट्र को सर्वांगीण रूप में विकसित बनाना है, तो उसे प्रदूषण रहित अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करना ही पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि उनका उपयोग समुचित और व्यापक रूप में हो।

दरअसल, पृथ्वी पर ऊर्जा के परंपरागत संसाधन यथा- कोयला, पेट्रोलियम और कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और लकड़ी इत्यादि सीमित मात्रा में हैं, जबकि सदियों से इनका अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, भारत सहित विश्व भर के कई देश बिजली जैसी ऊर्जा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सीमित और परंपरागत संसाधनों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, पर्यावरणीय चुनौतियों यानी पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर समस्याएं भी हैं। ऐसे में, यदि ऊर्जा के इन परंपरागत संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं किया गया और इनका इसी प्रकार लगातार दोहन किया जाता रहा, तो ऐसी आशंका है कि निकट भविष्य में ऊर्जा के ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे और दुनिया भर में ऊर्जा का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। ऊर्जा के आसन्न संकट को महसूस करते हुए विश्व भर में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की गई। इसके बाद वैश्विक स्तर पर मनुष्य ने ऊर्जा के अक्षय स्रोतों से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास शुरू किया। भारत में भी ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के विकास और उनके उपयोग को लेकर जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2004 से ही प्रयास जारी हैं। इस वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर समुचित पहल किए जाने की भी जरूरत है।

दुनिया के कई देशों द्वारा समझदारी से इसमें निवेश करने से होने वाले संभावित लाभों का पता लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2025 के मध्य में वैश्विक स्तर पर कराए गए एक सर्वेक्षण की रपट में अक्षय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के अनेक लाभ बताए गए हैं। इसके अनुसार, यदि अक्षय ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों को समुचित ढंग से नीति बना कर उसे निवेश के साथ जोड़ा जाए, तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही, पर्यावरणीय चुनौतियों से भी बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं,

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नीतिगत निवेश को बढ़ावा देकर दुनिया भर के करोड़ों लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

गौरतलब है कि इसके सभी लाभ तभी प्राप्त किए जा सकते हैं, जब दुनिया के सभी देशों के नागरिक अक्षय ऊर्जा को तेजी से अपनाएं। हालांकि,

> **अक्षय ऊर्जा में पर्याप्त निवेश को प्रोत्साहन देकर और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्जा नीतियां अपना कर विश्व के सभी देश अपने नागरिकों को बिजली एवं रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा, कुल 20.4 ट्रिलियन डालर की बचत भी कर सकते हैं। वैश्विक ऊर्जा समीक्षा के सुझावों को मान कर 19.3 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सकता है। तात्पर्य यह कि ऐसा कर 14.2 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन देकर कुपोषण के गर्त से बाहर निकाला जा सकेगा। वहीं 55 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी और स्वच्छ वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा सकेंगी।**

इस मामले में जब तक कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती, तब तक लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजंसी (आइईए) की प्रथम वैश्विक ऊर्जा समीक्षा (जीआरई) के सुझावों को अंगीकार करते हुए अक्षय ऊर्जा यथा- सौर, पवन, जल एवं परमाणु ऊर्जा का तीन गुना उपयोग करें। इनके अलावा, हमें ऊर्जा की खपत को कम करने तथा जीवाश्म ईंधन जैसे पारंपरिक ईंधनों के उपयोग को धीरे-धीरे शून्य पर ले जाने का प्रयास भी करना होगा। यदि विश्व के सभी देशों ने इतना सब कुछ कर लिया, तो संभव है कि वर्ष 2060 तक कुल ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन पर उनकी निर्भरता मात्र 12 फीसद तक रह जाए। यह एक अत्यंत ही राहत की स्थिति मानी जा सकती है। इसका एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि इससे पृथ्वी के तापमान को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने में सफलता मिल सकेगी।

वहीं, अक्षय ऊर्जा में पर्याप्त निवेश को प्रोत्साहन देकर और सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्जा नीतियां अपना कर दुनिया के सभी देश अपने नागरिकों को बिजली और रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त कुल 20.4 ट्रिलियन डालर की बचत भी हो सकती है। वैश्विक ऊर्जा समीक्षा के सुझावों को मान कर 19.3 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सकता है। तात्पर्य यह कि ऐसा करके 14.2 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन देकर कुपोषण के गर्त से बाहर निकाला जा सकेगा। इनके अतिरिक्त, 55 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी और स्वच्छ वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा सकेंगी। पेरिस जलवायु समझौते में भारत की ओर से वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया था, उसे निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही उसका आधा पूरा कर लिया गया है। स्पष्ट है कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए भारत ने सुधारात्मक नीतियों, समयबद्ध कार्य योजनाओं और जन भागीदारी से यह उपलब्धि हासिल की है।

भारत की यह उपलब्धि दुनिया के अन्य विकसित एवं विकासशील देशों के लिए भी अनुपम उदाहरण है। यह न केवल उसकी ऊर्जा नीति की दिशा में किए गए महत्त्वपूर्ण प्रयासों का द्योतक है, बल्कि जलवायु संबंधी अत्यंत गंभीर चुनौतियों से निपटने के वैश्विक प्रयासों में देश की महत्त्वपूर्ण भूमिका को भी प्रदर्शित करती है। भारत आज सौर ऊर्जा में तीसरे, पवन ऊर्जा में चौथे तथा कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भी चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। इसी के साथ हम स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 232 गीगावाट से अधिक स्थापित और 176 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता होने के साथ, हम न केवल अपनी ऊर्जा से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि ऊर्जा में बदलाव से जुड़ी वैश्विक चर्चा में महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। वर्ष 2014 से अब तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में तीन गुना वृद्धि हो चुकी है।

हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि यथास्थितिवाद को त्याग कर दुनिया के अन्य देश भी अक्षय ऊर्जा का तीव्रता से विस्तार करें। सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्जा नीतियां बनाएं और उन्हें अपनाएं भी। अन्यथा आज ही की तरह आने वाले दशकों में भी वे अपनी 70 फीसद ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के लिए पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रहने के कारण पृथ्वी के तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तापमान में इस संभावित वृद्धि का सीधा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य, भोजन, पोषण, स्वच्छता, बिजली, पानी इत्यादि पर पड़ेगा और करोड़ों लोग गरीबी में डूब जाएंगे।

उपकार की छवियां

फारूक आफरीदी

मानव सभ्यता का अतीत जितना संघर्षों का इतिहास है, उतना ही परोपकार और सहानुभूति से भी भरा हुआ है। मनुष्य के भीतर एक स्वाभाविक करुणा का भाव होता है, जो उसे दूसरों के दुख में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करता है। यही भाव समाज को जोड़ता है, मनुष्यता को अर्थ देता है और जीवन को गरिमा प्रदान करता है। मगर आधुनिक समय में, विशेषकर डिजिटल युग के आगमन के बाद, इस करुणा की अभिव्यक्ति के रूप और उद्देश्य में एक विचित्र परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब सहायता एक 'दिखावे' में भी तब्दील होती जा रही है। इस प्रवृत्ति में उपकार की छवियां कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। क्या यह सचमुच सेवा है या सेवा के आवरण में स्वार्थ और आत्मप्रचार का एक नया रूप है?

भारतीय संस्कृति में सेवा को एक उच्चतम नैतिक कर्तव्य माना गया है। संत कबीर, महात्मा गांधी और अन्य अनेक विचारकों ने निस्वार्थ सेवा को मनुष्य का धर्म बताया है। सेवा का आदर्श यही रहा है कि वह बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के यह कार्य करे। उसमें न अहंकार हो, न प्रदर्शन। सहायता का अर्थ किसी की पीड़ा को कम करना है, न कि उस पीड़ा को सार्वजनिक करके स्वयं को महान सिद्ध करना। मगर आज अक्सर कोई व्यक्ति किसी वंचित, गरीब या असहाय की मदद करता है, तो कैमरा तुरंत सामने आ जाता है। सहायता पाने वाला व्यक्ति एक ऐसा 'दृश्य' बन जाता है, जो 'लाइक, शेयर और कमेंट' की दुनिया में प्रसारित होता है। सेवा का भाव पीछे छूट जाता है। उसके बदले 'मान्यता की लालसा' आ जाती है।

सोशल मीडिया ने मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र को कई अर्थों में प्रभावित किया है। यह मंच जहां संवाद का माध्यम है, वहीं यह आत्म-प्रदर्शन का भी सबसे बड़ा मंच बन गया है। इस प्रवृत्ति ने परोपकार को भी प्रभावित किया है। अब परोपकार केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि 'डिजिटल प्रतिष्ठा' पाने का साधन बन गया है। गरीब को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद को कपड़े, औषधि या किसी वृद्ध की सहायता करना जैसे कार्यों के साथ कैमरे की उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। इस प्रवृत्ति का सकारात्मक पक्ष यह है कि इससे अन्य प्रेरणा लेते हैं, लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है, जिसमें सहायता पाने वाले व्यक्ति की निजता और अस्मिता की अनदेखी होती है।

जब कोई व्यक्ति किसी वंचित की सहायता करके उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालता है, तब वह अनजाने में उस व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन कर रहा होता है। लाभार्थी अक्सर अपनी परिस्थितियों के कारण असहाय होता है। वह अपनी गरीबी या कठिनाई को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन सहायता पाने के लिए परिस्थितिवश उसे स्वीकार करना पड़ता है। जब उसकी तस्वीरें बिना उसकी अनुमति सार्वजनिक कर दी जाए, तब वह व्यक्ति एक 'वस्तु' बन जाता है। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। उसकी अस्मिता को आघात पहुंचता है।

यह प्रश्न केवल सामाजिक व्यवहार का नहीं, बल्कि नैतिकता और संवेदनशीलता का भी है। सेवा का कार्य तभी सार्थक होता है, जब उसमें संवेदनशीलता हो। हमें सहायता करते समय यह विचार करने की जरूरत है कि क्या हम उस व्यक्ति की स्थिति का उपयोग अपने लाभ के लिए तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम उसकी पीड़ा को अपने 'कंटेंट' या प्रचारात्मक सामग्री में बदल रहे हैं? अगर उत्तर 'हां' है, तो यह सेवा नहीं, बल्कि शोषण का एक सूक्ष्म रूप है।

कई बार सरकारें और संस्थाएं भी अपने कल्याणकारी कार्यों का प्रचार करने के लिए लाभार्थियों की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक करती हैं। प्रचार कार्यों की जानकारी देना आवश्यक हो सकता है, लेकिन इसमें संतुलन और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। शासन का दायित्व है कि वह नागरिकों की सहायता करे, न कि उसे एक प्रचार का साधन बनाए। अगर किसी योजना का लाभार्थी अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहता, तो उसकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए। संस्थाओं को भी यह समझना चाहिए कि उनका उद्देश्य सेवा है, न कि अपनी छवि निर्माण। हालांकि कई बार समाज में सकारात्मक कार्यों का प्रचार आवश्यक होता है, ताकि लोग प्रेरित और जागरूक हों।

इस समस्या का समाधान केवल नियमों से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना से होगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सेवा का अर्थ गरिमा के साथ सहायता करना है। सहायता करते समय यदि फोटो लेना आवश्यक हो, तो लाभार्थी की स्पष्ट अनुमति ली जाए। तस्वीरों में व्यक्ति की पहचान को उजागर करने से बचा जाए। बच्चों और महिलाओं की तस्वीरें विशेष सावधानी से ली जाएं। समाज में यह शिक्षा दी जाए कि सेवा का मूल्य उसके प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उसके प्रभाव में है। यह प्रश्न हमारे भीतर के मनुष्य से जुड़ा है। क्या हम किसी की मदद इसलिए कर रहे हैं कि उसका जीवन बेहतर हो, या इसलिए कि हमारी छवि बेहतर हो? उपकार की सच्ची छवि कैमरे में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की मुस्कान में दिखाई देती है जिसकी मदद की गई है। वह मुस्कान ही सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसे किसी सोशल मीडिया पोस्ट की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमारी सेवा किसी की अस्मिता को ठेस पहुंचाती है, तो वह सेवा नहीं, बल्कि एक प्रकार का अहंकार है।

ऐसे में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी करुणा और सहानुभूति केवल 'छवियों' तक सीमित न रह जाए, बल्कि वह वास्तविक जीवन में सम्मान और संवेदना का रूप ले। तभी उपकार की छवियां सचमुच सुंदर और सार्थक बन पाएंगी- ऐसी छवियां जो कैमरे में नहीं, बल्कि मानवता के हृदय में अंकित होती हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **सेवा का कार्य तभी सार्थक होता है, जब उसमें संवेदनशीलता हो। अगर सहायता के समय हम उस व्यक्ति की भावनाओं और सम्मान का ध्यान नहीं रखते, तो वह सहायता अधूरी है। हमें सहायता करते समय यह विचार करने की जरूरत है कि क्या हम उस व्यक्ति की स्थिति का उपयोग अपने लाभ के लिए तो नहीं कर रहे हैं?**

राष्ट्रहित सर्वोपरि

वैश्विक राजनीति में ऊर्जा, व्यापार और कूटनीति का संबंध हमेशा से गहरा रहा है। हाल के घटनाक्रमों में अमेरिका ने भारत के रूस से तेल खरीदने के मुद्दे को लेकर जो रुख अपनाया, उसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिलता को फिर उजागर कर दिया है। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका लगातार भारत पर रूस से तेल खरीद कम करने का दबाव बनाता रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही निर्णय लेगा। भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैं और यह सस्ती तथा विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जहां से उचित लगे, वहां से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है। यही कारण है कि रूस से रियायती दरों पर मिलने वाला कच्चा तेल भारत के लिए महत्त्वपूर्ण बना हुआ है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने संतुलित कूटनीति अपनाते हुए अपने राष्ट्रीय और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी। तब अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने जैसे कदम उठाए। मगर भारत ने संयमित और आत्मविश्वासी नीति अपनाई और अपने निर्णय का बचाव किया।

– विभूति बुपक्या, रतलाम. मप्र

टूटता भरोसा

बिहार में जनता दल (एकी) और भारतीय जनता पार्टी के बीच बना संतुलन बदला हुआ नजर आने लगा है। राज्य में बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करना, भाजपा की एक सोची-समझी चाल है। जाहिर है कि जनता दल (एकी) के गठबंधन के साथ ही वह प्रदेश की राजनीति की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहती है। सोशल मीडिया पर बिहार के लोगों के प्रति नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करना, यह बताने के लिए काफी है कि वे भाजपा को आगे कर राज्य की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। क्या यह दोनों दलों का कोई छिपा हुआ एजंडा है? मौजूदा हालात में मतदाता निराशा दिख रहे हैं। उनका भरोसा टूटा है। सवाल है कि यह भरोसा अब कैसे कायम होगा। सत्ताधारी पार्टियां आगे क्या करेंगी, यह तो वक्त ही बताएगा। आने वाली सरकार को यह पक्का करना होगा कि नीतीश के कार्यकाल में शुरू किए गए विकास कार्य पटरी से न उतरें।

– युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

चुनौतियों का दायरा

'जंग के मोर्चे' (संपादकीय, 9 मार्च) में इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले से उत्पन्न संभावित कठिनाइयों से अवगत कराया गया है। स्वाभाविक है कि इस युद्ध से दुनिया भर के उन लोगों को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिनके देश की प्रत्यक्ष भागीदारी इस जंग में नहीं है। सवाल है कि आखिर यह जंग क्यों लड़ी जा रही है? क्या यह रोकी नहीं जा सकती थी? निस्संदेह मानवीयता और लोकतांत्रिक मूल्यों का दायरा बड़ा विस्तृत है। इस हिसाब से देखा जाए, तो इसके प्रति निष्ठा न तो इजराइल, अमेरिका और न ही ईरान की दिखलाई पड़ रही है। आखिर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने में वैश्विक संगठन से लेकर तमाम देशों की सरकारें नाकाम क्यों है। जबकि अमन-चैन से ही विकास संभव है। ऐसे युद्ध का दर्द इसके समाप्त होने के बाद भी वर्षों तक महसूस किए जाते रहेंगे। फिर भी सुधार की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ा रहा है, तो यह अफसोस की बात है।

– मुकेश कुमार मनन, पटना

हुनर की जगह

भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्वकप में न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा कर ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह देश के लिए सचमुच गर्व की बात है। भारत में एक से बढ़ कर एक खिलाड़ी हैं। अगर कमी है, तो उन्हें खोजने और तराशने की। देश के हर जिले में क्रिकेट अकादमी स्थापित की जानी चाहिए। बहुत से ऐसे युवा होंगे जो सचिन, रोहित शर्मा और विराट की तरह क्रिकेट में कमाल कर सकते हैं। बहरहाल, भारत के जिन खिलाड़ियों ने क्रिकेट में भारत को शानदार जीत दिलवा कर टीम का रुतबा बढ़ाया है, उन्हें चाहिए कि वे उन युवाओं को हुनर देने का प्रयास करें, जो क्रिकेट में कुछ करने का जज्बा रखते हों। इसके लिए दिग्गज खिलाड़ियों को अपने गृहक्षेत्र या हो सके, तो दूसरे राज्यों में क्रिकेट के कोचिंग सेंटर खोलें और इसकी फीस इतनी कम रखें कि कमजोर वर्ग का युवा भी इसमें प्रवेश कर क्रिकेट का 'विराट' बन सके।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

गर्भाशय कैंसर का पता लगाने के लिए आठ करोड़ महिलाओं की जांच की गई : सरकार

राज्यसभा में मंगलवार को सरकार ने कहा कि 14 वर्ष आयु की पात्र किशोरियों का देशव्यापी मानव पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान निर्धारित सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय गैर संचारी रोग पोर्टल के अनुसार 17 फरवरी 2026 तक 8.73 करोड़ महिलाओं की गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा, 'देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें 14 वर्ष आयु की पात्र लड़कियों को लक्षित किया गया है। यह टीकाकरण निर्धारित सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), उप-जिला अस्पताल (एसडीएच), जिला अस्पताल (डीएच) और सरकारी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में किया जा रहा है।'

पांच साल में साइबर अपराध शिकायत हर दिन नौ गुना बढ़ी

पंकज रोहिला

देश में तेजी से बढती तकनीक ने साइबर अपराध के जाल को बीते पांच साल में प्रतिदिन औसतन नौ गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। हर दिन साढ़े छः हजार से अधिक शिकायत केंद्र सरकार के पास पहुंच रही है। वर्ष 2021 में साइबर अपराध की शिकायतों का प्रतिदिन औसत आंकड़ा 720 शिकायत तक था, जो कि वर्ष 2025 तक बढ़कर औसतन प्रतिदिन दिन 6582 शिकायत तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के आंकड़ों के आंकलन पर यह तथ्य सामने आया है।

साइबर अपराध की शिकायतों में हर साल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जहां वर्ष 2021 में साइबर अपराध शिकायतें औसतन प्रतिदिन 720 थी, वे वर्ष 2025 में बढ़कर 6582 तक पहुंच गई है। वार्षिक औसतन आंकड़ा वर्ष 2022 में 1902, 2023 में 3590 और वर्ष 2024 में 5257 शिकायत प्रतिदिन दर्ज किए गए, जो कि लगातार मामले बढ़ने की ओर इशारा कर रहे हैं। गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार के मुताबिक मंत्रालय ने वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधि की चोरी रोकने के लिए वर्ष 2021 में नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (सीपएफसीएफआरएमएस) की शुरुआत की थी। आइ4सी पर 31 दिसंबर 2025 तक 23.61 लाख से अधिक शिकायत दर्ज की गई है। इन शिकायतों के आधार पर कुल 8189 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि को बचाया जा सका है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए मामलों के आधार पर 12.21 लाख सिम कार्ड और 3.03 लाख आइएमईआइ नंबर को ब्लाक कर दिया है। इसी प्रकार दिसंबर 2025 तक बैंकों से प्राप्त 21.65 लाख से अधिक पहचानकर्ता डेटा और 26.48 लाख लेयर म्यूल खातों को संदिग्ध रजिस्ट्री की भाग लेने वाली संस्थाओं को दिया गया है। इस पहल से 9055.27 करोड़ रुपए के लेनदेन को रोका जा सका है।

मंत्रालय के मुताबिक साइबर अपराध पोर्टल पर आने वाले शिकायतों को एफआइआर में बदलने और उन पर आगे की कार्रवाई यानी आरोप-पत्र दाखिल करने, गिरफ्तारी और शिकायतों के समाधान से जुड़े कार्य राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजंसियों द्वारा कानून के प्रावधान के तहत किया जाता है। आई 4 सी के तहत मेवात, जामतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों की मदद से देश भर में हो रहे साइबर अपराध और साइबर अपराध के गढ़ वाले क्षेत्रों पर सीधी नजर रखी जाती है।

दिसंबर 2025 तक साइबर अपराध से संबंधित 13299 से अधिक मामलों को विधि प्रवर्तन एजंसियों को सौंपे गए हैं। अपराधों में कमी लाई जा सके, इसके लिए साइबर अपराध की जांच, फारेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलूओं पर आनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस व न्याय अधिकारियों के क्षमता निर्माण पर काम किया जा रहा है। इसक लिए साइनट्रेन पोर्टल के माध्यम से एक अध्ययन कराया जाता है। 31 दिसंबर 2025 तक इस पोर्टल के माध्यम से 1, 47, 665 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने पंजीकरण कराया है ओर 134423 से अधिक प्रमाण पत्र मंत्रालय की ओर से जारी किए जा चुके हैं।

बीते वर्षों में दर्ज एनसीआरपी पर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें

वर्ष	मामलों की संख्या
2021	2,62,846
2022	6,94,446
2023	13,10,357
2024	19,18,835
2025	24, 02,579

आंकड़ा

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के मुताबिपक, वर्ष 2021 में साइबर अपराध की शिकायतों का प्रतिदिन औसत आंकड़ा 720 शिकायत तक था, जो कि वर्ष 2025 तक बढ़कर औसतन प्रतिदिन दिन 6582 शिकायत तक पहुंच गया है।

युद्ध : हवाई क्षेत्रों में बंदिश से विमानन क्षेत्र की बढ़ीं मुश्किलें

सर्वेश कुमार

खाड़ी देशों में संघर्ष की वजह से कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, इजराइल, ईरान सहित अन्य देशों के हवाई क्षेत्रों पर लगी पाबंदी से भारतीय एअरलाइंस की मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं। पहले ही अप्रैल, 2025 से भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद है। भू-राजनीतिक अस्थितरता और संघर्ष के कारण खाड़ी समेत यूरोप के देशों के लिए हवाई रास्ता और लंबा हो गया है। इससे ईंधन की अधिक खपत और रोजाना सैकड़ों उड़ानें रद्द होने से से विमानन कंपनियों की चिंता बढ़ने लगी है। पाबंदियों के बावजूद फंसे हुए नागरिकों को निकालने की राह में भी मुश्किलें पेश आ रही हैं।

पश्चिम एशिया संकट के कारण पिछले दस दिनों के दौरान रोजाना औसतन भारत की 200 से अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं। इससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि खाड़ी देशों में फंसे यात्रियों को राहत देने के लिए सीमित सेवा की शुरुआत की गई, बावजूद इसके भारी संख्या में लोग अपने घरों को लौटने के इंतजार है।

विमानन क्षेत्र में उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने की शुरुआत, कोविड-19 के बाद से शुरू हुई। जानकारों का कहना है कि ईरान संकट के साथ एक के बाद संघर्ष की चपेट में कई देशों के आने से दिलों के साथ साथ गंतव्यों तक की दूरी भी लगातार बढ़ रही है। विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञ जीएस बावा का कहना है कि कोविड महामारी के दौरान विमानों के भारी संख्या में लंबे समय तक रद्द होने की शुरुआत हुई। इसके बाद भी वैश्विक स्तर पर कई देशों में पिछले कुछ महीनों से संघर्ष का कमोबेश, विमानन क्षेत्र पर पड़ा। लेकिन, कोविड के बाद लोगों ने भी समझ लिया कि ऐसे हालात में कैसे यात्रा कर सकते हैं। भारतीय विमानन क्षेत्र ने कोविड के बाद काफी तेजी से खुद को दोबारा नए सिरे से आगे बढ़ने लगा।

विशेषज्ञ बावा के मुताबिक, विमानन सेवाओं का असर अर्थव्यवस्था पर है और विकसित भारत 2047 संकल्प को पूरा करने में भी इसकी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा, अगर युद्ध लंबे समय तक जारी रहा तो इसका असर रोजगार, महंगाई समेत कई पहलुओं पर पड़ेगा। पहले ही पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद होने से एअरलाइंस को वितीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इस संघर्ष का भी असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर यात्रियों पर पड़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। हालात सामान्य होने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जा सकता है। विमानन क्षेत्र के जानकार, जीएस बाजवा ने कहा, ईरान संकट के कारण भारी संख्या में उड़ानें रद्द होने से विमानन क्षेत्र की मुश्किलें बरकरार हैं।

भू-राजनीतिक अस्थितरता और संघर्ष के कारण खाड़ी समेत यूरोप के देशों के लिए हवाई रास्ता और लंबा हो गया है। इससे ईंधन की अधिक खपत और रोजाना सैकड़ों उड़ानें रद्द होने से से विमानन कंपनियों की चिंता बढ़ने लगी है।

मार्ग बदलने से 20 फीसद तक बढ़ी ईंधन की खपत

आइसीआरए (आइक्रा) के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 में भारतीय विमानन उद्योग को करीब 17-18 हजार करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। यह नुकसान मुख्य तौर पर भू-राजनीतिक तनावों के कारण हो रहा है। ईरान-इजराइल संघर्ष और क्षेत्रीय तनाव के कारण उड़ानों के रूट में बदलाव से ईंधन की खपत 20 फीसद तक बढ़ गई है। एअरलाइंस को प्रति घंटा 6,000-10,000 डालर का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व में मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण विमानों को अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरना पड़ रहा है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ रही है।

स्वदेशी तकनीक से कम खर्च में होगा दुर्लभ रोगों का इलाज

राकेश शर्मा

दुर्लभ रोग से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए स्वदेशी तकनीक आने वाले समय में बड़ी राहत बनकर उभरेगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के नेतृत्व में जीन उपचार, दवा पुनः उपयोग और क्रिस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शार्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स (क्रिस्पर कास) तकनीक पर गहन शोध चल रहा है। 'क्रिस्पर कास' एक जीन-एडिटिंग तकनीक है, जो आणविक कैंची की तरह काम करती है। यह डीएनए के विशिष्ट हिस्सों को सटीक रूप से काटने, हटाने या बदलने की अनुमति देती है, जिससे अनुवांशिक बीमारियों का उपचार संभव हो सकेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्वदेशी तकनीक विकसित हो जाती है तो आने वाले समय में इन दुर्लभ रोगों के इलाज का खर्च 100 गुना तक कम हो सकता है। वर्तमान समय में इन रोगों के उपचार की लागत बेहद अधिक है। कई मामलों में इलाज का खर्च प्रति मरीज 10 लाख रुपए से 30 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में मरीज आर्थिक कारण से उपचार नहीं करा पाते। इन रोगों के इलाज को प्रभावी के साथ किफायती बनाने के लिए भारत सहित दुनिया भर में अनुसंधान जारी है।

देश में चल रहे शोध में जीन उपचार तकनीक के तहत रोग के मूल कारण मौजूद दोष को ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा दवाओं के पुनः उपयोग के माध्यम से पहले से उपलब्ध दवाओं का नए रोगों में उपयोग करने की संभावना भी तलाश की जा रही है। वहीं, 'क्रिस्पर कास' तकनीक के जरिए जीन में मौजूद खराब हिस्से को काटकर ठीक करने की दिशा में शोध चल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दस सालों में इस क्षेत्र में काफी बदलाव मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भारत में विकसित तकनीक न केवल देश के मरीजों के लिए सुलभ होगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उपयोगी साबित हो सकती है। आइसीएमआर दिल्ली की वैज्ञानिक डाक्टर मोनिका पाहुजा का कहना है कि आने वाले सालों में स्वदेशी तकनीक विकसित होगी। अभी विदेशी दवाएं व तकनीक काफी महंगी होती है।

पांच फीसद को मिलता है इलाज : डाक्टर पाहुजा का कहना है कि करीब 450 दुर्लभ रोगों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन इनमें से केवल पांच फीसद रोगों का ही उपचार उपलब्ध है। 90 से 95 फीसद रोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई प्रभावी इलाज मौजूद नहीं है। चिंताजनक बात यह भी है कि दुर्लभ रोगों से प्रभावित करीब 70 फीसद मरीज बच्चे होते हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 14 लाख लोग किसी न किसी दुर्लभ रोग से पीड़ित हैं। औसतन हर दस हजार लोगों में से एक व्यक्ति में इस रोग के लक्षण दिखते हैं। इस रोग के होने का कारण जीन में होने वाला परिवर्तन (म्यूटेशन) है। जीन में यह बदलाव शरीर में खराब प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जिससे शरीर की सामान्य जैविक क्रियाएं प्रभावित होने लगती हैं। यही कारण है कि इन रोगों का उपचार जटिल और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इन रोगों के इलाज के लिए सरकार भी मदद करवाती है। करीब 12 संस्थान में इन रोगों का इलाज होता है। अभी इनमें करीब 4664 मरीज पंजीकृत हैं।

मौजूदा समय में 95 फीसद तक दुर्लभ रोगों का नहीं है इलाज। मरीज को इलाज के लिए करने पड़ते करोड़ों रुपए खर्च।

स्वास्थ्य

कृषि

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास मंगलवार को धान की रोपाई करते किसान।

पर्यावरण मंजूरी में तेजी के लिए निकाय के गठन का प्रस्ताव

जनसत्ता विशेष

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी मंजूरी जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक अलग निकाय के गठन का प्रस्ताव रखा है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन पर स्थायी प्राधिकरण (एसएईआइए) नामक एक प्राधिकरण के गठन के लिए एक मसविदा अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन पर एक स्थायी समिति (एससीईआइए) के गठन का भी प्रस्ताव रखा है।

कदम

पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पिछले सप्ताह जारी मसविदा अधिसूचना के मुताबिक, 'ये दोनों नए निकाय राज्य स्तर पर श्रेणी बी के अंतर्गत आने वाली विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और समय पर पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान करेंगे।

श्रेणी बी की परियोजनाओं में निर्माण, भवन निर्माण, खनन और उद्योग शामिल हैं।' मसविदा अधिसूचना के अनुसार नए निकाय वर्तमान निकायों के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में कार्य करेंगे, जिनकी अधिकतम परिचालन अवधि छह महीने होगी और जिसे अतिरिक्त छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। यदि राज्य स्तरीय समिति द्वारा 120 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो आवेदन को विचार के लिए एससीईआइए को भेज दिया जाएगा।

इससे पहले, 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत, केंद्र ने श्रेणी बी विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए दो महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय निकायों की स्थापना की थी: राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआइएए) और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी)। इन निकायों में पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल थे।

अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन में विश्व शांति की अपील

सुनील दत्त पांडेय

देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन में 80 देशों के 1500 योग साधकों ने पूरी दुनिया से युद्ध के मार्ग की बजाय योग मार्ग को अपनाने अपील की हैं। युद्ध की विभीषिका में उलझे हुए अमेरिका, इजरायल ,ईरान ,रूस ,यूक्रेन सहित विभिन्न देशों से युद्ध समाप्त कर समस्या का समाधान शांतिपूर्वक माहौल में बातचीत से करने की अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में विश्व योग बिरादरी से जुड़े हुए देशों ने बहुत भावनात्मक अपील की है।

विश्व बिरादरी का कहना है कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है, समाधान शांति वार्ता ही है और योग मनुष्य में एकाग्रता का भाव पैदा करता है और योग पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करता है।

इसीलिए विश्व योग बिरादरी अपील करती है कि युद्ध के मैदान में डटे हुए देश युद्ध के मैदान से वापस आए और शांति बनाए रखने के लिए बातचीत करें और युद्ध नहीं योग को चुने। भले ही अमेरिका, इजरायल, ईरान, रूस, यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटे हो, परंतु इन देशों के योगाचार्य परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के तट पर एक साथ रह रहे हैं और योग कर रहे हैं और साथ ही शांति का संदेश पूरी दुनिया को दे रहे है। 9 मार्च से 15 मार्च तक चलने वाले 38 वें सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव की इस बार सबसे बड़ी खासियत यह है कि महोत्सव में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों ने आयोजित विश्व शांति यज्ञ में आहुतियां समर्पित कीं।

इस अवसर पर विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई, विशेष रूप से मध्य पूर्व के देशों में शांति, सद्भाव और मानवता की स्थापना के लिए सामूहिक सर्वमंगल की प्रार्थना की गई। इस तरह इस बार अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव हिमालय की गोद और मां गंगा के पवित्र तट पर पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ने वाला वैश्विक आध्यात्मिक संगम बन गया है।विश्व के विभिन्न देशों से आए हजारों योग साधक, आध्यात्मिक गुरु और योग जिज्ञासु यहां एकत्र होकर योग, ध्यान, प्राणायाम और साधना के माध्यम से शांति, संतुलन और समरसता का संदेश दे रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव के मुख्य आयोजक और परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि का कहना है कि इस महोत्सव का उद्देश्य केवल योग का अभ्यास कराना ही नहीं, बल्कि मानव चेतना को जागृत करना और मानवता को एकत्व प्रदान करना है। ताकि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सके। स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने कहा कि 'आज जब विश्व विभाजन, संघर्ष और असंतोष की पीड़ा से जूझ रहा है, ऐसे समय में हम योग के माध्यम से सम्पूर्ण वैश्विक परिवार को गंगा के पावन तट और हिमालय की दिव्य गोद में एकत्र किया है ताकि यहां से वे शांति, सद्भाव और एकात्मता का दिव्य संदेश लेकर जाएं। उत्तराखण्ड केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि योग की भूमि, तप की भूमि, त्याग की भूमि और गहन ध्यान की पवित्र साधना-स्थली है।

संदेश

एनसीईआरटी ने न्यायिक भ्रष्टाचार पर अध्याय को लेकर माफी मांगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने न्यायिक भ्रष्टाचार पर एक अध्याय शामिल करने के लिए सार्वजनिक माफी मांगते हुए मंगलवार को कहा कि आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पूरी पाठ्यपुस्तकें वापस ले ली गई हैं। आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की इस पाठ्यपुस्तक में लिखा था कि न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों में भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का भारी बोझ और पर्याप्त न्यायाधीशों की कमी शामिल हैं।

एनसीईआरटी ने बयान में कहा कि परिषद के निदेशक और सदस्य उक्त अध्याय के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं।

एनसीईआरटी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने हाल में कक्षा 8 (भाग 2) की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटीः इंडिया एंड बियान्ड' प्रकाशित की है, जिसमें अध्याय चार 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' शामिल था। बयान में कहा गया कि एनसीईआरटी के निदेशक और सदस्य उक्त अध्याय के लिए बिना शर्त और पूर्ण माफी मांगते हैं। पूरी पुस्तक वापस ले ली गई है और अब उपलब्ध नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में न्यायपालिका के बारे में आपत्तिजनक बयानों का स्वतः संज्ञान लिया था। यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी द्वारा तत्काल विचार के लिए उठाया गया था।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने और उसकी गरिमा को धूमिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुस्तक के भविष्य में किसी भी प्रकाशन, पुनर्मुद्रण या डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने पुस्तक में विवादास्पद सामग्री शामिल होने पर खेद व्यक्त किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

लोकसभा में निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई

पुनरीक्षण के मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया को लेकर मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया।

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया और सदन से बहिर्गमन कर गए। इसके बाद सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है और उसका यह आचरण निंदनीय है।

उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने के बाद जब शून्यकाल शुरू करने के लिए कहा, तभी तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। आसन की अनुमति मिलने पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग सदस्य लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल सदन के नेता ने कहा था कि चुनाव सुधार पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि लेकिन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है।

लोकसभा में हंगामा कर रहे सांसद अपने हाथों में पोस्टकार्ड लेकर आए थे। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही जैसे ही पीठासीन अधिकारी ने प्रश्नकाल शुरू कराया तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों समेत अन्य विपक्षी दल वैल में आ गए। सांसदों ने आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

इस बीच, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष एवं सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पुनरीक्षण बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यह एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में.... हर जगह हो रहा है और लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जा रहे हैं। हंगामे के बीच ही सभापति ने कहा कि चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है और आज वह कामकाज होने देना चाहिए जो आज की कार्य सूची में तय है। उन्होंने कहा कि आप हर दिन सदन की कार्यवाही बाधित करते हैं और वे मुद्दे उठाते हैं जिनके बारे में स्पष्ट व्यवस्था दी जा चुकी है। इस पर असंतोष जताते हुए विपक्षी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।

सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि मैंने कल भी यह बात कही थी और आज भी कह रहा हूं कि विपक्ष की मंशा कभी भी, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने की नहीं होती। वे गंभीर मुद्दों पर भी गंभीरता नहीं दिखाते। उन्होंने कहा कि आज ये लोग एसआइआर का मुद्दा लेकर आए। चुनाव सुधार पर करीब 15 घंटे चर्चा हो चुकी है जिसमें एसआइआर पर भी सबने अपनी अपनी बात रखी थी। लेकिन मंत्री के के जवाब से पहले ही ये लोग सदन से बहिर्गमन कर गए। नड्डा ने विपक्ष पर संसदीय परंपराओं को बाधित करने तथा चर्चा में व्यवधान डालने का आरोप लगाया।

वहीं, लोकसभा में सांसदों ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की ओर वोट चोरी बंद करो के नारे लगाए। हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी को एक बार सदन की कार्यवाही बाधित भी करनी पड़ी।

हंगामे के बीच सांसदों का कहना था कि निर्वाचन आयोग बिहार में पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी वोट चोरी कर रहा है। हंगामे के बीच प्रश्नकाल जारी था और प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान अपने मंत्रालय के सवालों का जवाब दे रहे थे।

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा

पर्यावरण मंजूरी अवधि घटकर तीन माह हुई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

राज्यसभा में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए मंगलवार को कहा कि पर्यावरण मंजूरी मिलने को लेकर पहले करीब तीन साल का समय लग जाता था, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने घटाकर तीन महीने कर दिया है।

उच्च सदन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा और वहां हरियाली बढ़ाने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तथा इस क्षेत्र में वह अवैध खनन नहीं होने देगी। अरावली में अवैध खनन के आरोपों को लेकर कांग्रेस के जयराम रमेश और उनके बीच कई बार आरोप प्रत्यारोप हुए।

यादव ने कहा कि देश के पर्यावरण क्षेत्र की तीन प्रमुख चुनौतियां थीं जिनमें पर्यावरण मंजूरी के विषय, वन एवं जैव विविधता के विषय और जलवायु परिवर्तन के विषय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन विषयों के समाधान के लिए सभी विभागों को समग्रता से लेकर अपना रवैया तय किया। मंत्री ने कहा कि सरकार ने पर्यावरण के क्षेत्र मानक तय करने की मांग को देखते हुए दो साल में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि देश में एक समय था जब पर्यावरण मंजूरी लेने में 600 दिन का समय लगता था और यदि कोई उद्योग लगाना चाहता था तो उसे इस मंजूरी को लेने में कई बार तीन साल का समय लगता है। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण मंजूरी 90 दिनों के भीतर मिल जाती है।

उन्होंने कहा कि तीन साल की अवधि को तीन माह में ला दिया। उन्होंने कहा कि यह परिवेश में पारदर्शिता और प्रदर्शन के कारण संभव हुआ है। यादव ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भोपाल में यूनियन कार्बाइड का खतरनाक कचरा पिछले दो सालों में पूरी तरह से निस्तारित कर दिया।

नाराजगी

संसद के बजट सत्र के दौरान सपा सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र, प्रिया सरोज और अन्य आलू की कीमतों को लेकर प्रदर्शन करते हुए।

'राजस्थान में नदी प्रदूषण मामले में अधिकारियों ने ढिलाई बरती'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान की तीन नदियों के प्रदूषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों की ढिलाई के कारण सार्वजनिक अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। अदालत जोजारी नदी में प्रदूषण से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। इसने राज्य में बांदी और लूणी नदियों में प्रदूषण के मुद्दे को भी उठाया था।

पिछले साल नवंबर में शीर्ष अदालत ने पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद मूलभूत खामियों का पता लगाने, आगे प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपायों की निगरानी करने और पहले से हुए नुकसान को दूर करने के लिए दीर्घकालिक सुझाव देने के वास्ते एक उच्चस्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी समिति का गठन किया था। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि समिति ने अपनी अंतरिम रपट दे दी है।

पीठ ने राजस्थान की ओर से पेश हुए वकील से कहा कि सरकार द्वारा समिति को आवश्यक सुविधा और सहायता प्रदान किए जाने के तरीके में गंभीर समस्याएं रहीं। इसने कहा, 'अधिकारियों की ढिलाई के कारण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और वह नष्ट हो गया है।' मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

'कोविड टीकाकरण पर दोष निर्धारण के बगैर मुआवजा की नीति बनाएं'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण के बाद होने वाले गंभीर दुष्प्रभाव के लिए दोष निर्धारण के बगैर मुआवजा देने की नीति तैयार करने का केंद्र सरकार को मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि टीकाकरण के बाद होने वाले दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।

याचिका में यह भी दावा किया गया कि टीकाकरण के बाद दो महिलाओं को गंभीर दुष्प्रभाव प्रभाव झेलने पड़े।

न्यायमूर्ति नाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'टीकाकरण के बाद होने वाले दुष्प्रभाव के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए, अदालत द्वारा नियुक्त किसी अलग विशेषज्ञ निकाय की आवश्यकता नहीं है।' पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका यह निर्णय किसी व्यक्ति को कानून में उपलब्ध अन्य उपायों का सहारा लेने से रोकता नहीं है। पीठ ने कहा, 'इसी तरह, दोष निर्धारण के बैगर मुआवजा देने की नीति तैयार, सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण की ओर से किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या गलती को स्वीकार करना नहीं माना जाएगा।'

कोर्ट ने उन याचिकाओं पर यह व्यवस्था दी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि 2021 में कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक लेने के बाद दो महिलाओं की मृत्यु हो गई थी।

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा

राहुल एआइ सम्मेलन के दौरान प्रदर्शन के शिल्पकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल ही में आयोजित एआइ शिखर सम्मेलन के दौरान देश को 'शर्मिंदा' करने के उद्देश्य से किए गए विरोध प्रदर्शन का 'शिल्पकार और डिजाइनर' करार दिया। साथ ही राहुल पर भारत को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश करने का मंगलवार को आरोप लगाया।

भाजपा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा 'इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट 2026' के दौरान किए गए विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया और आरोप लगाया कि यह एक पूर्वनिर्धारित योजना का हिस्सा था। पात्रा ने कहा कि उस समय हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह कांग्रेस पार्टी का 'अर्द्धनग्न', 'अविवेकी' और 'शर्मनाक' प्रदर्शन था।

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा 'इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट 2026' का विरोध प्रदर्शन एक पूर्वनिर्धारित योजना का हिस्सा था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि गांधी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित होते देखकर प्रसन्न दिखाई दिए।

उन्होंने दावा किया कि यह प्रदर्शन कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि पहले से योजनाबद्ध और सोची-समझी हरकत थी। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक प्रयोग था। हमने उस समय भी कहा था कि इस हरकत के शिल्पकार और डिजाइनर खुद राहुल गांधी थे और इसकी योजना उनके आवास पर तैयार की गई थी।

भाजपा नेता ने कांग्रेस की एक बैठक में सोमवार को एआइ सम्मेलन को लेकर गांधी द्वारा दिए गए बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष ने (विरोध प्रदर्शन की) जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है।

पात्रा ने कहा कि कल राहुल गांधी ने खुद कहा, 'हां, हमने काम कर दिया'। देश देख रहा था कि जब उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भारत में हो रहे एआइ शिखर सम्मेलन को बाधित कर दिया, तो उनके चेहरे पर मीर जाफर जैसी एक मुस्कान थी।

पेज 1 का बाकी

समान नागरिक संहिता का समय

बागची ने यह भी कहा, 'इस अदालत ने बार-बार विधायिका से यह सिफारिश की है कि वह समान नागरिक संहिता लागू करे। सुनवाई की शुरुआत में, भूषण ने यह दलील दी कि न्यायालय यह घोषणा कर सकता है कि मुसलिम महिलाओं को पुरुषों के समान उत्तराधिकार प्राप्त हैं और यदि न्यायालय 1937 के 'मुसलिम पर्सनल ला (शरिया) एप्लीकेशन एक्ट' को रद्द कर देता है तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

भूषण ने कहा, 'शायरा बानो के फैसले के बाद अब देश में यह स्थिति नहीं हो सकती कि मुसलिम महिलाओं को तलाक के मामलों में मुसलिम पुरुषों के समान अधिकार न मिलें।' उन्होंने यह भी कहा कि यह मुद्दा जटिल है और इसके लिए व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है। पीठ ने भूषण को पालोमी पाविनी शुक्ला और अन्य द्वारा दायर याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी और कहा कि यह एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए इसे आगे की सुनवाई के लिए चार हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया जाए।

पीठ ने टिप्पणी की, 'आप कुछ तैयारी करें तथा कुछ और संदर्भ एवं वैकल्पिक उपाय के साथ आएं। यदि कुछ असंतुष्ट मुसलिम महिलाएं सामने आती हैं जो 1937 के अधिनियम से बाहर निकलना चाहती हैं, तो न्यायिक हस्तक्षेप उचित होगा।'

पुनरीक्षण पर सुनवाई के लिए न्यायाधिकरण बनेगा : कोर्ट

बागची भी शामिल हैं। पीठ इस बात से नाराज नजर आई, क्योंकि एक नई याचिका में यह कहा गया था कि जिन लोगों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है, उनके दावे और आपत्तियों को निपटाने की अनुमति न्यायिक अधिकारियों को न दी जाए।

इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल के जिला न्यायाधीशों और दीवानी न्यायाधीशों को तैनात करने की अनुमति दी थी। पीठ ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नई रपट का अध्ययन किया और कई नए दिशानिर्देश जारी किए। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग को राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में न्यायिक अधिकारियों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने का निर्देश भी दिया। पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में तैनात न्यायिक अधिकारियों ने अब तक मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के 10.16 लाख आपत्तियों और दावों पर सुनवाई की है।

पीठ ने निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के बिना कोई भी ऐसा अनिवार्य कदम न उठाया जाए, जिससे पुनरीक्षण प्रक्रिया बाधित हो। पीठ ने कहा कि आयोग के पोर्टल में तकनीकी व्यवधानों की जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी कोई बाधा न उत्पन्न हो। पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के लिए नए 'लागिन आइडी' शीघ्र बनाए जाएं, ताकि मतदाता सूचियों में संशोधन की प्रक्रिया सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके। इसने यह भी कहा कि न्यायिक अधिकारियों के निर्णयों की समीक्षा निर्वाचन आयोग के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती।

शीर्ष अदालत ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपीलों पर सुनवाई के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के दो या तीन न्यायाधीशों से अपीलीय न्यायाधिकरणों में अपनी सेवा देने के लिए आग्रह कर सकते हैं। ये पूर्व न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय या निकटवर्ती राज्यों के उच्च न्यायालयों के हो सकते हैं। एक बार अनुशंसा हो जाने के बाद, निर्वाचन आयोग को उन्हें ऐसी अपीलें सुनने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में अधिसूचित करना होगा। प्रत्येक पीठ में सदस्यों की संख्या को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्री नायडू ने पीठ को आश्वस्त किया कि समस्याओं का निपटारा अविलंब किया जाएगा। पीठ ने उन दो नई याचिकाओं को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अंतिम मतदाता सूची से अवैध रूप से नाम हटाए जाने का दावा किया गया था। दोनों याचिकाओं को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ताओं को नई स्थापित अपीलीय व्यवस्था का लाभ उठाने की अनुमति दी गई।

चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक

के वैश्विक संकट में तेल कहां से आएगा, इस पर दूसरे देशों से जानकारियां सामने आ रही है। वहीं, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गंभीरता पूर्ण व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने तंज किया कि यदि प्रियंका गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया होता, तो कार्य (परफारमेंस) शायद थोड़ा अच्छा होता। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष सदन में जिस तरह का हल्का व्यवहार करते हैं, वैसा ही अपने सांसदों को भी करने के लिए मजबूर करते हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले में हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं और ये मेरे हाथ में तो नहीं है। वहीं, उन्होंने सांसद प्रियंका गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखिए प्रियंका गांधी भी पीछे बैठकर मुस्कुरा रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। जबकि प्रावधानों में स्पष्ट है कि सदन में कोई भी सांसद अध्यक्ष की अनुमति के नहीं बोल सकता। अध्यक्ष के पास विशेषाधिकार होते हैं।

एलएनजी आयात में कमी व किल्लत के बाद सरकार ने लगाया आवश्यक वस्तु अधिनियम

को रखा गया है। इन्हें परिचालन उपलब्धता के आधार पर छह महीने की औसत गैस खपत का लगभग 80 फीसद उपलब्ध कराया जाएगा। शहरी गैस वितरण (सीजीडी) से जुड़ी कंपनियों द्वारा औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को की जाने वाली आपूर्ति को प्राथमिकता सूची में चौथे स्थान पर रखा गया है। अधिकारी ने कहा कि इन उपायों को लागू किए जाने के बाद उत्पादन में 10 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रेस्तरां, होटलों और अन्य उद्योगों को एलपीजी आपूर्ति से संबंधित मांगों की समीक्षा के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक समिति बनाई गई है। भारत में सालाना करीब 3.13 करोड़ टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें लगभग 87 फीसद हिस्सा घरेलू रसोई गैस का है जबकि बाकी का उपयोग होटल, रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में होता है। उद्योग सूत्रों के अनुसार इस आपूर्ति बाधा का असर मुंबई और बंगलुरु जैसे शहरों में दिखने लगा है, जहां होटल और रेस्तरां को रसोई गैस उपलब्ध कराने में मुश्किल हो रही है। इंडिया होटल्स एंड रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय शेट्टी ने कहा कि गैस की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और यदि जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो यह पूरे क्षेत्र के संचालन को प्रभावित कर सकती है।

पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी इसी तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। रेस्तरांओं को एक सलाह जारी कर खान-पान सूची में बदलाव करने और एलपीजी संरक्षण के उपाय अपनाने को कहा है। हालांकि, मंत्रालय का कहना है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। एलपीजी सिलेंडर की दो बुकिंग के बीच का अंतराल भी 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जा सके। फेडरेशन आफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (फिमी) ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति में रुकावट की आशंका के बीच अंतरराष्ट्रीय एल्युमीनियम की कीमतें 3,400 डालर प्रति टन से ऊपर पहुंच गई हैं।

मेघालय में हिंसक झड़प, पुलिस की गोलियों से दो लोगों की मौत

लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार को पूरे पश्चिम गारो पर्वतीय जिले में दिन भर के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। एसपी ने कहा, हमने अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की है और वे आ रहे हैं।यह घटना मेघालय सरकार द्वारा जिले में 10 मार्च से 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के आदेश के कुछ घंटों बाद हुई है।

नामांकन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था को खतरे में डालने वाली भीड़ जुटाने, हमलों और सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं के प्रसार की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया। हालांकि, वायस काल और एसएमएस सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं। उपायुक्त विभोर अग्रवाल ने मंगलवार को पूर्वी कमान के 101 एरिया के कमांडिंग आफिसर को पत्र लिखकर जिले के मैदानी क्षेत्रों के गांवों में सेना से फ्लैग मार्च करने का अनुरोध किया है।

उपायुक्त ने पत्र में कहा, सशस्त्र बलों की उपस्थिति से जनता को आश्वस्त करने, किसी भी अन्य अप्रिय घटना को रोकने और निवासियों के बीच विश्वास बहाल करने में बहुत मदद मिलेगी।

जीएचएडीसी चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 16 मार्च तक जारी रहेगी जिसे देखते हुए नामांकन केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह अशांति तब शुरू हुई प्रदर्शनकारियों ने 10 अप्रैल को होने वाले जीएचएडीसी चुनावों के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने सोमवार को तुरा में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे फूलबाड़ी के पूर्व विधायक एस्तामुर मोमिन पर हमला कर दिया था।

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस चुनाव में गैर-जनजातीय लोग भाग न लें। जीएचएडीसी की कार्यकारी समिति ने 17 फरवरी को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके तहत उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करते समय वैध अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया था।

पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग के पिता को मिली जमानत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में पुणे में पोर्श कार दुर्घटना मामले में आरोपी नाबालिग के पिता को मंगलवार को जमानत दे दी। दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी। घटना 19 मई, 2024 की है, जब पुणे के कल्याणी नगर इलाके में कथित तौर पर शराब के नशे में 17 वर्षीय लड़के द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार ने दो आइटी पेशेवरों को कुचल दिया था।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने विशाल अग्रवाल को जमानत दे दी, जिन पर कार में सवार लोगों को 'निल अल्कोहल' रपट सुनिश्चित करने के लिए नाबालिग के रक्त के नमूने बदलने की साजिश रचने का आरोप है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले में सह-आरोपियों को राहत दी गई है और आरोपी पिछले 22 महीनों से जेल में है।

मांग सूचना
वसूली अधिकारी-I का कार्यालय
ऋण वसूली अधिकरण-II दिल्ली

4थी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना

टीआरसी सं.: 31/2024 दिनांक: 15.01.2026

केनरा बैंक बनाम लोहिया पेट कंपनी

सेवा में,

(सीडी 1) लोहिया पेट कंपनी, इसके प्रोपराइटर श्री संजय अग्रवाल, पुत्र श्री रतन लाल के माध्यम से, इंडस्ट्रियल प्लॉट नं. ई-177, सेक्टर-2, डीएसआईआईडीसी बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110039

अन्य पता: 56-ए, अयोध्या एनक्लेव, सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ओ.ए./ 161/2023 में माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण -II दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, आपसे **रु. 72,75,147.88 (बहत्तर लाख पचहत्तर हजार एक सौ सैंतालीस रुपये और अठासी पैसे मात्र)** की राशि देय हो गई है। कैनरा बैंक वसूली तक 13.45% प्रति वर्ष की दर से लंबित और भविष्य के ब्याज के साथ **रु. 72,75,147.88** की राशि वसूल करने का हकदार है। उक्त सीडी को डिक्री की राशि सीएच बैंक को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, विफल रहने पर इसे सीडी की व्यक्तिगत चल और अचल संपत्तियों से वसूल किया जाएगा।

एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करें, विफल रहने पर वसूली 'बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993' और उसके नियमों के अनुसार की जाएगी।

आपको एतद्वारा आगे की कार्यवाही के लिए 20.03.2026 को सुबह 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

1. प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद की अवधि के लिए देय ब्याज।
2. इस नोटिस की तामील, वारंट और अन्य प्रक्रियाओं तथा देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।
3. इस बीच, सीडी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को न बेचें/हस्तांतरित न करें या उनमें कोई तीसरा पक्ष हित पैदा न करें।

हस्ता./- (अर्चना सहगल)
वसूली अधिकारी-I
डीआरटी-II, दिल्ली

प्रपत्र नं.
[विनियम 33(2) देखें]

वसूली अधिकारी कार्यालय-I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी-1)
चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के तहत अचल संपत्ति के अटेचमेंट का कारण बताएं,

टीआरसी / 85 / 2024 24.02.2026

पंजाब नैशनल बैंक
बनाम
वेरिफार ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड

को,

(सीडी1) मेसर्स वेरिफार ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 706, सिद्धार्थ बिल्डिंग, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 अन्य पता: फ्लैट नंबर 207, दूसरी मंजिल, महागुन मॉर्फियस कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 4, ब्लॉक-ई, सेक्टर-50, नोएडा अन्य पता: सी-59, सेक्टर-63, नोएडा 201307 अन्य पता: एफ-19, बाबा आर्केड, सेक्टर-5, नोएडा 201301

(सीडी2) उदय कुमार रैना, निवासी: फ्लैट नंबर 207, दूसरी मंजिल, महागुन मॉर्फियस कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 4, ब्लॉक-ई, सेक्टर-50, नोएडा अन्य पता: सी-59, सेक्टर-63, नोएडा, गौतम बुध नगर-201301 अन्य पता: एफ-19, बाबा आर्केड, प्रथम तल, सेक्टर-5, नोएडा, गौतम बुध नगर-201301 अन्य पता: प्लॉट नंबर आर-2, मॉडल टाउन, दिल्ली

(सीडी3) बृजेश कुमार शर्मा पुत्र शेर सिंह शर्मा 1/10918 ए, गली नंबर 6, सुभाष पार्क, शाहदरा, दिल्ली 110032 अन्य पता: ए-55, सिविल लाइन्स, देहरादून, उत्तराखंड

(सीडी4) रमेश भट्ट पुत्र द्वारिका नाथ भट्ट, एल-370-ए, सेक्टर-12, प्रताप विहार, विजय नगर, गाजियाबाद-201010

(सीडी5) मेसर्स विपुला विनी ओवरसीज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: 706, सिद्धार्थ बिल्डिंग, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 अन्य पता: मौजा विक्रमपुर, खसरा नंबर 270/34, तहसील बाजपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड - 262401 अन्य पता: 407, टॉप फ्लोर, 5/66, केसी हाउस, पदम सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

(सीडी6) विपुला रैना, निवासी फ्लैट नंबर 207, दूसरी मंजिल, महागुन मॉर्फियस कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 4, ब्लॉक - ई, सेक्टर - 50, नोएडा अन्य पता: सी-59, सेक्टर - 63, नोएडा, गौतम बुध नगर - 201301 अन्य पता: एफ - 19, बाबा आर्केड, पहली मंजिल, सेक्टर-5, नोएडा, गौतम बुध नगर-201301 अन्य पता: प्लॉट नंबर आर-2, मॉडल टाउन, दिल्ली

जबकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) द्वारा जारी और पारित वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार 2,28,20,820.00 रुपये की राशि, 16.05.2012 से वसूली तक 16.25% की दर से पेंडेंटलाइट और भविष्य के ब्याज सहित और 1,50,000.00 रुपये की लागत आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से और अलग-अलग / पूरी तरह / सीमित) देय हो गई है, और जबकि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

2. आपको 10.04.2026 को सुबह 01:30 बजे वसूली अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के समक्ष उपस्थित होने और कारण बताने का निर्देश दिया जाता है कि नीचे दी गई संपत्ति को अटैच क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

आपको आगे के आदेश(ओं) तक इस संपत्ति में किसी भी तीसरे पक्ष के हित को बनाने से भी रोका जाता है।

संपत्ति का विवरण	
संपत्ति का प्रकार	संपत्ति का विवरण
अचल संपत्ति	संपत्ति नं. आर-2 मॉडल टाउन, दिल्ली

3. ध्यान रखें कि चूक होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर के तहत **24.02.2026** को दिया गया।

हस्ता/- रविन्दर कुमार तोमर
वसूली अधिकारी-I
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी-I)

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 09, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057, शाखा कार्यालय: ऑफिस नं. ए-6, तीसरी मंजिल, सेक्टर-4, नोएडा-201301।

सार्वजनिक सूचना (ई-नीलामी) अचल संपत्ति की बिक्री के लिए (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत क्रेडिटर) के पास बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री के लिए सूचना

एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटर(रों) या उनके कानूनी वारिसों/प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका कब्जा हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत क्रेडिटर) के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों या गारंटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए 28-मार्च-2026 (ई-नीलामी तिथि) को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है वैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है। सार्वजनिक ई-नीलामी में भाग लेने के लिए बोली प्रपत्र के साथ डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से धरोहर राशि जमा की जानी चाहिए, जो अधिकृत अधिकारी, हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास27-मार्च-2026 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले शाखा कार्यालय: ऑफिस नं. ए-6, तीसरी मंजिल, सेक्टर-4, नोएडा-201301 में जमा किया जाना चाहिए।

ऋण खाता सं.	ऋणधारकों/ सह-ऋणधारकों/ गारंटर(ओं)/ कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	मांग सूचना की तिथि/तिथि तक राशि	कब्जे का प्रकार (रचनात्मक/ भौतिक)	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
HHFNSPHOU 19000005094 / HHFGAZLAP 24000058164	मोकदेश अली, पियारा अली अहमद	21/04/2025, रु 12,43,771/- 26/02/2026 तक	भौतिक	रु. 8,30,000/-	रु. 83,000/-

संपत्ति का विवरण: फ्लैट नं. 2, दूसरी मंजिल पिछला हिस्सा, छत के अधिकारों के बिना,जी+3 मानक भवन पर एमआईजी, प्लॉट नं. बी-107, बी ब्लॉक, खसरा नं. 222, जिसका क्षेत्रफल 456 वर्ग फुट यानी 42.36 वर्ग मी. है, रेल विहार, गांव सादुल्लाबाद, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 जिसमें दो बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन और एक टॉयलेट बाथरूम शामिल है सीमाएं: पूर्व- प्लॉट नं. बी-107ए, पश्चिम- प्लॉट नं. बी-106, उत्तर- 25 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण- प्लॉट नं. बी-88

नियम और शर्तें:

ई-नीलामी 28-मार्च-2026 (ई-नीलामी की तिथि) को सुबह 11:00 बजे के बाद से प्रत्येक 10 मिनट के सीमित विस्तार के साथ पोर्टल https://bankeauctions.com के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि या तो आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से या "हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा जमा करना आवश्यक है। ई-नीलामी की समाप्ति के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी।

ई-नीलामी के नियम और शर्तें: (1) ई-नीलामी "जैसा है जहाँ है आधार" और "जो कुछ भी है जैसा है आधार" और "जो कुछ भी है आधार" और "उपचार ड्ड रहित आधार" पर आयोजित की जा रही है और "ऑनलाइन" आयोजित की जाएगी। (2) बोली वृद्धि राशि 25 लाख तक के आरक्षित मूल्य के लिए रु 15,000 (पंद्रह हजार मात्र), 25 लाख से ऊपर और 50 लाख तक के आरक्षित मूल्य के लिए रु 25,000 (पच्चीस हजार मात्र), 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक के आरक्षित मूल्य के लिए रु 50,000 (पचास हजार मात्र), 1 करोड़ से ऊपर के आरक्षित मूल्य के लिए रु 1,00,000 (1 लाख मात्र) होगी। (3)ई-नीलामी मेसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से श्री धरनी कृष्णा-9948182222 (हेल्पलाइन नं.: सपोर्ट लैंडलाइन नं. +91 124 4302020/2021/2022/2023/2024 ; सपोर्ट मोबाइल नं.: +917291981124 /25/26 और ई-मेल support@bankeauctions.com/andhra@c1india.com) द्वारा उनके वेब पोर्टल https://bankeauctions.com पर आयोजित की जाएगी।(4) प्रतिभूत क्रेडिटर के संज्ञान में संपत्ति पर कोई अधिभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियां जमा करने से पहले संपत्ति पर लगाए गए अधिभार, संपत्ति के शीर्षक और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशि के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। इस संबंध में, ई-नीलामी विज्ञापन हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं करता है और न ही ऐसा माना जाएगा। (5) अधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत क्रेडिटर किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी के अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हैं: www.herohousingfinance.com; (6) संपत्ति के विवरण और संपत्ति के निरीक्षण के लिए श्री इरशाद अली ershad.ali@herohfl.com8802270415, 8802270415 और शेखर सिंह/ 971152275/ shekhar.singh@ herohfl.com से संपर्क करें। (7) संभावित बोलीदाता पूर्व अनुमति के साथ 23-मार्च-2026 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

ऋणधारक/गारंटर/बंधककर्ता को 15 दिनों का बिक्री सूचना

एतद्वारा उपरोक्त ऋणधारक/बंधककर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तारीख से पहले धारा 13(2) के तहत मांग सूचना में उल्लिखित राशि, वर्तमान ब्याज और खर्चों सहित भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी की जाएगी और यदि कोई शेष बकाया राशि रहती है, तो उसे आपसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) की वेबसाइट, यानी www.herohousingfinance.com पर https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice पर दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक: 11-03-2026
स्थान: दिल्ली/एनसीआर

कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,
प्राधिकृत अधिकारी
श्री इरशाद अली, मो.- 8802270415,
ईमेल: ershad.ali@herohf.com

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
(A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, दिल्ली केन्द्र
इंडियन बैंक बिल्डिंग, पहली मंज़िल, 17,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना दिनांक 30.03.2026

परिशिष्ट- IV-A" [नियम 9(1) का परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी(कों) और जमानतदार(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं, और जिसका कब्जा इंडियन बैंक, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को 'जैसी है जहाँ है', 'जैसी है जो है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर वकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 30.03.2026 को बेचा जाएगा। ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए लाई जाने वाली संपत्तियों का विशिष्ट विवरण नीचे दिया गया है:-

दिनांक 30.03.2026 को नीलाम की जाने वाली संपत्तियों/आस्तियों का विवरण (पुनःविक्रय के लिए 15 दिन का नोटिस)

क्र. सं.	ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता का नाम/ शाखा का नाम	सम्पर्क व्यक्ति एवं मोबाइल नंबर	अचल संपत्ति/आस्तियों का विवरण	भौतिक / रचनात्मक कब्ज़ा	प्रतिभूत ऋण की राशि	आरक्षित मूल्य	धरोहर जमा राशि / न्यूनतम वृद्धि राशि
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
1.	ऋणी:- मैसर्स गोयल राइस ट्रेडर्स (श्री प्रदीप गोयल पुत्र कृष्ण चंद गोयल) बंधककर्ता/गारंटर:- श्री प्रदीप गोयल, श्री दिनेश गोयल और श्रीमती शशि गोयल शाखा: चांदनी चौक	श्री राजेश कुमार प्रसाद (8240447136)	फ्लैट नंबर-21, ग्राउंड फ्लोर, वसुधा अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर-41 सेक्टर-09, रोहिणी, दिल्ली 110085, क्षेत्रफल 80.49 वर्गमीटर। सीमाएँ: उत्तर में सीढ़ीयां, दक्षिण में फ्लैट नंबर 20, पूर्व में खाली, पश्चिम: प्रवेश/पैसेज। सम्पत्ति आईडी: IDIB301921384020	भौतिक कब्ज़ा	रु. 7,66,66,274/- दिनांक 24.02.2025 तक बकाया + ब्याज एवं अन्य खर्चे, बैंक के पूर्ण वसूली होने तक	रु. 145.00 लाख	रु. 14.50 लाख / रु. 0.50 लाख

ई-नीलामी की तिथि एवं समय:- दिनांक 30.03.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक, 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। न्यूनतम बोली वृद्धि राशि ऊपर उल्लेखित है।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए हमारी ई-नीलामी सेवा प्रदाता पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (https://www.baanknet.com) पर जाएँ। तकनीकी सहायता के लिए कृपया 8291220220 पर कॉल करें। पंजीकरण स्थिति और अग्रिम राशि (EMD) की स्थिति के लिए कृपया support.baanknet@psballiance.com पर ईमेल करें। संपत्ति के विवरण और संपत्ति की फोटो और नीलामी के नियम और शर्तों के लिए कृपया विजिट करें: https://www.baanknet.com और इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए, कृपया PSB Alliance Pvt ltd, संपर्क नंबर 8291220220 से संपर्क करें। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे www.baanknet.com वेबसाइट में संपत्ति की खोज करते समय ऊपर उल्लेखित संपत्ति आईडी नंबर का उपयोग करें।

दिनांक: 10.03.2026 स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

निजी संधि द्वारा अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निजी संधि द्वारा अचल परिसंपत्ति(ओं) ["प्रतिभूत परिसंपत्ति(ओं)"] की बिक्री के लिए 15 दिनों का बिक्री नोटिस

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित सुरक्षित परिसंपत्ति(एँ) जो यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड ("सुरक्षित लेनदार") को बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, के उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) अर्थात 1). तरुण पेट विला 2) तरुण कुमार 3). साक्षी पांडे से सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि रु. 88,67,048/- दिनांक 07.12.2025 तक और भुगतान की तिथि तक उस पर आगे ब्याज और अन्य खर्चों इत्यादि की वसूली हेतु इस नोटिस के 15 दिन बाद **निजी संधि के माध्यम से** "जैसा है वैसा" और "जैसा है जहाँ है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा।

आरक्षित मूल्य रु. 70,00,000 होगा।

सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण

फ्रीहोल्ड आवासीय प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के), क्षेत्रफल 85 वर्ग मी. प्लॉट संख्या 5/656 पर निर्मित, आवासीय कॉलोनी, सेक्टर 5, वैशाली, गाजियाबाद, तहसील *जिला गाजियाबाद यूपी सीमाएँ: पूर्व: सड़क 120 फीट चौड़ी, पश्चिम: प्लॉट नं. 670, उत्तर: प्लॉट नं. 657, दक्षिण: प्लॉट नं. 655.

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट www.ugrocapital.com पर दिए गए लिंक पर जाएं या अधोहस्ताक्षरी से authorised.officer@ugrocapital.com पर संपर्क करें।

स्थान : गाजियाबाद, यू.पी.
दिनांक : 11.03.2026,

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,
यूग्रो कैपिटल लिमिटेड

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES OR UNITS NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. **NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.** INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES OF TRUHOME FINANCE LIMITED *(FORMERLY KNOWN AS "SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED")* ON THE MAIN BOARD OF BSE LIMITED **("BSE")** AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED **("NSE")**, AND TOGETHER WITH BSE, THE **"STOCK EXCHANGES")** IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED **("SEBI ICDR REGULATIONS")**.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR code to view the DRHP)

Truhome Finance Limited

(formerly known as "Shriram Housing Finance Limited")

Our Company was incorporated as 'Shriram Housing Finance Limited' as a public limited company under the Companies Act, 1956 pursuant to a certificate of incorporation dated November 9, 2010, issued by the Deputy Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai and commenced operations pursuant to a certificate for commencement of business dated January 21, 2011 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai. Subsequently, pursuant to a resolution passed by our Board on December 11, 2024, and a special resolution passed by our Shareholders on December 12, 2024, the name of our Company was changed to 'Truhome Finance Limited' and a fresh certificate of incorporation dated December 20, 2024, was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre at Manesar. For details in relation to the changes in the name and the registered office of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters - Brief History of our Company"* on page 243 of the draft red herring prospectus dated March 9, 2026 **("DRHP")**.

Registered Office: Srinivasa Towers, 1st Floor, Door No. 5, Old No.11, 2nd Lane, Cenotaph Road, Alwarpet, Teynampet, Chennai – 600 018, Tamil Nadu, India
Corporate Office: Level 3, Wockhardt Towers, East Wing, C-2, G Block, Bandra-Kurla Complex, Mumbai - 400 051, Maharashtra, India
Tel.: +91 22 4241 0400; **Website:** www.truhomefinance.in **Contact person:** Puja Kirit Shah, Company Secretary and Compliance Officer; **E-mail:** sect@truhomefinance.in
Corporate Identity Number: U65929TN2010PLC078004

THE PROMOTER OF OUR COMPANY IS MANGO CREST INVESTMENT LTD

INITIAL PUBLIC OFFERING OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF TRUHOME FINANCE LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹30,000.00 MILLION COMPRISING A FRESH ISSUE OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO ₹15,000.00 MILLION BY OUR COMPANY ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO ₹15,000.00 MILLION BY MANGO CREST INVESTMENT LTD (THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AND SUCH EQUITY SHARES SO OFFERED BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, THE "OFFERED SHARES", AND SUCH OFFER FOR SALE BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, THE "OFFER FOR SALE", AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER").

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY CONSIDER A FURTHER ISSUE OF SPECIFIED SECURITIES, AGGREGATING UP TO ₹3,000.00 MILLION, AS MAY BE PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SCRR. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE. PRIOR TO THE COMPLETION OF THE OFFER, OUR COMPANY SHALL APPROPRIATELY INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT, PRIOR TO ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY PROCEED WITH THE OFFER, OR THE OFFER MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT INTO LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE PROSPECTUS, AND DETAILS OF THE PRE-IPO PLACEMENT, IF ANY, SHALL BE REPORTED TO THE STOCK EXCHANGES WITHIN 24 HOURS OF SUCH TRANSACTIONS, IN ACCORDANCE WITH REGULATION 54 OF THE SEBI ICDR REGULATIONS.

THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL), FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY OFFER A DISCOUNT OF UP TO [●]% OF THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"), SUBJECT TO NECESSARY APPROVALS AS MAY BE REQUIRED. THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% AND [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, RESPECTIVELY.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH. THE OFFER PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●], AN ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER, ALL EDITIONS OF [●], A HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [●] EDITIONS OF [●], A TAMIL DAILY NEWSPAPER (TAMIL BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF TAMIL NADU, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED) EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE AND NSE (TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company, in consultation with the BRLMs, may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Member(s) and by intimation to the Self-Certified Syndicate Banks **("SCSBs")**, other Designated Intermediaries and the Sponsor Bank(s), as applicable.

This Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process and is in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein in terms of Regulation 32(1) of the SEBI ICDR Regulations, not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers **("QIBs"**, and such portion, the **"QIB Portion")** provided that our Company, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations **("Anchor Investor Portion")**, out of which at least 40% shall be available for allocation as under (i) 33.33% for domestic Mutual Funds; and (ii) 6.67% for life insurance companies and pension funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds, life insurance companies and pension funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. Any under-subscription in the reserved category specified in clause (ii) above may be allocated to domestic Mutual Funds. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance equity shares of face value of ₹10 each shall be added to the remaining QIB Portion **("Net QIB Portion")**. Further, 5% of the Net QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors) including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders out of which (a) one-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹200,000 and up to ₹1,000,000; and (b) two-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹1,000,000, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bid

इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

देश की सबसे बड़ी एअरलाइन कंपनी इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने मंगलवार को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

यह घटनाक्रम उस बड़े परिचालन संकट के करीब तीन महीने बाद सामने आया है, जिसके कारण यात्रियों में व्यापक नाराजगी हुई थी और नियामकीय कार्रवाई भी हुई थी।

कंपनी के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया नए सीईओ की नियुक्ति होने तक अंतरिम तौर पर एअरलाइन के प्रबंधन का कामकाज संभालेंगे। एअरलाइन ने कहा कि नए प्रमुख की घोषणा जल्द किए जाने की उम्मीद है। पीटर एल्बर्स छह सितंबर, 2022 से इंडिगो के सीईओ थे। उनका इस्तीफा अचानक आया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है और कंपनी से नोटिस अवधि माफ करने का भी अनुरोध किया था।

इंटरग्लोब एविएशन ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि पीटर एल्बर्स तत्काल प्रभाव से कंपनी के सीईओ पद से हट रहे हैं। कंपनी ने उनके योगदान और सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हुए उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

डच नागरिक एल्बर्स ने अपने इस्तीफे में कहा कि सितंबर, 2022 से अब तक एअरलाइन सीईओ के रूप में काम करना उनके लिए सम्मान और गर्व की बात रही है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के लिए एफडीआइ नियम सरल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला, कंपनी कानून में संशोधन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दिवाला कानून और कंपनी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालांकि, इन बदलावों की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता सहिंता (आइबीसी) और कंपनी अधिनियम, 2013 में विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इन दोनों कानूनों को कारपोरेट मामलों का मंत्रालय लागू करता है। पिछले साल अगस्त में मंत्रालय ने लोकसभा में आइबीसी में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया था। इस विधेयक में कई बदलाव प्रस्तावित किए गए थे, जिनका उद्देश्य दिवाला मामलों की प्रक्रिया को तेज करना और आवेदन स्वीकार करने में लगने वाला समय को कम करना है। इस विधेयक को लोकसभा की एक प्रवर समिति के पास भेजा गया था। समिति ने दिसंबर, 2025 में अपनी रपट भी दे दी है। पिछले महीने वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार बजट सत्र के दूसरे भाग में आइबीसी (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने चाहती है।

नई दिल्ली, 10 मार्च (ब्यूरो)।

सरकार ने मंगलवार को चीन समेत भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले सभी देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नियमों को सरल बना दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 2020 के प्रेस नोट-3 में संशोधन किया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हालांकि, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) ने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा आज ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। डीपीआइआइटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की इकाई है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) से संबंधित मामलों को देखता है। इस प्रेस नोट के तहत जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के शेयरधारकों वाली विदेशी कंपनियों को भारत में किसी भी क्षेत्र में निवेश करने के लिए सरकार से अनिवार्य रूप से मंजूरी लेने की जरूरत है। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमा और अफगानिस्तान हैं। भारत में अप्रैल, 2000 से दिसंबर, 2025 तक आए कुल एफडीआइ इक्विटी प्रवाह में चीन की हिस्सेदारी केवल 0.32 फीसद (2.51 अरब अमेरिकी डालर) है और वह 23वें स्थान पर है। जून, 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। इसके बाद भारत ने टिक टाक, वीचैट और अलीबाबा के यूसी ब्राउजर जैसे 200 से अधिक चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, भारत को चीन से बहुत कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, फिर भी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई है। चीन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। भारत का चीन को निर्यात 2024-25 में 14.5 फीसद घटकर 14.25 अरब डालर रहा, जबकि 2023-24 में यह 16.66 अरब डालर था। हालांकि, आयात 2024-25 में 11.52 फीसद बढ़कर 113.45 अरब डालर हो गया, जबकि 2023-24 में यह 101.73 अरब डालर था।

भारत की जीडीपी वृद्धि में कमी आने की आशंका : इक्रा

मुंबई, 10 मार्च (भाषा)।

पश्चिम एशिया में अगर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है तो भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रेटिंग एजंसी इक्रा ने एक रपट में यह कहा।

रेटिंग एजंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 7.1 फीसद रहने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 2025-26 के अनुमान 7.6 फीसद से थोड़ा कम है। हालांकि, पश्चिम एशिया में लंबे समय तक जारी तनाव से कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मुद्रास्फीति के दबाव के कारण वृद्धि प्रभावित हो सकती है।

इजराइल-अमेरिका के ईरान पर हमले के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास के समुद्री मार्गों में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा गलियारा है। इससे आपूर्ति प्रभावित होने और माल ढुलाई लागत में वृद्धि को लेकर चिंता बढ़ी है।

नौवहन महानिदेशालय ने कहा

पोत परिवहन कंपनियां अनुचित मूल्य निर्धारण से बचें

मुंबई/नई दिल्ली, 10 मार्च (भाषा)।

पोत परिवहन क्षेत्र के नियामक डीजीएस ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों के बीच पोत परिवहन कंपनियों, पोत संचालकों और उनके एजंटों को अनुचित, अपारदर्शी एवं अवसरवादी मूल्य निर्धारण से बचने की सलाह दी है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) ने सोमवार को जारी अपने परामर्श में यह भी कहा कि पोत परिवहन कंपनियों को निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितधारकों को सभी लागू शुल्कों के बारे में स्पष्ट रूप से और पहले से बताना होगा। यह परामर्श ऐसे समय जारी किया गया है जब नियामक को निर्यात-आयात व्यापार से जुड़े विभिन्न हितधारकों से कई अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की शिकायतें मिली थीं। डीजीएस के मुताबिक, पोत परिवहन कंपनियों, मालवाहकों और उनके एजंटों द्वारा लगाए जा रहे कई सहायक शुल्क ह्यअपारदर्शी और अवसरवादीह्ण प्रकृति के माने जा रहे हैं, जिससे लाजिस्टिक शृंखला में लेनदेन की लागत बढ़ रही है। डीजीएस ने परामर्श में कहा कि आयात-निर्यात की लाजिस्टिक प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और पहले से अनुमान लगा पाने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सभी पोत परिवहन कंपनियों, पोत संचालकों और उनके एजंटों को अत्यधिक शुल्क लगाने जैसी अनुचित, अपारदर्शी और अवसरवादी मूल्य निर्धारण गतिविधियों से बचने की सलाह दी जाती है।

हितधारकों को सभी लागू शुल्कों के बारे में स्पष्ट रूप से और पहले से बताना होगा।

मुलाकात

संसद भवन में मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस में हवाई यात्रा महंगी होगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण विमान ईंधन एटीएफ की कीमतों में तेजी आने पर एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस 12 मार्च से प्रत्येक घरेलू उड़ान के टिकट पर 399 रुपए का ईंधन अधिभार लागू करेंगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी ईंधन अधिभार बढ़ाया जाएगा।

इससे हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि नई अधिभार प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में, 12 मार्च से घरेलू और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के लिए उड़ानों पर 399 रुपए प्रति टिकट का ईंधन अधिभार लागू होगा। बयान में कहा गया कि पश्चिम एशिया की उड़ानों के लिए अधिभार 10 डालर, अफ्रीका के लिए 90 डालर और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए 60 अमेरिकी डालर होगा। यह सभी बदलाव 12 मार्च से प्रभावी होंगे, जिसमें सिंगापुर की उड़ानें भी शामिल हैं। वर्तमान में सिंगापुर सेवाओं पर कोई ईंधन अधिभार नहीं है।

बयान में कहा गया कि एअर इंडिया समूह ने आज अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर ईंधन अधिभार को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की घोषणा की, जो खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक स्थिति के कारण जेट ईंधन की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण आवश्यक हो गया है। अभी इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा एअर ने ईंधन अधिभार के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है।

शेयर बाजार में तेजी लौटी, सेंसेक्स 640 अंक चढ़ा

मुंबई, 10 मार्च (भाषा)।

स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को दो दिन से जारी भारी गिरावट पर अंकुश लगा और बीएसई सेंसेक्स 640 अंक के लाभ में रहा, जबकि एनएसई निफ्टी में 233 अंक की तेजी रही। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के जल्द समाप्त होने के संकेत के बीच कच्चे तेल के दाम में नरमी और दुनिया के अन्य प्रमुख बाजारों में तेजी से घरेलू बाजार पर सकारात्मक असर हुआ।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 639.82 अंक यानी 0.82 फीसद बढ़कर 78,205.98 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 960.09 अंक चढ़कर 78,526.25 अंक पर पहुंच गया था।

'आइटी नियमों को रद्द करने संबंधी याचिका पर विचार करेंगे'

नई दिल्ली, 10 मार्च (भाषा)।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर फर्जी व झूठी सामग्री को विनियमित करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में सरकार द्वारा 2023 में किए गए संशोधनों को रद्द करने संबंधी मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका पर विचार करेगा।

शीर्ष अदालत ने हालांकि, 2024 के मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें न केवल संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को रद्द कर दिया गया था बल्कि उन्हें असंवैधानिक भी करार दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ ने कामेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया और एसोसिएशन आफ इंडियन मैगजीन्स सहित मूल याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बेहतर होगा कि इस पूरे मामले का अंतिम निर्णय आ जाए। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि सरकार का इरादा सामग्री को पूरी तरह से रोकना नहीं था।

अमेरिका से कम व्यापार के बाद भी बढ़ा चीन का निर्यात

हांगकांग, 10 मार्च (एपी)।

अमेरिका के साथ व्यापार में कमी आने के बावजूद चीन का निर्यात वर्ष 2026 के पहले दो महीनों में सालाना आधार पर लगभग 22 फीसद बढ़ गया। चीन के सीमा शुल्क प्रशासन की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी-फरवरी 2026 की अवधि में चीन का आयात लगभग 20 फीसद बढ़ा, जबकि दिसंबर में यह वृद्धि 5.7 फीसद थी।

अमेरिका से चीन के आयात में सालाना आधार पर लगभग 27 फीसद की गिरावट आई। हालांकि, इस अवधि में निर्यात में 22 फीसद की वृद्धि अर्थशास्त्रियों के अनुमान से अधिक रही। यह दिसंबर में दर्ज 6.6 फीसद की वृद्धि दर से काफी ज्यादा है।

अमेरिका के साथ तनाव के बावजूद चीन का निर्यात बढ़ना उसकी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। वर्ष 2025 में चीन का निर्यात 5.5 फीसद बढ़ा और उसका व्यापार अधिशेष बढ़कर लगभग 1.2 लाख करोड़ डालर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, पिछले दो महीनों में चीन से अमेरिका को होने वाले निर्यात में करीब 20 फीसद की गिरावट आई है।

संसद की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समिति ने की सिफारिश

मांग

प्राकृतिक आपदा में नष्ट घरों को फिर से बनाया जाए

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चार लाख दिए जाने की मांग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 मार्च।

संसद की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत घर बनाने के लिए चार लाख रुपए दिए जाएं। वर्तमान में मैदानी इलाकों में प्रति इकाई सहायता 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी इलाकों में यह 1.30 लाख रुपए है। इसके साथ ही समिति ने प्राकृतिक आपदा में नष्ट घरों को पीएमएवाई-जी के तहत पुनर्निर्माण करने और भूमिहीन पात्र परिवारों को आवास सहायता प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा तैयार करने की भी सिफारिश की।

समिति ने सोमवार को संसद के दोनों सदनों में अपनी रपट पेश की। समिति ने निर्माण की मौजूदा लागत को ध्यान में रखते हुए पीएमएवाई-जी के तहत प्रति इकाई सहायता की व्यापक रूप से समीक्षा की जाए ताकि प्रदान की गई सहायता एक सम्मानजनक इकाई को पूरा करने के लिए वास्तविक और पर्याप्त हो। विभाग की ओर से मैदानी इलाकों में प्रति इकाई सहायता 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी इलाकों में यह 1.30 लाख रुपए है, जो काफी लंबे समय से यथावत बनी हुई है।

बढ़ती हुई महंगाई में इस राशि में अपेक्षित आकार का घर बनाना बहुत कठिन हो गया है। समिति सिफारिश करती है कि प्रति इकाई सहायता को बढ़ाकर चार लाख रुपए किया जाए। समिति ने कहा कि इसमें दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उचित अंतर रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी वित्तीय संकट का सामना किए बिना एक टिकाऊ और सम्मानजनक घर बना सके।

समिति यह अनुरोध करती है कि ग्रामीण तथा शहरी आवास के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि में एकरूपता हो। समिति ने कहा कि पीएमएवाई-जी के तहत ऐसे परिवार चुनौती बने हुए हैं जो बेघर हैं और उनके पास आवासीय इकाई निर्माण के लिए भूमि नहीं है। समिति ने कहा कि हमारा मत है कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य को तब तक पूरा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक भूमिहीनों की चिंताओं का समाधान न किया जाए।

इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि विभाग भूमिहीन पात्र परिवारों को आवास सहायता प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा तैयार करे जिसमें भूमि आबंटन, सामुदायिक भूमि माडल या राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके अन्य व्यवहार्य व्यवस्थाएं शामिल हों। समिति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई गरीब परिवारों के घर आग, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से ऐसे परिवारों को बिना घर के गुजर बसर करनी पड़ती है। समिति ने कहा कि ऐसे परिवारों को तुरंत आवास आवश्यकता होती है और उन्हें समय तक प्रतीक्षा करने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

समिति ने सोमवार को संसद के दोनों सदनों में अपनी रपट पेश की। समिति ने निर्माण की मौजूदा लागत को ध्यान में रखते हुए पीएमएवाई-जी के तहत प्रति इकाई सहायता की व्यापक रूप से समीक्षा की जाए ताकि प्रदान की गई सहायता एक सम्मानजनक इकाई को पूरा करने के लिए वास्तविक और पर्याप्त हो। विभाग की ओर से मैदानी इलाकों में प्रति इकाई सहायता 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी इलाकों में यह 1.30 लाख रुपए है, जो काफी लंबे समय से यथावत बनी हुई है। बढ़ती हुई महंगाई में इस राशि में अपेक्षित आकार का घर बनाना बहुत कठिन हो गया है। समिति सिफारिश करती है कि प्रति इकाई सहायता को बढ़ाकर चार लाख रुपए किया जाए। समिति ने कहा कि इसमें दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उचित अंतर रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी वित्तीय संकट का सामना किए बिना एक टिकाऊ और सम्मानजनक घर बना सके।

खबर कोना

महाराष्ट्र के नागपुर में मंगलवार को घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में हुई वृद्धि के बाद, एक गोदाम में श्रमिक सिलेंडर ले जाता हुआ।

9.32 करोड़ किसानों को जारी होंगे 19,000 करोड़ रुपए

नई दिल्ली, 10 मार्च (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 22वीं किस्त का डिजिटल रूप से अंतरण करेंगे। इसके माध्यम से 9.32 करोड़ किसानों को लगभग 19,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह कार्यक्रम असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। फरवरी, 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक पात्र किसान को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपए प्रदान करती है। खरीफ फसलों की बुवाई के सत्र से ठीक पहले जारी होने वाली इस राशि से किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे आवश्यक कृषि आदान जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

रुपया 36 पैसे की बढ़त के साथ 91.85 प्रति डालर पर

मुंबई, 10 मार्च (भाषा)।

अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले मंगलवार को रुपया अपने रिकार्ड निचले स्तर से जोरदार वापसी करते हुए 36 पैसे की बढ़त के साथ 91.85 (अस्थायी) प्रति डालर पर पहुंच गया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कम होने की उम्मीदों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट से रुपए को मजबूती मिली। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, घरेलू शेयर बाजारों में बढ़त और कमजोर डालर ने भी भारतीय मुद्रा को मजबूती प्रदान की। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 91.92 पर खुला और 91.71 से 92.19 के दायरे में कारोबार करने के बाद 91.85 (अस्थायी) पर बंद हुआ। सोमवार को रुपया अमेरिकी डालर के मुकाबले 92.21 पर बंद हुआ था जो इसका सर्वकालिक निचला स्तर था।

फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश आठ% बढ़ा

नई दिल्ली, 10 मार्च (भाषा)।

इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में फरवरी के दौरान शुद्ध निवेश आठ फीसद बढ़कर 25,978 करोड़ रुपए हो गया। यह बाजार में उतार-चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद निवेशकों की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। उद्योग संगठन एम्फी की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, इक्विटी निवेश में यह बढ़ोतरी लगातार दो महीनों की नरमी के बाद दर्ज की गई। म्यूचुअल फंड उद्योग की कुल प्रबंधन-अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) फरवरी में बढ़कर 82 लाख करोड़ रुपए हो गईं जो जनवरी में 81 लाख करोड़ रुपए थीं। एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया (एम्फी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वेंकट एन चलसानी ने कहा कि इक्विटी योजनाओं में सकारात्मक प्रवाह भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमति बनने के कारण बढ़े निवेशक भरोसे का नतीजा हो सकता है।

चांदी में 10,975 रुपए का उछाल, सोना भी मजबूत

मुंबई, 10 मार्च (भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी की कीमतों में 10,975 रुपए का उछाल आया और यह 2.79 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गई। वहीं, सोने की कीमत में 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी मज़बूत वैश्विक रुझानों के चलते हुई, क्योंकि डालर की कमजोरी ने इस ह्यसुरक्षित निवेशह्ण वाली परिसंपत्ति की मांग को बढ़ा दिया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, लगातार तीन दिन की गिरावट के बाद चांदी की कीमत में 10,975 रुपए, या 4.09 फीसद का ज़बर्दस्त उछाल आया। सोमवार के बंद स्तर 2,68,300 रुपए प्रति किलोग्राम के मुकाबले मंगलवार को यह बढ़कर 2,79,275 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गई। सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली।

पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय

एन.एफ.सी. विज्ञान विहार, निकट विवेक विहार थाना, दिल्ली- 110092

फ़र्मों के पंजीकरण (2026-27)

विद्यालय स्टेशनरी, फ़्लेक्स/बैनर/साइन बोर्ड/फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, टेंट का सामान (किराये पर), कैंटीन, बिजली एवं प्लम्बिंग आइटेम एवं वार्षिक रख-रखाव (including AC/RO/AquaGuard), सिविल Work, खेल-कूद सामग्री, प्रयोगशाला (Labs) सामग्री, वाद्य-यंत्र, फेन्सी ड्रेस (किराये पर), Income Tax/TDS/GST filing हेतु, फ़र्निचर की मरम्मत हेतु एवं Internet इत्यादि की सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित पंजीकृत एवं अनुभवी फ़र्मों/आपूर्तिकर्ताओं से वैध जीएसटी आदि की फ़र्मों से वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन (अपनी फ़र्म के Letter Head पर) सभी दस्तावेजों (GST/PAN इत्यादि) के साथ, विज्ञापन प्रकाशित होने से 21 दिन के अंदर "केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक" द्वारा आमंत्रित करता है।

प्राचार्य

आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

स्वर्ण नीलामी सूचना

पंजीकृत कार्यालय: डी-16, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 | CIN: U65910DL2015PLC285284

एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए खातों में गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों, जिन पर ग्राहकों ने भुगतान करने में चूक की है, का सार्वजनिक नीलामी करनाल शाखा, आईएफएल गोल्ड लोन ,एससीओ सं. 209, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 12, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, करनाल-132001में 30-03-2026 को सुबह 10.00 बजे से आयोजित करने का प्रस्ताव है।

करनाल शाखा: KNL1009000010449

यदि किसी कारणवश नीलामी उसी दिन पूरी नहीं हो पाती है, तो इसे 31-03-2026 को उसी पते पर आयोजित किया जाएगा।

बोलीदाताओं के लिए निमंत्रण

इच्छुक बोलीदाताओं को **रु.** 1,00,000/- ईएमडी राशि के रूप में जमा करना होगा, साथ ही, बोलीदाता को 28-03-2026 तक ऑनलाइन माध्यम से ईएमडी जमा करनी होगी। बोलीदाताओं के पास वैध पहचान पत्र, पैन कार्ड और जीएसटी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8595010101 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
आईएफएल फाइनेंस लि.

आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

स्वर्ण नीलामी सूचना

पंजीकृत कार्यालय: डी-16, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 | CIN: U65910DL2015PLC285284

एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए खातों में गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों, जिन पर ग्राहकों ने भुगतान करने में चूक की है, का सार्वजनिक नीलामी करनाल शाखा, आईएफएल गोल्ड लोन ,एससीओ सं. 209, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 12, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, करनाल-132001 में 30-03-2026 को सुबह 10.00 बजे से आयोजित करने का प्रस्ताव है।

करनाल शाखा: KNL10060000076700, KNL10090000079095, KNL10090000106753, KNL10090000093930, KNL10090000103562

यदि किसी कारणवश नीलामी उसी दिन पूरी नहीं हो पाती है, तो इसे 31-03-2026 को उसी पते पर आयोजित किया जाएगा।

बोलीदाताओं के लिए निमंत्रण

इच्छुक बोलीदाताओं को **रु.** 1,00,000/- ईएमडी राशि के रूप में जमा करना होगा, साथ ही, बोलीदाता को 28-03-2026 तक ऑनलाइन माध्यम से ईएमडी जमा करनी होगी। बोलीदाताओं के पास वैध पहचान पत्र, पैन कार्ड और जीएसटी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8595010101 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
आईएफएल फाइनेंस लि.

विज्ञापन संख्या. 35/2026

भारत सरकार

लोक उद्यम चयन बोर्ड

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)

में

निदेशक (उत्पादन)

पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

आवेदकों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि

27 मार्च, 2026 (15.00 बजे तक) है

नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदनों को लोक उद्यम चयन बोर्ड में अग्रेषित करने की अंतिम तिथि

6 अप्रैल, 2026 (17.00 बजे तक) है

जानकारी के लिए वेबसाइट

https://pesb.gov.in

में लॉग इन करें।

सार्वजनिक सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की अधिसूचना संख्या RBI/2022-23/80 CO.DPSS.POLC.No.S-590/02-14-006/2022-23 दिनांक 4 जुलाई, 2022 और मास्टर निर्देश RBI/DPSS/2021-22/82 CO.DPSS.POLC.No.S-479/02.14.006/2021-22, दिनांक 27 दिसंबर, 2024 के नवीनतम अद्यतन के अनुसार सार्वजनिक सूचना–गैर–बैंक सार्वजनिक सेवा उपकरणों (PSOs) के नियंत्रण के अधिग्रहण/अधिग्रहण और गैर–बैंक सार्वजनिक सेवा उपकरणों (PSO) की भुगतान प्रणाली गतिविधि की बिक्री/हस्तांतरण के मामले में पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता, जैसा कि संशोधित किया गया है, शेयरों के अप्रत्यक्ष अधिग्रहण के संबंध में।

ट्रायो टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ("ट्रायोटेक")

सीआईएन: U74140DL2009PTC186516

आरबीआई पंजीकरण संख्या, सीओए संख्या 99/2017 (पीपीआई जारीकर्ता के रूप में)

पंजीकृत कार्यालय: 12वीं मंजिल, नेहरू प्लेस रोड, संत नगर, पार्क के सामने, नई दिल्ली – 110065

ईमेल आईडी: legal@triotech.co.in

और

पेहे प्राइवेट लिमिटेड ("पेहे")

सीआईएन: U82990KA2021PTC146390

पंजीकृत कार्यालय: नंबर 7, प्रथम मुख्य सड़क, सेक्टर 6, एचएसआर लेआउट, बैंगलोर, कर्नाटक–560102, भारत

ईमेल आईडी: compliance@pehe.co.in

यह सार्वजनिक सूचना अप्रत्यक्ष रूप से शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में ट्रायोटेक और पेहे द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जा रही है।

ट्राइ ओ टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी या ट्राइ ओ टेक) कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN: U74140DL2009PTC186516) है। कंपनी का निगमन 9 जनवरी, 2009 को हुआ था और इसका पंजीकृत कार्यालय 12वीं मंजिल, नेहरू प्लेस रोड, संत नगर, पार्क के सामने, नई दिल्ली – 110065 में स्थित है। कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक ("RBI") से प्रीपेड भुगतान उपकरण ("PPI") जारी करने और संचालित करने के लिए स्थायी प्राधिकरण प्राप्त है। वर्तमान में, ट्राइ ओ टेक, पेहे प्राइवेट लिमिटेड (**"पेहे" या "मूल कंपनी"**) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में कार्यरत है।

प्रस्तावित लेनदेन के कारण

पेहे निवेशकों से पूंजी जुटाने का प्रस्ताव कर रही है (प्रस्तावित लेनदेन), जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की शेयरधारिता में अप्रत्यक्ष परिवर्तन होगा। इस संबंध में, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक ("RBI") से अनुमोदन पत्र संख्या CO.DPSS.AUTH No. S1279/02-27-004/2025/26 dated February 25, 2026 दिनांक 25 फरवरी, 2026 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया है। प्रस्तावित लेनदेन का उद्देश्य पेहे की विकास रणनीति और समग्र व्यावसायिक विस्तार उद्देश्यों को समर्थन देना है।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण और/या पूछताछ के लिए कंपनी की कंपनी सचिव **सुश्री ऋचा खंडेलवाल** और पेहे के निदेशक **श्री संभव आनंद जैन** से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या ईमेल के माध्यम से क्रमशः **richa.khandelwal@triotech.co.in** और **compliance@pehe.co.in** पर संपर्क किया जा सकता है। ऐसी पूछताछ इस सूचना की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

लागू नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में, कंपनी द्वारा प्रस्तावित लेनदेन के बारे में आम जनता को सूचित करने के लिए यह सार्वजनिक सूचना जारी की जा रही है।

स्थान: नई दिल्ली **दिनांक: 11.03.2026**

केन्द्रीय विद्यालय

एन.टी.पी.सी., बदरपुर, नई दिल्ली-44

वेबसाइट—https://badarpurntpc.kvs.ac.in, ईमेल—kvntpcbadarpur@kvsrodelhi.in

वर्ष 2026–27 फर्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन

केन्द्रीय विद्यालय एनटीपीसी बदरपुर नई दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नलिखित कार्य/ सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मो द्वारा पंजीकरण हेतु मुहरबंद आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

सफाई सामग्री, वाटर कूलर व आर ओ की ए.एम.सी (सामान सहित) अग्नि सुरक्षा यंत्र/ रिफीलिंग, कैंटीन, AMC वित E-Classrooms (Interactive Boards, Visualizers, LCD Projector), फ़र्निचर (लकड़ी, स्टील एवं प्लास्टिक), ऑफिस स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एयर कंडीशनर, वैज्ञानिक उपकरण (उपभोज्य/ गैर उपभोज्य), दृश्य श्रवण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, फोटोकोपीयर मशीनफोटोकॉपी प्रति पेज/मशीन किराया, खेल कूद सामग्री, टेंट हाउस एवं मंच साज सज्जा, परिवहन (Transportation), विद्यालय में बिजली के कार्य हेतु, बिजली का सामान, कम्प्युटर/सीसीटीवी और इसकी AMC, तथा विद्यालय भवन की मरम्मत तथा निर्माण सामग्री (Maintenance & Repair), Taxi/Buses for hiring कैंटीन, Student Medical Checkup, Flex Board/ Banner Printing Writing Sun Board हेतु इच्छुक फर्म अपना आवेदन दिनांक 31.03.2026 तक आवश्यक दस्तावेज़ तथा पैन नंबर, जीएसटी, सर्विस टैक्स, लाइसेंस FSSI सर्टिफिकेट इत्यादि की स्वप्रमाणित प्रति पंजीकरण प्रपत्र (Registration Proforma) के साथ संलग्न कर पंजीकृत डाक अथवा विद्यालय में आकर आवेदन करें। लिफाफे के ऊपर "**फर्म पंजीकरण हेतु**" एवं संबन्धित कार्य का नाम लिखा होना आवश्यक हैं।

नोटः– 1. पंजीकरण प्रपत्र (Registration Proforma) विद्यालय से प्राप्त अथवा विद्यालय की वैबसाइट से डाउन्लोड किया जा सकता हैं। 2. वर्तमान सरकारी नियमानुसार GeM से खरीद को प्राथमिकता दी जाती है एवं किसी तरह के भवन मरम्मत व् निर्माण के लिए NBCC Approved Contractor की लिस्ट से लिए जायेंगे, फिर भी विशेष परिस्थति में खरीद के लिए फर्म रजीस्ट्रेशन की मांग है।

प्राचार्य

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक

आपकी उम्मीद का खाता

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण इलाहाबाद खंडपीठ, प्रयागराज के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों के मामले में
और
उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड ("अंतरक कंपनी" या "आवेदक कंपनी 1") के मामले में
और
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("अंतरिती कंपनी" या "आवेदक कंपनी 2") के मामले में
और
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के साथ उत्कर्ष कोरइन्वेस्टलिमिटेड के समामेलन की योजना के मामले में
सीए (सीएए) संख्या 37/एएलडी/2025

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
सीआईएनः L65992UP2016PLC082804
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी,
पंजीकृत कार्यालयः उत्कर्ष टॉवर, एनएच -31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमलपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, पिन - 221105, उत्तर प्रदेश
इसका प्रतिनिधित्व इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता - श्री मुथैया गणपति द्वारा
दूरभाष संख्याः +91- 542-6135000 कईमेलः shareholders@utkarsh.bank

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक बुलाने के लिए नोटिस और नोटिस का विज्ञापन

1. एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद खंडपीठ, प्रयागराज ('एनसीएलटी'), ने 11 फरवरी, 2026 के एक आदेश ('एनसीएलटी आदेश') द्वारा कंपनी (समझौते, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 ('सीएए नियम') और कंपनी अधिनियम और सीएए नियमों के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनी अधिनियम) की धारा 230 से 232 के अनुसार उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड ('अंतरक कंपनी') के साथ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच समामेलन की योजना (इसके पश्चात 'योजना' के रूप में संदर्भित) पर विचार करने, और यदि उपयुक्त समझा जाए तो अनुमोदन करने के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ('कंपनी'/'बैंक'/'अंतरिती कंपनी') के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
2. एनसीएलटी आदेश के अनुसरण में और जैसा कि उसमें आगे निर्देशित किया गया है, एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि अंतरिती कंपनी के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक (इसके बाद 'बैठक' के रूप में संदर्भित) शनिवार, 28 मार्च, 2026 को दोपहर 3.30 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो समय-समय पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्रों सहित लागू कानूनों के अनुपालन में होगी और उक्त बैठक में अप्रतिभूत लेनदारों से भाग लेने का अनुरोध है।
3. अंतरिती कंपनी ने ईमेल के माध्यम से बैठक की सूचना दिनांक 24 फरवरी, 2026 और नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 230(3), 232(1) और (2) और 102 के तहत आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण और नोटिस के सूचकांक में उल्लिखित दस्तावेज (सामूहिक रूप से 'नोटिस और अनुलग्नक' के रूप में संदर्भित) 24 फरवरी, 2026 को अंतरिती कंपनी के उन अप्रतिभूत लेनदारों को जिनके नाम रविवार, 30 नवंबर, 2025 तक अप्रतिभूत लेनदारों की सूची में दर्ज हैं, और जिनके ई-मेल पते उक्त तिथि को अंतरिती कंपनी/संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, भेज दिया है। नोटिस की भौतिक प्रतियां उन अप्रतिभूत लेनदारों को भेजी जा रही हैं जिन्होंने एनसीएलटी के आदेश में निर्दिष्ट मोड में अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है। इस नोटिस और अनुलग्नकों की एक प्रति अंतरिती कंपनी की वेबसाइट https://www.utkarsh.bank.in/investors पर, बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइटों और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी होस्ट की जाएगी।
4. इस बैठक की तिथि तक, नोटिस और/या अनुलग्नक की प्रतियां पंजीकृत कार्यालय में बैठक में भाग लेने के हकदार किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके लिए की गई मांग पर 1 (एक) दिन के भीतर निः शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।
5. यह देखते हुए कि बैठक एनसीएलटी के आदेश के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में अप्रतिभूत लेनदारों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना आयोजित की जा रही है, अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उक्त बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
6. एनसीएलटी ने डॉ. संतोष कुमारी (ईमेल आईडीः sk.kumar7916@gmail.com) को उक्त बैठक के अध्यक्ष के रूप में और श्री अनंत प्रकाश (ईमेलः anantprakash.adv@gmail.com) को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। एनसीएलटी ने बैठक के लिए श्री सुमित अग्रवाल (ईमेल आईडीः agrsumit@yahoo.co.in) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
7. अप्रतिभूत लेनदारों के पास अपने वोटः (ए) वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठक में उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से (बी) निम्नलिखित अवधि के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा वोट डालकर योजना के अनुमोदन के लिए संकल्प पर मतदान करने की सुविधा और विकल्प होगाः

रिमोट ई-वोटिंग अवधि

रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारंभ	बुधवार, 25 मार्च, 2026 को 09:00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.
रिमोट ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति	शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को 05:00 बजे अप. भा.मा.स.

8. वीसी और ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया उक्त नोटिस का हिस्सा है, और अप्रतिभूत लेनदारों से अनुरोध है कि वे इसे पढ़ें। ई-वोटिंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं:

ए) बैठक के दौरान उन अप्रतिभूत लेनदारों के लिए ई-वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया था। जिन अप्रतिभूत लेनदारों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग लेने और भाग लेने के हकदार होंगे, लेकिन बैठक के दौरान फिर से मतदान नहीं करेंगे। नोटिस में उल्लिखित कार्य से संबंधित चर्चा समाप्त होने के बाद ई-वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद यह सुविधा 30 मिनट के लिए उपलब्ध होगी।

बी) एक अप्रतिभूत लेनदार का मतदान अधिकार 30 नवंबर, 2025 तक कारोबार की समाप्ति पर अंतरिती कंपनी में उनके बकाया देयता के अनुपात में होगा।

सी) इस योजना को अंतरिती कंपनी के अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा अनुमोदित माना जाएगा यदि नोटिस में उल्लिखित प्रस्ताव को कंपनी अधिनियम की धारा 230 - 232 के प्रावधानों के संदर्भ में रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग द्वारा अप्रतिभूत लेनदारों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा, उपरोक्त के रूप में अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा अनुमोदित योजना के बाद, एनसीएलटी के बाद के अनुमोदन के अधीन होगी।

ई-वोटिंग का परिणाम 31 मार्च, 2026 तक घोषित किया जाएगा, और वह, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, पंजीकृत कार्यालय में, अंतरिती कंपनी की वेबसाइट (https://www.utkarsh.bank.in), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com); और ईवोटिंग एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (www.evoting.nsdl.com) की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

डी) अप्रतिभूत लेनदारों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल www.evoting.nsdl.com m के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या कॉल करें: 022 - 4886 7000 या evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध भेजें।

एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज के आदेशानुसार
हस्ता./-
मुथैया गणपति
अधिकृत प्रतिनिधि
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

तिथि : 11.03.2026
स्थान : मुम्बई

उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में इलाहाबाद में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण इलाहाबाद पीठ के समक्ष
और
कंपनी अधिनियम की धारा 230 से 232 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के मामले में
और
उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड के मामले मे
और
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के मामले में
और
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंकलिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के साथ उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड के समामेलन की योजना के मामले में
(सीएए) संख्या 37/2025

उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड
सीआईएनः U65191UP1990PLC045609
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी,
पंजीकृत कार्यालयः एस-24/1-2, चौथी मंजिल, महावीर नगर, अर्दली बाजार, महावीर मंदिर के पास, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत - 221002
इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता - श्री नीरज कुमार तिवारी द्वारा प्रतिनिधित्व
दूरभाष संख्याः +91-9598069737 I ईमेलः secretarial@utkarshcoreinvest.com

उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों (सार्वजनिक शेयरधारकों सहित) की बैठक बुलाने के लिए नोटिस और विज्ञापन

1. एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद खंड, इलाहाबाद ('एनसीएलटी') ने, 11 फरवरी, 2026 के एक आदेश ('एनसीएलटी आदेश') द्वारा, उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड ('अंतरक कंपनी') और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ('अन्तरिती कंपनी') और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच समामेलन की योजना (इसके बाद 'योजना' के रूप में संदर्भित) पर विचार करने के उद्देश्य से, और यदि उचित समझा जाए, तो अनुमोदन करने के उद्देश्य से कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 ('सीएए नियम') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('कंपनी अधिनियम') की धारा 230 से 232 और कंपनी अधिनियम और सीएए नियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड ('कंपनी'/'अन्तरक कंपनी') के इक्विटी शेयरधारकों (सार्वजनिक शेयरधारकों सहित) की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
2. एनसीएलटी आदेश के अनुसरण में और जैसा कि आगे निर्देशित किया गया है, यह एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों सहित लागू कानूनों के अनुपालन में अन्तरक कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों (सार्वजनिक शेयरधारकों सहित) की एक बैठक शनिवार, 28 मार्च, 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से आयोजित की जाएगी (इसके बाद 'बैठक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।
3. अन्तरक कंपनी ने नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 230(3), 232(1) और (2) और 102 के तहत आवश्यक ईमेल के माध्यम से 24 फरवरी, 2026 को बैठक की सूचना और व्याख्यात्मक विवरण और नोटिस के सूचकांक (सामूहिक रूप से 'नोटिस और अनुलग्नक' के रूप में संदर्भित) में उल्लिखित दस्तावेज, 24 फरवरी, 2026 को अन्तरक कंपनी के उन इक्विटी शेयरधारकों को जिनके नाम शुक्रवार 20 फरवरी, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, और जिनके ई-मेल पते उक्त तिथि को अन्तरक कंपनी/संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, भेज दिया है। इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिन्होंने अपना ई-मेल पता अन्तरक कंपनी/संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं किया है, इस बैठक की सूचना, अनुलग्नक के साथ अन्तरक कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। इस नोटिस और अनुलग्नकों की एक प्रति अन्तरक कंपनी की वेबसाइट www.utkarshcoreinvest.com और ई-वोटिंग एजेंसी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी होस्ट की जाएगी।
4. इस बैठक की तिथि तक, नोटिस और/या अनुलग्नक की प्रतियां पंजीकृत कार्यालय में बैठक में भाग लेने के हकदार किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके लिए की जा रही मांग पर 1 (एक) दिन के भीतर निः शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।
5. यह देखते हुए कि बैठक एनसीएलटी के आदेश के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की धारा 105 के तहत इक्विटी शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना आयोजित की जा रही है, अतः इक्विटी शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उक्त बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
6. एनसीएलटी ने उक्त बैठक के अध्यक्ष के रूप में डॉ. संतोष कुमारी (ईमेल आईडीः sk.kumar7916@gmail.com) और श्री अनंत प्रकाश (ईमेलः anantprakash.adv@gmail.com) को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। एनसीएलटी ने बैठक के लिए श्री सुमित अग्रवाल (ईमेल आईडीः agrsumit@yahoo.co.in) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
7. इक्विटी शेयरधारकों के पास इस अवधि के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा (क) वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठक में उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम (ख) नीचे उल्लिखित अवधि के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर मतदान करने की सुविधा और विकल्प होगाः

रिमोट ई-वोटिंग अवधि

रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारंभ	बुधवार, मार्च 25, 2026 को 09:00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.
रिमोट ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति	शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को 05:00 बजे अप. भा.मा.स.

8. वीसी और ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया उक्त नोटिस का हिस्सा है, और इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इसे पढ़ें। ई-वोटिंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं:

क) बैठक के दौरान उन इक्विटी शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया था। इक्विटी शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग लेने और भाग लेने के हकदार होंगे, लेकिन बैठक के दौरान फिर से मतदान नहीं करेंगे। नोटिस में उल्लिखित कार्य से संबंधित चर्चा समाप्त होने के बाद ई-वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद यह सुविधा 30 मिनट के लिए उपलब्ध होगी।

ख) किसी सदस्य/लाभभोगी स्वामी (इलेक्ट्रॉनिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि, यानी शुक्रवार 20 फरवरी, 2026 को चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।

ग) कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है या वह सदस्य जिसने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वह एनएसडीएल को अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

घ) इस योजना को हस्तांतरणकर्ता कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित माना जाएगा यदि नोटिस में उल्लिखित प्रस्ताव को कंपनी अधिनियम की धारा 230 - 232 के प्रावधानों के संदर्भ में रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग द्वारा इक्विटी शेयरधारकों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस योजना पर कार्रवाई केवल तभी की जाएगी जब योजना के अनुमोदन के लिए उपर्युक्त संकल्प के पक्ष में सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा डाले गए मतों की संख्या (रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से) इसके खिलाफ सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो।

इसके अलावा, उपरोक्त के रूप में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित योजना के बाद, एनसीएलटी के बाद के अनुमोदन के अधीन होगी।

ई-वोटिंग का परिणाम 31 मार्च, 2026 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा, और इसे संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, पंजीकृत कार्यालय में, अन्तरक कंपनी की वेबसाइट https://www.utkarshcoreinvest.com पर और ई-वोटिंग एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किया जाएगा।

ङ) किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या कॉल कर सकते हैं : 022 -4886 7000 पर या श्री कौशल कुमार को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ के आदेश से
हस्ता./-
नीरज कुमार तिवारी
अधिकृत प्रतिनिधि
उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड

तिथि : 11.03.2026
स्थान : वाराणसी

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से युद्ध जल्द समाप्त होने की संभावना जताई, कहा

तेल आपूर्ति बाधित हुई तो और कठोर हमले करेंगे

दुबई, 10 मार्च (एपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध अल्पकालिक हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस्लामी गणराज्य वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करता है तो लड़ाई और तेज हो सकती है।

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद उनके पुत्र अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी चुना गया। इसके एक दिन बाद ही तेल की कीमतें कुछ समय के लिए 2022 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।

निवेशकों का मानना है कि यह इस बात का संकेत है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के 10 दिन बाद ईरान अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है।हालांकि बाद में कीमतों में थोड़ी नरमी आई, जिसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी आई और यह उम्मीद जगी कि संभवतः ईरान के साथ युद्ध ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। ट्रंप ने मियामी के पास अपने गोल्फ क्लब में रिपब्लिकन सांसदों से कहा, 'हम कुछ शैतानी ताकतों को खत्म करने के इरादे से कुछ समय के लिए पश्चिम एशिया में थे और मुझे उम्मीद है कि यह सब जल्द खत्म हो जाएगा।' कुछ घंटे बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कियाः 'अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल के प्रवाह को रोकने वाला कोई भी कदम उठाता है तो अमेरिका उस पर अब तक की तुलना में बीस गुना अधिक जोरदार हमले करेगा।'

ट्रंप ने पुतिन से फोन पर युद्ध के मुद्दों पर चर्चा की

ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बात की और युद्ध तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की। पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि खाड़ी देशों के नेताओं और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बातचीत के बाद पुतिन ने संघर्ष के त्वरित राजनीतिक और राजनयिक समाधान के संबंध में कुछ विचार व्यक्त किए। इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई, जिसे राजधानी पर सबसे भीषण हवाई हमला माना जा रहा है।

जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अराघची से फोन पर बात की

नई दिल्ली, 10 मार्च (भाषा)। पश्चिम एशिया संकट, विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते असर को लेकर चिंताओं के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत की। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त सैन्य हमले शुरू करने के बाद से जयशंकर ने तीसरी बार अराघची से बात की। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, 'आज शाम ईरान के विदेश मंत्री अराघची के साथ संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर विस्तृत बातचीत हुई। हम संपर्क में रहने पर सहमत हुए।

कहीं आपका ही सफाया न हो जाए: ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने ट्रंप को दी धमकी

दुबई, 10 मार्च (एपी)।

ईरान के एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके सफाए की धमकी दी है। अली लारिजानी ने मंगलवार को एक्स पर यह पोस्ट तब की जब ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि अगर तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल का प्रवाह रोका तो वह ईरान पर 'बीस गुना अधिक' भीषण हमला करेंगे।

लारिजानी ने लिखा, 'ईरान जैसा बलिदानी राष्ट्र तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरता। तुमसे बड़े भी ईरान को खत्म नहीं कर सके। सावधान रहें, कहीं खुद आपका सफाया न हो जाए।' गौरतलब हो कि अतीत में ईरान पर ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का आरोप लग चुका है। ईरान ने इजराइल, खाड़ी देशों पर नए हमले किए

ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पर नए हमले किए

ईरान ने मंगलवार को दबाव बनाने की नीति के तहत इजराइल और खाड़ी देशों पर नये हमले किए। इस युद्ध ने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मिसाइलों की चेतावनी वाले सायरन बजने लगे, जबकि बहरीन में अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने राजधानी में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 29-वर्षीय एक महिला मारी गई, जबकि आठ घायल हो गए। सऊदी अरब ने कहा कि उसने अपने तेल-समृद्ध पूर्वी क्षेत्र में दो ड्रोन नष्ट किए। कुवैत के नेशनल गार्ड ने कहा कि उसने छह ड्रोन मार गिराए हैं।

ममता का धरना समाप्त, अपीलीय प्राधिकरण के कदम का स्वागत किया

कोलकाता, 10 मार्च (भाषा)।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को 'दोषपूर्ण पुनरीक्षण प्रक्रिया' के खिलाफ अपना धरना पांचवें दिन समाप्त कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाता सूची संशोधन के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने के आदेश के बाद विरोध-प्रदर्शन को अस्थायी रूप से स्थगित किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपीलीय प्राधिकरण के गठन के कदम का स्वागत करते हुए बनर्जी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा बंद किया गया दरवाजा अब खुल गया है, जिससे उन लोगों के लिए आशा की एक नई किरण जगी है जिनके नाम पुनरीक्षण के तहत 'तार्किक विसंगति' के कारण हटा दिए गए थे या विचाराधीन थे।

कतर से 1,000 भारतीय नागरिकों को निकाला गया

दोहा, 10 मार्च (भाषा)।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच कतर में फंसे लगभग 1,000 भारतीय नागरिकों को मंगलवार को नई दिल्ली, मुंबई और कोच्चि लाया गया। भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी।

दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने फंसे हुए भारतीय नागरिकों और आपातकालीन मामलों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कतर एयरवेज के साथ समन्वय किया। दूतावास की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी गई। दूतावास ने कहा, 10 मार्च को कतर एअरवेज की उड़ानों से लगभग 1,000 भारतीय यात्री नई दिल्ली, मुंबई और कोच्चि गए। दूतावास ने मानवीय आधार पर मामलों को प्राथमिकता देने के लिए एअरलाइन को धन्यवाद दिया।

इसमें यह भी बताया गया कि कतर एअरवेज की एक उड़ान बुधवार को नई दिल्ली के लिए निर्धारित है। दूतावास ने कहा कि वह 96 घंटे की वैधता वाले अस्थायी पारगमन वीजा पर सलवा सीमा के रास्ते सऊदी अरब जाने वाले भारतीय नागरिकों की यात्रा को सुगम बनाना जारी रखे हुए है। दूतावास ने बताया, कतर में फंसी भारतीय बास्केटबाल टीम सऊदी अरब से उड़ान भरकर भारत पहुंच गयी है।

दोहा स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी गई। *दूतावास* ने मानवीय आधार पर मामलों को प्राथमिकता देने के लिए एअरलाइन को धन्यवाद दिया।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा

पात्र मतदाता का नाम नहीं हटेगा, शांतिपूर्ण होंगे बंगाल चुनाव

कोलकाता, 10 मार्च (भाषा)।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा और उसकी प्राथमिकता राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है। तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल के बीच आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। राज्य में चुनाव तैयारियों पर दो दिन तक राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई बैठकें करने के बाद कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन में कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का हमेशा से 'शांतिपूर्ण और भागीदारी वाले लोकतंत्र' में विश्वास रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना है।

सीईसी ने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। मतदाताओं की सूची को लेकर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर कुमार ने कहा कि यह प्रक्रिया संवैधानिक मानदंडों के अनुसार पूरे देश में चलाई जा रही है। एसआइआर राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रक्रिया है और इसके कारण तृणमूल कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने हैं। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में एसआइआर का संचालन संवैधानिक मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है।

कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग मतदान करने के पात्र हैं, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हों, जबकि अपात्र लोगों के नाम सूची में नहीं रहें। सीईसी ने इस दावे का खंडन किया कि तार्किक विसंगतियां केवल बंगाल के लिए ही सामने लाई गई हैं। पश्चिम बंगाल की तरह ही सभी 12 राज्यों में इस तरह की विसंगतियां उजागर हुई हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सामने आए आंकड़ों के पैटर्न को समझाते हुए कुमार ने कहा कि जनगणना प्रपत्र जमा करने के बाद लगभग चार-पांच फीसद मतदाता 2002 की मतदाता सूची से अपना मिलान नहीं कर पाए। बताया कि इन्हें अमान्य मतदाता की श्रेणी में रखा गया। कुमार ने कहा कि जानबूझकर या अनजाने में हुई गलतियों के कारण सात-आठ फीसद मतदाताओं ने अपना मिलान गलत तरीके से किया था।

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का हमेशा से 'शांतिपूर्ण और भागीदारी वाले लोकतंत्र' में विश्वास रहा है।

मंदिर में पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दिखाए काले झंडे

दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मंगलवार को पूजा-अर्चना करने पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लोगों के एक समूह ने वापस जाओ के नारे लगाए और काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले, कुमार के रविवार रात कोलकाता पहुंचने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद सोमवार सुबह जब वह कालीघाट मंदिर गए, तब भी उन्हें इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और वापस जाओ के नारे लगाए।

विभीषिका

लेबनान के बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिये में मंगलवार को इजरायली हवाई हमले में क्षतिग्रस्त हुई अल-क़रद अल-हसन की इमारत के सामने एक व्यक्ति प्रतिक्रिया व्यक्त करता हुआ।

नौसेनाकर्मी को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया

लखनऊ, 10 मार्च (भाषा)।

उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने पाकिस्तान की खुफिया एजंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करने के आरोप में नौसेना के एक लांस नायक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। एटीएस ने बताया कि खुफिया जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति आइएसआइ एजेंट के संपर्क में था और संवेदनशील जानकारी उसे दे रहा था।

बयान के अनुसार, इलेक्ट्रानिक और निगरानी के आधार पर की गई जांच में संदिग्ध की पहचान आगरा निवासी आदर्श कुमार उर्फ लकी (24) के रूप में हुई, जो केरल के कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में लांस नायक के पद पर तैनात था। एटीएस के अनुसार, जांच में पता चला कि आरोपी ने आइएसआइ एजेंट से संपर्क स्थापित किया और अपने बैंक खाते से एजेंट को रुपए भेजे थे। एटीएस ने बताया कि आरोपी ने युद्धपोतों सहित रणनीतिक रूप से संवेदनशील नौसैनिक संपत्तियों की तस्वीरें साझा कीं। जांच एजेंसी के मुताबिक, मामले की पुष्टि होने के बाद आदर्श कुमार को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क से आपराधिक संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया।

नौसेना के एक लांस नायक पर लगा आरोप, भारत से संबंधित संवेदनशील जानकारी दी।

चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना

सीमावर्ती क्षेत्रों में राजमार्गों को मजबूत करेगा

बेजिंग, 10 मार्च (भाषा)।

चीन ने इस वर्ष से शुरू होने वाली 15वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी दूरस्थ सीमाओं को मजबूत करने के लिए भारत से लगे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले पांच वर्षों में अपने रणनीतिक परिवहन नेटवर्क को और मजबूत करने की योजना बनाई है।

हांगकांग आधारित साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट ने 15वीं पंचवर्षीय योजना की मसविदा रपट का हवाला देते हुए बताया कि एक परियोजना में शिनजियांग, उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में बीहड़ तियानशान पहाड़ों के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने वाले 394 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण शामिल है।

इस योजना को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (चीन की संसद) की मंजूरी के लिए रखा गया है, जिसका सत्र वर्तमान में यहां जारी है। यह मार्ग विवादित अक्साई चिन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली एक रणनीतिक सड़क के समानांतर होगा, जिसका निर्माण 1962 के चीन-भारत सीमा युद्ध के बाद सैन्य आवागमन में सुधार के लिए किया गया था। मध्य शिनजियांग में दुशांजी-कुका राजमार्ग का निर्माण सितंबर में शुरू हुआ और इसके 2032 तक पूरा होने की उम्मीद है।

पाकिस्तान व चीन ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने का आह्वान किया

इस्लामाबाद, 10 मार्च (भाषा)। पाकिस्तान और चीन ने मंगलवार को पश्चिम एशिया में तनाव कम करने का आह्वान किया और मतभेदों को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार संवाद और कूटनीति का सहारा लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर संयुक्त हमला किया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई और कई शीर्ष कमांडर मारे गए। विदेश कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, विदेश मंत्री इसहाक डार ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ टेलीफोन पर बात की और वैश्विक घटनाक्रम पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य खतरों की चेतावनी दी

घातक

ईरानी नागरिकों ने सिरदर्द, सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की

अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान में काली और अम्लीय बारिश

मेलबर्न, 10 मार्च (भाषा)।

अमेरिकी और इजराइली हवाई हमलों के बाद ईरान के कुछ हिस्सों में काले रंग की बारिश होने की खबरें आई हैं। मीडिया की कुछ खबरों में इसे 'अम्लीय बारिश' कहा गया है। ईरानी नागरिकों ने सिरदर्द, सांस लेने में कठिनाई होने और इमारतों एवं वाहनों पर तेल मिश्रित पानी गिरने की शिकायतें की हैं। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि इस बारिश में मौजूद रासायनिक यौगिक अत्यंत खतरनाक और अम्लीय हो सकते हैं।

एक वायुमंडलीय रसायन विशेषज्ञ और रासायनिक इंजीनियर के अनुसार, यह बारिश केवल अम्लीय नहीं है। इसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल तो होंगे ही, साथ ही अन्य कई हानिकारक रसायन भी मिल सकते हैं। ये प्रदूषक मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए तत्काल और दीर्घकालिक रूप से खतरनाक हैं। तेल डिपो पर हमलों से उठे धुएं में हाइड्रोकार्बन, अल्ट्राफाइन कण (पीएम 2.5), पालीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएचएस) और भारी धातुएं शामिल हो सकती हैं। इन प्रदूषकों के बारिश में मिलने से यह और भी हानिकारक हो जाती है।

धुएं में सल्फ़र डाइआक्साइड और नाइट्रोजन डाइआक्साइड भी होते हैं, जो वायुमंडल में सल्फ़्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। यही अम्ल पानी की बूंदों में घुलकर परंपरागत 'अम्लीय बारिश' बनाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश सामान्य अम्लीय बारिश से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि इसमें कई विषाक्त और कैंसरकारी तत्व शामिल हैं। स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव गंभीर हो सकते हैं।

तुरंत प्रभाव में लोग सिरदर्द, सांस लेने में कठिनाई और अस्थमा जैसी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। विशेषकर वृद्ध, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और असमर्थ लोग अधिक जोखिम में हैं। लंबे समय में, अल्ट्राफाइन कण रक्त प्रवाह में प्रवेश कर कैंसर, हृदय रोग और मानसिक विकार जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। प्रदूषक जब जल स्रोतों में पहुंचते हैं, तो यह पानी और जलजीवों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। काली बारिश से रासायनिक यौगिक इमारतों, सड़कों और अन्य सतहों पर जमा हो जाते हैं और जब हवा में उठते हैं तो फिर से सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।

स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा उपाय भी बताए गए हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि प्रभावित लोग मास्क पहनें, घर में रहें, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और बाहर की हवा को भीतर न आने दें। सतहों को नियमित रूप से साफ़ करना भी जरूरी है। हालांकि युद्ध की स्थिति में इन उपायों को लागू करना कठिन है।

वायुमंडलीय रसायन विशेषज्ञ और रासायनिक इंजीनियर के अनुसार, यह बारिश केवल अम्लीय नहीं है। इसमें सल्फ़्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल तो होंगे ही, साथ ही अन्य कई हानिकारक रसायन भी मिल सकते हैं। ये प्रदूषक मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए तत्काल और दीर्घकालिक रूप से खतरनाक हैं। तेल डिपो पर हमलों से उठे धुएं में हाइड्रोकार्बन, अल्ट्राफाइन कण शामिल हैं।

खबर कोना

मध्य पूर्व में जारी भीषण संघर्ष के बीच मिस्र में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद मंगलवार को काहिरा में पेट्रोल पंप के मीटर पर पर बढ़े हुए मूल्य को देखता मोटरसाइकिल सवार।

वैश्विक चुनौतियों से निपटने में राष्ट्रमंडल की भूमिका काफी अहम होगी

लंदन, 10 मार्च (भाषा)।

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि दुनिया में जारी संघर्षों से जो वैश्विक चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन्हें लोकतांत्रिक देशों के सबसे बड़े समूह राष्ट्रमंडल के माध्यम से दूर किया जा सकता है। राष्ट्रमंडल के विदेश मंत्रियों की बैठक के 26वें संस्करण में भाग लेने के लिए ब्रिटेन पहुंचे सिंह ने लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित समारोह में शिरकत की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का भी जिम्मा संभाल रहे मंत्री ने मेजबान महाराजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के दौरान जलवायु से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की।

अमेरिका-दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास की किम जोंग की बहन ने की आलोचना

सियोल, 10 मार्च (एपी)।

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी रखने की आलोचना करते हुए कहा है कि यह कदम वैश्विक सुरक्षा के लिए संवेदनशील समय में उठाया गया है और उत्तर कोरिया की सुरक्षा को किसी भी तरह की चुनौती 'भयानक परिणाम' ला सकती है। किम यो जोंग का यह बयान मंगलवार को उस समय आया जब सहयोगी देशों ने एक दिन पहले हजारों सैनिकों की भागीदारी वाले 11 दिन के फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास की शुरुआत की थी। इसी दौरान अमेरिका इजराइल के साथ पश्चिम एशिया में ईरान के साथ युद्ध भी कर रहा है।

विश्व व्यवस्था के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण

जोहानिसबर्ग, 10 मार्च (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के उप मंत्री जुको गोडलिम्पी ने प्रिटोरिया में उद्योग जगत के दिग्गजों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था के पुनर्निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो अब पतन के कगार पर है। गोडलिम्पी ने भारतीय उच्चायोग और सीआइआइ-इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दूसरे वार्षिक भारत-दक्षिण अफ्रीका व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया। मंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत का जन्म उस वैश्विक व्यापार प्रणाली के ढांचे के बीच हुआ, जिसे पश्चिमी देशों ने तैयार किया था।

जम्मू-कश्मीर : तीन लोग राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में बर्खास्त किए गए

श्रीनगर, 10 मार्च (भाषा)।

जम्मू - कश्मीर सरकार ने जल शक्ति विभाग के तीन कर्मचारियों को कथित रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने को लेकर बर्खास्त कर दिया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बर्खास्त किए गए तीन में से दो कर्मचारी किश्तवाड़ जिले के रहने वाले हैं जबकि एक दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी है। इनकी पहचान किश्तवाड़ के भगवान मोहल्ला हुलर निवासी लियाकत अली भगवान और किश्तवाड़ के हुंजाला निवासी कौसर हुसैन भगवान और अनंतनाग के इकबाल मोहल्ला बिजबेहारा निवासी शौकत अहमद जरगर के रूप में हुई है।

वर्धाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

varthana

पंजीकृत कार्यालयः नंबर 5 बीसी–110, वरसिद्धि तीसरी मंजिल, आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर–560043
वेबसाइट: www.varthana.com, ईमेल: care@varthana.com, फोन: 080–68456777

शाखा कार्यालयः अजंता, प्लॉट नंबर 14/73, तीसरी मंजिल शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर – 302020

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

भारतीय स्कूल वित्त कंपनी (जिसे आगे "आईएसएफसी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) ने 29–02–2024 के असाइनमेंट डीड के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों को मैसर्स वर्धाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर (जिसे पहले थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) (जिसे आगे "वीएफपीएल" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को सौंप दिया है। वीएफपीएल ने आईएसएफसी के स्थान पर कदम रखा है और वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में आईएसएफसी के सभी अधिकार, शीर्षक और हित, साथ ही अंतर्निहित सुरक्षा हित, गारंटी, प्रतिज्ञाएं उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के संबंध में वीएफपीएल में निहित हैं और वीएफपीएल सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री नोटिस

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और बंधककर्ता(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित ऋणदाता को गिरवी/प्रभारित की गई है, जिसका कब्जा मैसर्स वर्धना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (जिसे पहले थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित ऋण खाते की वसूली के लिए 30.03.2026 (सोमवार) को दोपहर 1 बजे, "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जाएगा।

उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) की सुरक्षित संपत्ति / बकाया / आरक्षित मूल्य / नीलामी तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं का नाम: 1. मैसर्स जयअम्बे सैकण्डरी–स्कूल, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, 2. मैसर्स जयअम्बे शिक्षा समिति, इसके सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व, 3. स्वर्गीय कानूनी उत्तराधिकारी. गजनंद शर्मा, 4. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री गजनंद शर्मा
ऋण खाता संख्या 133101000027

कुल बकाया राशि का विवरण रुपए में : रु.37,37,539/– (रु. सैंतीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ उनतालीस मात्र) 02–03–2026 तक साथ ही, पूर्ण राशि की प्राप्ति तक, आगे सहमत संविदात्मक ब्याज दर तथा कानूनी लागत / शुल्क भी शामिल होंगे।
अचल संपत्ति का विवरण: आवासीय परिवर्तित भूमि का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि खसरा नं.151/3, ग्राम बनबरीपुर, तहसील हिंडौन, जिला करौली, माप 2432 वर्ग फीट परिबद्ध : पूर्व – सार्वजनिक सड़क, उत्तर: श्री रामेश्वर की संपत्ति, पश्चिम: श्री रामेश्वर की संपत्ति, दक्षिण: श्री केदारलाल की संपत्ति
उपरोक्त संपत्ति / संपत्तियों का आरक्षित मूल्य रु. 12,16,000 और जमा बयाना राशि (आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी) रु. 1,21,600/–
ज्ञात भार, यदि कोई हो: शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं को अपना ईएमडी राशि और बोली राशि के साथ केवाईसी दस्तावेज (पैन कार्ड और आधार / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस) और रुपये 1,000 का गैर–वापसी योग्य निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा जो जयपुर में "मैसर्स वर्धाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड" के पक्ष में अनुसूचित बैंक पर 11 बजे से पहले या 30–03–2026 (सोमवार) से पहले देय हो

नीलामी यहां आयोजित की जाएगी : दिनांक 30–03–2026 (सोमवार) दोपहर 1.00 बजे, अजंता, प्लॉट नंबर 14/73, तीसरी मंजिल शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर–302020

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कंपनी की वेबसाइट www.varthana.com पर दिए गए लिंक को देखें।
संभावित बोलीदाता अधिकृत अधिकारी श्री निखिल मिश्रा– फोन नंबर 7380625660, श्री धर्म राज मीना, फोन नंबर 9928147686 से संपर्क कर सकते हैं।

तारीख: 11–03–2026, स्थान: बैंगलुरु हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, वर्धाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

वर्धाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

varthana

पंजीकृत कार्यालयः नंबर 5 बीसी–110, वरसिद्धि तीसरी मंजिल, आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर–560043
वेबसाइट: www.varthana.com, ईमेल: care@varthana.com, फोन: 080–68456777

शाखा कार्यालयः एस–15, दूसरी मंजिल, मंगलाम फन स्क्वायर, दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर – 313001

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

भारतीय स्कूल वित्त कंपनी (जिसे आगे "आईएसएफसी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) ने 29–02–2024 के असाइनमेंट डीड के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों को मैसर्स वर्धाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर (जिसे पहले थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) (जिसे आगे "वीएफपीएल" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को सौंप दिया है। वीएफपीएल ने आईएसएफसी के स्थान पर कदम रखा है और वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में आईएसएफसी के सभी अधिकार, शीर्षक और हित, साथ ही अंतर्निहित सुरक्षा हित, गारंटी, प्रतिज्ञाएं उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के संबंध में वीएफपीएल में निहित हैं और वीएफपीएल सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री नोटिस

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और बंधककर्ता(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित ऋणदाता को गिरवी/प्रभारित की गई है, जिसका कब्जा मैसर्स वर्धना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (जिसे पहले थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित ऋण खाते की वसूली के लिए 13.04.2026 (सोमवार) को दोपहर 1 बजे, "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जाएगा।

उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) की सुरक्षित संपत्ति / बकाया / आरक्षित मूल्य / नीलामी तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं का नाम: 1. मैसर्स शुभशील सेवा संस्थान, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, और: मयूर पब्लिक स्कूल, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा 2. श्री मुकेश कुमार वैष्णव, पुत्र श्री गोवर्धन दास वैष्णव, 3. श्री संतोष वैष्णव पुत्र श्री गोविंद दास वैष्णव
ऋण खाता संख्या 157101000006.

कुल बकाया राशि का विवरण रुपए में : रु. 44,40,570/– (रु. चौवालीस लाख चालीस हजार पाँच सौ सत्तर मात्र) 09–03–2026 तक साथ ही, पूर्ण राशि की प्राप्ति तक, आगे सहमत संविदात्मक ब्याज दर तथा कानूनी लागत / शुल्क भी शामिल होंगे।
अचल संपत्ति का विवरण: आवासीय प्रयोजन के लिए परिवर्तित भूमि का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नंबर 08, खसरा नंबर 3755/2226, 3756/2226, ग्राम रेलमार्ग, ग्राम पंचायत रेलमार्ग, तहसील, रेलमार्ग, जिला राजसमंद (राज.) माप 1655.00 वर्ग फीट, सीमाएँ: उत्तर: प्लॉट नं.9, दक्षिण: कॉमन वे 30 फीट चौड़ा, पूर्व: प्लॉट नं. 07, पश्चिम: कॉमन वे 30 फीट चौड़ा
उपरोक्त संपत्ति / संपत्तियों का आरक्षित मूल्य रु. 5,13,050/- और जमा बयाना राशि (आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी) रु. 5,13,050/-
ज्ञात भार, यदि कोई हो: शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं को अपना ईएमडी राशि और बोली राशि के साथ केवाईसी दस्तावेज (पैन कार्ड और आधार / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस) और रुपये 1,000 का गैर–वापसी योग्य निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा जो जयपुर में "मैसर्स वर्धाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड" के पक्ष में अनुसूचित बैंक पर 13–04–2026 (सोमवार) को 11 बजे से पूर्व देय हो

नीलामी यहां आयोजित की जाएगी : दिनांक 13–04–2026 (सोमवार) दोपहर 1.00 बजे, एस–15, दूसरी मंजिल, मंगलाम फन स्क्वायर, दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर – 313001

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कंपनी की वेबसाइट www.varthana.com पर दिए गए लिंक को देखें।
संभावित बोलीदाता अधिकृत अधिकारी श्री निखिल मिश्रा– फोन नंबर 7380625660, श्री धर्म राज मीना, फोन नंबर 9928147686 से संपर्क कर सकते हैं।

तारीख: 11–03–2026, स्थान: बैंगलुरु हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, वर्धाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 09, कांमुनिटी सेंटर , बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057।
शाखा कार्यालयः कार्यालय संख्या ए–6, तीसरी मंजिल, सेक्टर–4, नोएडा–201301।

सार्वजनिक सूचना (ई–नीलामी) अचल संपत्ति की बिक्री के लिए [सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत]

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) के पास गिरवी रखी अचल संपत्ति की बिक्री के लिए सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) या उनके कानूनी वारिसों / प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / बंधक हैं और जिनका कब्जा हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, 16 अप्रैल 2026 (ई–नीलामी तिथि) को "जैसा है जहां है", "जैसा है वैसा ही" और "जो कुछ भी उपलब्ध है" के आधार पर नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं या गारंटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए बेची जाएंगी। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि नीचे दी गई है। सार्वजनिक ई–नीलामी में भाग लेने के लिए बयाना राशि डिमांड ड्राफ्ट / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से बोली प्रपत्र के साथ जमा की जानी चाहिए, जिसे 15 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को शाखा कार्यालयः ए–6, तीसरी मंजिल, सेक्टर–4, नोएडा – 201301 में जमा करना होगा। .

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता / (आं) / गारंटर (आरे) / / कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) / / कानूनी प्रतिनिधि का नाम।	मांग सूचना की तिथि / आज की तिथि तक की राशि	कंस्ट्रक्टिव भौतिक के तहत कब्जे का प्रकार	आरक्षित राशि	बयाना राशि
HHFDEL-HOU 19000005092	रिम्पा कर्माकर, सुजय पारुई	21/08/2025, रु. 22,65,167/– 26/02/2026 तक	भौतिक	रु. 19,50,000/–	रु. 1,95,000/–

संपत्ति का विवरण: "फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति (संख्या ई–67) का संपूर्ण तीसरा तल, छत के अधिकारों सहित, जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग गज है, खसरा संख्या 159 में स्थित है, जो मटियाला कॉलोनी, मानसे राम पार्क ब्लॉक ई, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 के क्षेत्र में है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः संपत्ति का भाग, पश्चिमः प्लॉट संख्या 68, उत्तरः 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्लॉट का भाग।"

नियम एवं शर्तें:

ई–नीलामी पोर्टल https://bankeauctions.com के माध्यम से 16 अप्रैल 2026 (ई–नीलामी तिथि) को सुबह 11:00 बजे के बाद से आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक नीलामी के लिए 10 मिनट का सीमित विस्तार दिया जाएगा। इच्छुक खरीदार / बोलीदाताओं को आरआईजीएस / एनईएफटी या डिमांड ड्राफ्ट / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से फ्हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में ईएमडी राशि जमा करनी होगी। ई–नीलामी समाप्त होने के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी।

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें:

(1) ई–नीलामी "जैसा है जहाँ है" और "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" और पबिना किसी सहारा के" आधार पर आयोजित की जा रही है और इसका संचालन "ऑनलाइन" किया जाएगा। (2) 25 लाख तक के आरक्षित मूल्य के लिए बोली वृद्धि राशि 15,000 रुपये (पंद्रह हजार रुपये मात्र), 25 लाख से अधिक और 50 लाख तक के आरक्षित मूल्य के लिए 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र), 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक के आरक्षित मूल्य के लिए 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) और 1 करोड़ से अधिक के आरक्षित मूल्य के लिए 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) होगी। (3) ई–नीलामी का संचालन मेसर्स के माध्यम से किया जाएगा। सी–1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री धरानी कृष्णा के माध्यम से – 9948182222 (हेल्पलाइन नंबरः सपोर्ट लैंडलाइन नंबर 91 124 43020201 20211 20221 20231 2024, सपोर्ट मोबाइल नंबरः +917291981124 / 25 126 और ईमेल support@bankeauctions.com @andhra@clindia.com पर) उनके वेब पोर्टल https://bankeauctions.com पर। (4) संपत्ति पर ऐसा कोई भार नहीं है जिसकी जानकारी सुरक्षित लेनदारों को हो। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, संपत्ति पर भार, नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / देयताओं के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए। इस संबंध में, ई–नीलामी विज्ञापन हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। (5) अधिकृत अधिकारी / सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय–पक्ष के दावों / अधिकारों / देयताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। बिक्री वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगी। ई–नीलामी के अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट www.herohousingfinance.com पर प्रकाशित हैं: (6) संपत्ति के विवरण और निरीक्षण के लिए श्री इरशाद अली @ershad.ali@herohfl.com /8802270415 और शेखर सिंह / 9711522275 / shekhar.singh@herohfl.com से संपर्क करें। (7) इच्छुक बोलीदाता पूर्व नियुक्ति के साथ 10 अप्रैल 2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को 30 दिन का बिक्री नोटिस

उपरोक्त उधारकर्ता / गिरवीदार / गारंटर को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान, दिनांकित ब्याज और व्यय सहित, नीलामी की तिथि से पहले करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी की जाएगी और यदि कोई बकाया राशि हो तो उसे ब्याज और लागत सहित आपसे वसूल किया जाएगा।

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) की वेबसाइट www.herohousingfinance.com पर दिए गए लिंक https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice को देखें।

दिनांकः 11 –03–2026,
स्थानः दिल्ली–एनसीआर

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए,
अधिकृत अधिकारी
श्री आयुष कुमार गुप्ता, मोबाइल नंबरः 7625048332,
ईमेलः ayush.gupta@herohfl.com

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक

आपकी उम्मीद का खाता
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण इलाहाबाद खंडपीठ, प्रयागराज के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों के मामले में
और
उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड ("अंतरक कंपनी" या "आवेदक कंपनी 1") के मामले में
और
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("अंतरिती कंपनी" या "आवेदक कंपनी 2") के मामले में
और
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के साथ उत्कर्ष कोरइन्वेस्टलिमिटेड के समामेलन की योजना के मामले में
सीए (सीएए) संख्या 37/एएलडी/2025

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
सीआईएनः L65992UP2016PLC082804
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी,
पंजीकृत कार्यालयः उत्कर्ष टॉवर, एनएच -31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमलपुर,
काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, पिन – 221105, उत्तर प्रदेश
इसका प्रतिनिधित्व इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता – श्री मुथैया गणपति द्वारा
दूरभाष संख्याः +91– 542–6135000 ईमेलः shareholders@utkarsh.bank

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक बुलाने के लिए नोटिस और नोटिस का विज्ञापन

1. एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद खंडपीठ, प्रयागराज ('एनसीएलटी'), ने 11 फरवरी, 2026 के एक आदेश ('एनसीएलटी आदेश') द्वारा कंपनी (समझौते, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 ('सीएए नियम') और कंपनी अधिनियम और सीएए नियमों के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनी अधिनियम) की धारा 230 से 232 के अनुसार उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड ('अंतरक कंपनी') के साथ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच समामेलन की योजना (इसके पश्चात 'योजना' के रूप में संदर्भित) पर विचार करने, और यदि उपयुक्त समझा जाए तो अनुमोदन करने के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ('कंपनी'/'बैंक'/'अंतरिती कंपनी') के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
2. एनसीएलटी आदेश के अनुसरण में और जैसा कि उसमें आगे निर्देशित किया गया है, एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि अंतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक (इसके बाद 'बैठक' के रूप में संदर्भित) शनिवार, 28 मार्च, 2026 को दोपहर 12.30 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो समय–समय पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्रों सहित लागू कानूनों के अनुपालन में होगी और उक्त बैठक में इक्विटी शेयरधारकों से भाग लेने का अनुरोध है।
3. अंतरिती कंपनी ने ईमेल के माध्यम से बैठक की सूचना दिनांक 24 फरवरी, 2026 और नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 230(3), 232(1) और (2) और 102 के तहत आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण और नोटिस के सूचकांक में उल्लिखित दस्तावेज (सामूहिक रूप से 'नोटिस और अनुलग्नक' के रूप में संदर्भित) 24 फरवरी, 2026 को अंतरिती कंपनी के उन इक्विटी शेयरधारकों को जिनके नाम शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, और जिनके ई–मेल पते उक्त तिथि को अंतरिती कंपनी/संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, भेज दिया है। नोटिस की भौतिक प्रतियां उन इक्विटी शेयरधारकों को भेजी जा रही हैं जिन्होंने एनसीएलटी के आदेश में निर्दिष्ट मोड में अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है। इस नोटिस और अनुलग्नकों की एक प्रति अंतरिती कंपनी की वेबसाइट www.utkarsh.bank.in/investors पर , बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइटों और ई–वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी होस्ट की जाएगी।
4. इस बैठक की तिथि तक, नोटिस और/या अनुलग्नक की प्रतियां पंजीकृत कार्यालय में बैठक में भाग लेने के हकदार किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके लिए की गई मांग पर 1 (एक) दिन के भीतर निः शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।
5. यह देखते हुए कि बैठक एनसीएलटी के आदेश के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की धारा 105 के तहत इक्विटी शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना आयोजित की जा रही है, इक्विटी शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उक्त बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
6. एनसीएलटी ने डॉ. संतोष कुमारी (ईमेल आईडीः sk.kumar7916@gmail.com) को उक्त बैठक के अध्यक्ष के रूप में और श्री अनंत प्रकाश (ईमेलः anantprakash.adv@gmail.com) को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। एनसीएलटी ने बैठक के लिए श्री सुमित अग्रवाल (ईमेल आईडीः agrsumit@yahoo.co.in) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
7. इक्विटी शेयरधारकों के पास अपने वोटः (ए) वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठक में उपलब्ध ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से (बी) निम्नलिखित अवधि के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा वोट डालकर योजना के अनुमोदन के लिए संकल्प पर मतदान करने की सुविधा और विकल्प होगाः

रिमोट ई–वोटिंग अवधि

रिमोट ई–वोटिंग अवधि का प्रारंभ	बुधवार, 25 मार्च, 2026 को 09:00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.
रिमोट ई–वोटिंग अवधि की समाप्ति	शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को 05:00 बजे अप. भा.मा.स.

8. वीसी और ई–वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया उक्त नोटिस का हिस्सा है, और इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इसे पढ़ें। ई–वोटिंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैंः ए) बैठक के दौरान उन इक्विटी शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया था। जिन इक्विटी शेयरधारकों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग लेने और भाग लेने के हकदार होंगे, लेकिन बैठक के दौरान फिर से मतदान नहीं करेंगे। नोटिस में उल्लिखित कार्य से संबंधित चर्चा समाप्त होने के बाद ई–वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद यह सुविधा 30 मिनट के लिए उपलब्ध होगी।

बी) बैंक के प्रमोटर यानी उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड को छोड़कर किसी सदस्य / लाभभोगी स्वामी (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारिता के मामले में) का वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि, यानी 21 मार्च, 2026 को प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

सी) कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद बैंक का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है या जिस सदस्य ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वह एनएसडीएल को अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

डी) इस योजना को अंतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित माना जाएगा यदि नोटिस में उल्लिखित संकल्प को कंपनी अधिनियम की धारा 230 – 232 के प्रावधानों के अनुसार, बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग द्वारा इक्विटी शेयरधारकों के मूल्य में तीन–चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, सेबी मास्टर परिपत्र नंबर एसई बीआई/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/93 दिनांक 20 जून, 2023 (जिसने 23 नवंबर 2021 के पूर्ववर्ती सेबी मास्टर परिपत्र नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/डीआईएल1/सीआईआर/पी/2021/665 को रद्द कर दिया) ('सेबी मास्टर परिपत्र') के संदर्भ में, योजना पर तभी कार्रवाई की जाएगी जब योजना के अनुमोदन के लिए उपरोक्त प्रस्ताव के पक्ष में पब्लिक शेयरधारकों द्वारा (बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग के माध्यम से) डाले गए वोटों की संख्या इसके खिलाफ पब्लिक शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों की संख्या से अधिक हो। इसके अलावा, उपरोक्त के रूप में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित योजना के बाद, एनसीएलटी के बाद के अनुमोदन के अधीन होगी।

ई–वोटिंग का परिणाम 31 मार्च, 2026 तक घोषित किया जाएगा, और वह, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, पंजीकृत कार्यालय में, अंतरिती कंपनी की वेबसाइट (https://www.utkarsh.bank.in), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com); और ईवोटिंग एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (www.evoting.nsdl.com) की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

डी) किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज के आदेशानुसार
हस्ता./–
मुथैया गणपति
अधिकृत प्रतिनिधि
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

तिथि : 11.03.2026
स्थान : मुम्बई

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक

आपकी उम्मीद का खाता
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

आंचलिक कार्यालयः 9बी, पूसा रोड, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली, पिनकोड–10060
पंजीकृत कार्यालयः उत्कर्ष टावर, एनएच – 31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमलपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, यूपी – 221 105।

(परिशिष्ट IV) अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना [नियम 8(1) के तहत]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लिखित तिथियों पर मांग नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने के लिए कहा जाता है। ऋणधारक राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित ऋणधारकों को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ लेन–देन न करें और इन परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस ब

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. Initial Public Offer of equity shares on the main board of BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**", and together with BSE, the "**Stock Exchanges**") in compliance with Chapter II of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("**SEBI ICDR Regulations**").

SEDEMAC | SEDEMAC MECHATRONICS LIMITED

(TO BE LISTED ON THE MAIN BOARD OF BSE AND NSE)

(Please scan this QR code to view the Prospectus)

Our Company was incorporated as 'SEDEMAC Mechatronics Private Limited' as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to the certificate of incorporation dated July 18, 2007, issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai. Further, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by our Board of Directors in their meeting held on April 29, 2024 and by our Shareholders pursuant to their resolution passed in an Extraordinary General Meeting held on June 7, 2024, upon which the name of our Company was changed to 'SEDEMAC Mechatronics Limited' and a fresh certificate of incorporation dated September 2, 2024 pursuant to such change of name was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. For details in relation to changes in the name and registered office of our Company, see "*History and Certain Corporate Matters – Brief history of our Company*" and "*History and Certain Corporate Matters - Changes in the registered office*" on page 280 of the prospectus dated March 6, 2026 ("**Prospectus**") filed with the RoC.

Registered and Corporate Office: Survey No. 270/1/A/2, Pallod Farms, Baner Road, Baner, Baner Gaon, Haveli, Pune - 411 045, Maharashtra, India,
Tel: +91 20 6715 7200; **Website**: www.sedemac.com; **Contact person**: Prasad Rajendra Chavan, Company Secretary and Compliance Officer; **Email**: cs@sedemac.com, **Corporate Identity Number**: U29253PN2007PLC246956

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY: PROF. SHASHIKANTH SURYANARAYANAN, AMIT ARUN DIXIT, MANISH SHARMA AND ANAYKUMAR AVINASH JOSHI

Our Company has filed the Prospectus and the Equity Shares (as defined below) are proposed to be listed on the main board platform of the Stock Exchanges and the trading will commence on March 11, 2026.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 8,043,300 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF SEDEMAC MECHATRONICS LIMITED ("COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹1,352* PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹1,342 PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING TO ₹ 10,873.50 MILLION* THROUGH AN OFFER FOR SALE OF, IN AGGREGATE, 8,043,300 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING TO ₹ 10,873.50 MILLION*, COMPRISING OF 45,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING TO ₹60.83 MILLION BY PROMOTER SELLING SHAREHOLDER (AS DEFINED HEREINAFTER), 67,500 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING TO ₹91.25 MILLION BY PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDER (AS DEFINED HEREINAFTER), 7,930,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING TO ₹10,721.41 MILLION BY INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS (COLLECTIVELY THE "SELLING SHAREHOLDERS", AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFERED SHARES") ("OFFER FOR SALE", AND SUCH INITIAL PUBLIC OFFERING, THE "OFFER").

**** A DISCOUNT OF ₹128 PER EQUITY SHARE WAS OFFERED TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION***

ANCHOR INVESTOR OFFER PRICE: ₹1,352 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹10 EACH
OFFER PRICE: ₹1,352* PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹10 EACH
THE OFFER PRICE IS 135.20 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.
**** A DISCOUNT OF ₹128 PER EQUITY SHARE WAS OFFERED TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION***

RISK TO INVESTORS

For details refer to section titled "Risk Factors" on page 33 of the Prospectus

1. **Customer Concentration Risk:** Customer concentration risk is a natural consequence of the "Broader Market Adoption Stage" in our business journey. During this phase, rapid market expansion for new propositions, such as our SLC-based ISG for the 2/3W industry, often relies on our relationships with our anchor customers who are early adopters. TVS Motor is our most significant customer, having adopted our SLC-based ISG proposition since 2018 and contributed 75.48%, 80.46%, 83.46% and 79.05% of our revenue from operations for the nine months ended December 31, 2025, Fiscals 2025, 2024 and 2023, respectively, exposing us to significant business risk if demand from these customers reduces or commercial relationships change could have a negative effect on the Company's business, profitability, and cash flows.
2. **Mobility Segment Concentration Risk:** We are significantly dependent on the mobility segment which contributed 84.63%, 85.69%, 85.64% and 80.37% of our revenue from operations for the nine months ended December 31, 2025, and Fiscals 2025, 2024 and 2023, respectively. Any downturn, cyclical fluctuation, or adverse development in this segment could materially impact our business, results of operations, and financial condition.
3. **Geographical Risk:** We are currently dependent on two manufacturing facilities in Pune, Maharashtra, for all the production requirements which exposes us to regional and operational risks that could have a material adverse effect on the business, results of operations, cash flows, and financial condition.
4. **Product development and lifecycle risk:** We are exposed to evolving, stage-specific, and proposition-specific risks which may materially and adversely affect the operations, financial condition, and prospects. The risk profile of the business is therefore dynamic, shifting according to the mix of products at different stages and their relative strategic and revenue importance.
5. **Industrial Segment Concentration Risk:** Our Company's results are affected by demand for gensets in India and globally, i.e., the industrial segment, which contributed 15.37%, 14.31%, 14.36% and 19.63% of our revenue from operations for the nine months ended December 31, 2025, and Fiscals 2025, 2024 and 2023, respectively. As a result, our operations remain closely tied to the ongoing relevance and adoption of gensets across industries. Any significant reduction in genset demand whether due to faster adoption of alternative power solutions, further tightening of regulatory standards, or decreasing customer preference for genset could materially and adversely affect our revenue, business performance, and financial stability.
6. **Trade Receivables Risk:** We are exposed to counterparty credit risk. As at December 31, 2025, March 31, 2025, 2024 and 2023, trade receivables from our top 10 customers were ₹1,384.06 million, ₹412.01 million, ₹257.12 million, and ₹131.19 million, respectively. Any delay in receiving payments or non-receipt of payments may adversely impact the business, financial condition, cash flows and results of operations.
7. **Supplier Risk:** We are significantly dependent on the top 10 suppliers for primary raw materials, wherein purchases from top 10 suppliers constituted 63.63%, 63.64%, 65.63% and 63.34% of Company's total purchases during the nine months ended December 31, 2025, and Fiscals 2025, 2024 and 2023, respectively. Any disruption, delay, or inability of these suppliers to fulfil their commitments may materially and adversely affect the production, financial performance, reputation and growth prospects.
8. **Critical Raw Material Sourcing Risk:** Our Company imports critical raw materials such as semiconductors and printed circuit boards from People's Republic of China ("China"), which exposes to heightened supply chain and geopolitical risks that may materially affect the costs, production schedules, and business continuity and thereby the business, results of operations, cash flows, and future growth prospects.
9. **Offer related risk:** The Offer is 100% Offer for Sale of Equity Shares and the Selling Shareholders shall be entitled to the net proceeds from the Offer for Sale, which comprise proceeds from the Offer for Sale net of Offer expenses, to the extent of their respective portion of the Offered Shares and our Company will not receive any proceeds from the Offer.
10. **Audit qualification and statutory compliance risk:** Our Statutory Auditors' audit reports for Fiscals 2025 and 2024 and the examination report to the Restated Financial Information have included certain observations on matters specified in the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 and Companies Auditor's Report Order, 2020, including limitations in our audit trail functionality and delays in tax deposits. If similar modifications and comments are included in the Statutory Auditors' reports for our financial statements in the future, it could adversely affect our financial condition, cash flows and results of operations.
11. **Compliance Risk:** Certain of our corporate records are not traceable. We cannot assure you that any regulatory proceedings or actions will not be initiated against us in the future and we will not be subject to any penalty imposed by the competent regulatory authority in this regard.
12. The average cost of acquisition of per Equity Shares by the Selling Shareholders, as on date of the Prospectus, is as stated below and Offer Price at the upper end of the price band is ₹1,352.

Name of the Selling Shareholder	Number of Equity Shares Held	Average cost of acquisition per Equity Share (in ₹)*(1)(2)(3)
Manish Sharma	864,000	46.00
Ashwini Amit Dixit	541,500	100.00
A91 Emerging Fund II LLP	8,035,500	368.28
NRJN Family Trust (represented by Entrust Family Office Legal and Trusteeship Services Private Limited)	1,935,000	94.86
Xponentia Opportunities Fund - II	3,478,500	352.29
360 One Special Opportunities Fund - Series 8	2,269,500	386.31
360 One Monopolistic Market Intermediaries Fund	1,575,000	386.13
Xponentia Opportunities Limited	1,417,500	352.29
Mace Private Limited	2,553,000	352.29
HDFC Life Insurance Company Limited(3)	1,419,000	373.68
Society for Innovation and Entrepreneurship	408,000	0.01
Cyrus Jamshed Guzder	132,000	340.00
Capri Global Holdings Private Limited	283,500	352.29
SVS Trust No IV	283,500	352.29
Venktesh Investment and Trading Company Private Limited	211,500	352.29
Himanshu Kantilal Sanghavi HUF	84,000	352.29
Devang Mehta	55,500	352.29
Atul Hiralal Shah	42,000	352.29
Bakul Hiralal Shah	42,000	352.29
Devinjit Singh	22,500	352.29
Perumal Ramamurthy Srinivasan	22,500	352.29
Bhavya Kapoor	15,000	352.29
Rahul Bahri	6,000	352.29

**As certified by S K Patodia & Associates LLP, Chartered Accountants, by way of their certificate dated February 25, 2026*

Notes:

(1) Our Company has allotted 43,569,934 fully paid-up bonus Equity Shares of face value of ₹ 10 each, in the ratio of 1,499:1 (i.e., 1,499 Equity Shares of face value of ₹10 for every one Equity Share of face value of ₹10 held) to the eligible shareholders in accordance with the resolution passed by the Board at its meeting held on September 5, 2025, and pursuant to the resolution passed by the Shareholders at an Extraordinary General meeting held on September 10, 2025. The cost of acquisition of Bonus Shares is considered as Nil.

(2) Total consideration paid for allotment of Equity Shares in case of conversion of CCPS has been derived from the consideration paid for the acquisition of CCPS at the time of such acquisition.

(3) HDFC Life Insurance Company Limited is holding equity shares through two demat accounts and accordingly the aggregated shareholding have been reflected here.

13. Weighted average cost of acquisition of all specified securities transacted over the three years, 18 months and one year preceding the date of the Prospectus:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition per Equity Share (in ₹)*(1)(2)(3)	Cap Price is 'X' times the Weighted Average Cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price – Highest Price
Last one year preceding the date of the Prospectus	95.15	14.21	0.00 - 1,200.00
Last 18 months preceding the date of the Prospectus	118.16	11.44	0.00 - 1,200.00
Last three years preceding the date of the Prospectus	472.80	2.86	0.00 - 1,200.00

**As certified by S K Patodia & Associates LLP, Chartered Accountants, by way of their certificate dated February 25, 2026.*

Notes:

(1) Our Company has allotted 43,569,934 fully paid-up bonus Equity Shares of face value of ₹ 10 each, in the ratio of 1,499:1 (i.e., 1,499 Equity Shares of face value of ₹10 for every one Equity Share of face value of ₹10 held) to the eligible shareholders in accordance with the resolution passed by the Board at its meeting held on September 5, 2025, and pursuant to the resolution passed by the Shareholders at an Extraordinary General meeting held on September 10, 2025.

(2) Total consideration paid for allotment of Equity Shares in case of conversion of CCPS has been derived from the consideration paid for the acquisition of CCPS by the holder.

(3) Cost of acquisition of bonus shares has been considered as Nil.

(4) The acquisition price and the number of shares transacted has been adjusted for bonus issue.

14. Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price.

Past Transactions	WACA^	Floor Price (in times)	Cap Price (in times)
Weighted average cost of acquisition of primary transaction(s)	NA	NA	NA
Weighted average cost of acquisition of secondary transactions(s)	NA	NA	NA
Since there were no Primary Issuance or Secondary Transactions of equity shares of our Company during the 18 months preceding the date of filing of the Prospectus, where either issuance or acquisition/ sale is equal to or more than five per cent of the fully diluted paid-up share capital of our Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), the information has been disclosed for price per share of our Company based on the last five primary or secondary transactions (secondary transactions where the Promoters, members of the Promoter Group, Selling Shareholders or shareholders with the right to nominate Directors on our Board, are a party to a transaction), not older than three years prior to the date of the Prospectus irrespective of the size of transactions, is as below:			
Based on the primary transactions in the last three years	320.61	4.01	4.22
Based on the secondary transactions in the last three years	977.25	1.32	1.38

^As certified by S K Patodia & Associates LLP, Chartered Accountants, by way of their certificate dated February 25, 2026

15. The Price/Earnings Ratio based on diluted EPS for Financial Year 2025 for the Company at the upper end of the price band is 124.95. The average industry Price/Earnings Ratio is 58.14.
16. Weighted average Return on Net Worth for past three Financial Years i.e. 2025, 2024 and 2023 is 10.56%
17. The three BRLMs associated with the Offer have handled 114 public issues in the past three years, out of which 31 issues closed below the offer price on listing date

Name of the BRLMs	Total Public Issues	Issues closed below Offer Price on listing date
ICICI Securities Limited*	49	18
Avendus Capital Private Limited*	2	1
Axis Capital Limited*	39	9
Common Issues handled by the BRLMs	24	3
Total	**114**	**31**

**Issues handled where there were no common BRLMs.*

Continued to next page...

...continued from previous page.

BID/OFFER PERIOD:

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE OPENED AND CLOSED ON: MARCH 2, 2026

BID/OFFER OPENED ON: MARCH 4, 2026

BID/OFFER CLOSED ON: MARCH 6, 2026

The Offer was made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer was made through the Book Building Process and was in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein in terms of Regulation 32(1) of the SEBI ICDR Regulations, not more than 50% of the Net Offer was made available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**", and such portion, the "**QIB Portion**") provided that our Company, in consultation with the BRLMs, allocated up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), of which at least 40% was reserved for domestic Mutual Funds, Life Insurance Companies and Pension Funds, in the following manner (i) 33.33% was reserved for domestic Mutual Funds; and (ii) 6.67% was reserved for Life Insurance Companies and Pension Funds. In the event of under-subscription in the Anchor Investor Portion reserved for Life Insurance Companies and Pension Funds, the balance Equity Shares was made available for allocation to domestic Mutual Funds. Further, 5% of the Net QIB Portion was made available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds and the remainder of the Net QIB Portion was made available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors) including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Net Offer was made available for allocation to Non-Institutional Bidders out of which (a) one-third of such portion was reserved for applicants with application size of more than ₹200,000 and up to ₹1,000,000; and (b) two-third of such portion was reserved for applicants with application size of more than ₹1,000,000, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer was made available for allocation to Retail Individual Bidders ("**RIBs**") in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Retail Portion**"), subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Further, Equity Shares were allocated on a proportionate basis to Eligible Employees applying under the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids received from them at or above the Offer Price. For details, see "*Offer Procedure*" beginning on page 498 of the Prospectus.

The bidding for Anchor Investors opened and closed on March 2, 2026. The Company received 23 Anchor Investor Application Forms from 19 Anchor Investors (including 10 domestic mutual funds through 14 Mutual Fund schemes) for 2,588,641 Equity Shares. The Anchor Investor Offer Price was finalized at ₹ 1,352 per Equity Share. A total of 2,410,401 Equity Shares were allocated under the Anchor Investor Portion aggregating to ₹ 3,258,862,152.

The Offer received 35,181 applications for 15,123,064 Equity Shares (prior to rejections) resulting in 2.68 times subscription. The details of the applications received in the Offer from various categories are as under: (before rejections):

Sl. No.	Category	No. of Applications received	No. of Equity Shares applied	No. of Equity Shares reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (₹)
A	Retail Individual Bidders	32,655	573,584	2,812,296	0.20	775,043,137
B	Non-Institutional Bidders - More than ₹0.20 million up to ₹1.00 million	1,123	213,972	401,756	0.53	289,586,704
C	Non-Institutional Bidders - Above ₹1.00 million	544	867,944	803,514	1.0802	1,173,185,013
D	Eligible Employees	821	24,244	8,169	2.97	29,669,695
E	Qualified Institutional Buyers (excluding Anchors Investors)	38	13,443,320	1,607,164	8.36	18,175,368,640
	Total	**35,181**	**15,123,064**	**5,632,899**	**2.68**	**20,442,853,189**

Final Demand

A summary of the final demand as per the Stock Exchanges as on the Bid/Offer Closing Date and as at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price (₹)	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Total	Cumulative % of Total
1	1287	28,996	0.18	28,996	0.18
2	1288	3,091	0.02	32,087	0.20
3	1289	242	0.00	32,329	0.20
4	1290	3,223	0.02	35,552	0.22
5	1291	187	0.00	35,739	0.22
6	1292	143	0.00	35,882	0.22
7	1293	55	0.00	35,937	0.22
8	1295	242	0.00	36,179	0.22
9	1296	110	0.00	36,289	0.23
10	1297	22	0.00	36,311	0.23
11	1298	44	0.00	36,355	0.23
12	1299	550	0.00	36,905	0.23
13	1300	4,521	0.03	41,426	0.26
14	1301	286	0.00	41,712	0.26
15	1302	154	0.00	41,866	0.26
16	1303	11	0.00	41,877	0.26
17	1305	110	0.00	41,987	0.26
18	1307	11	0.00	41,998	0.26
19	1308	33	0.00	42,031	0.26
20	1309	11	0.00	42,042	0.26
21	1310	275	0.00	42,317	0.26
22	1311	187	0.00	42,504	0.26
23	1312	88	0.00	42,592	0.26
24	1313	33	0.00	42,625	0.26
25	1315	55	0.00	42,680	0.26
26	1316	11	0.00	42,691	0.26
27	1318	11	0.00	42,702	0.26
28	1319	22	0.00	42,724	0.27
29	1320	935	0.01	43,659	0.27
30	1321	198	0.00	43,857	0.27
31	1322	110	0.00	43,967	0.27
32	1323	11	0.00	43,978	0.27
33	1325	352	0.00	44,330	0.28
34	1328	88	0.00	44,418	0.28
35	1329	11	0.00	44,429	0.28
36	1330	341	0.00	44,770	0.28
37	1331	11	0.00	44,781	0.28
38	1332	22	0.00	44,803	0.28
39	1333	33	0.00	44,836	0.28
40	1335	99	0.00	44,935	0.28
41	1339	22	0.00	44,957	0.28
42	1340	385	0.00	45,342	0.28
43	1341	11	0.00	45,353	0.28
44	1342	77	0.00	45,430	0.28
45	1345	88	0.00	45,518	0.28
46	1346	11	0.00	45,529	0.28
47	1347	55	0.00	45,584	0.28
48	1348	66	0.00	45,650	0.28
49	1349	33	0.00	45,683	0.28
50	1350	2,409	0.01	48,092	0.30
51	1351	1,089	0.01	49,181	0.31
52	1352	14,997,378	93.04	15,046,559	93.35
53	CUT-OFF	1,072,731	6.65	16,119,290	100.00
	TOTAL	**16,119,290**	**100.00**		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange, being NSE on March 9, 2026.

A. Allotment to Retail Individual Bidders (After Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Retail Individual Bidders, who have bid at the Cut-Off Price or at the Offer Price of ₹ 1,352 per Equity Share, was finalized in consultation with the NSE. This category has been subscribed to the extent of 0.19 times. The total number of Equity Shares Allotted in Retail Portion is 530,783 Equity Shares to 30,215 successful Retail Individual Bidders. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	11	25,079	83.00	275,869	51.97	11	1:1	275,869
2	22	2,427	8.03	53,394	10.06	22	1:1	53,394
3	33	810	2.68	26,730	5.04	33	1:1	26,730
4	44	355	1.17	15,620	2.94	44	1:1	15,620
5	55	328	1.09	18,040	3.40	55	1:1	18,040
6	66	121	0.40	7,986	1.50	66	1:1	7,986
7	77	190	0.63	14,630	2.76	77	1:1	14,630
8	88	45	0.15	3,960	0.75	88	1:1	3,960
9	99	63	0.21	6,237	1.18	99	1:1	6,237
10	110	146	0.48	16,060	3.03	110	1:1	16,060
11	121	26	0.09	3,146	0.59	121	1:1	3,146
12	132	24	0.08	3,168	0.60	132	1:1	3,168
13	143	601	1.99	85,943	16.19	143	1:1	85,943
	TOTAL	**30,215**	**100.00**	**530,783**	**100.00**			**530,783**

Note: The unsubscribed portion of 2,281,513 Equity Shares have been spilled over to QIB Portion.

B. Allotment to Non-Institutional Bidders (More than ₹0.20 million Up to ₹1.00 million) (After Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders (more than ₹0.20 million Up to ₹1.00 million), who have bid at the Offer Price of ₹ 1,352 per Equity Share or above, was finalized in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 0.50 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 199,243 Equity Shares to 1,045 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	154	834	79.81	128,436	64.46	154	1:1	128,436
2	165	27	2.58	4,455	2.24	165	1:1	4,455
3	176	6	0.57	1,056	0.53	176	1:1	1,056
4	187	12	1.15	2,244	1.13	187	1:1	2,244
5	198	10	0.96	1,980	0.99	198	1:1	1,980
6	209	10	0.96	2,090	1.05	209	1:1	2,090
7	220	11	1.05	2,420	1.21	220	1:1	2,420
8	231	1	0.10	231	0.12	231	1:1	231
18	363	43	4.11	15,609	7.83	363	1:1	15,609
19	374	7	0.67	2,618	1.31	374	1:1	2,618
20	385	3	0.29	1,155	0.58	385	1:1	1,155
21	396	2	0.19	792	0.40	396	1:1	792
22	407	4	0.38	1,628	0.82	407	1:1	1,628
31	594	2	0.19	1,188	0.60	594	1:1	1,188
32	605	2	0.19	1,210	0.61	605	1:1	1,210
33	638	2	0.19	1,276	0.64	638	1:1	1,276
34	660	1	0.10	660	0.33	660	1:1	660
35	682	1	0.10	682	0.34	682	1:1	682
36	693	1	0.10	693	0.35	693	1:1	693
37	737	15	1.44	11,055	5.55	737	1:1	11,055
	TOTAL	**1,045**	**100.00**	**199,243**	**100.00**			**199,243**

Note: The unsubscribed portion of 202,513 Equity Shares have been spilled over to Non-Institutional Bidders (More than ₹0.20 million up to ₹1.00 million).

C. Allotment to Non-Institutional Bidders (more than ₹1.00 million) (After Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders (more than ₹1.00 million), who have bid at the Offer Price of ₹ 1,352 per Equity Share or above, was finalized in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 0.81 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 811,371 Equity Shares to 470 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under: (**Sample**)

Sr. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	748	419	89.15	313,412	38.63	748	1:1	313,412
2	759	1	0.21	759	0.09	759	1:1	759
3	770	6	1.28	4,620	0.57	770	1:1	4,620
4	781	1	0.21	781	0.10	781	1:1	781
5	792	1	0.21	792	0.10	792	1:1	792
6	803	1	0.21	803	0.10	803	1:1	803
7	814	2	0.43	1,628	0.20	814	1:1	1,628
15	1,122	1	0.21	1,122	0.14	1,122	1:1	1,122
16	1,265	1	0.21	1,265	0.16	1,265	1:1	1,265
17	1,474	1	0.21	1,474	0.18	1,474	1:1	1,474
18	1,485	2	0.43	2,970	0.37	1,485	1:1	2,970
19	1,496	1	0.21	1,496	0.18	1,496	1:1	1,496
20	1,540	1	0.21	1,540	0.19	1,540	1:1	1,540
21	1,716	1	0.21	1,716	0.21	1,716	1:1	1,716
22	1,815	2	0.43	3,630	0.45	1,815	1:1	3,630
33	22,000	1	0.21	22,000	2.71	22,000	1:1	22,000
34	36,982	1	0.21	36,982	4.56	36,982	1:1	36,982
35	36,993	1	0.21	36,993	4.56	36,993	1:1	36,993
36	73,975	1	0.21	73,975	9.12	73,975	1:1	73,975
37	105,765	1	0.21	105,765	13.04	105,765	1:1	105,765
38	147,928	1	0.21	147,928	18.23	147,928	1:1	147,928
	TOTAL	**470**	**100.00**	**811,371**	**100.00**			**811,371**

Note: This includes 202,513 Equity Shares spilled over from Non-Institutional Bidders (More than ₹0.20 million Up to ₹1.00 million), respectively. The unsubscribed portion of 194,656 Equity Shares have been spilled over to QIB Portion.

D. Allotment to Employee Reservation (After Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Eligible Employee Portion, who have bid at the Cut-Off Price or at the Offer Price net of Employee Discount i.e. ₹1,224 per Equity Share was finalized in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 1.52 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 8,169 Equity Shares to 201 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
1	11	46	21.20	506	4.08	30:46	330
2	22	35	16.13	770	6.21	1:1	490
3	33	36	16.59	1,188	9.57	1:1	792
4	44	22	10.14	968	7.80	1:1	638
5	55	8	3.69	440	3.55	1:1	288
6	66	6	2.77	396	3.19	1:1	264
7	77	6	2.77	462	3.72	1:1	306
8	88	8	3.69	704	5.67	1:1	464
9	99	4	1.84	396	3.19	1:1	260
10	110	5	2.30	550	4.43	1:1	360
11	121	5	2.30	605	4.88	1:1	400
12	132	3	1.38	396	3.19	1:1	261
13	143	5	2.30	715	5.76	1:1	470
14	154	3	1.38	462	3.72	1:1	303
15	165	13	5.99	2,002	16.13	1:1	1,313
16	198	1	0.46	154	1.24	1:1	101
17	220	1	0.46	154	1.24	1:1	101
18	242	2	0.92	308	2.48	1:1	202
19	253	1	0.46	154	1.24	1:1	101
20	297	1	0.46	154	1.24	1:1	101
21	341	1	0.46	154	1.24	1:1	101
22	363	1	0.46	154	1.24	1:1	101
23	385	1	0.46	154	1.24	1:1	101
24	396	1	0.46	154	1.24	1:1	101
25	407	2	0.92	308	2.48	1:1	202
26	All applicants from Serial no 14 to 25 for Additional 1(one) share					18:28	18
	TOTAL	**217**	**100.00**	**12,408**	**100.00**		**8,169**

E. Allotment to QIB portion (After Rejections)

Allotment to QIBs, who have Bid at the Offer Price of ₹ 1,352 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with the NSE. This category has been subscribed to the extent of 3.41 times of Net QIB Portion. As per the SEBI ICDR Regulations, Mutual Funds were allotted 5% of the Equity Shares of Net QIB Portion available i.e., 204,167 Equity Shares and other QIBs and unsatisfied demand of Mutual Funds were Allotted the remaining available Equity Shares i.e., 3,879,166 Equity Shares on a proportionate basis. The total number of Equity Shares Allotted in the QIB Portion is 4,083,333 Equity Shares which were allotted to 37 successful QIB Investors. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC	VC'S	TOTAL
ALLOTMENT	-	3,216,361	114,966	268,975	54,234	428,797	-	**4,083,333**

Note: This includes 2,476,169 Equity Shares i.e., 2,281,513 and 194,656 Equity Shares spilled over from Retail and Non-Institutional Bidders categories.

F. Allotment to Anchor Investors

The Company, in consultation with the BRLMs, have allocated 2,410,401 Equity Shares to 19 Anchor Investors (through 23 Applications) at the Anchor Investor Offer Price of ₹ 1,352 per Equity Share in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC	OTHERS	TOTAL
ALLOTMENT	-	1,641,179	66,570	-	177,537	525,115	-	**2,410,401**

The IPO Committee of the Company on March 9, 2026 has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being NSE and has allotted the Equity Shares to various successful Bidders. The Allotment Advice-cum-Intimations and/or notices have been dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, the instructions to the Self Certified Syndicate Banks for unblocking of funds, transfer to Public Offer Account have been issued on March 9, 2026 and payment to non-Syndicate brokers have been issued on March 9, 2026. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Equity Shares Allotted to the successful Allottees have been uploaded on March 10, 2026 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company has filed the Listing application with BSE and NSE on March 10, 2026. The Company has received listing and trading approval from BSE and NSE and the trading will commence on March 11, 2026.

Note: All capitalised terms used and not specifically defined herein shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made will be hosted on the website of the Registrar to the Offer, MUFG Intime India Private Limited *(Formerly Link Intime India Private Limited)* at www.in.mpms.mufg.com

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/sole Bidder, Bid cum Application Form number, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of Bid-cum-Application Form, address of the Bidder, number of Equity Shares applied for, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and a copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary at the address given below:

MUFG Intime

MUFG Intime India Private Limited
(formerly Link intime India Private Limited)
C-101, Embassy 247, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India
Tel: +91 810 811 4949
Email: sedemac.ipo@in.mpms.mufg.com
Investor Grievance ID: sedemac.ipo@in.mpms.mufg.com
Website: www.in.mpms.mufg.com
Contact Person: Shanti Gopalkrishnan
SEBI Registration Number.: INR000004058

For **SEDEMAC MECHATRONICS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Prasad Rajendra Chavan
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Pune, Maharashtra
Date: March 10, 2026

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SEDEMAC MECHATRONICS LIMITED.

SEDEMAC MECHATRONICS LIMITED has filed the Prospectus with RoC. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, and is available on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.sedemac.com and the websites of the BRLMs, i.e., ICICI Securities Limited, Avendus Capital Private Limited and Axis Capital Limited at www.icicisecurities.com, www.avendus.com and www.axiscapital.co.in respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see "*Risk Factors*" beginning on page 33 of the Prospectus.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**") or any state securities laws in the United States, and unless so registered may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, such Equity Shares are being offered and sold in offshore transactions as defined in and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales occur.

The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction. There will be no public offering in the United States.

Adfactors 865/26

कानूनी प्रकोष्ठ

HDFC BANK
We understand your world

प्लॉट #31, नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, टॉवर-ए, 1ली मंजिल, शिवाजी मार्ग, मोती नगर, नई दिल्ली - 110015

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]

जैसाकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक लि. के अधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 06.12.2025 को मांग सूचना जारी कर **ऋणधारकों 1. मैसर्स स्वदेशी आयुर्वेद फार्मेसी, इसके प्रोपराइटर श्री विनीत कुमार के माध्यम से, 2. श्री विनीत कुमार, पुत्र श्री राज कुमार, 3. श्री राज कुमार, पुत्र श्री चेत राम, 4. सुश्री अलका आर्य, पुत्री धर्म पाल सिंह** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि **रु. 49,25,826/- (उनचास लाख पच्चीस हजार आठ सौ छब्बीस रुपये मात्र)** के भुगतान का निर्देश दिया था। ऋणधारकों उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे, अतः ऋणधारकों तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने आज 06 मार्च 2026 (शुक्रवार) को उक्त अधिनियम की धारा 13की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

एतद्द्वारा विशेष रूप से ऋणधारकों एवं सामान्य जनता को सतर्क किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवहार न करें, तथा संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवहार **रु. 49,25,826/- (उनचास लाख पच्चीस हजार आठ सौ छब्बीस रुपये मात्र)** की राशि और उस पर ब्याज, खर्च और शुल्क आदि, यदि कोई राशि भुगतान की गई है, तो उसे घटाकर, के लिये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारकों का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति सं. बी-7बी, क्षेत्रफल 163.64 वर्ग मी. (उक्त प्लॉट पर निर्मित 11.71 वर्ग मी. के भूतल वाले दुकान को छोड़कर), जो शिक्षक विहार कॉलोनी (टीचर्स कॉलोनी), सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद में स्थित है। (मालिक का नाम: श्री राज कुमार)

दिनांक: 06 मार्च 2026, स्थान:प्रताप विहार, गाजियाबाद **अधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि.**

CSL Finance Limited

पंजी. कार्यालय : 410-412,18/12, 4थी मंज़िल, डब्ल्यू.ई.ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
कॉर्पो. कार्या.: 716-717, 7वीं मंज़िल, टॉवर बी, एल्डे ट्रेड टॉवर,सेक्टर 16, नोएडा, 201301, उत्तर प्रदेश; फोन: +91 120 4290650/52/53/54/55;
ईमेल: info@csifinance.in, Legal@csifinance.in, वेबसाइट: www.csifinance.in;
CIN: L74899DL1992PLC051462

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जैसाकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सीएसएल फाइनेंस लि. (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के अधिकृत अधिकारी के रूप में तथा (प्रतिभूति) हित प्रवर्तन नियम, 2002 नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे उल्लिखित ऋणधारक/सह-ऋणधारक/जमानतदाता को मांग सूचना जारी किया था, जिसमें मांग की गई राशि को सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

ऋणधारक/सह-ऋणधारक/जमानतदाता ने मांग की गई राशि का भुगतान नहीं किया, अतः इस सूचना के माध्यम से ऋणधारक/सह-ऋणधारक/जमानतदाता और जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी की ओर से हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमो के नियम8(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर भौतिक कब्जा कर लिया है।

एतद्द्वारा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक/जमानतदाता तथा सामान्य रूप से आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे उल्लिखित संपत्ति से संबंधित कोई भी लेनदेन न करें, तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेनदेन उस पर आगे के ब्याज के साथ बकाया राशि के लिये कंपनी के प्रथम प्रभार के अधीन होगा।

ऋणधारक/सह-ऋणधारक//गारंटर का नाम/ ऋण सं.	मांग सूचना दिनांक एवं राशि (रु.)	भौतिक कब्जा की तिथि
एलएएन: SMEMONO10005036 ऋणधारक/सुरक्षा प्रदाता: दीपक कुमार सह-ऋणधारक: चंचल सभी का पता: सपनावत, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 245101	रु. 13,86,655/- (तेरह लाख छियासी हजार छह सौ पचपन रुपये मात्र) दिनांक 24/06/2025 तक	09/03/26

सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण: अचल संपत्ति का विवरण: खसरा नं. 456 के भूमि भाग पर निर्मित संपूर्ण संपत्ति, ग्राम-सपनावत, परगना-डासना, तहसील-धौलाना, जिला-हापुड़, उत्तर प्रदेश में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 125 वर्ग गज यानी 104.55 वर्ग मी. है साथ ही उक्त भूखंड में 100% अविभाजित और अपरिहार्य स्वामित्व अधिकार/शेयर के साथ, सभी अधिकारों, सुखाचारों, विशेषाधिकारों, जो भी इससे संबंधित हैं या जिनका इसके साथ उपभोग किया जाता है, फिक्स्चर, फिटिंग, इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी फिटिंग और आवश्यक सुविधाओं के साथ।

अचल संपत्ति की सीमाएं और आयाम निम्नानुसार हैं: टाइटल दस्तावेजों के अनुसार: उत्तर- संजय का घर, दक्षिण- प्रदीप का घर, पूर्व- 15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम- विनय का घर। वास्तविक/तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार: उत्तर- रामचरण का घर, दक्षिण- प्रदीप का घर, पूर्व- 11 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम- सुरजीत सिंह का घर।

दिनांक: 09/03/2026 **हस्ता./- अधिकृत अधिकारी,**
स्थान: गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **सीएसएल फाइनेंस लि.**

आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

स्वर्ण नीलामी सूचना

पंजीकृत पता: डी-16 प्रथम तल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 । सीआईएन- U65910DL2015PLC285284

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दी गई शाखाओं में गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी 30-03-2026 को सुबह 10.00 बजे से प्रस्तावित है, जिन पर ग्राहक भुगतान करने में विफल रहे हैं।

आदर्श नगर शाखा ऋण संख्या ASN10090000078039, ASN10090000102528, ASN10090000079567, ASN10090000102964, ASN10090000102961, ASN10090000103018, ASN10090000106719, ASN10090000089053, ASN10090000107218, ASN10090000106983, ASN10090000103570, ASN10090000103533, ASN10090000104056, ASN10090000104190, ASN10090000104294, ASN10090000104348, ASN10090000104333, ASN10090000104486, ASN10090000107130, ASN10090000105326, ASN260000105455, ASN10090000105516, ASN10090000105764,ASN10090000107299 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 **अध्यापक नगर शाखा** ऋण संख्या ADN10090000105969, ADN10090000078335, ADN10090000092551, ADN10090000092561, ADN10750000078822, ADN10090000106346, ADN10090000102804, ADN10090000077331, ADN10090000102819, ADN10090000077326, ADN10090000102890, ADN10090000103074, ADN10090000091297, ADN10090000107282, ADN10090000106810, ADN10090000091983, ADN10090000107039, ADN10090000104059, ADN10090000107114, ADN10750000104385, ADN10020000105022, ADN10090000105166 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **बावना शाखा,** ऋण संख्याः BWN10090000102759, BWN10090000077726, BWN10090000079579, BWN10090000103439, BWN10090000105156 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **बुध विहार शाखा** ऋण संख्या ., BDVI 0090000106296, BDV10090000102732, BDV10090000097456, BDVI 0750000105528 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **चंचल पार्क शाखा** ऋण संख्याः CCP10090000103400, CCP10090000105409 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 **चंदरलोक शाखा** ऋण CDL10090000102703, CDL10750000077778, CDL10090000090893, CDL10090000107221, CDL10090000103920, CDL10090000104296, CDL260000107118, CDL10090000104899, CDLI 0090000105303 नीलामी स्थलः डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **दिलशाद कॉलोनी शाखा** ऋण संख्या SG10030000078030, DSG10090000078387, DSG10090000102682, DSG10090000077104, DSG10090000076763, DSG10090000096221, DSG10090000106470, DSG10090000079255, DSG10090000087249, DSG10090000106590, DSG10090000106621, DSG10090000085473, DSG10090000106685, DSG10090000103158, DSG10090000096724DSG10090000106948, DSG10090000100367, DSG10090000098738, DSG10090000100358, DSG10090000100430, DSG10020000100913, DSG10090000107047, DSGI 0090000103588, DSG260000104467, DSG10090000104605, DSG10090000104594, DSG10090000105063, DSG10090000105248, DSG10090000105404 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **हस्तसाल शाखा** ऋण संख्या। HST107550000078045, HST10090000105847, HST10090000102514, HST10090000105980, HST10750000078291, HST10090000078296, HST10090000104710, HST10090000102572, HST10090000102607, HST10090000078764, HST10090000076645, HST10090000077206, HST10090000077129, HST10090000077580, HST10750000077539, HST10090000107100, **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **करावल नगर** ऋण संख्याः KWN10750000105922, KWN10090000105996, KWN10090000098968, KWN10750000078753, KWN10020000076602, KWN10750000106504, KWN10020000077166, KWN10090000102873, KWN10090000079473, KWN10090000102913, KWN10090000093213, KWN10060000105586, KWN10090000106843, KWN10020000097029, KWN10090000098481, KWN10090000106964, KWN10090000103810, KWN10090000104221, KWN10090000104578, KWN10060000104851, KWN260000104886, KWN10060000104911, KWN10060000105608, KWN10750000105684, KWN10090000105717 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **करतार नगर शाखा** ऋण संख्या, KTN10090000076583, KTN10090000103213, KTN10090000103446, KTN260000103597 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **खजूरी खास शाखा** ऋण संख्या KJK10090000104539, KJK10090000104027, KJK10090000102700, KJK10090000079324, KJK10090000102922, KJK10090000080017, KJK10090000088336, KJKI 0090000091959, KJK10090000096756, KJK10090000096816, KJK10090000106898, KJK10090000097785, KJK10090000104372, KJK10090000103821, KJK10090000104395, KJK10090000105209, KJK10090000105413, KJK10090000105786, **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **Krishna Nagar branch** Loan no.: KRN10090000104949 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085 **मयूर विहार शाखा** ऋण संख्याः MV110090000078546, MV110090000078924, MV110090000078991, MV110090000077695, MV110090000079581, MV110090000106553, MV110090000102974, MV110090000106641, MV110090000099735, MV110090000103189, MV110090000098181, MV110090000098177, MV110090000098423, MV110090000101095, MV110090000101415, MV110090000102083, MV110020000104548, MV110090000105102 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **नजफघर शाखा** ऋण संख्या। , NJF10090000078139, NJF10090000078147, NJF10090000098896, NJF10090000106257, NJF10090000102835, NJF10090000103089, NJF10030000106743, NJF10090000094667, NJF10090000103758, NJF10090000104016, NJF10090000104001, NJF10090000105021, NJF10750000107173 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **नांगलोई शाखा** ऋण संख्या . NGI10060000104142, NGI10060000104497, NG110060000104550, NGI10750000104826, NG110060000104920, NG110750000105043, NG110090000105444, NG1260000105677, NGI10090000105395 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **नरेला शाखा** ऋण संख्या। NRL10090000095950, NRLI 0090000078649, NRLI 0090000077715, NRL260000077588, NRL260000099579, NRLI 0090000103092, NRL10090000093410, NRL260000097309, NRL10090000103428, NRL10090000103887, NRL10060000104153, NRL10090000104346, NRL10060000104714 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **निहाल विहार शाखा** ऋण संख्याः , NHV10020000103493, NHV10020000103981, **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **नॉर्थ घोंडा शाखा** ऋण संख्याः NGD10090000079368, NGD10090000103568, NGD10090000104457, NGD10090000104451, NGD10090000105199, NGD10090000105467, NGD10090000105487 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **रोहिणी शाखा** ऋण संख्या RHN10750000103850, RHNI 0090000099469, RHN10090000079491, RHNI 0090000106918, RHN260000104170, RHN10090000104213, RHN10090000104747 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **राजन विहार शाखा** ऋण संख्या। RJV10090000102777, RJV10090000103853 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **रानी बाग शाखा** ऋण संख्याः RNB10090000106106, RNB10750000103010, RNB10090000106829, RNB10090000101917 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **श्याम नगर शाखा** ऋण संख्या। SMN260000103176, SMN10090000104002, SMN10090000103934, SMN10090000103923 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **सब्जी मंडी शाखा** ऋण संख्या, SBM10090000076789, SBM10090000079625, SBM10090000106529, SBM10090000103303, SBM10090000098419, SBM10090000104407, SBM260000105181, SBM10090000107266 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **त्रिनगर शाखा** ऋण संख्या TRN10090000102659, TRN10090000077027, TRN10020000099630, TRN10060000104564 **नीलामी स्थलः** डी-16, प्रथम मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, **अंकुर विहार** ऋण संख्याः AKV10090000078515, AKV260000104693, AKV10090000107195,. **नीलामी स्थलः** एमएम-132, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, **बालाभघर शाखा,** ऋण संख्या। BLG10090000103925 **नीलामी स्थान–** मकान नं. 80, पंजाबी वार्स, पुरानी सब्जी मण्डी, वार्ड नं. 3, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा–121004। **लोनी शाखा** ऋण सं. LN110090000102610, LN110090000097335 **नीलामी स्थलः** खसरा संख्या 1429, मेन दिल्ली सहारनपुर रोड, लोनी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102, **दादरी शाखा,** ऋण संख्या . DDRI 0090000105806, DDRI 0090000078828, DDRI 0090000079549, DDRI 0090000077995, DDR260000090619, DDR10090000097915, DDR260000100488, DDR10090000101204, DDR10090000104195, DDR10090000104097, DDR10090000104262, DDR10090000107143, DDRI 0090000105077, DDRI 0090000105092, DDRI 0030000105646 **नीलामी स्थानः–** खसरा नंबर 1033, रेलवे रोड, दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, यूपी–203207 **सोनीपत शाखा** लोन नंबरः SNP10090000104834, SNP10090000104743 **नीलामी स्थल–** प्लॉट नंबर 207, मशहद मोहल्ला, ओल्ड डीसी रोड, सोनीपत, हरियाणा–131001

यदि किसी कारणवश नीलामी उसी दिन पूरी नहीं हो पाती है, तो यह 31-03-2026 को पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

बोलीदाताओं के लिए आमंत्रण

इच्छुक बोलीदाताओं को 100000/- रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी, साथ ही बोलीदाताओं को 28-03-2026 तक ऑनलाइन माध्यम से अग्रिम राशि जमा करनी होगी। बोलीदाताओं को वैध पहचान पत्र/पैन कार्ड/जीएसटी प्रमाणपत्र साथ लाना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया 8595010101 पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी
आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

BAJAJ HOUSING FINANCE

निगमित कार्यालय: सेरेब्रम आईटी पार्क बी 2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र 411014
शाखा कार्यालय: 14वीं मंजिल, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034

आधिपत्य सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8–(1) एवं वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत (परिशिष्ट–IV)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (बीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, मांग सूचना(एं) यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/सह–ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को निर्गत की थीं जिनमें उन्हें सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता(गण)/सह–ऋणकर्ता(गण)/गारंटर(गण) राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं)/सह–ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8–(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता(ओं)/सह–ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि निम्न वर्णित सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा उक्त सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्नांकित अनुसार राशि(यों) तथा इन राशियों पर भावी ब्याज हेतु बीएचएफएल के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता(ओं/गारंटर(रों) के नाम (एलएएन नं., शाखा का नाम)	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं राशि	आधिपत्य की तिथि
शाखा: दिल्ली **LAN:&H401ECN00431871** और **H401HLP0328159** 1.एम एम इंडस्ट्रीज (ऋणकर्ता) (अपने मालिक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रबंध निदेशक के माध्यम से) खसरा संख्या–1106/45 डी–1/बी, गली संख्या–4,जौहरीपुर निर्मित संपत्ति, नगर विस्तार, दिल्ली–110094 2. मदन मोहन वर्मा (सह–ऋणकर्ता) 3. पूनम वर्मा (सह–ऋणकर्ता) 2 और 3 का पता : 2610/194 ओंकार नगर–बी, त्रि नगर, दिल्ली–110035	संपत्ति की अनुसूची: गैर–कृषि संपत्ति का वह सम्पूर्ण भाग और अंश, जिसका विवरण इस प्रकार है: पूर्ण भूतल और प्रथम तल, छत/टेरेस अधिकारों के बिना,मुक्त होल्ड प्लॉट संख्या 2610/194 का भाग,भूक्षेत्र 100 वर्ग गज का भूभाग, पुराने प्लॉट संख्या 28 का हिस्सा, चौकड़ी मुबारकबाद आबादी के क्षेत्र में स्थित, जिसे ओंकार नगर त्रि नगर के नाम से जाना जाता है, दिल्ली–110035	**27 फरवरी 2025, एवं 61,44,882/– रुपये (इकसठ लाख चौवालीस हजार आठ सौ बयासी रुपये मात्र)**	06.03.2026

स्थान: दिल्ली, दिनांक: 11.03.2026 **हस्ता./–प्राधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

SMFG Grihashakti

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी–ब्लॉक, इंस्पिरे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई – 400051,
पंजीकृत कार्यालय: कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई – 600116, टीएन

अचल संपत्ति के लिए कब्जे की सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ख्याष्ट्रीय आवास बैंक (आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व में) के साथ विधिवत पंजीकृत है, (इसके बाद "एसएमएचएफसी" के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित दिनांक को डिमांड नोटिस जारी किया है जिसमें आप उधारकर्ताओं (नीचे उल्लिखित नाम) से उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति से कोई लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन "एसएमएचएफसी" के प्रभार के अधीन होगा, जो कि नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के रूप में होगा।

क्रं सं.	उधारकर्ता(ओं)/गारंटर (ओं) के नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	कब्जे की तिथि
1	**लैन :– 610807510468010** **1. मजहर एम, पुत्र मोहम्मद अफसर** **2. शाहीन 3. मोहम्मद अतहर, पुत्र मोहम्मद अफसर** **4. श्री शारिब, पुत्र मोहम्मद अफसर** **5. असद, पुत्र मोहम्मद अफसर** **6. जाकिरा परवीन** **7. फरहीन फातिमा, मोहम्मद अफसर**	एक आवासीय मकान, जिसका क्षेत्रफल 98.18 वर्ग मीटर है, संपत्ति संख्या 177 और 178 (पुराना क्रमांक 177 और 178, वर्तमान क्रमांक 65) का हिस्सा है, जो खैर नगर गेट, अख्तर मस्जिद के पास, मेरठ शहर में स्थित है। सीमाएँ: पूर्वः 28 फीट 2 इंच (रास्ता आम), पश्चिमः 26 फीट 12 इंच (सिराज का मकान), उत्तरः मोहम्मद नासिर खान की संपत्ति, दक्षिणः 5 फीट चौड़ी निजी गली।	15.12.2025 5,75,775.24 रुपये (पांच लाख पचहत्तर हजार सात सौ पचहत्तर रुपये और चौबीस पैसे मात्र) 09.12.2025 तक	09.03.2026
2	**लैन :– 610839211870579** **1. नीरज चौधरी पुत्र धर्मवीर सिंह** **2. कोमल नीरज पत्नी नीरज चौधरी**	सुपरटेक ग्रीन गांव, राजस्व गांव नूर नगर और नांगला शेर खान उर्फ जैनपुर, परगना, तहसील और जिला मेरठ में स्थित, सातवीं मंजिल पर एक आवासीय फ्लैट संख्या एच–801, जिसका क्षेत्रफल 51.09 वर्ग मीटर (550 वर्ग फुट) और ढका हुआ क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर हैय इसकी माप और सीमाएं निम्नानुसार हैं: पूर्वः खुला क्षेत्र, पश्चिमः खुला क्षेत्र, उत्तरः खुला क्षेत्र, दक्षिणः 5 फुट चौड़ा साझा मार्ग, उत्तर प्रदेश, पिन कोड – 250004	13.11.2025 14,73,280/– रुपये (केवल चौदह लाख तिहत्तर हजार दो सौ अस्सी रुपये) दिनांक 13.11.2025 तक	09.03.2026
3	**लैन :– 610839211372031** **1. नवीन सुरेश चंद, पुत्र सुरेश चंद** **2. ज्योति रानी पत्नी नवीन**	ए – आवासीय मकान संख्या 324ए, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज यानी 41.80 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 440/1/3मी और 440/1/3 से मिलकर बना है, जो भगवती कुंज रेवेन्यू गांव, नगला शेरखान उर्फ घ्छजैनपुर, परगाना, तहसील और जिला मेरठ में स्थित है। सीमाएँ – पूर्व – 15 फीट फिर प्लॉट संख्या 336 और 337, पश्चिमः 15 फीट फिर 28 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर – 30 फीट फिर प्लॉट संख्या 324 शालिनी सैनी, दक्षिण – 30 फीट फिर प्लॉट संख्या 324बी।	25.11.2025 30,22,603.26 रुपये (रु.तीस लाख बाईस हजार छह सौ तीन और छब्बीस पैसे मात्र) दिनांक 18.11.2025 तक	09.03.2026

स्थान : मेरठ ,उत्तर प्रदेश **हस्ता/–**
दिनांक: 09.03.2026 **प्राधिकृत अधिकारी,**
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

वसूली अधिकारी का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण–I, दिल्ली,
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली – 110001

बिक्री उद्घोषणा

टीआरसी/117/2022

पंजाब एण्ड सिंध बैंक विरुद्ध अजय कुमार अरुण और अन्य

बैंक और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 के साथ पठित आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत बिक्री की उद्घोषणा

(सीडी1) अजय कुमार अरुण पुत्र श्री कोमिल सिंह
(सीडी2) कोमिल सिंह
दोनों निवासी : डी–409, सेक्टर–71, अवंतिका, रोहिणी, दिल्ली
पता यहां पर भी : सी/ओ विकी कम्युनिकेशन, ए–20/जी–I, ब्लॉक, दिलशाद गार्डन, दिल्ली–110095
पता यहां पर भी : मकान संख्या 1/102, भू तल (पिछला भाग), डीएलएफ एक्सटेंशन–II, भोपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
(सीडी3) राजेश कुमार पुत्र हरि देव, निवासी : जी–205, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली

1. जबकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण–प्प द्वारा ओए संख्या 253/2014 के अंतर्गत हस्तांतरण वसूली प्रमाणपत्र संख्या 117/2022 जारी किया गया है, जो रु. 1858696.00 की वसूली के लिए, लागत और भविष्य के ब्याज (10: प्रति वर्ष की दर से) के साथ, ओ.ए. दाखिल करने की तिथि से, यानी 31/03/2014 से वसूली तक, और देनदारों से प्रमाणपत्र के अनुसार लागत का भुगतान करने के साथ–साथ वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार लागत और प्रभार का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
2. और चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की पूर्ति के लिए नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. और चूंकि इसके अंतर्गत रु. 1858696.00 रुपये की राशि देय होगी, जिसमें लागत और भविष्य का ब्याज (10: प्रति वर्ष की दर से) ओ.ए. दाखिल करने की तिथि से, यानी 31/03/2014 से, इसकी वसूली तक, और प्रमाणपत्र के अनुसार लागत का भुगतान भी करना होगा, इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी भी आदेश के अभाव में, निम्नलिखित संपत्ति/यों की ई–नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी और बोली प्रक्रिया वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से 21/04/2026 को दोपहर 12.00 बजे से अप. 1.00 बजे के बीच "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से होगी, और आवश्यकता पड़ने पर दोपहर 1.00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि का विस्तार दिया जाएगा।
4. ई–नीलामी के लिए प्रस्तावित संपत्ति का विवरण इस प्रकार है :

क्रम संख्या	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1.	संपत्ति क्रमांक 1/102, भूतल (पिछला भाग), डीएलएफ एक्सटेंशन–II, भोपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	रु. 9.50 लाख	रु. 95,000.00

5. ईएमडी का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली के खाते टी.आर.सी. संख्या 117/2022 के नाम पर किया जाएगा। इसके साथ पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए, जिसमें भविष्य के संचार के लिए पता अंकित हो। साथ ही पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति भी जमा करनी होगी। यह भुगतान वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली के कार्यालय में अधिकतम 18/04/2026 को शाम 5.00 बजे से

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life

कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रेस्ट", सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत
शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 कॉन्टैक्ट नंबर : श्री श्रीनिवास वी, मोबाइल नंबर 9643344410

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार / सह–कर्जदार / बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका **सांकेतिक कब्जा** चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई–नीलामी का संचालन वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ एवं www.cholamandalam.com/news/auction-notices के माध्यम से करेंगे।

क्र. सं.	खाता संख्या तथा कर्जदार, सह–कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति / सम्पत्तियों का वर्णन	सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा एवं बोली वृद्धि राशि (रू. में)	ई–नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी जमा की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1.	ऋण खाता सं. **HE01XBU0000100513** **1. स्वास्तिक फील्ड फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक विजय कुमार त्रिपाठी के माध्यम से) (आवेदक)** जीएफ, आर–1 / 1, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, जैन रोड, द्वारका मोड़, उत्तम नगर, दिल्ली– 110059 **2. विजय कुमार त्रिपाठी (सह–आवेदक),** जीएफ, आर–1 / 1, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, जैन रोड, द्वारका मोड़, उत्तम नगर, दिल्ली– 110059 **3. विजय कुमार त्रिपाठी (सह–आवेदक),** मकान नंबर 69ए / 2 / 2ए, मोहल्ला शिवकुटी, आराजी नं. 97, मौजा सादियाबाद चिल्लापट्टी, सदर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश – 211004 **4. अनुराधा पांडे (सह–आवेदक),** जीएफ, आर–1 / 1, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, जैन रोड, द्वारका मोड़, उत्तम नगर, दिल्ली– 110059 **5. अनुराधा पांडे (सह–आवेदक),** मकान नंबर 69ए / 2 / 2ए, मोहल्ला शिवकुटी, आराजी नं. 97, मौजा सादियाबाद चिल्लापट्टी, सदर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश – 211004	11–09–2025 रु. 1,34,53,780.00 **कब्जा का प्रकार** सांकेतिक	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मकान संख्या 69ए / 2 / 2ए, मोहल्ला शिवकृति, परगना एवं तहसील सदर, जनपद प्रयागराज, आराजी संख्या 97, मौजा सादियाबाद चिल्लापट्टी, परगना एवं तहसील सदर, जनपद प्रयागराज, कुल क्षेत्रफल 157.8 वर्ग मीटर, निर्मित क्षेत्रफल 72.00 वर्ग मीटर, सीमा निम्नानुसार है: पूर्व– श्री रतन लाल का मकान, पश्चिम– श्री जावेद अहमद का मकान, उत्तर – 25 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण– श्रीमती ममता सिंह का मकान, एडीए कॉलोनी	रू. 1,30,00,000 /- रू. 13,00,000/ - रू. 1,00,000/-	31–03–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 30–03–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समयानुसार
2.	ऋण खाता सं. **HE01DEF00000010768, HE01DEF00000008459** **1. स्वर्गीय मुकेश कुमार गोयल कानूनी उत्तराधिकारी–शकुंतला गोयल,सागर गोयल और पिंकी गोयल के माध्यम से (आवेदक),** बी–1 / 25, मॉडल टाउन– ।।, दिल्ली–110009 **2. स्वर्गीय मुकेश कुमार गोयल, कानूनी उत्तराधिकारी–शकुंतला गोयल, सागर गोयल और पिंकी गोयल के माध्यम से (आवेदक),** सम्पत्ति संख्या 25 और 26, प्राइवेट फ्लैट नंबर 1, भूतल, ब्लॉक बी–1, कृष्णा अपार्टमेंट, दिल्ली–110009 **3. मैसर्स साई स्टील (इसके पार्टनर सागर गोयल के माध्यम से) (सह–आवेदक),** प्लॉट नंबर 10578 / 25, संकर गली नंबर 2, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली–110055 **4. शकुंतला गोयल (सह–आवेदक), बी–1 / 25, मॉडल टाउन– ।।, दिल्ली–110009** **5. सागर गोयल (सह–आवेदक), बी–1 / 25, मॉडल टाउन– ।।, दिल्ली–110009**	16–05–2025 रु. 2,05,75,811.00 **कब्जा का प्रकार** सांकेतिक	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : ब्लॉक बी–1, मॉडल टाउन– ।।, ग्राम मलकपुर छावनी, किंग्सवे कैंप के पास, मॉल रोड, दिल्ली में स्थित कुल क्षेत्रफल 577 वर्ग गज, प्लॉट / सम्पत्ति संख्या 25 और 26 के प्लॉट एरिया 384.63 वर्ग गज (577 वर्ग गज में से) पर निर्मित सम्पत्ति का भू तल, छत के अधिकार नहीं (बायीं तरफ का पोर्शन)।	रू. 2,00,00,000 /- रू. 20,00,000/ - रू. 1,00,000/-	31–03–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 30–03–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समयानुसार
3.	ऋण खाता सं. **HE01NUL00000048795** **1. नरेन्दर आर उर्फ नरेन्दर राठी (आवेदक),** मकान नंबर 1, ग्राम जाट भुरथल, खलीलपुरी 179 रेवाड़ी, हरियाणा–123401 **2. नरेन्दर आर उर्फ नरेन्दर राठी (आवेदक),** पता : विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, धारूहेड़ा, हरियाणा–123401 **3. नरेन्दर आर उर्फ नरेन्दर राठी (आवेदक),** मकान नंबर 1104 पी, सेक्टर–3, हुडा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा–123401 **4. सरिता एस (सह–आवेदक),** मकान नंबर 1, ग्राम जाट भुरथल, खलीलपुरी 179 रेवाड़ी, हरियाणा–123401 **5. मंजू बाला (सह–आवेदक),** मकान नंबर 1, ग्राम जाट भुरथल, खलीलपुरी 179 रेवाड़ी, हरियाणा–123401 **6. हुकम सिंह राठी (सह–आवेदक),** मकान नंबर 1, ग्राम जाट भुरथल, खलीलपुरी 179 रेवाड़ी, हरियाणा–123401 **7. हुकम सिंह राठी (सह–आवेदक),** मकान नंबर 1104 पी, सेक्टर–3, हुडा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा–123401	16 / 05 / 2025 रु. 1,15,55,477.00 **कब्जा का प्रकार** सांकेतिक	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मकान नंबर 1104 पी क्षेत्रफल परिमाप 161 वर्ग गज, सेक्टर 3, हुडा, तहसील और जिला रेवाड़ी, रकबा–135	रू. 1,57,00,000 /- रू. 15,70,000/ - रू. 1,00,000/-	31–03–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 30–03–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समयानुसार

. आईओएन–नोटिसेज। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीस – 81240 00030), **Ms.procure247** (सम्पर्क व्यक्ति : वासु पटेल – 9510974587)

2. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया **https://chola-lap.procure247.com/** एवं **https://cholamandalam.com/auction-notices** देखें।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस भी है

स्थान : दिल्ली / एनसीआर, रेवाड़ी दिनांक : 05–03–2026 हस्ता. / – प्राधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

पीरामल फाइनेंस लिमिटेड

Piramal Finance

(पूर्व में पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.)
(यहाँ इसके बाद पीएफएल/सुरक्षित लेनदार के रूप में संदर्भित) **CIN: L65910MH1984PLC032639**
पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नं.-601, 6वीं मंजिल, पीरामल अमिति बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070
शाखा कार्यालय: प्लॉट नं.-6, ब्लॉक-ए, सेक्टर 2, उ. प्र.-201301

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)
[प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8-(1) और परिशिष्ट-IV के अनुसार]

जैसाकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पिरामल फाइनेंस लि. (पूर्व में पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत अधिकारी के रूप में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी के अधिकृत अधिकारी के रूप मेंअधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारको / गारंटरो को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें मांग सूचना में वर्णित राशि वापस लौटने का निर्देश दिया थी ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको/ गारंटरो को सूचित किया जाता है की अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13की उप-धारा (4) के तहत नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है विशेष रूप से ऋणधारको और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि के लिए पिरामल फाइनेंस लि. (पूर्व में पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लि.) (इसके बाद पीएफएल/सुरक्षित लेनदार के रूप में संदर्भित) के चार्ज के अधीन होगा।

क्रम सं	ऋणधारक (ओं) / गारंटर का नाम	प्रतिभूत संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं राशि	कब्जे की तिथि
1	(फरीदाबाद शाखा का एलएलएन: BLSA0002D37A) प्रदीप कुमार (ऋणधारक), राजेश गोयल (सह-ऋणधारक 1), सावित्री (सह-ऋणधारक 2)	संपत्ति का वह संपूर्ण हिस्सा और खंड जिसका विवरण इस प्रकार है:- खेवट/खतौनी नं. 2373/2373, खसरा नं. 798(5-11), 815(2-16), 816(7-10), 818(14-4), 819(7-10), 820(10-0), खेवट/खतौनी नं. 2182/2373, रेकट नं. 817(13-0), खेवट/खतौनी नं. 2814/2814, खसरा नं. 786(3-9), 788(5-10), 794(7-7), 797(1-6), 821(5-0), 822(9-9), संजय नमकीन याला, फरीदाबाद, हरियाणा - 121102	दिनांक: 26-09-2025 राशि: रु. 35,58,438/- (रुपये पैंतीस लाख अट्ठावन हजार चार सौ अड़तीस मात्र)	10-03-2026

दिनांक: 11 मार्च, 2026
स्थान: दिल्ली

हस्ता./-(अधिकृत अधिकारी)
पीरामल फाइनेंस लि.

Bank of Maharashtra

कॉर्पोरेट कार्यालय : 134/1, मॉन्टक्लेयर, बाणेर–पाषाण लिंक रोड, पुणे–411021
प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे – 411005 **फोन :** 020 71658139
ई–मेल: investor_services@bankofmaharashtra.bank.in **वेबसाइट :** www.bankofmaharashtra.bank.in

बैंक के शेयरधारकों के लिए नोटिस
वैध नामांकनों की सूची

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 24.02.2026 को प्रकाशित हमारे समाचार पत्र नोटिस और दिनांक 23.02.2026 को जारी नोटिस के संदर्भ में, केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से बैंक के एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए बैंक की असाधारण सामान्य बैठक बुलाई गई थी, बैंक को निम्नलिखित उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें बैंक के निदेशक मंडल द्वारा वैध पाया गया है और 'योग्य और उपयुक्त' का दर्जा दिया गया है :

क्र.	नाम और पता	आयु	शैक्षणिक योग्यता	प्रासंगिक अनुभव / विशेष ज्ञान
1.	**रीना झा त्रिपाठी** 43, ब्लू हेवन, चौथी मंजिल, भाऊसाहेब हायर मार्ग, वर्षा बंगले के सामने, मालाबार हिल, मुंबई–400006	61 वर्ष	एग्जीक्यूटिव एमबीए – आईआईएम बैंगलोर और सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी, यूएसए, बैचलर ऑफ लॉ – मुंबई यूनिवर्सिटी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन – यूनिवर्सिटी ऑफ हल, यूनाइटेड किंगडम, मास्टर्स इन ह्यूमन राइट्स – यूनिवर्सिटी ऑफ पांडिचेरी विद टीआईएसएस, मुंबई, मास्टर ऑफ आर्ट्स – दिल्ली यूनिवर्सिटी।	कराधान, कानून और वित्त
2.	**आलोक जैन** एस–147, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली –110092	55 वर्ष	बैचलर ऑफ कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसएपी सर्टिफिकेशन, पंजीकृत वैल्यूअर (आईबीबीआई)	लेखापरीक्षा, कराधान, वित्तीय परामर्श, मूल्यांकन, बैंकिंग एवं एनबीएफसी और परामर्शी सेवाएं
3.	**रूमा डे** फ्लैट नंबर 1602, ट्राइसिटी नटराज, डॉ. सी.गिडवानी मार्ग, चेंबूर ईस्ट, मुंबई 400071	60 वर्ष	कलकत्ता विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (ऑनर्स), सीएआईआईबी, प्रमाणित एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञ	बैंकिंग और वित्त
4.	**प्रसेनजीत श्रीकृष्ण फड़णवीस** 31/34, रजनीगंधा हाउसिंग सोसाइटी, तुलसीबागवाले कॉलोनी, सहकारनगर नंबर 2, पुणे 411009	52 वर्ष	कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक, एल.एल.बी., साइबर कानून में डिप्लोमा	सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर कानून और विधि

चूंकि एक रिक्ति के लिए चार उम्मीदवारों के पास वैध उम्मीदवारी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठक) विनियम, 2004 के विनियम 66 के अनुसार, बैंक की ईजीएम में चुनाव कराया जाएगा, यह बैठक 23 मार्च, 2026 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जाएगी।
चुनाव के लिए रिमोट वोटिंग बुधवार, 18 मार्च, 2026 को प्रातः 9.00 बजे से रविवार, 22 मार्च 2026 को सायं 5.00 बजे तक और साथ ही, ईजीएम में भी आयोजित की जाएगी।
बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित माना जाएगा।

दिनांक : 10.03.2026
स्थान : पुणे

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र
विशाल सेतिया
कंपनी सचिव

(फार्म नंबर आईएनसी–26)
(कंपनी (इनकॉर्पोरेशन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसार,
केंद्र सरकार उत्तरी क्षेत्र प्रथम बेंच निदेशालय, दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा 4 और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (a) के मामले में
और
M/S CHECK INDIA INFRATECH PRIVATE LIMITED के मामले में, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 177, ब्लॉक-R LGF, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली-110048 पर है।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें शुक्रवार, 6 मार्च 2026 को हुई असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि मांगी गई है, ताकि कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' से 'हरियाणा राज्य' में बदल सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित होने की संभावना है, वह MCA पोर्टल (www.mca.gov.in) पर इन्वेस्टर शिकायत फॉर्म भरकर या अपने आपत्ति पत्र को हलफनामे के साथ, जिसमें उसके हित की प्रकृति और विरोध का आधार बताया गया हो, रीजनल डायरेक्टर को B-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर रजिस्टर्ड डाक से भेज सकता है, जिसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को नीचे दिए गए पते पर उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में भी भेजनी होगी-

रजिस्टर्ड ऑफिस का पता: **177, ब्लॉक-R LGF,** ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 पर है।

CHECK INDIA INFRATECH PRIVATE LIMITED की ओर से

हस्ता./-
बाल किशन अग्रवाल
(निदेशक)
डीआईएन: 01376623
दिनांक: 11 / 03 / 2026
स्थान: नई दिल्ली

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के समक्ष उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I, दिल्ली के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) अधिनियम, 2013 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए)
और
के मामले में
कारी पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एच–3 / 607–608, खसरा नं. 23 / 16, 23 / 24 / 3, जी / एफ, कुंवर सिंह नगर, नियर करण वाटिका, नागलोई दिल्ली वेस्ट दिल्ली–110041, में स्थित है

.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" कम्पनियों के रजिस्ट्रार दिल्ली–II, के अधिकार क्षेत्र से "राजस्थान राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख सोमवार 01 दिसम्बर, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या स्वयं कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

एच–3 / 607–608, खसरा नं. 23 / 16, 23 / 24 / 3, जी / एफ, कुंवर सिंह नगर, नियर करण वाटिका, नागलोई दिल्ली वेस्ट दिल्ली–110041

कृते की ओर से
कारी पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता / – हस्ता / –
(अभिषेक सोमानी) (ब्रज राज सोमानी)
निदेशक निदेशक
डीआईएन : 03014107 03407431
दिनांक : 10.03.2026
स्थान : दिल्ली

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. **NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.** INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED (**"BSE"**) AND "NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (**"NSE"**, AND TOGETHER WITH BSE, THE **"STOCK EXCHANGES"**) IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (**"SEBI ICDR REGULATIONS"**)

PUBLIC ANNOUNCEMENT

KARAMTARA ENGINEERING LIMITED

KARAMTARA

Our Company was incorporated as 'Karamtara Engineering Private Limited' as a private limited company under the Companies Act, 1956 pursuant to a certificate of incorporation dated May 8, 1996, issued by the Additional Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai. Our Company was subsequently converted into a public limited company pursuant to the special resolution passed by our Shareholders on December 9, 2024, and the name of our Company was changed to 'Karamtara Engineering Limited'. A fresh certificate of incorporation dated December 16, 2024 was accordingly issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. For details in relation to changes in the name and registered office of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters – Brief history of our Company"* and *"History and Certain Corporate Matters - Changes in the registered office"* on page 234, respectively, of the draft red herring prospectus dated January 22, 2025 ("**DRHP**").

Registered and Corporate Office: 705, Morya Landmark II, New Link Road, Andheri (West), Mumbai – 400 053, Maharashtra, India
Telephone: +91 22 4071 0000; **Website:** www.karamtara.com; **Contact Person:** Sanjay Khare, Company Secretary, Compliance Officer and Head - Legal; **E-mail:** investors@karamtara.com
Corporate Identification Number: U45207MH1996PLC099333

(Please scan this QR code to view the Draft Red Herring Prospectus)

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY: TANVEER SINGH, RAJIV SINGH, INDERJEET SINGH, INDERJEET TANVEER SINGH TRUST AND INDERJEET RAJIV SINGH TRUST

NOTICE TO INVESTORS ("NOTICE")

In reference to the draft red herring prospectus dated January 22, 2025 ("DRHP"), filed by the Company with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Stock Exchanges on January 23, 2025, and the advertisements for filing the DRHP published in all editions of Financial Express, an English national daily newspaper, all editions of Jansatta, Hindi national daily newspaper, and Mumbai Edition of Navshakti, a marathi daily newspaper (Marathi being the regional language of Maharashtra, where our Registered and Corporate Office is located), in relation to the Offer, investors should note the following:

1. **In this regard, we have received an intimation dated March 10, 2026 from Tanveer Singh and Rajiv Singh, the Promoters of the Company, disclosing a transfer of, in aggregate of 858,869 Equity Shares by Tanveer Singh and 1,020,157 Equity Shares by Rajiv Singh by way of secondary sale ("Secondary Sale"). The details of the Secondary Sale are as follows:**

S. No.	Date of transfer*	Name of the transferor	Name of the transferee	Nature of transaction	Number of Equity Shares	Nature of consideration	Face value per Equity Share (₹)	Price per Equity Share (₹)	Percentage of pre-Offer share capital of the Company	Total consideration (₹ in million)	Relationship of transferee with the Company, its Promoters, Promoter Group, Directors, KMPs, Subsidiaries, Group Companies, and the directors and key managerial personnel of the Group Companies and Subsidiaries
1.	March 9, 2026	Tanveer Singh	Ajay Rajkumar Parwaney	Secondary Sale	181,451	Cash	10.00	310.00	0.06%	56.25	Not connected
2.	March 9, 2026	Tanveer Singh	Kayne Patrick Miranda	Secondary Sale	64,516	Cash	10.00	310.00	0.02%	20.00	Not connected
3.	March 9, 2026	Tanveer Singh	Tancom Electronics Private Limited	Secondary Sale	161,290	Cash	10.00	310.00	0.06%	50.00	Not connected
4.	March 9, 2026	Tanveer Singh	Subhash Agarwal	Secondary Sale	32,258	Cash	10.00	310.00	0.01%	10.00	Not connected
5.	March 9, 2026	Tanveer Singh	Rajat Agrawal	Secondary Sale	64,516	Cash	10.00	310.00	0.02%	20.00	Not connected
6.	March 9, 2026	Tanveer Singh	Yogesh Arjundas Kripalani	Secondary Sale	32,258	Cash	10.00	310.00	0.01%	10.00	member of the senior management of the Company
7.	March 9, 2026	Tanveer Singh	Akshay Kishore Tanna	Secondary Sale	322,580	Cash	10.00	310.00	0.11%	100.00	Not connected
8.	March 9, 2026	Rajiv Singh	Ajay Rajkumar Parwaney	Secondary Sale	463,709	Cash	10.00	310.00	0.16%	143.75	Not connected
9.	March 9, 2026	Rajiv Singh	Rishi Rajendra Darda	Secondary Sale	80,644	Cash	10.00	310.00	0.03%	25.00	Not connected
10.	March 9, 2026	Rajiv Singh	Karan Rajendra Darda	Secondary Sale	80,644	Cash	10.00	310.00	0.03%	25.00	Not connected
11.	March 9, 2026	Rajiv Singh	Percy Chowdhry	Secondary Sale	322,580	Cash	10.00	310.00	0.11%	100.00	Not connected
12.	March 9, 2026	Rajiv Singh	Govind Kripa Enclave LLP	Secondary Sale	32,258	Cash	10.00	310.00	0.01%	10.00	Not connected
13.	March 9, 2026	Rajiv Singh	Aayush Maloo	Secondary Sale	40,322	Cash	10.00	310.00	0.01%	12.50	Not connected
Total					**1,879,026**				**0.64%**	**582.50**	

** The date of transfer has been considered as the date of debit of Equity Shares from the account of the transferor.*

2. Please note that this Notice does not purport to, nor does it, reflect all the changes that have occurred from the date of filing of the Draft Red Herring Prospectus and the date of this Notice. Accordingly, this Notice does not include all the changes and/or updates that will be included in the Red Herring Prospectus and the Prospectus. Please note that the information included in the Draft Red Herring Prospectus will be suitably updated, including to the extent updated by way of this Notice, as may be applicable, in the Red Herring Prospectus and the Prospectus. Investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus or this Notice for any investment decision, and should read the Red Herring Prospectus, as and when it is filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges before making an investment decision with respect to the Offer.

All capitalized terms used in this Notice shall, unless the context otherwise requires, have the same meaning as ascribed in the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE OFFER
JM Financial	ICICI Securities	IIFL CAPITAL	MUFG
JM Financial Limited 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi Mumbai - 400 025, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 6630 3030 **Email:** karamtara.ipo@jmfl.com **Website:** www.jmfl.com **Investor Grievance ID:** grievance.ibd@jmfl.com **Contact Person:** Prachee Dhuri **SEBI Registration Number:** INM000010361	**ICICI Securities Limited** ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025 Maharashtra, India **Tel:** +91 22 6807 7100 **Email:** karamtara.ipo@icicisecurities.com **Website:** www.icicisecurities.com **Investor Grievance ID:** customercare@icicisecurities.com **Contact Person:** Ramesh Vaswana/ Abhijit Diwan **SEBI Registration Number:** INM000011179	**IIFL Capital Services Limited** *(formerly known as IIFL Securities Limited)* 24th Floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 4646 4728 **Email:** karamtara.ipo@iiflcap.com **Website:** www.iiflcapital.com **Investor Grievance ID:** ig.ib@iiflcap.com **Contact Person:** Dhruv Bhavsar / Pawan Kumar Jain **SEBI Registration Number:** INM000010940	**MUFG Intime India Private Limited** *(Formerly Link Intime India Private Limited)* C-101, Embassy 247, L B S Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083, Maharashtra, India **Tel:** +91 810 811 4949 **E-mail:** karamtara.ipo@in.mpms.mufg.com **Investor grievance e-mail:** karamtara.ipo@in.mpms.mufg.com **Website:** www.in.mpms.mufg.com **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration No.:** INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **KARAMTARA ENGINEERING LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sanjay Khare
Company Secretary, Compliance Officer and Head - Legal

Place: Mumbai
Date: March 10, 2026

KARAMTARA ENGINEERING LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated January 22, 2025, with SEBI and the Stock Exchanges on January 23, 2025. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.karamtara.com; and on the websites of the Book Running Lead Managers ("**BRLMs**"), i.e. JM Financial Lim

Protium — प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड)

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय का पताः 7वीं मंजिल, ब्लॉक बी2, फेज-1, निर्लोन नॉलेज पार्क, पहाड़ी विलेज, ऑफ. वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कामा इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगांव (ई), मुंबई-400063, महाराष्ट्र

कब्जा सूचना (धारा 13(4) के तहत और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) ("इसके बाद प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड" कहा गया है) के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम,2002के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 2 जनवरी 2026 **जारी कर ऋणधारको परमेश्वर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, इसके प्रोपराइटर परमेश्वर सिंह, पुत्र शिवराज सिंह के माध्यम से, और सह-ऋणधारकोः 1. सुनीता देवी, पत्नी परमेश्वर सिंह, 2. विशाल कुमार सिंह, पुत्र परमेश्वर सिंह, 3. परमेश्वर सिंह, पुत्र शिवराज सिंह, 4. विकास पटेल, पुत्र परमेश्वर सिंह को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग सूचना में वर्णित 2 जनवरी 2026 तक बकाया राशि ऋण खाता सं. GS094EEL2475698 के संबंध में रु. 24,83,989.44 (चौबीस लाख तिरासी हजार नौ सौ नवासी रुपये और चवालीस पैसे मात्र)** वापस लौटने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13की उप-धारा (4) के तहत आज 10 मार्च 2026को नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय 2 जनवरी 2026 तक बकाया राशि रु. 24,83,989.44 (चौबीस लाख तिरासी हजार नौ सौ नवासी रुपये और चवालीस पैसे मात्र) और उस पर आगे के ब्याज, साथ ही लागतों, शुल्कों और खर्चों की वसूली के लिए प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्व मे अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति जो आराजी सं. 354, क्षेत्रफल 0.064 हेक्टेयर में से 520 वर्ग फुट यानी 48.327 वर्ग मी. है, जो मौजा-गरौडी, परगना-भुडली, तहसील-चुनार, जिला-मिजार्पुर में स्थित है, जिसमे संपत्ति से जुड़े अन्य सभी अधिकार, भवन, सुधार और सुखाचा भी शामिल हैं, का संपूर्ण हिस्सा और खंड सीमाएं (बिक्री विलेख के अनुसार): पूर्वः राहुल, छोटू, अजय और विजय का मकान, पश्चिमः पारस का मकान, उत्तरः जसवंत सिंह का मकान, दक्षिणः अदलहाट से शेरवा मार्ग

दिनांकः 10 मार्च 2026 — हस्ता./- प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के लिए
स्थानः इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश — अधिकृत अधिकारी

UGRO CAPITAL — यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड
चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्ति(ओं) ["प्रतिभूत परिसंपत्ति(ओं)"] की बिक्री के लिए 30 दिनों का ई-नीलामी बिक्री नोटिस इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित सुरक्षित परिसंपत्ति(एँ) जो यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड ("सुरक्षित लेनदार") को बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, के नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से सुरक्षित लेनदार को देय राशि और भुगतान की तिथि तक उस पर आगे ब्याज और अन्य खर्चों इत्यादि की वसूली हेतु "जैसा है वैसा" और "जैसा है जहाँ है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे उल्लिखित तारीख और समय पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, बयाना जमा राशि (ईएमडी) और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि का उल्लेख भी नीचे किया गया है:

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का विवरण	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण	नीलामी का विवरण	
1	1 मैसर्स नीरू फूड्स 2. मेसर्स नीरू एंटरप्राइजेज 3. प्रभात कुमार गुप्ता 4. निरिका गुप्ता 5. अभिशके गुप्ता 6. संध्या गुप्ता लैन : UGLOWSS0000065709	मकान नं.एससी/एफ-044 प्लॉट नं. एफ-044 पर निर्मित क्षेत्रफल-210.34 वर्ग मी. साउथ सिटी में, रायबरेली रोड, जिला - लखनऊ सीमाएं: उत्तर -9.0 मीटर सड़क, दक्षिण - प्लॉट नं.023, पूर्व-12.0 मी. सड़क, पश्चिम -प्लॉट नं.043	आरक्षित मूल्य ईएमडी ईएमडी जमा की अंतिम तिथि नीलामी की तिथि	रु. 1,65,00,000 रु. 16,50,000 06.04.2026 07.04.2026

कृपया ध्यान दें कि नीलामी का समय सुबह 11 बजे से 01 बजे के बीच होगा जिसमें रुपये का वृद्धिशील मूल्य 1,00,000/- होगा। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट **www.ugrocapital.com** पर दिए गए लिंक पर जाएं या अधोहस्ताक्षरी से **authorised.officer@ugrocapital.com** पर संपर्क करें।

स्थान : लखनऊ — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांक : 11.03.2026, — यूग्रो कैपिटल लिमिटेड

कब्जा सूचना

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (2) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिनमें उधारकर्ताओं से उनके नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर ब्याज सहित भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित, भविष्य में लागू ब्याज सहित उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है।

क्र. सं.	ऋण सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया राशि (रु. में)	तिथि/समय और कब्जे का प्रकार
1	32029420000186 & 32029410000220	1) श्रीमती सितारा बेगम (आवेदक), 2) श्री यामिन (सह-आवेदक) 3) श्री बालिदीन (सह-आवेदक)	16.12.2025 रु. 14,40,317/- (रु. चौदह लाख चालीस हजार तीन सौ सत्रह मात्र) दिनांक 11.12.2025 तक	09.03.2026 समय, अपरा. 02:45 बजे सांकेतिक कब्जा

सुरक्षित संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति/भूखंड का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 0-13 मार्लास खेवत नं.324 मिन में शामिल, खातौनी नंबर 447 मिन (न्यू खेवत नंबर 493, खातौनी नंबर 612 मिने), खसरा नं.145, गांव गादी कोख्या, एचबी नं.245, तहसील रायपुर रानी, जिला पंचकुला (अधिक विशेष रूप से स्थानांतरण विलेख संख्या 4017, दिनांक 21.12.2021 और दस्तावेज संख्या 523, दिनांक 01-12-2000 में वर्णित) श्री यामिन पुत्र श्री सुकर्दीन के स्वामित्व में

जबकि ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः पंचकुला — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,
तिथिः 11.03.2026 — कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोमलूर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बैंगलोर-560071। शाखा कार्यालयः 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

HDB FINANCIAL SERVICES — एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना
पंजीकृत कार्यालय : "राधिका", द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड-380009

शाखा कार्यालय : प्रथम तल, 407, ग्वालियर रोड, मिशन कम्पाउण्ड, झांसी, उत्तर प्रदेश-284003

आप अधोलिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा जमानतियों ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से ऋण/वित्तीय सुविधाएँ ग्रहण कीं और उनके पुनर्भुगतान में चूक की। आपकी चूक के परिणामस्वरूप ऋण को नॉन-पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात कम्पनी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियो तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत, जिसकी विषय-सामग्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इसके साथ प्रकाशित किये जा रहे हैं और आपके पास वैकल्पिक सेवा के रूप में माँग सूचना निर्गत की है। कर्जदारों, सह-कर्जदारों, ऋण खाता सं., ऋण की राशि, धारा 13(2) के तहत माँग सूचना, तिथि, सूचना में दावाकृत राशि, एनपीए तिथि तथा प्रतिभूतियों का विवरण नीचे दिया गया है :

(1) **कर्जदार और सह-कर्जदारः** 1. **जय माँ कैमासन स्टील वर्क्स** पता-शॉप नं. 1 निकट ज्ञान स्थली स्कूल शिवाजी नगर झांसी झांसी-284001 उत्तर प्रदेश और साथ ही एक मकान नं. 1415 और नया नं. 4120 जिसका क्षेत्रफल 569.25 वर्ग फुट = 52.90 वर्ग मीटर (आराजी संख्या 327 का हिस्सा) है, जो मौजा झाँसी-284001 पर स्थित है और साथ ही एक मकान नं. 1514 और नया नं. 3816 जिसका क्षेत्रफल 696.04 वर्ग फीट = 64.69 वर्ग मीटर (आराजी संख्या 327 का हिस्सा) मौजा झाँसी-284001 पर स्थित है, 2.भारती कुशवाह पता- 377/2 खुशीपुरा झाँसी झाँसी-284001 उत्तर प्रदेश 3.तुलसी दास कुशवाह पता- 377/2 खुशीपुरा झाँसी झाँसी झाँसी-284001 उत्तर प्रदेश, 4. संजय कुशवाह पता- 377/2 खुशीपुरा झाँसी झाँसी झाँसी-284001 उत्तर प्रदेश (2) ऋण खाता संख्याः 43247347 (3) ऋण राशिः-रु.2500/- (रुपये पच्चीस लाख मात्र) (4) प्रतिभूति बंधक संपत्ति का विस्तृत विवरणः प्रतिभूतियों की अनुसूची क मकान नंबर 1514 का समस्त भाग, और नया नं. 3815 जिसका क्षेत्रफल 696.04 वर्ग फीट = 64.69 मीटर है (आराजी नंबर 327 का हिस्सा) मुजा सीमा ताइपुरा शिवाजी नगर तहसील और जिला झाँसी में स्थित है। सीमाएं : पूर्व - गुप्ता जी की भूमि, पश्चिम - सड़क 40 फीट, उत्तर - अम्बा भवन, उसके बाद पार्क, दक्षिण - शांति देवी का घर, प्रतिभूतियों की अनुसूची कक्ष मकान नं. 1416 का समस्त भाग नया नंबर 4120 (आरजी नंबर 327) और क्षेत्रफल 569 वर्ग फुट = 52.90 वर्ग मीटर, मौजा ताइपुरा आबादी शिवाजी नगर तहसील और जिला झाँसी में स्थित, सीमाएं: पूर्व - विक्रेता की शेष भूमि पश्चिम - सड़क 12.19 उत्तर - बिक्री घर की शेष भूमि, दक्षिण - शांति देवी का घर (5) मांग सूचना दिनांकः 16.02.2026 (6) देय राशि रुपये मेंः रु. 2324380.1/- (रुपये तेईस लाख चौबीस हजार तीन सौ अस्सी और दस मात्र) 11.02.2026 तक और भावी संविदात्मक ब्याज आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक।

1. अतः आप कर्जदार/सह-कर्जदारों तथा जमानतियों को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज सहित ऊपर उल्लिखित माँग राशि का इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल होने पर एचडीबीएफएस का प्राधिकृत अधिकारी ऊपर उल्लिखित प्रतिभूतियों के प्रवर्तन हेतु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा।
2. कृपया ध्यान दें कि, उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार बंधककर्ता/कर्जदार को एचडीबीएफएस की सहमति के बिना बिक्री, पट्टे, लीव और लाइसेंस के माध्यम से या अन्यथा उपरोक्त उल्लिखित प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से रोका जाता है।
3. किसी भी प्रश्न या पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए, कृपया संपर्क करें: 1. श्री सुरेंद्र शर्मा संपर्क नंबर-9171491111 (संग्रह प्रबंधक), 2. श्री व्लेनय राठौड़ (कानूनी प्रबंधक), मोबाइल-8827331033 और श्री अंकुश विश्वकर्मा (कानूनी सहयोगी), मोबाइल- 9752712456, (कानूनी सहयोगी) एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

स्थान : उत्तर प्रदेश — ह./-
तिथि : 10.03.2026 — अधिकृत प्राधिकारी

BOI — बैंक ऑफ़ इंडिया — कृष्णा नगर शाखा
ए-1/11, कृष्णा नगर, दिल्ली 110051
फोन 011-22003511,22003512
ई-मेल: KrishnaNagar.Newdelhi@bankofindia.co.in

प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051

परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] देखें
कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **कृष्णा नगर शाखा, बैंक ऑफ इंडिया,** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक **30.12.2024** को एक माँग नोटिस जारी करके **श्री हर्ष कुमार धवन और श्रीमती शकुंतला धवन** को नोटिस में वर्णित बकाया राशि **रु.7,10,229.12/- (रुपये सात लाख दस हज़ार दो सौ उनतीस और बारह पैसे) + 26.11.2025 से लागू ब्याज,** उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने को कहा गया था।

ऋणीओं द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणीओं और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के तहत, सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा दिनांक **6 मार्च, 2026** को ले लिया है।

ऋणीओं को विशेष रूप से एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्ति से सम्बन्धित कोई लेन देन न करें तथा संपत्ति में किया गया कोई भी लेन-देन **कृष्णा नगर शाखा, बैंक ऑफ इंडिया** के बकाया राशि **रु.7,10,229.12/- (रुपये सात लाख दस हजार दो सौ उनतीस और बारह पैसे) और उस पर ब्याज व शुल्क** के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधान के तहत, सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्रॉपर्टी का वह सभी भाग व अंश जिसमें दुकान/कार्यालय/यूनिट नंबर 9, पॉकेट-बी, सीएससी नंबर 2, कॉडली घरोली, नयूर विहार फेज-3, दिल्ली-110096 शामिल है, जिसका एरिया 28.060 उजत है और जो श्रीमती शकुंतला धवन के नाम पर है।

चौहद्दीः
उत्तर में : दूसरी प्रॉपर्टी, — दक्षिण में : एंट्रेंस से
पूर्व में : नीचे से खुला रास्ता, — पश्चिम में : शॉप नंबर 10 से

दिनांकः 10.03.2026 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली — बैंक ऑफ इंडिया

कब्जा सूचना

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (2) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिनमें उधारकर्ताओं से उनके नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर ब्याज सहित भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित, भविष्य में लागू ब्याज सहित उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है।

क्र. सं.	ऋण सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया राशि (रु. में)	तिथि/समय और कब्जे का प्रकार
1	33910430000315	1) श्री अंकुश (उधारकर्ता), 2) श्रीमती उषा (सह-उधारकर्ता)	24.11.2025 रु. 4,41,972.10 (रु. चार लाख इकतालीस हजार नौ सौ बहत्तर और पैसे दस मात्र) 20-11-2025 तक	10.03.2026 समयः 11.21 बजे सांकेतिक कब्जा

सुरक्षित संपत्ति का विवरणः संपत्ति विवरणः अचल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आवासीय मकान का क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मी. अर्थात 100 वर्ग गज, खसरा संख्या 2851, 2868 और 2867 से संबंधित मोहल्ला तारापुरी, वार्ड नंबर 71, मेरठ, श्रीमती अफ्रोज बानो, पत्नी समीर अहमद के स्वामित्व में,, सीमाबद्धः उत्तर - 45' / अनीस अहमद, दक्षिण - 45' / मकान असोफ अली, पूर्व - 20' / 10' चौड़ी सड़क, पश्चिम - 20' / प्लॉट फिरदोस बेगम

जबकि ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः मेरठ — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,
तिथिः 11.03.2026 — कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोमलूर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बैंगलोर-560071। शाखा कार्यालयः बेसमेंट, यू.पी टावर, बी 7-8 और जी 7-8, संजय पैलेस, आगरा, उत्तर प्रदेश-282002

कब्जा सूचना

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (2) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिनमें उधारकर्ताओं से उनके नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर ब्याज सहित भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित, भविष्य में लागू ब्याज सहित उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है।

क्र. सं.	ऋण सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया राशि (रु. में)	तिथि/समय और कब्जे का प्रकार
1	46071140000029	1) श्री रफाकत अली (उधारकर्ता), 2) श्री लियाकत अली (सह-उधारकर्ता)	15.12.2025 रु. 18,73,128.44 (रु. अठ्ठारह लाख तिहत्तर हजार एक सौ अट्ठाईस और पैसे चौवालीस मात्र) 11-12-2025 तक	09.03.2026 समयः 04.10 बजे सांकेतिक कब्जा
2	46079420000639	1) मोहम्मद. साकिब एहसान अंसारी (उधारकर्ता), 2) मोह. अकीफ एहसान (सह-उधारकर्ता)	15.12.2025 रु. 19,30,057.39 (रु. उन्नीस लाख तीस हजार सत्तावन और पैसे उनतालीस मात्र) 11-12-2025 तक	09.03.2026 समयः 04.50 बजे सांकेतिक कब्जा

सुरक्षित संपत्ति का विवरणः संपत्ति विवरणः अचल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि गाटा (अराजी) का प्लॉट नंबर 609 आकार 21 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर, मौजा चौल खास, परगना चौल, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश-212202 मोहम्मद साकिब एहसान अंसारी, पुत्र मोहम्मद एहसानुल हक के स्वामित्व में सीमाबद्धः उत्तर - 10 फीट इंटरलॉकिंग, दक्षिण - मोहम्मद नफीस अहमद का मकान, पूर्व - 5 फीट रास्ता, पश्चिम - अराजी का हिस्सा

जबकि ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः प्रयागराज (इलाहाबाद) और कौशाम्बी — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,
तिथिः 11.03.2026 — कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोमलूर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बैंगलोर-560071। शाखा कार्यालयः बेसमेंट, यू.पी टावर, बी 7-8 और जी 7-8, संजय पैलेस, आगरा, उत्तर प्रदेश-282002

Chola — चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंदी, चेन्नई-600032
चंडीगढ़ शाखाः एससीओ. 350-351-352, तीसरी मंजिल, सेक्टर-34-ए, चंडीगढ़-160022
संपर्कः श्री अमित मलिक मोबाइल नं. 93568 61616 एवं श्री विजय दहिया मोबाइल नं. 89507 86420

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) (नियम 8 एवं 9) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी रखी गई हैं, जिसका सांकेतिक कब्जा **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** जिसे इसके बाद **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के रूप में संदर्भित किया जाएगा, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। प्रतिभूत संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से **"जहां है जैसे है अधार", "जो है यही है आधार" तथा "जो कुछ भी है वहीं है आधार"** के आधार पर की जाएगी।

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट **https://chola-lap-procure247.com/ तथा www.cholamandalam.com/news/auction-notices** के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

खाता सं. तथा कर्जदार, सह-कर्जदार, बंधककर्ताओं के नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना के अनुसार तिथि तथा राशि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि तथा संविदा वृद्धि राशि (रु. में)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
ऋण खाता संख्या **HE01CIG00000053922** कर्जदार और सह-कर्जदारः- 1. **धर्म सिंह पुत्र संतोख सिंह** 2. **जगजीत कौर पत्नी धर्म सिंह** **दोनों निवासीः** मकान नंबर 1, सिग्मा सिटी 2, डेरा बस्सी, तहसील डेरा बस्सी, एसएएस नगर, 140603.	10.04.2025 एवं 10.04.2025 तक रु. 20,34,836/- तथा उस पर अतिरिक्त ब्याज और शुल्क	सिग्मा सिटी ग्राम लोहगढ़, तहसील डेराबस्सी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पंजाब में स्थित वाणिज्यिक प्लॉट नंबर 25, भूमि माप 1 मरला 8 सरसाही (56 वर्ग गज) का समस्त भाग। विक्रय पत्र वसीका नं. 8331 दिनांक 17.08.2011 द्वारा पंजीकृत। उत्तरः पार्किंग, दक्षिणः सड़क, पूर्वः अन्य मालिक, पश्चिमः अन्य मालिक, जैसा कि विक्रय पत्र में उल्लिखित है।	रु. 52,00,000/- रु. 5,20,000/- रु. 1,00,000/-	21.04.2026 बजे प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक 20.04.2026, प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक अनुमति के अनुसार

यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिवसीय सांविधिक बिक्री सूचना भी है

1. सभी इच्छुक प्रतिभागी/बोलीदाता कृपया वेबसाइट **https://chola-lap.procure247.com/** तथा **https://www.cholamandalam.com/news/auction-notices** देखें।
2. विवरण और सहायता के लिए संभावित बोलीदाता सम्पर्क करें : मुहम्मद रहीस - 8124000030/

SIDH MANAGEMENT CORPORATE SERVICES LTD.

CIN: L65999DL1985PLC019846
Regd. Office : E - 253, SaraswatiKunj Apartments 25, I.P. Extension,Patparganj New Delhi-110092, Phone: + 011-22731509
Email: info@sidhmanagement.in,Website: www.sidhmanagement.in

SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SECURITIES

NOTICE is hereby given to inform all the Shareholders that, pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026, a special window of one year shall be open from February 05, 2026 to February 04, 2027, has been introduced to facilitate transfer and Dematerialization of physical securities which were sold / purchased prior to April 01, 2019.

The said Special window shall also be available for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected / returned / not attend to due to deficiency in the documents / process/ or otherwise.

Further, the securities so transferred shall be mandatorily credited to the transferee only in demat mode and shall be under lock in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such Securities shall not be transferred/ lien-marked/ pledged during the said lock in period.

The applicability of this special window is clarified in the referred SEBI circular, which is available on the Company's website at https://www.sidhmanagement.in/along with this Notice to Investors.

Eligible investors are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA), M/s. Adroit Corporate Services Private Limited, within the above-mentioned period at their office: 19-20 Jaferbhoy Ind. Estate, Makwana Road, Marol, Andheri (E), Mumbai - 400 059 Tel: 022-42270400 Fax: 022-28503748 Email: info@adroitcorporate.com.

Shareholders are further requested to update their KYC details, including PAN, email ID, address, mobile number, and bank details, with the Depository Participant (DP) if shares are held in demat form, or with the RTA if shares are held in physical form.

Alternatively, shareholders may reach out to us at info@sidhmanagement.in.

For Sidh Management Corporate Services Limited
Sd/- **Pradeep Soni**
Company Secretary and Compliance Officer
M. No. A25181

Place: New Delhi
Date: 10.03.2026

श्रीराम फाइनैंस लिमिटेड

प्रधान कार्यालय : वोक्हार्ट टावर्स, लेवल–1, ईस्ट विंग सी–2 ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बान्द्रा ईस्ट), मुंबई–400051, टेलीफोन : +91 4060 3100
वेबसाईट : http://www.shriramfinance.in
पंजीकृत कार्यालय : श्री टावर्स, प्लॉट नं. 14ए, साउथ फेज इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई 600 032
शाखा कार्यालय : नंबर 24 बीबी, प्रथम तल, एरीना स्क्वायर, सेक्टर–बी, स्लाइस नंबर 5, स्कीम नंबर 78, ए.बी. रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश–452001.

शुद्धिपत्र

कृपया नई दिल्ली समाचार पत्र दिनांकित **03–02–2026** में प्रकाशित ऑनलाइन भौतिक कब्जा विज्ञापन के संदर्भ में देखें

कर्जदार का नाम : श्री अनिल सागर एवं श्रीमती बिन्नी गाबा एवं श्री सुनील सागर कृपया ऋण संख्या RSAGRLP2210060005 के स्थान पर RSSDLLP2210070001 के रूप में पढ़ें

त्रुटि के लिए खेद है,
प्रकाशित अन्य सभी सामग्री पूर्ववत रहेगी।

स्थान : दिल्ली हस्ता./– **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि : 11–03–2026 **श्रीराम फाइनैंस लिमिटेड**

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, आगरा अल्पकालीन ई–निविदा सूचना, दिनांक 10.03.2026 अधोहस्तामारी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु पृथक निविदा दो भागों (पार्ट। टेक्निकल बिड एवम पार्ट–।। फाइनेंशियल) में आमंत्रित की जाती है। निविदा संख्या एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण 1. अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या 57/वि०जा०मं/आगरा/2025–26:– 132 केवी० उपकेन्द्र एत्मादपुर पर 01 अद्द मैसर्स स्पार्क ब्रेसन डब्ल्यू0टी0ई, प्रा० लि० हेतु 132 के०वी० 'बे' के निर्माण सम्बन्धी जानपदीय कार्य। कार्य की अनुमानित लागत:– रु० 22.01 लाख (जी०एस०टी० अतिरिक्त), कार्य अवधि:– 04 माह उक्त निविदा की Technical Bid एवम् अन्य शर्तें तथा मात्रा बीजक इत्यादि का विस्तृत विवरण www.upptcl.org पर देखा जा सकता है एवम् http://etender.up.nic.in साइट पर देखा एवम् प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 27.03.2006 की दोपहर 12:00 बजे तक साइट पर डाला/अपलोड किया जा सकता है तथा दिनांक 27.03.2026 को 15:00 बजे सार्वजनिक रूप से निविदायें खोली जायेगी। **"राष्ट्र हित में बिजली बचाए'' हस्ता./– अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जानपद पारेषण मण्डल पत्रांक:– 400/वि.जा.पा.मं./आ./निविदा दिनांक: 10/03/2026**

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : प्लॉट – 15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (इसमें आगे "नियमावली" कही गयी है) के नियम 8(5) एवं 9(1) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह–कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) अथवा उनके कानूनी वारिस/सों प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (इसमें आगे प्रत्याभूत लेनदार कही गई है) के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति/यां, जिनका कब्जा प्रतिभूत लेनदार, पंजीकृत कार्यालय पता : छठा तल, प्लॉट नंबर 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–44, गुरुग्राम–122002, CIN: U65922HR1998PL042782 फोन नंबर +91–124–4131800 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदारों, सह–कर्जदारों अथवा गारंटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे वर्णित तिथि को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएंगी। यह बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित स्थान पर की जाएगी।

ऋण खाता नंबर/ एपी नंबर और कर्जदार(रों) /सह–कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों) का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि और राशि	कब्जा की तिथि और प्रकार	सुरक्षित मूल्य	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय
HL34CHLONS000005059346/ AP-10139586 श्री/श्रीमती सगुणा देवी और श्री/श्रीमती बाबू लाल	11–10–24 तथा रु. 5,82,097/– (रूपये पाँच लाख बयासी हजार सत्तानवे मात्र) बोली वृद्धि राशि 10,000/–	भौतिक कब्जा 19–11–2025 कुल बकाया रु. 5,82,097/– (रूपये पाँच लाख बयासी हज़ार सत्तानवे मात्र) 11–10–24 तक बकाया	रु. 3,00,000/– (रूपये तीन लाख मात्र) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रु. 30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र)	23–03–2026 (निरीक्षण का समय : पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक) ईएमडी जमा की अंतिम तिथि 24–03–2026 नीलामी की तिथि एवं समय 25–03–2026 (नीलामी समय : पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक)

अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : पट्टा संख्या 04 मिसल 1/2019–20, खसरा संख्या 21 ग्राम पंचायत रामसनी, पंचायत समिति बिलाड़ा जिला जोधपुर राज 342601 परिमाप क्षेत्रफल 1730 वर्ग फीट, सीमा पूर्व–रास्ता, पश्चिम रास्ता, उत्तर– विद्या देवी पत्नी उदाराम का मकान, दक्षिण– तेजा राम प्रेमा राम राजू राम का मकान

ईएमडी जमा करने का स्थान तथा नीलामी का स्थान : प्लॉट नंबर ए–94, 95 प्रथम तल, अखिलिया विकास योजना, शिव गौरी प्लाजा, जोधपुर–342001, राजस्थान
भुगतान की विधि :– सभी भुगतान इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किया जाएगा।

विस्तृत विवरण और पूछताछ के लिए संलग्न नीलामी बिक्री सूचना या हमारी वेबसाइट www.indiashelter.in देखें अथवा प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें

तिथि : 11–03–2026 स्थान : राजस्थान **वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड**

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : प्लॉट – 15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (इसमें आगे "नियमावली" कही गयी है) के नियम 8(5) एवं 8(6) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह–कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) अथवा उनके कानूनी वारिस/सों प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (इसमें आगे प्रत्याभूत लेनदार कही गई है) के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति/यां, जिनका कब्जा प्रतिभूत लेनदार, पंजीकृत कार्यालय पता : छठा तल, प्लॉट नंबर 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–44, गुरुग्राम–122002, CIN: U65922HR1998PL042782 फोन नंबर +91–124–4131800 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदारों, सह–कर्जदारों अथवा गारंटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे वर्णित तिथि को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएंगी। यह बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित स्थान पर की जाएगी।

ऋण खाता नंबर/ एपी नंबर और कर्जदार(रों) /सह–कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों) का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि और राशि	कब्जा की तिथि और प्रकार	सुरक्षित मूल्य	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय
HL20CHLONS000005067878/ AP-10160281 श्री/श्रीमती लीला देवी और राजेंद्र कुमार	14–जुलाई–2025 तथा रू. 2,81,687/– (रू. दो लाख इक्यासी हजार छह सौ सतासी मात्र) बोली वृद्धि राशि रू. 10,000/–	भौतिक कब्जा 05–03–2026 कुल बकाया रु. 3,38,318/– (रू. तीन लाख अड़तीस हजार तीन सौ अठारह मात्र) 05–03–2026 तक देय + आगे ब्याज और अन्य शुल्क	रु. 4,29,800/– (रूपये चार लाख उन्तीस हजार आठ सौ मात्र) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रु. 42,980/– (रूपये बयालीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र)	13–04–2026 (निरीक्षण का समय : पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक) ईएमडी जमा की अंतिम तिथि 15–04–2026 नीलामी की तिथि एवं समय 16–04–2026 (नीलामी समय : पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक)

अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : पट्टा नंबर 14 ग्राम पंचायत मोखेरी फलोदी जोधपुर राजस्थान 342301, सीमा : – पूर्व : परम चंद/राम चंद, पश्चिम : स्व भूमि, उत्तर : रास्ता, दक्षिण : मकान सीता राम गणेश/पाबू दान

ईएमडी जमा करने का स्थान /नीलामी का स्थान : प्लॉट नंबर 287, भू तल, आदर्श नगर, फलोदी, जोधपुर, राजस्थान–324301
भुगतान की विधि :– सभी भुगतान इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किया जाएगा।

विस्तृत विवरण और पूछताछ के लिए संलग्न नीलामी बिक्री सूचना या हमारी वेबसाइट www.indiashelter.in देखें अथवा प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें

तिथि : 11–03–2026 स्थान : राजस्थान **वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड**

"फार्म नं. आईएनसी–26"

(कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,
उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I, के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा 4 और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के उपबंध (क) के मामले में
और
एसजीडीएम प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U45200DL2007PTC171668)
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : जी–96, ग्राउंड फ्लोर, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली, दिल्ली–110015 इंडिया में है के मामले में

.....याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी 07.01.2026 को आयोजित असाधारण बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" कम्पनियों के रजिस्ट्रार दिल्ली–I, के अधिकार क्षेत्र से "हरियाणा राज्य" में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी के संस्था के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र निदेशालय–I, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेंगा।

एसजीडीएम प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U45200DL2007PTC171668)
जी–96, ग्राउंड फ्लोर, मानसरोवर गार्डन,
नई दिल्ली, दिल्ली–110015
ईमेल : honeyestate@yahoo.com
फोन नं. : +91 9818129298

कृते एसजीडीएम प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/–
दिनांक : 11.03.2026 कुश अरोड़ा
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 11154139

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक
के समक्ष उत्तरी क्षेत्र निदेशालय–I, नई दिल्ली,
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के खंड (ए) के मामले में
और
रॉयल इंफ्रारियलिटी प्राईवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एल305, दुआ कॉम्प्लेक्स, 24, वीर सावरकर ब्लॉक शकरपुर, विकास मार्ग, नई दिल्ली–110092, में स्थित है

.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कम्पनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कम्पनियों के रजिस्ट्रार दिल्ली–I, के अधिकार क्षेत्र से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख सोमवार, 02 मार्च, 2026 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र निदेशालय–I, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

एल305, दुआ कॉम्प्लेक्स, 24, वीर सावरकर ब्लॉक शकरपुर, विकास मार्ग, नई दिल्ली–110092.

कृते आवेदक के लिए और उनकी ओर से
रॉयल इंफ्रारियलिटी प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/–
स्थान : 02.03.2026 प्रसहेश आर्य
दिनांक : दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 00006507

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्ति(ओं) ["प्रतिभूत परिसंपत्ति(ओं)"] की बिक्री के लिए 30 दिनों का ई–नीलामी बिक्री नोटिस इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित सुरक्षित परिसंपत्ति(ऐं) जो यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड ("सुरक्षित लेनदार") को बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, के नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से सुरक्षित लेनदार को देय राशि और भुगतान की तिथि तक उस पर आगे ब्याज और अन्य खर्चों इत्यादि की वसूली हेतु "जैसा है वैसा" और "जैसा है जहाँ है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे उल्लिखित तारीख और समय पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, बयाना जमा राशि (ईएमडी) और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि का उल्लेख भी नीचे किया गया है:

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का विवरण	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण	नीलामी का विवरण	
1	1. बाबा जी ट्रेडर्स 2. अनीता कुमारी 3. रेखा वाधवा 4. प्रदीप कुमार वाधवा 5. देवेन्द्र वाधवा 6. अंशुल वाधवा लैन: UGDELSS0000045901	छत के अधिकार के साथ पहली मंजिल, क्षेत्रफल 420 वर्ग फुट (अर्थात दुकान संख्या 4 और 5 पर निर्मित) प्लॉट नंबर 1ई–15, बी–पी का हिस्सा, न्यू टाउनशिप फरीदाबाद, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा	आरक्षित मूल्य	रु. 1,60,00,000
		ईएमडी	रु. 16,00,000
		ईएमडी जमा की अंतिम तिथि	10.04.2026
		नीलामी की तिथि	13.04.2026

कृपया ध्यान दें कि नीलामी का समय सुबह 11 बजे से 01 बजे के बीच होगा जिसमें रुपये का वृद्धिशील मूल्य 1,00,000/– होगा। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट **www.ugrocapital.com** पर दिए गए लिंक पर जाएं या अधोहस्ताक्षरी से **authorised.officer@ugrocapital.com** पर संपर्क करें।

स्थान : फरीदाबाद, हरियाणा हस्ता/– **प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांक : 11.03.2026 **यूग्रो कैपिटल लिमिटेड**

IndusInd Bank

क्षेत्रीय कार्यालय: IndusInd Bank Ltd., No. 34, G.N. Chetty Road, Chennai-600017, www.indusind.com
Ph: 0442834600 28346301 Fax: 04428346312

अचल सम्पत्तियों के ई–नीलामी हेतु नीलामी नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के परन्तुक के साथ पठित, **वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002** के अधीन अचल सम्पत्तियों के **ई–नीलामी** (E-Auction) **हेतु निलामी नोटिस:**

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/प्रभारित है, का भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को जैसी है,जहाँ है, जो है जैसी है और जो कुछ भी है वहां है के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंन्टरों और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत– दाता इण्डसंइड बैंक लि० से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपये की बकाया राशी की वसूली हेतु दिनांक **22/03/2026** को निलाम किया जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम राशी निम्न वर्णितानुसार होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का बैंक कब्जा का विवरण	ऋणधारक व सह–ऋणी का विवरण	प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूति ऋण लोन खाता की तारीख व राशि पुनर्भावन उक्त प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 13(2)	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि
बैंक का भौतिक कब्जा, का दिनांक 27/06/2025 से	उधारकर्ता– **महिराम बिश्नोई C/o भगवाना राम बिश्नोई** सह–उधारकर्ता – **श्रीमति सरोज C/o श्री महिराम बिश्नोई** Loan A/C No. RDK05019M	संपत्ति :– प्लॉट नम्बर 130] सुरज विहार बी, लेधा कॉलोनी, करणीसर, बिकानेर, राजस्थान एरिया का क्षेत्रफल 1705.5 वर्गफिट में स्थापित (जैसी है जहां है,जो है जैसी है और कुछ भी है वहां है) के आधार पर	दिनांक– 29/04/2022 को **राशि** रु. 16,69,339.62/– (सोलह लाख उन्सहत्तर हजार तीन सो उनसठ और बासठ रूपये मात्र + **भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे, इत्यादि**	आरक्षित मूल्य ₹ 18,70,995/– धरोहर राशि ₹ 1,87,100/–

नियम एवं शर्तें:– (1) बोली दस्तावेज, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी https://www.indusind.com या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध हैं। (2) निविदा दस्तावेज जमा करने के साथ–साथ बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10% राशि भी जमा करनी होगी। उस बैंक ने आरक्षित मूल्य और उल्लिखित बयाना राशि जमा (ईएमडी) तय कर दी है, इसे केवल आईएमपीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी **और डिमांड ड्राफ्ट** (D.D.) के माध्यम से "होमज़ इंडसइंड पूलिंग ए.सी. (सीएचडी)" खाता संख्या 000735564611059. आईएफएससी: **आईएनडीबी0000007** के पक्ष में **21/03/2026** - दोपहर 4 बजे तक जमा किया जाएगा। और शाखा का पता: नंबर 3, विलेज रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नई-600034। (3) सफल बोली लगाने वालो को बिक्री मूल्य का 25% भुगतान और जमा करना होगा (बोली के साथ पहले से भुगतान की गई 10% राशि कम) यानी खरीदार को ई–नीलामी की तारीख पर बिक्री की पुष्टि पर शेष 15% का भुगतान AFTER SALE COMITEE APPROVAL करना होगा। इसके बाद बिक्री मूल्य की 75% की शेष राशि बिक्री पुष्टिकरण पत्र की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक है, जैसा कि सरफेसी अधिनियम के अनुसार माना गया है। (4) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रक्रिया को स्थगित/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है। (5) इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, टेंडर अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, 122003 हरियाणा। सहायता नंबर: 7291981124,25,26. और संपर्क श्री मिथलेश- 7080804466 सहायता ई–मेल आईडी: support@bankeauctions.com से किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क कर सकते हैं। और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए बैंक अधिकारी Lokesh Kumar- 9672444456 से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक: **11-03-2026** प्राधिकृत अधिकारी
स्थान :– **Jaipur** इंडसइंड बैंक लिमिटेड

स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : डब्ल्यू–39, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–II, नई दिल्ली – 110020,
दूरभाष : (011) 41067060
वेबसाइट : www.swissmilitaryshop.com; ईमेल : investor@swissmilitaryshop.com
(सीआईएन : L51100DL1989PLC034797)

सूचना

एतद्द्वारा कंपनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 (जिसमें समय–समय पर लागू कोई भी वैधानिक संशोधन, परिवर्तन या पुनर–अधिनियमन शामिल है) के साथ पढ़ा जाए और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा ई–वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया आयोजित करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के माध्यम से, अन्य संबंधित परिपत्रों के साथ पढ़ा जाए, जिसमें सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 (एमसीए परिपत्र), एसईबीआई (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 का विनियम 44 शामिल है, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक–2 (जिसमें समय–समय पर लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनर–अधिनियमन शामिल है) के अनुसार, कंपनी ने 13 फरवरी, 2026 की डाक मतपत्र सूचना, स्पष्टीकरण विवरण ('सूचना') दूरस्थ ई–मतदान निर्देशों के साथ, मंगलवार, 10 मार्च, 2026 को नीचे उल्लिखित प्रस्ताव के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त करने हेतु, केवल उन सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेज दी है जिनके ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम शुक्रवार, 6 मार्च, 2026 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, एमसीए परिपत्रों के अनुसार।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dil-rjcorp.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

मद सं	प्रस्ताव का प्रकार	प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण
1	विशेष प्रस्ताव	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य में स्थानांतरित करने और परिणामस्वरूप कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खंड II में परिवर्तन

एमसीए परिपत्रों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, इस डाक मतदान के लिए सदस्यों को सूचना की भौतिक प्रति, डाक मतपत्र प्रारूप और पूर्वभुगतानित व्यावसायिक लिफाफे नहीं भेजे गए थे। तदनुसार, सदस्यों को केवल दूरस्थ ई–मतदान प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करनी होगी।

दूरस्थ ई–मतदान की अवधि शनिवार, 14 मार्च, 2026 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होकर रविवार, 12 अप्रैल, 2026 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) तक रहेगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई–मतदान मॉड्यूल को मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

एक बार किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में अपना वोट बदलने या दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। दूरस्थ ई–मतदान के लिए विस्तृत निर्देश नोटिस में दिए गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करते हुए रविवार, 12 अप्रैल, 2026 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) तक दूरस्थ ई–मतदान के माध्यम से अपना वोट डालें।

सदस्यों के मतदान अधिकार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उन

ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण– दिल्ली
अपार्टमेंट संख्या 318, तृतीय तल, होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021

विविध आवेदन संख्या 120/2025
टीएसए संख्या 356/2022 (डीआरटी–।।, दिल्ली) में

केनरा बैंक — आवेदक/आवेदकों
बनाम
मैसर्स अलीफा एग्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य। — प्रतिवादी/प्रतिवादियों

सूचना

1.	**मैसर्स अलिफा एग्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, अपने अधिकृत व्यक्ति श्री मोहम्मद इरफान कुरैशी के माध्यम से,** जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 248, दूसरी मंजिल, ब्लॉक नंबर 3, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, नई दिल्ली – 110085 में स्थित है।	प्रतिवादी संख्या 1
2.	**डॉ. नसीम कुरैशी पुत्र श्री हंजी इस्लामुद्दीन कुरैशी, अपने प्राधिकरण पत्र/परिसर के माध्यम से,** यूनिट नंबर 248, दूसरी मंजिल, ब्लॉक नंबर 3, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, नई दिल्ली – 110085	प्रतिवादी संख्या 2
3.	**श्री नसीम कुरैशी की पत्नी श्रीमती इरफान कुरैशी, अपने प्राधिकरण पत्र/परिसर के माध्यम से,** यूनिट नंबर 248, दूसरी मंजिल, ब्लॉक नंबर 3, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, नई दिल्ली – 110085	प्रतिवादी संख्या 3

जबकि यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त मामले में डी.आर.टी. के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा **29.05.2025** को प्रस्तुत की गई है और न्यायाधिकरण में पंजीकृत है। मामला इस न्यायाधिकरण के समक्ष **18.02.2026** को सूचीबद्ध किया गया था।

चूँकि न्यायाधिकरण को यह संतुष्टि हो गई है कि आपको सामान्य तरीके से तामील कराना संभव नहीं है, इसलिए, यह सूचना विज्ञापन द्वारा दी जाती है जिसमें आपको **20.03.2026** को इस न्यायाधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अतः सूचित किया जाता है कि यदि उपर्युक्त तिथि को आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो प्रकरण की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी तथा उसका निर्णय कर दिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर से, **आज 24 फरवरी, 2026** को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश से
अनुभाग अधिकारी

FORM NO.14
[See Regulation 33(2)]
रजिस्टर्ड ए/डी, दस्ती द्वारा, अन्यथा प्रकाशन द्वारा

रिकवरी ऑफिसर – I/II का ऑफिस
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (DRT 3)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

मांग सूचना

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत नोटिस।

RC/57/2025 — **06-03-2026**

पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
एसबीओजीएल ऑयल गैस एण्ड एनर्जी लिमिटेड

सेवा में,
(CD1) धरती ऑयल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (डी4)
मिलेनियम बिजनेस सेंटर, दूसरी मंजिल, केबिन नंबर बी 34, कॉर्नर मार्केट, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017

यह बताया जाता है कि **TA/38/2022** में ऋण वसूली अधिकरण (DRT 3) के पीठासीन अधिकारी द्वारा पास किए गए आदेशों के अनुसार जारी किए गए रिकवरी सर्टिफिकेट के अनुसार, **30/11/2018** से वसूली तक पेंडिंग और भविष्य के 13% साधारण ब्याज के साथ **रु. 3197406703.59** (रुपए तीन सौ उन्नीस करोड़ चौहत्तर लाख छः हजार सात सौ तीन तथा पैसे उन्सठ मात्र) की रकम और **रु. 150000 (रुपए एक लाख पचास हजार मात्र)** की लागत आप पर बकाया हो गई है (संयुक्त रूप से और अलग–अलग/पूरी तरह/सीमित रूप से)।

2. आपको नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर ऊपर दी गई रकम का पेमेंट करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर रिकवरी बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों को बकाया कर्ज की रिकवरी एक्ट, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी।

3. आपको अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले एक एफिडेविट पर अपनी संपत्ति की जानकारी देने का आदेश दिया जाता है।

4. आपको आगे की कार्रवाई के लिए **11/03/2026** को सुबह 10:30 बजे नीचे साइन करने वाले के सामने पेश होने का आदेश दिया जाता है।

5. ऊपर बताई गई रकम के अलावा, आपको ये भी देना होगा:
(ए) सर्टिफिकेट / एग्जीक्यूशन की कार्रवाई के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाले समय के लिए ब्याज देना होगा।
(बी) इस नोटिस और वारंट की सर्विस और दूसरी प्रक्रियाओं और बकाया रकम वसूलने के लिए की गई सभी दूसरी कार्रवाई के संबंध में हुए सभी खर्च, चार्ज और खर्च।

इस तारीख को मेरे हस्ताक्षर और ट्रिब्यूनल की मुहर के साथ दिया गया: **06/03/2026**

रिकवरी ऑफिसर, ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (DRT 3)

Criminal Courts Ludhiana
(complaint- 138 negotiable instrument act)
In the court of Ms. Ritika Gupta Judicial Magistrate 1st Class, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs. Bihar Bengal Roadways
CNR NO: PBLD03-034445-2024
COMA/10372/2024
Next Date: 24-03-2026
1. bihar bengal roadways through its authorized signatory anil kumar r/o I C W 614 sanjay gandhi transport nagar, delhi -110036 delhi 2. anil kumar, r/o h no 146 saroop nagar libaspur delhi 110042 delhi Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 24-03-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

COURT NOTICE
In The Court Of Ms. Ritika Gupta Judicial Magistrate - Ist Class Ludhiana
M/s Hero Stels Limited Vs. SD Engineers
CNR NO: PBLD03-073391-2023
Next Date: 26-03-2026
Detail Of Offence:-
Notice To: SD Engineers Tech Private limited 177, sector 24, faridabad haryana c/o S. F auto components private through its directors namely (1) mr. shiv pujan singh (2) smt kusum singh 2) shiv pujan singh director, (DIN NO. 00293322) S.D engineers tech pvt. ltd r/o 110, sector 55, faridabad 121004 haryana 3) kusum singh director, (DIN NO. 00293322) S.D Engineers tech pvt. ltd r/o 110, sector 55, faridabad 121004 haryana- m. no 98109-91908
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 26-03-2026 at 10:00 a.m.
for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=ludhiana
Judicial Magistrate - Ist Class, Ludhiana

पंजाब नेशनल बैंक punjab national bank
एआरएमबी, पूर्वी दिल्ली, पॉकेट–ई, मयूर विहार फेज–2, दिल्ली–110091

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र इस समाचारपत्र में 26.02.2026 को मेसर्स सुभाष चंद खथूरिया के अकाउंट में प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए प्रकाशित ई–नीलामी बिक्री नोटिस के सन्दर्भ में है, इस नोटिस में ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीख 17.03.2026 के बजाय **27.03.2026** पढ़ी जानी चाहिए।
अन्य विवरण यथावत ही रहेंगी।

दिनांक: 10.03.2026 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली — पंजाब नेशनल बैंक

COURT NOTICE (U/o 5 Rule 20 CPC)
IN THE COURT OF Ms. Arya Sharma
Additional Principal Judge, Family Court, Rohtak
Sanjay Kumar S/o Sh. Rammehar Vs. Smt. Renu W/o Sh. Sanjay Kumar
CNR No. HRRH01-010123-2022
Next Date:- 20-04-2026
PUBLICATION ISSUED TO:
Smt. Renu W/o Sh. Sanjay Kumar W.No. 21, near Ramdev Mandir, Anupgarh, Rajasthan. Mob.no. 9466547228, 9875252049, 9509571751
In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s) /respondent(s) should appear in person or through counsel on 20-04-2026 at 10:00 a.m.
For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district notice&district=Rohtak
Additional Principal Judge,
Family Court, Rohtak
Dated, this day of 05-03-2026

Criminal Courts,Jalandhar
IN THE COURT OF Ms. Renuka Kalra JMIC-18, Jalandhar Next Date: 18-04-2026
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://ecourts.gov.in Detail of offence:-
Amrit Malwa Capital Ltd Vs. Deepu Deepu
case no: NACT/6426/2024
CNR No.PBJL03-026989-2024
Proclamation requiring the appearance of a person accused Police station/fir no. division 6/ 138 of negotiable instruments act
Notice To: Deepu deepu : c/o raghuveer prasad r/o 814 bijlipura near hanuman mandir shahjanpur 242001 U.P.
Whereas complaint/case has been made before me that Deepu deepu : c/o raghuveer prasad r/o 814 bijlipura near hanuman mandir shahjanpur 242001 U.P. has committed (or is suspected to have committed) the offence punishable under section 138, of negotiable Instruments Act and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said deepu Deepu cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said Deepu Deepu has absconded (or is concealing himself/ herself to avoid the service of the said warrant); proclamation is hereby made that the said Deepu Deepu is required to appear before this Court (or before me) on 18-04-2026 to answer the said complaint/ case.
JMIC-18, Jalandhar

COURT NOTICE
In The Court Of Sh. Yogesh Gill Judicial Magistrate First Class-20 Jalandhar
Indostar Capital Finance Limited Vs. Prabhat
CNR NO: PBJL03-023668-2024
Next Date: 16-04-2026
NACT/5540/2024
detail of offence:-
Notice To: Prabhat : Arundodhayam Muzahathangu Vilakkupara Ayiranalloor Vilakkupara Kolam Kerla
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 16-04-2026 at 10:00 a.m.
for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Jalandhar
Judicial Magistrate First Class-20 , Jalandhar
dated, this day of 26-02-2026

COURT NOTICE
(U/o 5 rule 20 CPC)
In The Court Of Sh. Ravipal singh Additional Civil Judge (Senior Division), Batala
Punjab National Bank Vs. M/s D. N enterprises etc
CNR NO: PBGDA0-001631-2024
CS/1168/2024 Next date: 18-04-2026
Publication Issued To: (1) M/s D. N enterprises opposite grain market, batala road fatehgarh churian tehsil batala district gurdaspur 143602 through its proprietor nancy goyal 2. nancy goyal d/o sanjeev kumar resident of h. no 13667 ward no 69 street no. 6 parbhat nagar, ludhiana ludhiana tehsil & district ludhiana proprietor of m/s d n enterprises
In above titled case, the defendant (s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent(s) should appear in person or through counsel on 18-04-2026 at 10:00 a.m.
for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Gurdaspur
Additional Civil Judge (Senior Division) Batala
dated, this day of

COURT NOTICE
(U/o 5 Rule 20 CPC)
In The Court Of Sh. BalJinder Singh Maan Principal Judge, Family Court, Shaheed Bhagat Singh Nagar
Kajal Vs. Santosh Kumar Bhagat
CNR NO: PBSB01-001818-2024
Next date: 18-03-2026
HMA/307/2024
Publication Issued To: Santosh Kumar Bhagat S/o Ramesh Bhagat R/o Vill Ismailpur, Distt Hajipur (Bishali) Bihar
In above titled case, the defendant (s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent(s) should appear in person or through counsel on 18-03-2026 at 10:00 a.m.
for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=sbsnagar
Principal Judge, Family Court, Shaheed Bhagat Singh Nagar
dated, this day of

COURT NOTICE
(U/o 5 rule 20 CPC)
In The Court Of Ms. Ritika Gupta Judicial Magistrate - Ist Class Ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs. Ammanya Logistics Pvt Ltd
CNR NO: PBLD03-034632-2024
Next Date: 23-03-2026
Detail Of Offence:-
Notice To: 1) Ammanya Logistics Pvt Ltd Ammanya Logistics Private Limited through its directors, r/o p no. 63 d-1 GF, Kh. no. 1142, b block, gali no. 7 pocket 4, rangpuri, mahipalpur ex delhi, delhi - 110037, delhi 2) abhishek kumar jha director of ammanya logistics private limited r/o durgapuri malighat, muza 1-842001, bihar 3) preeti jha director of ammanya logistics private limited, r/o durga puri, malighat, behind ashirwad hospital, muzaffarpur, near ashirwad hospital muzai- 842001 bihar
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 23-03-2026 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=ludhiana
Judicial Magistrate - Ist Class, Ludhiana

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 6वीं मंजिल, बी–विल्डिंग, गंगा टूनो बिजनेस पार्क, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र – 411014,

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसे इसके बाद उपरोक्त कॉर्पोरेट/पंजीकृत कार्यालय का सुरक्षित लेनदार कहा जाएगा। के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना निम्नवर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें निम्नवर्णित कर्जदारों से सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा नीचे वर्णित दिनांक को ले लिया है।

कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इन सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि और उस पर ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण यहां नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा सूचना की तिथि	सांविधिक मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना में राशि (रु.)
1.	छोटे लाल बंशलाल, बंशलाल सरोज, राम मिलान, दिलावती बंशलाल	भूमि एवं भवन का वह सारा टुकड़ा और अंश जोकि आराजी संख्या 8 (क्षेत्रफल 0.061 है.) और 7 (क्षेत्रफल 0.566 है.) का भाग, कुल 2 गटा कुल क्षेत्रफल 0.627 हेक्टेयर, जिसमें से 220.2479 कारी या 892 वर्ग मीटर या 9594 वर्ग फीट गांव दुमिजोपुर आदमपुर, परगना देवगांव, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़, यूपी नीचे दिए अनुसार परिबद्ध: उत्तर: बंशलाल की भूमि और शंकर का प्लॉट, दक्षिण: रामदराश की भूमि, पूर्व: सड़क 70 फीट चौड़ी, बंशलाल की भूमि	05/03/2026	11/12/2025	ऋण सं. LAP06882000000005041455 रु. 13,30,676/- (रु. तेरह लाख तीस हजार छह सौ छिहत्तर मात्र) 11.12.2025 तक देय, साथ ही वसूली तक @18.85 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित
2.	राहुल गुप्ता, मीना गुप्ता	संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल जोकि अबादी एन 421 क्षेत्रफल 0.024 हेक्टेयर जिसमें से 0.010 हेक्टेयर या 025 कारी वर्ग फिट या 1090 वर्ग मीटर गांव काकराही दुलार परगना सागरी तहसील सागरी जिला आजमगढ़ यूपी सीमाएं: उत्तर – खरंजा रोड, दक्षिण – बाग हौसिला विद सूर्यभ–हान और सभाजीत, पूर्व – हाउस ऑफ हौसिला विद सूर्यभान सिंह, पश्चिम – पोखरी सुबाश और अन्य	05/03/2026	11/12/2025	ऋण सं. HL00688000000005048933 रु. 12,79,470/- (रु. बारह लाख उनासी हजार चार सौ सत्तर मात्र) 11.12.2025 तक देय, साथ ही वसूली तक @16.6 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित
3.	संतोष कुमार मौर्य, सुमन देवी	गाटा संख्या 1438 के प्लॉट भाग का वह सारा टुकड़ा और पार्सल जोकि मौजा मुवैया: मौजा पार्टावल, तथा पिरैया परगना हवेली तहसील सदर जिला महाराजगंज विशेष रूप से बिक्री विलेख निष्पादित में उल्लेख किया गया।	06/03/2026	09/10/2025	ऋण सं. HF0091H20100254 रु. 13,53,077/- (रु. तेरह लाख तिरेपन हजार सतहत्तर मात्र) 09.10.2025 तक देय, साथ ही वसूली तक @16.85 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री के बीच कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

स्थान: उत्तर प्रदेश, दिनांक: 11.03.2026 — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय– लखनऊ दक्षिण, द्वितीय तल, शारदा टॉवर, कपूरथला, लखनऊ 226024,
ई– मेल: law.rolucknow@unionbankofindia.bank.in

मेगा ई–नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत)

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन), 2002 के नियम 8(6)/9(1) के परन्तुक सपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

सर्वसाधारण को विशेषकर ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पतियां, जो प्रतिभूति के रूप में हमारे बैंक के पास दृष्टिबंधक / बंधक है जिसका **सांकेतिक/भौतिक कब्जा** यूनियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय दिनांक **27.03.2026** (समयः अपरान्हः 12 बजे से सायं 05 बजे तक) को होने वाली ई–नीलामी में **"जहाँ है", "जैसा है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारे के"** आधार पर नीचे वर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों से सम्बन्धित उनकी देनदारी की वसूली के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार) के द्वारा किया जायेगा। आरक्षित मूल्य एवं ई.एम.डी. राशि का विवरण निम्नानुसार है।

ऑनलाइन ई–नीलामी के माध्यम से वेबसाइट: https://baanknet.com
नीलामी की तिथि व समय: 27.03.2026, समय: अपरान्हः 12 बजे से सायं 05:00 बजे (10 मिनट के असीमित अतिरिक्त समय सहित)

क्र. सं.	1. ऋणी का नाम 2. जमानतदार का नाम 3. शाखा	ई–नीलामी हेतु सम्पत्ति का विवरण	1. आरक्षित धनराशि 2. ई.एम.डी. 3. बढ़ी हुई धनराशि	1. शाखा प्रमुख/सम्पर्क 2. प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क सूत्र 3. प्राधिकृत अधिकारी की ई–मेल आईडी 4. सीएम (वसूली)/सम्पर्क	ब्याज एवं अन्य खर्च के साथ बकाया धनराशि	भार का विवरण: सांकेतिक/भौतिक कब्जा / लंबित मुकदमे का विवरण
1.	1ए श्री अर्जुन शर्मा 1बी. श्रीमती सोनी शर्मा 2. शून्य 3. राय बरेली रोड (एसजीपीजीआई) शाखा (21521)	श्रीमती सोनी शर्मा पत्नी श्री अर्जुन शर्मा के स्वामित्व में भूमि एवं भवन का साम्यिक बंधक स्थित खसरा संख्या 1992 का मिन जुमला का प्लॉट, ग्राम– बिजनौर, परगना– बिजनौर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 49.535 वर्ग मीटर, **चौहद्दी (विक्रय विलेख संख्या 23593 दिनांक 17.12.2013 के अनुसार): पूर्वः** खेत मौधा, **पश्चिमः** सड़क 15.00 फीट चौड़ी, **उत्तरः** सलमान का प्लॉट, **दक्षिणः** अन्य की संपत्ति	1. रू. 15.27 लाख 2. रू. 1,52,700/– 3. रू. 15,270/–	1. श्री नीरज शर्मा 9026768747 2. ऋषि अरोड़ा 09793934497 3. Ubin0821527@unionbankofindia.bank 4. ऋषि अरोड़ा 09793934497	**रू. 9,56,209.76** (रुपये नौ लाख छप्पन हजार दो सौ नौ और पैसा छियत्तर मात्र) दिनांक 01.04.2024 से संविदात्मक ब्याज दर पर ब्याज एवं लागत (मांग सूचना की तिथि 06.12.2024 मांग सूचना की तिथि के बाद कोई भुगतान किया गया हो तो उसे घटाते हुए	प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं / सांकेतिक कब्जा / प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं
2.	1)ए मेसर्स वारसी इंटरप्राइजेज (प्रोप. श्री एहतेशाम खान वारसी पुत्र कमालुद्दीन खान बी. श्री अहतेशाम खान वारसी पुत्र कमालुद्दीन खान (प्रोप. एवं बंधककर्ता) सी. श्री नदीम अहमद अंसारी पुत्र जमीरुल हसन अंसारी (सह–आवेदक) 2) शून्य 3) आलमबाग (533901)	श्री एहतेशाम खान वारसी पुत्र कमालुद्दीन खान के स्वामित्व में आवासीय फ्लैट संख्या ए–301, ब्लॉक–ए, तृतीय तल, गोल्ड लाइन अपार्टमेंट, फैजाबाद रोड, लखनऊ, क्षेत्रफल: 99.16 वर्ग मीटर, **चौहद्दीः पूर्वः** खुली भूमि, **पश्चिमः** सामान्य मार्ग, **उत्तरः** फ्लैट संख्या ए 302, **दक्षिणः** खुली भूमि	1. रू. 21.47 लाख 2. रू. 2,14,700/– 3. रू. 21,470/–	1. श्री अरविन्द कुमार 9455136212 2. श्री अरविन्द कुमार 9455136212 3. Ubin0553395@unionbankofindia.bank 4. ऋषि अरोड़ा 09793934497	**रू. 28,63,338.25** (रुपये अठ्ठाईस लाख तिरसठ हजार तीन सौ अड़तीस और पैसा पच्चीस मात्र) दिनांक 01.06.2018 से संविदात्मक ब्याज दर पर ब्याज एवं लागत, मांग सूचना की तिथि के बाद कोई भुगतान किया गया हो तो उसे घटाते हुए	प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं / भौतिक कब्जा / एसए संख्या 228/2022 डीआरटी लखनऊ के समक्ष लंबित है
3.	1.ए. मेसर्स ओम ट्रेडर्स 1.बी. श्री दिलीप कुमार शुक्ला पुत्र श्री प्रहलाद शुक्ला 2.ए. श्री रामेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुराज सिंह 3. आलमबाग (533901)	श्री दिलीप कुमार शुक्ला पुत्र श्री प्रहलाद शुक्ला के स्वामित्व में आवासीय मकान संख्या का साम्यिक बंधक स्थित प्लॉट संख्या– 1 का भाग, खसरा संख्या 290 मिन जुमला, आदिल नगर, वार्ड– शंकर पुरवा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, **क्षेत्रफल– 111.524 वर्ग मीटर, चौहद्दीः पूर्वः** विश्वकर्मा का मकान, **पश्चिमः** मिश्राजी का मकान, **उत्तरः** सूर्यभान मिश्रा का प्लॉट, **दक्षिणः** सड़क 25.00 फीट चौड़ी	1. रू. 24.64 लाख 2. रू. 2,46,400/– 3. रू. 24,640/–	1. श्री अरविन्द कुमार 9455136212 2. श्री अरविन्द कुमार 9455136212 3. Ubin0553395@unionbankofindia.bank 4. ऋषि अरोड़ा 09793934497	**रू. 18,53,604.02** (रुपये अठठारह लाख तिरपन हजार छः सौ चार और पैसा दो मात्र) दिनांक 01.07.2023 से संविदात्मक ब्याज दर पर ब्याज एवं लागत (मांग सूचना की तिथि 25.07.2023 मांग सूचना की तिथि के बाद कोई भुगतान किया गया हो तो उसे घटाते हुए	प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं / सांकेतिक कब्जा / प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं
4.	1)क. श्री मनीष अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री विजय कुमार अग्रवाल 1.ख. श्रीमती मंजू अग्रवाल, पत्नी स्वर्गीय श्री विजय कुमार अग्रवाल 2. जमानतकर्ता: स्वर्गीय श्री विजय कुमार अग्रवाल के कानूनी वारिस, स्वर्गीय श्री विजय कुमार अग्रवाल का प्रतिनिधित्व करते हुए, 2क. श्री मनीष अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री विजय कुमार अग्रवाल 2.ख. श्रीमती मंजू अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय श्री विजय कुमार अग्रवाल 3) एलडीए एलपीएस शाखा (53650)	श्री मनीष अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री विजय कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती मंजू अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय श्री विजय कुमार अग्रवाल के स्वामित्व में साम्यिक बंधक, मकान संख्या 551क/265, वार्ड– गीतापल्ली, मोहल्ला– भीलाया, लखनऊ उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 115.985 वर्ग मीटर, **चौहद्दीः पूर्वः** आर.एस. यादव का मकान, **पश्चिमः** सरदार त्रिलोचन सिंह का मकान, **उत्तरः** नाली, **दक्षिणः** देशराज एवं अवतार सिंह का मकान सांकेतिक कब्जे के तहत (विक्रय विलेख में उल्लिखित संपत्ति का विवरण) **मूल्यांकन रिपोर्ट में वास्तविक के अनुसार चौहद्दीः पूर्वः** मकान संख्या 551क/166 (आर. एस. यादव का मकान), **पश्चिमः** अन्य का मकान, **उत्तरः** सड़क, **दक्षिणः** देशराज का मकान	1. रू. 30.58 लाख 2. रू. 3,05,800/– 3. रू. 30,580/–	1. आलोक कुमार वर्मा 9557760508 2. श्री अभिषेक शर्मा 9425137353 3. Ubin0553654@unionbankofindia.bank 4. ऋषि अरोड़ा 09793934497	**रू. 12,10,419.00** (रुपये बारह लाख दस हजार चार सौ उन्नीस मात्र) दिनांक 01.03.2025 से मासिक किस्तों में लगने वाले अतिरिक्त ब्याज सहित/ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार एवं मांग सूचना की तिथि 15.03.2025 के बाद कोई भुगतान किया गया हो तो उसे घटाते हुए	प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं / सांकेतिक कब्जा / प्राधिकृत अधिकारी को अन्य संज्ञान नहीं

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट **www.unionbankofindia.co.in** और **https://baanknet.com** में दिए गए लिंक को देखें। पंजीकरण, ईएमडी भुगतान एवं बोली प्रक्रिया के लिए, वेबसाइट **https://baanknet.com** पर जाएं। (क्रेता पंजीकरण–लिंक वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध है) ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं के पास वैध ई–मेल आईडी और सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार बिक्री के नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

Security Interest (Enforcement) Rule 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के अन्तर्गत 15 दिन की बिक्री सूचना

इसे **Security Interest (Enforcement) Rule:** 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के अन्तर्गत उक्त तिथि को की जा रही ई– नीलामी / बिक्री के सम्बन्ध में उक्त ऋण के बकाया राशि वाले ऋणियों / जमानतकर्ताओं को जारी किया हुआ नोटिस भी माना जाये।

दिनांक : 11.03.2026 — स्थानः लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

परूप संख्या आइएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केंद्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र –।। के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में,
और
हिग्स हेल्थकेयर लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय **"एससीओ 145, दूसरी मंजिल, सेक्टर 28डी, चंडीगढ़"** में स्थित है, के मामले में। ..... आवेदक कंपनी

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **"चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश** से **हरियाणा राज्य "** में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए दिनांक **16.02.2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के झापन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशक को प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसार केंद्रीय सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर जमा कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विरोध के कारणों का उल्लेख करते हुए हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियाँ पंजीकृत डाक द्वारा **उत्तरी क्षेत्र-।। के क्षेत्रीय निदेशक को कॉर्पोरेट भवन, प्लॉट संख्या 4बी, सेक्टर 27-बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160019** पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **चौदह (14) दिनों** के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उनके पंजीकृत कार्यालय के नीचे दिए गए पते पर भी भेजें।

एससीओ 145, दूसरी मंज़िल, सेक्टर 28डी, चंडीगढ़।

आवेदक के लिए उनकी ओर से
हिग्स हेल्थकेयर लिमिटेड
गौतम मघोक, (निदेशक)
डीआईएनः 07775391

दिनांक: 11.03.2026
स्थान: चंडीगढ़

फॉर्म संख्या आईएनसी -26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन
केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, निदेशालय I, नई दिल्ली के समक्ष
**कंपनी

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(सीआइएन: L74899DL1992PLC051527)
पंजीकृत कार्यालय: डी–90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज I, नई दिल्ली–110 020
फोन: 91–11–26818840 / 26818642, वेबसाइट: www.kei-ind.com
ई–मेल आईडी: cs@kei-ind.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा जारी निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने / गुम हो गये हैं और उसके पंजीकृत शेयरधारक ने डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र / पात्रता पत्र जारी करने के लिए कंपनी / आरटीए को आवेदन किया है।

क्र. सं.	फोलियो संख्या	प्रमाणपत्र संख्या	विशिष्ट संख्या	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या
1	0003024	471	000386501–000387000	प्रदीप गुप्ता	500

जनता को एतद्द्वारा उपरोक्त शेयर प्रमाण पत्र के साथ किसी भी तरह की खरीद और व्यवहार के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। कोई भी व्यक्ति (ओं), जिसका उक्त शेयर प्रमाणपत्र के संबंध में कंपनी के साथ कोई दावा है / हैं, को इस नोटिस के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के भीतर दिए गए पते पर पंजीकृत कार्यालय में दावा करना चाहिए, जिसके बाद कोई दावा मान्य नहीं होगा और कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र / पात्रता पत्र जारी किये जायेंगें।

कृते मैसर्स केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता / –
किशोर कुणाल
वरिष्ठ वीपी (कॉर्पोरेट फाइनेंस) और कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10.03.2026

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(सीआइएन: L74899DL1992PLC051527)
पंजीकृत कार्यालय: डी–90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज I, नई दिल्ली–110 020
फोन: 91–11–26818840 / 26818642, वेबसाइट: www.kei-ind.com
ई–मेल आईडी: cs@kei-ind.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा जारी निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने / गुम हो गये हैं और उसके पंजीकृत शेयरधारक ने डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र / पात्रता पत्र जारी करने के लिए कंपनी / आरटीए को आवेदन किया है।

क्र. सं.	फोलियो संख्या	प्रमाणपत्र संख्या	विशिष्ट संख्या	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या
1	0000747	109	000140501–000141000	अनीता गोसाईं	500

जनता को एतद्द्वारा उपरोक्त शेयर प्रमाण पत्र के साथ किसी भी तरह की खरीद और व्यवहार के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। कोई भी व्यक्ति (ओं), जिसका उक्त शेयर प्रमाणपत्र के संबंध में कंपनी के साथ कोई दावा है / हैं, को इस नोटिस के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के भीतर दिए गए पते पर पंजीकृत कार्यालय में दावा करना चाहिए, जिसके बाद कोई दावा मान्य नहीं होगा और कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र / पात्रता पत्र जारी किये जायेंगें।

कृते मैसर्स केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता / –
किशोर कुणाल
वरिष्ठ वीपी (कॉर्पोरेट फाइनेंस) और कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10.03.2026

सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में सेवा गृह रिन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092
फोन : +91 11 4352 1832
कॉर्पोरेट कार्यालय : श्री सावन नॉलेज पार्क डी-507, द्वितीय तल, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, तुर्भे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र – 400705
वेबसाइट : sgrlimited.in | टोल फ्री : 1800 11 3909 | ई-मेल : contact@sgrlimited.in
CIN : U65923DL2011PLC222491

1. सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह रिन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), अधिकृत अधिकारी – मोहम्मद इमरान, मोबाइल नं. 9648187890, ई-मेल आईडी – eauction@sgrlimited.in
2. नीलामी सेवा प्रदाता – C1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क व्यक्ति – बालाजी मंत्रूर, मोबाइल नं. 7977701080

ई-नीलामी विक्री सूचना

[नियम 8(6) एवं (7) तथा नियम 9(1) के साथ पठित, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002]

यह सूचना आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता/उधारकर्ताओं एवं जमानतदार/जमानतदारों को **सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्व में सेवा गृह रिन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी द्वारा दी जाती है कि नीचे वर्णित संपत्तियाँ, जो सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह रिन लिमिटेड) (सुरक्षित ऋणदाता) के पक्ष में बंधक रखी गई हैं, का **भौतिक कब्जा** वित्तीय आस्तियों के **प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54)** के प्रावधानों के अंतर्गत पहले ही लिया जा चुका है। अतः सुरक्षित ऋणदाता, अपने अधिकृत अधिकारी के माध्यम से उक्त अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री हेतु प्रस्तुत करेगा, ताकि उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता से देय बकाया राशि (साथ में आगे का ब्याज, शुल्क आदि सहित) की वसूली की जा सके।

अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा इच्छुक व्यक्तियों से निम्न वर्णित अचल संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव/बोली आमंत्रित की जाती है, जो वर्तमान में भौतिक कब्जे में है तथा इसे "जहाँ है जैसे है आधार पर", **"जो है जैसा है आधार पर" तथा "जो कुछ भी उपलब्ध है उसी आधार पर" एवं "बिना किसी प्रत्यावर्तन आधार"** पर बेचा जाएगा। अतः यह बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी या क्षतिपूर्ति के बिना की जाएगी।

उक्त संपत्तियों की बिक्री ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com** पर की जाएगी तथा यह नीलामी एसजीआरएल द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन नीलामी सेवा प्रदाता **"सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड"** के माध्यम से संचालित की जाएगी।

निरीक्षण की तिथि एवं समय :	10/04/2026, प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक
बोली / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि :	11/04/2026, सायं 6:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि एवं समय :	13/04/2026, प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता / जमानतदार	बकाया राशि (रु.)	अचल संपत्ति का विवरण (सुरक्षित संपत्ति)	आरक्षित मूल्य (RP) / बयाना राशि (EMD) – आरक्षित मूल्य का 10%	न्यूनतम वृद्धिशील बोली मूल्य
1	श्री भूपेन्द्र प्रकाश पुत्र श्री दया राम (उधारकर्ता), श्रीमती लीला वती पत्नी श्री दया राम (सह-उधारकर्ता)	ऋण खाता संख्या H1CP000005017586 में ₹ 28,44,514.44/- (अट्ठाईस लाख चवालीस हजार पांच सौ चौदह रुपये एवं चवालीस पैसे मात्र) दिनांक 03-12-2025 तक	खसरा संख्या 1268, ग्राम करेली, परगना, तहसील एवं जिला बरेली, उत्तर प्रदेश – 243001, क्षेत्रफल – 1036 वर्ग फुट	₹ 28,16,500/- / ₹ 2,81,650/-	₹ 10,000/-

नियम एवं शर्तें :

1. अधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उक्त संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी में रखी गई संपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार के भार, स्वामित्व, दावे/अधिकार/बकाया आदि के संबंध में बोली प्रस्तुत करने से पूर्व स्वयं स्वतंत्र रूप से जांच कर लेनी चाहिए। यह ई-नीलामी विज्ञापन कंपनी की ओर से किसी प्रकार की प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा। संपत्ति को कंपनी को ज्ञात अथवा अज्ञात सभी वर्तमान एवं भविष्य के भारों सहित बेचा जाएगा। अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी प्रकार के तृतीय पक्ष के दावे/अधिकार/बकाया/वैधानिक देय/कर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
2. बोली प्रस्तुत करने से पूर्व संपत्ति एवं उसके विवरण का निरीक्षण करना तथा संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी में रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को संबंधित संपत्ति के सामने दिए गए स्थल पर करने की अनुमति होगी।
3. इस ई-नीलामी में भाग लेने वाले सभी इच्छुक प्रतिभागियों को बोली/निविदा प्रपत्र भरकर, आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर ईएमडी के साथ अंतिम तिथि तक जमा करना होगा। सभी प्रतिभागियों/बोलीदाताओं को अपनी बोली ऑनलाइन नीलामी सेवा प्रदाता **"सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड"** के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करनी होगी तथा उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा जिसके पक्ष में उक्त सुरक्षित संपत्ति की बिक्री की जाएगी। किसी अन्य प्रारूप में अथवा अधूरी बोली अस्वीकार की जा सकती है। अधिक जानकारी हेतु **https://www.bankeauctions.com** पर संपर्क करें। **संपर्क व्यक्ति – श्री बालाजी मंत्रूर, मोबाइल नं. 7977701080, सहायता नं. 07291981124/25/26, ईमेल – support@bankeauctions.com; mannur.govindarajan@c1india.com**
4. ऑनलाइन बोलीदाता यह सहमति देता है कि एक बार अधिकृत अधिकारी के समक्ष पात्र बोली के रूप में पंजीकरण करने के पश्चात वह ई-नीलामी बोली मंच के माध्यम से भाग लेने हेतु अपनी रुचि व्यक्त करेगा। लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना बोलीदाता की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। बोली प्राप्त के साथ निम्नलिखित केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करनी होंगी – (i) पैन कार्ड, (ii) आधार कार्ड/पासपोर्ट, (iii) वर्तमान पते का प्रमाण, (iv) वैध ई-मेल आईडी, (v) संपर्क नंबर (मोबाइल/लैंडलाइन), (vi) नीलामी में भाग लेने हेतु बोर्ड संकल्प (कंपनी के लिए) आदि। उक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां ऊपर दिए गए ई-मेल पर भेजनी होंगी।
5. बयाना राशि (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से (जिसकी रसीद बोली के साथ संलग्न करनी होगी) अधिकतम **11 अप्रैल 2026 सायं 6:00 बजे तक** निम्नलिखित खाते में जमा करनी होगी – **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**, खाता धारक का नाम – **सेवा गृह रिन लिमिटेड**, खाता संख्या – **57500001848343**, आईएफएससी कोड – **HDFC0000060** या **सेवा गृह रिन लिमिटेड** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर बनाकर अधिकृत अधिकारी को, **प्रथम तल, 216/सी-12, पुराना नंबर सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092** पर भेजा जा सकता है।
6. जो बोली प्रपत्र पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होंगे या जिनकी ईएमडी अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होगी, उन्हें अमान्य माना जाएगा तथा अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता प्रस्ताव/बोली स्वीकार होने के तुरंत बाद या अगले दिन **SARFAESI नियम, 2002 के नियम 9(3)** के अनुसार बिक्री मूल्य/बोली राशि का 25% (ईएमडी सहित) जमा करने में असमर्थ रहता है अथवा सफल बोलीदाता घोषित होने के पश्चात नीलामी से हटना चाहता है, तो उसकी ईएमडी सुरक्षित ऋणदाता/एसजीआरएल द्वारा जब्त कर ली जाएगी। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।
7. बिक्री मूल्य/बोली राशि का शेष **75%** वित्तीय संस्था / **सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में सेवा गृह रिन लिमिटेड)** द्वारा बिक्री की पुष्टि के **15 (पंद्रह) दिनों के भीतर** या अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा। ऐसा न करने पर क्रेता/बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति पर उसका कोई दावा नहीं रहेगा। अधिक जानकारी के लिए **SARFAESI नियम, 2002 के नियम 9(3), 9(4) एवं 9(5)** देखें।
8. किसी भी स्थिति में संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। संपत्ति उच्चतम बोलीदाता को बेची जाएगी, जो सुरक्षित ऋणदाता की स्वीकृति के अधीन होगी।
9. **बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए बोली जमा करने एवं ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व हमारी वेबसाइट www.sgrlimited.in तथा https://www.bankeauctions.com देखें।**
10. **उधारकर्ता/जमानतदार इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत नोटिस मानें। उन्हें इस नोटिस की तिथि से 30 दिनों के भीतर संपूर्ण देय राशि (अतिरिक्त ब्याज, खर्च आदि सहित) का भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, अन्यथा ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुसार तथा नीलामी सेवा प्रदाता के ऑनलाइन पोर्टल पर संपत्ति की बिक्री की जाएगी।**

अधिक जानकारी के लिए उपर्युक्त कार्यालय पते पर अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

हस्ता./-, अधिकृत अधिकारी
सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए
(पूर्व में सेवा गृह रिन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

दिनांक : 10-03-2026
स्थान : दिल्ली

भारतीय स्टेट बैंक

होम लोन सेंटर, सीपी–123, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, ई–मेलः sbi.62242@sbi.co.in

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अग्रलिखित ऋणियों जिन्होंने अपने ऋण व ब्याज का भुगतान नहीं किया है, जिनका ऋण अब एनपीए हो चुका है, को एक नोटिस जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर जारी किया गया था जो कि **अवितरित / लेने से मना किया व वापस** कर दिया गया है। इसलिए हम उन ऋणियों को दूसरी बार इस पब्लिक नोटिस द्वारा सूचित करते हैं कि वे ऋण की रकम को ब्याज व अन्य खर्चों सहित जैसा कि नोटिस में वर्णित है, इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान कर दे अन्यथा बैंक सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अधीन कार्यवाही करने को बाध्य होगा।

आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 8 के अंतर्गत आकर्षित करते हुये ऋणकर्ता / जमानतकर्ता को सचेत किया जाता है कि आप प्रतिभूति आस्तियों को मोचन कराने हेतु उपलब्ध समय सीमा का अवश्य संज्ञान लें।

क्र. सं.	ऋणी नाम व पता / खाता स. / शाखा	चल बंधक सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि	एनपीए की तिथि / मांग सूचना की तिथि
1.	ऋणी–: श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री राज केशर तिवारी, मकान सं. 118, सेक्टर 5डी, गिर्धारी कुंज, पावर हाउस सेक्टर–5डी, वृंदावन, लखनऊ–226029 खाता संख्याः 44188949820 शाखाः ट्रांसपोर्ट नगर, लखनऊ	वाहन प्रकार–कार मॉडल–हुंडई क्रेटा 1.5 सीआरडीआई पंजीकरण संख्या UP32QS1754 इंजन सं. D4FASM457596 चेसिस सं.– MALPB813MSM207249	रू. 17,48,127 / – 14.01.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे	14.01.2026 22.01.2026

दिनांकः 11.03.2025 स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

YES BANK

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई – 400055 भारत। **वेबसाइटः** www.yesbank.in
ईमेलः comminications@yesbank.in **सीआईएनः** L65190MH2003PLC143249

सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत सूचना का प्रकाशन

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता (ओं) / गारंटर(ओं) / बंधककर्ता(ओं) / जिन्होंने बैंक से प्राप्त सुविधाओं के मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है और जिनके सुविधा खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्हें बिना तामील किए वापस कर दिया गया है और इस प्रकार उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, बंधककर्ताओं का नाम / खाता संख्या / ऋण का प्रकार	गिरवी रखी गई अचल संपत्ति का विवरण	एनपीए की तिथि / सूचना की तिथि / ओ / एस. 13(2) सूचना के अनुसार
1. **भरत शर्मा (उधारकर्ता)** पुत्र अशोक कुमार शर्मा का पता है: एन–4 प्रथम तल कालकाजी, नई दिल्ली–110019 **इसके अलावा पताः** भरत शर्मा, **पता है:** मुक्ति धाम कालकाजी, दक्षिण–दिल्ली, नई दिल्ली–110019 इसके अलावा, **पताः** भरत शर्मा, पता है: 737 / 7, गोविंद पुरी, कालकाजी, कालकाजी, दक्षिण– दिल्ली, नई दिल्ली–110019 **2. श्याम शर्मा, (सह–उधारकर्ता और बंधककर्ता)** पुत्र अशोक कुमार शर्मा का पता है: 737 / 7, गोविंद पुरी, कालकाजी, कालकाजी, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली–110019 इसके अलावा, **पताः** श्याम शर्मा शमशान घाट कालकाजी, नेहरू प्लेस, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली–110019 इसके अलावा, **पताः** श्याम शर्मा, एन–4 फर्स्ट फ्लोर कालकाजी, नई दिल्ली–110019 **3. अशोक कुमार शर्मा, (सह– उधारकर्ता)** पुत्र जी.डी. शर्मा, पताः शमशान घाट कालकाजी, नेहरू प्लेस, दक्षिण–दिल्ली, दिल्ली–110019 **इसके अलावा, पताः** अशोक कुमार शर्मा 737 / 7, गोविंद पुरी, कालकाजी, कालकाजी, दक्षिण–दिल्ली, नई दिल्ली–110019 इसके अलावा, पताः अशोक कुमार शर्मा, एन–4 प्रथम तल कालकाजी, नई दिल्ली–110019 **4. रानी शर्मा (सह–उधारकर्ता एवं) गिरवीकर्ता)** पत्नी अशोक कुमार शर्मा, पताः 737 / 7, गोविंद पुल, कालकाजी, कालकाजी, दक्षिण–दिल्ली, नई दिल्ली–110019 **इसके अलावा, यहांः** रानी शर्मा शमशान घाट कालकाजी, नेहरू प्लेस, दक्षिण–दिल्ली, दिल्ली–110019 **इसके अलावा, यहांः** रानी शर्मा, एन–4 फर्स्ट फ्लोर कालकाजी, नई दिल्ली–1100195। **मेघा शर्मा, (सह–ऋणदाता और बंधककर्ता)** पत्नी भरत शर्मा, पताः 737 / 7, गोविंद पुरी, कालकाजी, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली–110019। **अन्य पतेः** मेघा शर्मा, श्मशान घाट, कालकाजी, नेहरू प्लेस, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली–110019। **अन्य पतेः** मेघा शर्मा, एन–4, प्रथम मंजिल, कालकाजी, नई दिल्ली–110019। **खाता संख्याः** HLN000300866903 / ऋण का प्रकारः गृह ऋण सुविधा	प्रॉपर्टी नंबर एफ–53 की पूरी दूसरी मंजिल 200 वर्ग की है। इसमें तीन बेडरूम हैं, साथ में बाथरूम भी हैं, एक ड्राइंगध्डाइनिंग, एक पूजा रूम, एक किचन, आगे और पीछे बालकनी और छत के साथ एक बेडरूम, एक टॉयलेट और एक पेंट्री, साथ में 7' x 4' का एक सर्वेंट क्वार्टर है, जिसमें ऊपर की छत पर कॉमन टॉयलेट है (7' x 5' के दो सर्वेंट क्वार्टर को छोड़कर, जिनमें ऊपर की छत पर कॉमन टॉयलेट और सर्वेंट क्वार्टर में अलग एंट्री है) और फ्रीहोल्ड बिल्डिंग के सामने और बाहर एक कार पार्किंग है। यह कालकाजी, नई दिल्ली–110019 में है, जिसके मालिक मिस्टर श्याम शर्मा, मिसेज रानी शर्मा और मिसेज मेघा शर्मा हैं।	**02–मार्च–2026 06–03–2026 रु. 89,24,266.56 / –** (रुपये नवासी लाख चौबीस हजार दो सौ छियासठ और छप्पन पैसे सिर्फ) 05–03–2026 तक

उपरोक्त उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर / गिरवीदार (जहां भी लागू हो) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि धारा 13 (8) के तहत, यदि हमारे द्वारा किए गए सभी खर्चों, शुल्कों और व्ययों सहित राशि प्रकाशन की तिथि से पहले किसी भी समय प्रस्तुत की जाती है, तो बिक्री संपन्न नहीं होगी और हमारे द्वारा सुरक्षित संपत्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, और उस सुरक्षित संपत्ति की कोई आगे की बिक्री या लेन–देन नहीं किया जाएगा।

दिनांकः 11.03.2026, स्थानः नई दिल्ली हस्ता / – (प्राधिकृत अधिकारी) यस बैंक लिमिटेड

JM Financial

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
निगमित पहचान संख्या : U67100MH2022PLC382487
पंजीकृत कार्यालय का पता : 7वां तल, सिम्फनी, जयप्रकाश नारायण मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025.
दूरभाष : +91 22 6630 3030, फैक्स : +91 22 6630 3223, www.jmfinancialarc.com

परिशिष्ट IV अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना निर्गत की है, जिसमें उधारकर्ता(ओं), सह–उधारकर्ता(ओं), गारंटर(रों) को सूचना में उल्लिखित राशि का, भुगतान की तिथि तक राशि पर नियत संविदागत दर पर ब्याज तथा व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों की समयावधि में भुगतान करने को कहा गया था। इसके पश्चात् पिरामल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने उधारकर्ता(ओं) से संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों को, एक असाइनमेंट अनुबंध दिनांक 29 मार्च 2023 (यहां इसमें इसके पश्चात् "असाइनमेंट अनुबंध" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, वहां उनमें सृजित अंतर्निहित प्रतिभूति हित के साथ–साथ सभी अधिकारों, स्वामित्वों सम पर नियत हितों के साथ, जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अरण्य – ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात् "जेएमएफएआरसी" के रूप में संदर्भित) के पक्ष में सौंप दिया। उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं), सह–उधारकर्ता(ओं), गारंटर(रों) तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जेएमएफएआरसी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिग्रहण कर लिया है। एतद्द्वारा उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई एवं किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्न तालिका में अंकितानुसार एक राशि तथा प्रतिभुगतान की तिथि तक राशि पर नियत ब्याज के साथ, जेएमएफएआरसी के प्रभारयोन होगा। उधारकर्ता(ओं), सह–उधारकर्ता(ओं), गारंटर(रों) का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋण से मुक्त कराने हेतु उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं), गारंटर(रों) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं राशि, एनपीए तिथि के साथ	अधिग्रहण की तिथि
1.	(ऋण कोड संख्या– **195CPL32385**), (शाखा – दिल्ली – पीतमपुरा), प्रशांत श्रीवास्तव (उधारकर्ता)	फ्लैट नंबर के1एम–72 / 603 जेपी कॉसमॉस जेपी ग्रीन्स, नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201304	18–01–2024 हेतु रु. 62,39,336.58 / – (रुपये बासठ लाख उनतालीस हजार तीन सौ छत्तीस और अट्ठावन पैसे मात्र)	10.03.2026
2.	(ऋण कोड संख्या– 19000001111), (शाखा – गाजियाबाद), प्रीति टंडन (उधारकर्ता), विशाल टंडन (सह–उधारकर्ता)	फ्लैट नं. बी–201, द्वितीय तल, ऑक्सीरिच नई दिल्ली एक्सटेंशन, प्लॉट नं. जीएच–7ए, कोयल एन्क्लेव, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201010	28–11–2023 हेतु रु. 28,90,059 / – (रुपये अट्ठाईस लाख नब्बे हजार उनसठ मात्र)	10.03.2026
3.	(ऋण कोड संख्या– 27400001029), (शाखा – भिवाड़ी), सिद्धांत अरोरा (उधारकर्ता), नूर जहाँ (सह–उधारकर्ता)	फ्लैट नं. 3903, द्वितीय तल, ब्लॉक–सी, आरएलएच "द पार्क", सेक्टर–54, भिवाड़ी, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान – 301019	30–01–2025 हेतु रु. 33,90,373 / – (रुपये तैंतीस लाख नब्बे हजार तीन सौ तिहत्तर मात्र)	10.03.2026
4.	(ऋण कोड संख्या– 27400000690), (शाखा – भिवाड़ी), योगेंद्र सिंह गहलोत	फ्लैट नं ए–303, तृतीय तल, द स्काइज, रामसरस सिटी, सेक्टर–37 डी, गुडगांव गुडगांव, हरियाणा – 122001	18–01–2024 हेतु रु. 77,43,642.58 / – (रुपये सतहत्तर लाख तैंतालीस हजार छह सौ बयालीस और अट्ठावन पैसे मात्र)	10.03.2026
5.	(उधारकर्ता), सुमन गहलोत (सह–उधारकर्ता) (ऋण कोड संख्या– 23400003193), (शाखा – आगरा), दिनेश कुमार (उधारकर्ता), रक्षा देवी (सह–उधारकर्ता)	प्लॉट नंबर 209–ए 209–बी के सिरसे पर स्थित प्लॉट, जो –द्वारा नगर, गली नंबर 3, मौजा– फरीदुर कोहल, मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश– 202001 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है, सीमायें :– उत्तर– 15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम– राम लाल का भूखंड, पूर्व– सतू सिंह का भूखंड, दक्षिण– अन्य संपत्ति।	30–01–2025 हेतु रु. 14,35,333.69 / – (रुपये चौदह लाख पैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस और उनहत्तर पैसे मात्र)	10.03.2026

स्थान : दिल्ली / एनसीआर
दिनाँक : 11–03–2026

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड,
अरण्य – ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत

Piramal Finance

पिरामल फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)
सीआईएन : L65910MH1984PLC032639
पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नंबर–601, 6वाँ तल, पिरामल अमिति बिल्डिंग, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई– 400070 – दूरभाष : +91 22 3802 4000, शाखा कार्यालय : यूनिट नं. 01 और 09, भूतल, जीडी–आईटीएल नॉर्थ एक्स टॉवर, प्लॉट नं ए–9, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली– 110034 और प्लॉट नं.–6, ब्लॉक–ए, द्वितीय तल, सेक्टर 2, नोएडा – 201301

अधिग्रहण सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8-(1) तथा परिशिष्ट-IV के अनुसार अचल संपत्ति हेतु

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (रों) को मांग सूचना(ये) निर्गत की गई थीं, जिन उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया था। उधारकर्ताओं द्व

SBI भारतीय स्टेट बैंक

तनावग्रस्त संपत्ति वसूली शाखा, आंचलिक कार्यालय भवन, #40 एसडीए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला – 171009, फोन: 0177-2626796, 2626795, ईमेल: sbi.18185@sbi.co.in

नियम- 8(1) प्रतीकात्मक कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

चूंकि, **भारतीय स्टेट बैंक, एसएआर शाखा, कसुम्पटी, शिमला (हि.प्र.) का प्राधिकृत अधिकारी** होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 की 54) और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित और प्रत्येक खाते के अंतर्गत वर्णित तिथि को अदा करने के लिए आमंत्रित करते हुए को डिमांड नोटिस जारी किया था।

कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार/गारंटर व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।

कर्जदार/गारंटर को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन नीचे वर्णित राशि और उस पर ब्याज के लिए **भारतीय स्टेट बैंक** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर के ध्यान में लाया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावद्यानों के अंतर्गत प्रतिभूतित सम्पत्तियों को बचाने के समय उपलब्ध है।

उधारकर्ता/गारंटर का नाम (संपत्ति के स्वामी)	अचल संपत्तियों का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	प्रतीकात्मक कब्जे की तिथि	नोटिस की तारीख तक बकाया रकम + (ब्याज और दूसरे चार्ज अलग से)
उधारकर्ता(ओं):- मेसर्स एनाग्राम सिस्टम्स, प्लॉट सं. 1, औद्योगिक क्षेत्र, चनौर, वीपीओ चनौर, तहसील दादासिबा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 177133 अपने भागीदारों के माध्यम से- श्री कमलेश वशिष्ठ (भागीदार) पुत्र श्री अंबा चरण शर्मा, सी-7/सी-8, ब्लॉक-सी, अरुणा पार्क, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली - 110092, श्री संजीव पराशर (भागीदार) पुत्र श्री दर्शन लाल शर्मा, डी-4/403, संदीप विहार, सेक्टर 20, पंचकूला, हरियाणा-134116 और श्रीमती रंजना शर्मा (भागीदार) पत्नी श्री अंबा चरण शर्मा, सी-7/सी-8 अरुणा पार्क, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली - 110092 और गारंटर(ओं):- श्रीमती संगीता पराशर पत्नी श्री संजीव पराशर, डी-4/403, संदीपविहार, सेक्टर 20, पंचकूला, हरियाणा - 134116।	धरातल (पीछे का हिस्सा 134 वर्ग गज) और प्रथम तल (सामने का हिस्सा 148 वर्ग गज) और दूसरा तल (पीछे का हिस्सा 70.50 वर्ग गज) के साथ-साथ 300 वर्ग गज के पूरे जमीन के एरिया में रूफ टेरेस, प्रॉपर्टी नंबर सी-7 और सी-8 पर बना है, जो खसरा नंबर 456 में से है, अरुणा पार्क के लेआउट प्लान में, ब्लॉक-सी, लक्ष्मी नगर, गांव मंडावली फजलपुर, इलाका शंदारा, दिल्ली में रंजना शर्मा के नाम पर पंजीकृत दस्तावेज नंबर 893, तारीख 03.01.2023 के तहत।	06.09.2025	07.03.2026	05.09.2025 को 7,85,71,121/- रुपये तथा 06.09.2025 से आगे का ब्याज, लागत इत्यादि।

दिनांक: 07.03.2026 स्थान: शिमला (हिप्र) प्राधिकृत अधिकारी

फॉर्म सं. 14
[विनियम 33(2) देखें]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

पारस टावर, 2री मंजिल, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

आर.सी. सं.: 277/2020 दिनांक: 06.03.2026

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — प्रमाणपत्र धारक

बनाम

मेसर्स शुभ ग्रामोद्योग एवं अन्य — प्रमाणपत्र ऋणी

मांग सूचना

सीडी सं. 1: मेसर्स शुभ ग्रामोद्योग, ग्राम करमू खेड़ी, शामली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-247776, इसके प्रोपराइटर प्रदीप कुमार, पुत्र श्री सुखबीर सिंह के माध्यम से

सीडी सं. 2: श्री प्रदीप कुमार, पुत्र श्री सुखबीर सिंह, निवासी गली नं. 2, चौधरी चरण सिंह कॉलोनी, शामली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-247776

पीठासीन अधिकारी, डीआरटी, देहरादून द्वारा पारित ओ.ए सं. वर्ष 2019का 196 में जारी वसूली प्रमाणपत्र के आलोक में, आपके विरुद्ध (संयुक्त और पृथक रूप से) रु. 17,77,188.79 (सत्रह लाख सतहत्तर हजार एक सौ अठासी रुपये और उन्यासी पैसे मात्र) की राशि, साथ ही दिनांक 25/04/2019 से वसूली तक 12.00% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से लंबित और भविष्य का ब्याज और रु. 51,000 (इक्यावन हजार रुपये मात्र) का खर्च देय हो गया है।

चूंकि अधोहस्ताक्षरी के संतोष के लिए यह दर्शाया गया है कि सामान्य प्रक्रिया में आपको मांग सूचना तामील करना संभव नहीं है, इसलिए यह सूचना इस प्रकाशन के माध्यम से दी जा रही है, जिसमें आपको इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है जिसमे विफल रहने की स्थिति में, 'ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993' और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।

आपको एतद्द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए 21.05.2026 को सुबह 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

क. निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद की अवधि के लिए देय ब्याज।

ख. इस नोटिस की तामील और देय राशि की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

वसूली अधिकारी,
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

ICICI Home Finance

निगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी – कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400059, भारत
शाखा कार्यालय : द्वितीय तल, नं. 1984/4, भूखंड सं. 59, ग्रीन पार्क कॉलोनी, 48 चैंबर के पास, इलाइट चौराहा, सिविल लाइंस, झांसी– 284003

निजी संधि के माध्यम से अचल परिसंपत्तियों के विक्रय की सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8 (8) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निजी संधि के माध्यम से अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना।

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईसीआईसीआई एचएफसी) ने नीचे उल्लिखित बंधक संपत्ति की बिक्री के लिए कई ई-नीलामियां आयोजित कीं, हालांकि, ऐसी सभी ई-नीलामियां विफल रहीं। अब, एक इच्छुक खरीदार ने उक्त संपत्ति को निम्नांकित राशि (कृपया निम्न तालिका का संदर्भ लें) पर खरीदने के एक प्रस्ताव के साथ आईसीआईसीआई एचएफसी से संपर्क किया है। अतएव एतद्द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को निजी संधि के माध्यम से, नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जाएगा;

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटरों / कानूनी वारिसों के नाम, ऋण खाता संख्या	सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) के विवरण, ज्ञात ऋणभारों सहित, यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि जमा	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	नीलामी की तिथि और समय	नीलामी तिथि से एक दिन पहले	सरफेसी चरण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)
1.	अनिल कुमार (उधारकर्ता) अनीता (सह-उधारकर्ता) ऋण सं.: LHJHN00001558523 – LHJHN00001558794	मकान नं. 711/ए-सी, मोहल्ला गवल तोली हंसारी, तहसील एवं जनपद झांसी, उत्तर प्रदेश 284001	रु. 25,54,105/- – मार्च 07, 2026	रु. 11,00,000/- / रु. 1,10,000/-	मार्च 20, 2026 को 11:00 पूर्वाह्न से 03:00 अपराह्न	मार्च 27, 2026 को 11:00 पूर्वाह्न से से 12:00 दोपहर	मार्च 25, 2026 को 04:00 अपराह्न से पहले	भौतिक कब्जा
1.	नितिन दीक्षित (उधारकर्ता) प्रियंका पाराशर (सह-उधारकर्ता) ऋण सं.: LHJHN00001530422 – LHJHN00001531000	अरजी नं. 2495 पर मकान मोहल्ला चीरागांव देहात परगना मोठ झांसी उत्तर प्रदेश- 284301	रु. 14,44,979/- – मार्च 07, 2026	रु. 4,00,000/- / रु. 40,000/-	मार्च 20, 2026 को 11:00 पूर्वाह्न से 03:00 अपराह्न	मार्च 27, 2026 को 11:00 पूर्वाह्न से से 12:00 दोपहर	मार्च 25, 2026 को 04:00 अपराह्न से पहले	भौतिक कब्जा

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी वैल्यूट्रस्ट कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (यूआरएल लिंक– https://BidDeal.in) पर आयोजित की जाएगी। संभावित बोलीदाता(ओं) को 25 मार्च, 2026 को शाम 04:00 बजे या इससे पहले, लेख के शीर्ष पर उल्लिखित आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शाखा कार्यालय के पते पर बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम M- देखें) जमा करना होगा। संभावित बोलीदाता(ओं) को 25 मार्च, 2026 को शाम 05.00 बजे या इससे पहले लेख के शीर्ष पर उल्लिखित आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शाखा कार्यालय के पते पर पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तों के फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति भी जमा करनी होगी। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड– नीलामी" के पक्ष में लेख के शीर्ष पर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर देय होना चाहिए।

आम जनता से अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित इच्छुक खरीदार द्वारा पेश की जा रही राशि से अधिक की अपनी बोलियां प्रस्तुत करें। एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि आईसीआईसीआई एचएफसी को उपर्युक्त इच्छुक खरीदार द्वारा पेश की जा रही राशि से अधिक की कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो बंधक संपत्ति को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(8) के अनुसार उक्त इच्छुक खरीदार को बेच दिया जाएगा।

निरीक्षण, बिक्री की शर्तों एवं नियमों या बोलियों को प्रस्तुत करने के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई अन्य कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिए, कृपया https://www.icicihfc.com/ पर जाएं।

दिनांक : 11 मार्च 2026 प्राधिकृत अधिकारी, "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड"
स्थान : झांसी सीआईएन : U65922MH1999PLC120106

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking | सिंडिकेट Syndicate

ए. आर. एम. शाखा आगरा

ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) एवं 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी(यों)/जमानतकर्ता(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो केनरा बैंक के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक/सांकेतिक कब्जा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर विक्रय की जाएगी। सम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	ऋणियों एवं गारंटरों के नाम व पते	बकाया राशि मांग सूचनानुसार	सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि 10%
	क्रम सं. 1 से 4 के लिए ▶ ई-ऑक्शन का दिनांक व समय : 27.03.2026 सुबह: 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ नीलामी की समाप्ति तक) एवं धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि: 27.03.2026 प्रातः 10:30 बजे तक				
1.	**ऋणी**- 1) मैसर्स मां कृपा फ्रूट कंपनी (फर्म) प्रॉप-नरेंद्र कुमार सैनी, पता: फल सब्जी परिसर, सहारनपुर, 2) श्री नरेंद्र कुमार सैनी (प्रोपराइटर) पुत्र प्रकाश चंद कटहरा सैनी, सहारनपुर, 3) मैसर्स देव भूमि फ्रूट कंपनी, प्रॉप-नरेंद्र कुमार सैनी कटहारा सैनी, सहारनपुर	**29,64,161.04** मांग सूचना दिनांक 24.04.2024 तक + ब्याज व अन्य खर्चे (घटार्थ यदि कोई वसूली हुई हो तो)	एक आवासीय मकान निजी प्लॉट संख्या 15 पर निर्मित, जिसकी माप पूर्व एवं पश्चिम - 27 फीट, उत्तर एवं दक्षिण - 36 फीट है, खसरा संख्या 407 एम से संबंधित स्थित दारा आली स्वाद बैरून परगना, तहसील एवं जिला सहारनपुर दार आबादी सिद्धार्थ नगर कॉलोनी सहारनपुर, एरिया- 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर, चौहद्दी: पूर्व - कंवरपाल वर्मा का मकान, पश्चिम - 15 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर - प्लॉट संख्या 14 पर बना जितेन्द्र का मकान, दक्षिण - प्लॉट संख्या 16 पर बना अन्य का मकान	सांकेतिक	**30,02,000/-** / **3,00,000/-**
2.	**ऋणी**- श्री रविन्द्र सिंह पुत्र सुरेश चंद, पता- मकान नं.-1592 इंदिरा कॉलोनी मुजफ्फरनगर	**29,88,347.19** मांग सूचना दिनांक 14.06.2024 तक + ब्याज व अन्य खर्चे (घटार्थ यदि कोई वसूली हुई हो तो)	आवासीय संपत्ति स्थित खसरा नं. 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336 सरवत अंदर हदूद, मोहल्ला इंद्रा कॉलोनी, परगना, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर, एरिया- 55.38 वर्ग मीटर या 66.25 वर्ग गज, चौहद्दी: पूर्व - रास्ता, पश्चिम - श्री सोहनवीर का प्लॉट, उत्तर - अन्य व्यक्ति का मकान, दक्षिण - कपूर साहब का प्लॉट	सांकेतिक	**23,55,000/-** / **2,35,000/-**
3.	**ऋणी**- 1. मोहम्मद शमीम पुत्र मोहम्मद रईस, पता- मकान नंबर 585/1 रहमत नगर मुजफ्फरनगर, 2. श्री शब्बीर अहमद पुत्र सद्दीक, पता- 1009/646 जामियानगर खालापार दक्षिणी मुजफ्फरनगर	**21,25,711.68** मांग सूचना दिनांक 23-07-2024 तक + ब्याज व अन्य खर्चे (घटार्थ यदि कोई वसूली हुई हो तो)	आवासीय मकान खसरा संख्या 2223 का एक भाग स्थित मोहल्ला जामियानगर (मुजफ्फरनगर बहार हदूद) परगना सदर, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर, एरिया- 100 वर्ग गज या 83.60 वर्ग मीटर, चौहद्दी: पूर्व- फिरासत अली का प्लॉट, पश्चिम- रास्ता, उत्तर- फिरासत अली का प्लॉट, दक्षिण- फिरासत अली का प्लॉट	सांकेतिक	**16,51,000/-** / **1,65,000/-**
4.	**ऋणी**- मेसर्स विवेक त्यागी कॉन्ट्रेक्टर, श्री विवेक त्यागी पुत्र नागेश्वर प्रसाद त्यागी, गारंटर- श्री नागेश्वर प्रसाद त्यागी पुत्र रामकिशन	**91,46,198.85** मांग सूचना दिनांक 03-10-2023 तक + ब्याज व अन्य खर्चे (घटार्थ यदि कोई वसूली हुई हो तो)	आवासीय संपत्ति स्थित मकान नं. 751 (पुराना प्लॉट नं. 102), मोहल्ला बसंत विहार, साकेत कॉलोनी, परगना, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर, एरिया- 233.33 वर्ग गज यानी 195.06 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री नागेश्वर प्रसाद पुत्र राम किशन त्यागी के नाम, चौहद्दी: पूर्व- रास्ता, पश्चिम- प्लॉट नं. 103, उत्तर- प्लॉट नं. 109, दक्षिण- हरबीरी का प्लॉट नं. 95	सांकेतिक	**52,57,000/-** / **5,25,000/-**
	क्रम सं. 5 से 15 के लिए ▶ ई-ऑक्शन का दिनांक व समय : 30.03.2026 सुबह: 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ नीलामी की समाप्ति तक) एवं धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि: 30.03.2026 प्रातः 10:30 बजे तक				
5.	**ऋणी**- मनीष टैक्सटाइल इंडस्ट्री, **प्रोपराईटर**- सतीश गौतम पुत्र फकीर चंद गौतम, **गारंटर**- संजू पत्नी सतीश गौतम, सभी का पता-138 हसनगढ़ पोस्ट खुर्जा बुलंदशहर	**49,62,847.93** मांग सूचना दि. 14.07.2025 तक + ब्याज व अन्य खर्चे (घटार्थ यदि कोई वसूली हुई हो तो)	एक आवासीय प्लॉट भूमि संख्या 237 पर, ग्राम हसनगढ़, परगना खुर्जा, जिला बुलंदशहर, एरिया: 168.00 वर्ग मीटर, संपत्ति संजू पत्नी सतीश गौतम के नाम, चौहद्दी: पूर्व: 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: प्लॉट एवं मकान फकीरचंद गौतम, उत्तर: 7 फीट चौड़ी गली, दक्षिण: मकान महेंद्र	सांकेतिक	**11,50,000/-** / **1,15,000/-**
6.	**ऋणी**- मेसर्स वीडर वर्ल्ड प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक- 1. श्री नवदीप मलिक पुत्र तेजवीर सिंह मलिक, 2. श्री तेजवीर सिंह पुत्र लक्ष्मी चंद, गारंटर- श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री तेजवीर सिंह मलिक, सभी का पता- प्लॉट संख्या 1ए 334 आवास विकास कॉलोनी बड़ौत बागपत	**26,99,765.27** मांग सूचना दि. 24.03.2025 तक + ब्याज व अन्य खर्चे (घटार्थ यदि कोई वसूली हुई हो तो)	1. साम्यिक बंधक एक प्लॉट संख्या 1-ए 335, स्थित कस्बा बड़ौत, चरण सिंह बिहार, आवास विकास कॉलोनी बड़ौत सीमा अंतर्गत नगर पालिका परिषद बड़ौत जिला बागपत, एरिया- 30.15 वर्ग मीटर, संपत्ति तेजवीर सिंह पुत्र लक्ष्मीचंद के नाम, चौहद्दी: पूर्व- प्लॉट 1ए-334, पश्चिम- प्लॉट 1ए-336, उत्तर- प्लॉट 1ए-340, दक्षिण- सड़क 2. साम्यिक बंधक एक प्लॉट संख्या 1-ए 334, स्थित कस्बा बड़ौत स्थित, चरण सिंह बिहार, आवास विकास कॉलोनी बड़ौत सीमा अंतर्गत नगर पालिका परिषद बड़ौत जिला बागपत, एरिया- 33.50 वर्ग मीटर, संपत्ति तेजवीर सिंह पुत्र लक्ष्मीचंद के नाम पर चौहद्दी: पूर्व- प्लॉट 1ए-333, पश्चिम- प्लॉट 1ए-335, उत्तर- प्लॉट 1ए 341, दक्षिण- सड़क 3. साम्यिक बंधक एक प्लॉट नंबर 1-ए 341, स्थित कस्बा बड़ौत चरण सिंह बिहार, आवास विकास कॉलोनी बड़ौत सीमा अंतर्गत नगर पालिका परिषद बड़ौत जिला बागपत, एरिया- 30.15 वर्ग मीटर, संपत्ति श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री तेजवीर सिंह मलिक के नाम पर चौहद्दी: पूर्व- प्लॉट 1ए-342, पश्चिम- प्लॉट 1ए- 340, उत्तर-सड़क, दक्षिण- प्लॉट 1ए- 334 4. साम्यिक बंधक एक प्लॉट नंबर 1-ए 340, स्थित कस्बा बड़ौत चरण सिंह बिहार, आवास विकास कॉलोनी बड़ौत सीमा अंतर्गत नगर पालिका परिषद बड़ौत जिला बागपत, एरिया- 30.15 वर्ग मीटर, संपत्ति श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री तेजवीर सिंह मलिक के नाम पर चौहद्दी: पूर्व- प्लॉट 1ए-341, पश्चिम- प्लॉट 1ए-339, उत्तर सड़क, दक्षिण- प्लॉट नंबर 1ए-335	सांकेतिक	**60,58,000/-** / **6,06,000/-**
7.	**ऋणी**- 1. मेसर्स सिटी कोक एंटरप्राइजेज प्रोपराइटर नजमुसहर पत्नी श्री मुरसलीन के माध्यम से, पता- एन. एच. प्लाजा, जी.टी. रोड, खुर्जा, बुलंशहर, 2. मुरसलीन पुत्र मोहम्मद इदरीस, पता- 115, खवंस ज्ञान जामुन स्ट्रीट, खुर्जा, बुलंशहर	**23,89,866.11** मांग सूचना दिनांक 31-05-2021 तक + ब्याज व अन्य खर्चे (घटार्थ यदि कोई वसूली हुई हो तो)	बेसमेंट शॉप नंबर एस-13, एनएच-प्लाजा, राय चांदी, कमर्शियल स्कीम नंबर 01, रोडवेज बस स्टैंड के पास, कस्बा खुर्जा, जिला बुलंदशहर, एरिया- 23.23 वर्ग मीटर/250 वर्ग फीट, संपत्ति मुरसलीन पुत्र मोहम्मद इदरीश के नाम, चौहद्दी: पूर्व- के. पी. सिंह की दुकान, पश्चिम: अन्य की दुकान, उत्तर: एनएच प्लाजा का हॉल, दक्षिण: गैलरी फिर जीटी रोड	भौतिक	**15,85,000/-** / **1,59,000/-**
8.	**ऋणी**- 1. मैसर्स भारत फर्नीचर, प्रोप.- नसीम सैफी, 2. नसीम सैफी C/o ज़ाकिर हुसैन, दोनों का पता- नई बस्ती, धमेड़ा अड्डा बुलन्दशहर	**37,96,984.78** मांग सूचना दि. 11-06-2024 तक + ब्याज व अन्य खर्चे (घटार्थ यदि कोई वसूली हुई हो तो)	दो मंजिला आवासीय मकान नगर पालिका संख्या 1749, स्थित नयागाँव, (धमेरा रोड, वार्ड संख्या 32), परगना बरन, तहसील एवं जिला बुलंदशहर, एरिया- 100.39 वर्ग मीटर, चौहद्दी: पूर्व: सलीम का मकान, पश्चिम: गुलज़ार अहमद का मकान, उत्तर: 12 फीट चौड़ा या 3.69 मीटर चौड़ा रास्ता, दक्षिण: सईदा का मकान	सांकेतिक	**35,00,000/-** / **3,50,000/-**
9.	**ऋणी**- मैसर्स श्री राम इंटरप्राइजेज, प्रोप.- श्रीमती नेहा सक्सेना पत्नी श्री मोहित सक्सेना, **गारंटर**- 1. श्री हेमन्त सक्सैना पुत्र महावीर प्रसाद, **सभी का पता**- निकट शिवम पब्लिक स्कूल, 107 बुर्ज उस्मान अहीरपाड़ा खुर्जा, बुलन्दशहर, 2. श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री वीरेंद्र सक्सेना, पता- डाकर मोड़ सिकंदराबाद, अहीरपाड़ा खुर्जा, बुलंदशहर	**34,71,422.83** मांग सूचना दिनांक 02.12.2024 तक + ब्याज व अन्य खर्चे (घटार्थ यदि कोई वसूली हुई हो तो)	मकान संख्या 113, मोहल्ला बुर्ज उस्मानखां खुर्जा, सुभाष रोड, परगना एवं तहसील खुर्जा एवं जिला बुलंदशहर, श्रीमती सरला देवी पत्नी स्वगह्रय श्री वीरेंद्र कुमार सक्सेना के नाम पर, एरिया 30.71 वर्ग मीटर (36.71 वर्ग गज) कुल कवर्ड एरिया (GF+FF+SC) 92.13 वर्ग मीटर है। चौहद्दी: पूर्व- अन्य की संपत्ति, पश्चिम गली 05 फीट चौड़ी, उत्तर- हरिओम की संपत्ति, दक्षिण- राजेश का मकान	सांकेतिक	**8,30,000/-** / **83,000/-**
10.	**ऋणी**- 1. श्री हाजी तोहिद पुत्र हाजी यासीन, 2. श्री शादाब पुत्र श्री हाजी तौहीद, 3. श्री दिलशाद पुत्र श्री हाजी तोहिद, सभी का पता- मकान नंबर 685, दिल्ली गेट 1 हापुड	**33,20,442.96** मांग सूचना दिनांक 14.08.2023 तक + ब्याज व अन्य खर्चे (घटार्थ यदि कोई वसूली हुई हो तो)	मकान संख्या 685 पर निर्मित आवासीय भवन दिल्ली गेट, हापुड़ नगरपालिका नं. डब्ल्यू-34/175, पुरानी नगर पालिका नं. 11-7/686/105 एवं 84/11, स्थित मोहल्ला दिल्ली गेट, हापुड, एरिया- 125.96 वर्ग गज, अर्थात 105.36 वर्ग मीटर (45.64 वर्ग गज पर प्लॉट निर्मित), संपत्ति श्री हाजी तोहिद, पुत्र हाजी यासीन के नाम पर, चौहद्दी: पूर्व- गैलरी मुश्तरका 5' चौड़ी, भुजा 26', पश्चिम: मकान शाह यासीन, भुजा 27', उत्तर: गली 4' चौड़ी, मुश्तरका क्रेता एवं हाजी यामीन, भुजा 20'-6', दक्षिण: रास्ता 20' चौड़ा, भुजा 20'-3', गैलरी क्षेत्रफल 20.32 वर्ग गज सहित	सांकेतिक	**35,00,000/-** / **3,50,000/-**
11.	**ऋणी**- 1. मैसर्स श्री बालाजी इंजीनियरिंग वर्क्स, पता- फ्लाईओवर के पास पहासू रोड झमका बुलन्दशहर, प्रोप.- श्री अरुण चौधरी पुत्र श्री राजेश चौधरी, पता- नं. 1, झमका पहासू रोड, खुर्जा, बुलन्दशहर, 2. श्रीमती राजवती देवी पत्नी श्री राजेश कुमार, पता- झमका पहासू रोड, खुर्जा, बुलन्दशहर, 3. श्री. राज कुमार पुत्र श्री हरीश चन्द्रा, पता- बाघराय कलां, बाघराय खुर्जा, बुलन्दशहर	**21,29,053/-** मांग सूचना दिनांक 01-02-2025 तक + ब्याज व अन्य खर्चे (घटार्थ यदि कोई वसूली हुई हो तो)	एक नग व्यावसायिक भवन खेत/भूमि नं. 55, गांव झमका, परगना एवं तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, एरिया: 69.37 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री अरुण चौधरी पुत्र राजेश कुमार उर्फ राजेश चौधरी के नाम पर, चौहद्दी: पूर्व- श्रीमती आदेश का प्लॉट, पश्चिम- प्लॉट प्रथम पक्ष एवं रास्ता 10 फीट चौड़ा, उत्तर- प्रथम पक्ष का प्लॉट, दक्षिण- प्लॉट दीगर	सांकेतिक	**10,48,000/-** / **1,05,000/-**
12.	**ऋणी**- एस पी कम्प्यूटर्स (प्रो.-सुधीर कुमार), पता- गिरीज संत निवास ललित राज एन्क्लेव मार्केट मोहल्ला ककराला सिटी स्टेशन खुर्जा बुलन्दशहर, प्रोपराइटर- सुधीर कुमार पुत्र जग पाल सिंह, पता-बुद्ध विहार कलिंगी डाकर मोड़ खुर्जा, बुलन्दशहर, **गारंटर**- प्रकाशी देवी पत्नी जग पाल सिंह, पता- मकान नं 83, डी नया गंज-2 खुर्जा, बुलन्दशहर, मनोज देवी पत्नी सुरेंद्र पाल सिंह, पता- 104, धुन्ना जाटान-2 खुर्जा, बुलन्दशहर	**54,58,083.87** मांग सूचना दिनांक 14-07-2025 तक + ब्याज व अन्य खर्चे (घटार्थ यदि कोई वसूली हुई हो तो)	एक मकान, खसरा नंबर 1575 एम का भाग, स्थित मोहल्ला बहार चुंगी, कस्बा खुर्जा, जिला बुलंदशहर, एरिया: 168.00 वर्गमीटर, संपत्ति प्रकाशी देवी पत्नी जग पाल सिंह एवं मनोज देवी पत्नी सुरेंद्र पाल सिंह के नाम, चौहद्दी: पूर्व: 10 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: विनोद का मकान, उत्तर: सतेंद्र का मकान, दक्षिण: खड़क सिंह का मकान	सांकेतिक	**34,50,000/-** / **3,45,000/-**
13.	**ऋणी**- 1. इंडियन प्लाइवुड (प्रो.- नाजिम सैफी), पता- व्यावसायिक दुकान, आवासीय मकान नंबर 514 खेत नंबर 151 नया गांव, धमेड़ा बुलंदशहर, 2. नाजिम सैफी पुत्र जाकिर हुसैन, पता- धमेरा रोड, बुलंदशहर, गारंटर- सईदा पत्नी जाकिर हुसैन, पता- 284/25 धमेड़ा अड्डा नई बस्ती, बुलंदशहर	**22,47,656.14** मांग सूचना दिनांक 14-07-2025 तक + ब्याज व अन्य खर्चे (घटार्थ यदि कोई वसूली हुई हो तो)	1. एक आवासीय संपत्ति (खेत नं. 326 का भाग) नगरपालिका सीमा के अंतर्गत, वार्ड संख्या 32, स्थित नया गाँव, परगना बरन, जिला बुलंदशहर, एरिया: 102.41 वर्ग मीटर, संपत्ति सैयदा पत्नीक ज़ाकिर हुसैन के नाम, चौहद्दी: पूर्व: रास्ता 3.04 मीटर, पश्चिम: रास्ता 3.04 मीटर, उत्तर: विलायत का मकान, दक्षिण: बांके ठेकेदार का प्लॉट 2. एक आवासीय संपत्ति (खेत नं. 326 का भाग) नगरपालिका सीमा के अंतर्गत, वार्ड संख्या 32, स्थित नया गाँव, परगना बरन, जिला बुलंदशहर, एरिया: 102.41 वर्ग मीटर, संपत्ति सैयदा पत्नीक ज़ाकिर हुसैन के नाम, चौहद्दी: पूर्व: रास्ता 3.04 मीटर, पश्चिम: रास्ता 3.04 मीटर, उत्तर: विलायत का मकान, दक्षिण: बांके ठेकेदार का प्लॉट	सांकेतिक	**42,00,000/-** / **4,20,000/-**
14.	**ऋणी**- मैसर्स एम्पल इंटरप्राइजेज, प्रोप.- श्री बॉबी कुमार पुत्र श्री जगवीर सिंह, दोनों का पता- 93, ग्राम धरौन जोटी रोड, खुर्जा, बुलंदशहर, गारंटर- श्रीमती चंद्रावती पत्नी श्री मलखान सिंह, पता- ग्राम धरौन बिचोला खुर्जा, बुलन्दशहर	**39,09,250.39** मांग सूचना दिनांक 02.12.2024 तक + ब्याज

पंजाब नैशनल बैंक
.....मरोसे का प्रतीक
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

punjab national bank
...the name you can BANK upon!

आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा-गाजियाबाद
केजे-13, दूसरी मंजिल, कवि नगर, उत्तर प्रदेश-201001
ई-मेल आईडी : cs8228@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं बन्धककर्ता/जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर ''जहाँ है वहाँ है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/जमानतियों के खाते का नाम तथा पता	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम (सम्पत्ति के बंधककर्ता)	A) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि B) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत बकाया राशि C) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि D) कब्जे की प्रकृति (सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक)	E) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) F) ईएमडी G) संविदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत लेनदारों के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण / संपर्क व्यक्ति / प्राधिकृत अधिकारी
1.	**शा.का.: ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, (एसओएल आईडी:478900)** **श्रीमती सरिता सिंह पत्नी श्री ब्रिजेश कुमार सिंह,** निवासी- फ्लैट नं. सेक्टर-4ए, आसरा एन्क्लेव टाइप-2, मंडौला विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 इसके अलावा: - मैसर्स बालाजी इंटरप्राइजेज, (मालिक-सरिता सिंह) दुकान नंबर सी-119, पहली मंजिल, आरएमएस प्लाजा, सी-01, सेक्टर ए-5/6, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 इसके अलावा: - मकान नंबर ई-3/195, गली नंबर। 6, एम.सी.डी. के पास स्कूल, चौथा पुस्ता, सोनिया विहार, करावल नगर, उत्तर पूर्वी दिल्ली-110094	आवासीय फ्लैट संख्या बी-70/13, प्रथम तल (बिना छत के), मोहल्ला/ग्राम-मंडौला विहार, सेक्टर-4ए, आसरा टाइप-2, आसरा एन्क्लेव, परगना और तहसील-लोनी, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश श्रीमती सरिता सिंह पत्नी श्री ब्रिजेश कुमार सिंह के नाम पर। (आच्छादित क्षेत्रफल 47.73 वर्ग मीटर)	(A) 01.08.2025 (B) रु. 13,87,890.42 तिथि 31.12.2025 (C) 17.10.2025 (D) सांकेतिक	(A) रु. 17,14,000.00 (B) रु. 1,71,400.00 (C) रु. 10,000.00	27.03.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं शाखा प्रमुख श्री बिजेन्दर सिंह, मोबाइल : 9871644695
2.	**शा.का.: इंदिरापुरम, गाजियाबाद, एसओएल आईडी-405200** **श्री देवकी नंदन पुत्र श्री धनी राम,** निवासी फ्लैट नंबर 236-सी, तीसरी मंजिल, ब्लॉक-ई-1, ईडब्ल्यूएस, मधुबन बापूधाम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 इसके अलावा: ई-2, सीपीडब्ल्यूडी कमला नेहरू नगर, हापुड रोड, गाजियाबाद, यूपी 201002 श्री निरंजन कुमार पुत्र श्री चतर सिंह (गारंटर) निवासी- 422, ग्राउंड फ्लोर, न्याय खंड-2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी 201014	आवासीय ईडब्ल्यूएस फ्लैट नंबर ई 1/236 सी, ब्लॉक-ई, तीसरी मंजिल (छत के अधिकार के बिना), मधुबन बापूधाम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति का ईएम, माप क्षेत्र 32.41 वर्ग मीटर, श्री देवकी नंदन पुत्र श्री धनीराम के नाम पर।	(A) 09-09-2025 (B) रु. 10,85,486.31 तिथि 31.08.2025 (C) 17.11.2025 (D) सांकेतिक	(A) रु. 8,08,000.00 (B) रु. 80,800.00 (C) रु. 10,000.00	27.03.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	हमें ज्ञात नहीं शाखा प्रमुख श्री नीरज निर्निमेष मोबाइल : 7873001184

नियम एवं शर्तें: बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : 1. सम्पत्तियों की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जा रही है। 2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. बिक्री वेबसाइट https://baanknet.com पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से नीलामी की उपर्युक्त तिथि एवं समय तक होगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया **https://baanknet.com** तथा **www.pnbindia.in** देखें। 5. सभी वैधानिक बकाया/परिचर प्रभार/पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित अन्य बकाया क्रेता को वहन करना होगा और प्राधिकृत कार्यालय या बैंक किसी भी शुल्क, भार में ग्रहणाधिकार या सरकार या किसी अन्य को संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली के बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के बारे में स्वतंत्र जांच करें।

(सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना)

दिनांक : 09.03.2026 स्थान : गाजियाबाद **अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

केन फिन होम्स लिमिटेड
CIN: L85110KA1987PLC008699
रेवाड़ी कॉ-ऑपरेटिव बैंक के ऊपर, निकट हनुमान मंदिर, सोहना रोड, धारुहेड़ा-123106,
फोन: 01274-242381 / 297604, मो. 7625079165
ई-मेल: dharuhera@canfinhomes.com CIN: L85110KA1987PLC008699

परिशिष्ट-IV-A [नियम 9(1) के परंतुक देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **भौतिक** कब्जा केन फिन होम्स लिमिटेड, धारुहेड़ा शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, **श्री परवीन कुमार पुत्र श्री बलदेव भाटिया** (उधारकर्ता) और **श्री राजू शर्मा पुत्र श्री वेद प्रकाश** (गारंटर) की तरफ केन फिन होम्स लिमिटेड की **10-03-2026** तक बकाया राशि **रु.17,16,191/-** (रुपए सत्तरह लाख सोलह हजार एक सौ इक्यानबे मात्र) उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक **28.03.2026** को **"जैसी है जहाँ है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहाँ है"** आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य **रु. 18,50,000/-** (रुपए अट्ठारह लाख पचास हजार मात्र) तथा धरोहर राशि जमा **रु. 1,85,000/-** (रुपए एक लाख पचासी हजार मात्र) होगी।

अचल संपत्ति का विवरण

एमसीएफ संख्या - 36, मकान संख्या - 2, खसरा संख्या - 22/7/1, 22/4, 7/1/4, मुस्तकिल संख्या - 22, 4/10, वाका मौजा नंगला गुजरान, तहसील बडकल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा - 121005

संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं:
उत्तर: मकान संख्या - 3, दक्षिण: प्लॉट संख्या - 29, पूर्व : गली 15 फीट, पश्चिम: मकान संख्या - 1

ज्ञात भार : शून्य

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें **केन फिन होम्स लिमिटेड** की आधिकारिक वेबसाइट **(https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx)** में उपलब्ध कराई गई हैं।
ई-नीलामी में भाग लेने के लिए लिंक **www.auctionbazaar.com** देखें।

तिथि: 10.03.2026 हस्ता./-,
स्थान: धारुहेड़ा **प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड**

प्रपत्र नं. 14
[विनियम -33(2) देखें.]
वसूली अधिकारी कार्यालय-I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी-2)
पहली मंजिल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़ (तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित है)
डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

आरसी/516/2023 **13.02.2026**

पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
मैसर्स सत्या इंक. एक साझेदारी फर्म

सेवा में,
(सीडी1) मैसर्स सत्य इंक. एक साझेदारी फर्म, जिसका पंजीकृत कार्यालय 63 सेक्टर 21 डी, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है।
(सीडी2) श्री सुमित पांडे पुत्र श्री सत्य प्रकाश पांडे, मकान नंबर 363, सेक्टर 21 डी, फरीदाबाद, हरियाणा।
(सीडी3) श्रीमती वंदना पांडे पत्नी श्री सुमित पांडे, मकान नंबर 363, सेक्टर 21 डी, फरीदाबाद, हरियाणा।

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)** द्वारा **OA/76/2022** में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, **07/01/2022** से वसूली तक **@9%** साधारण सालाना ब्याज की दर से मुकदमे के दौरान और भविष्य के ब्याज सहित **रुपये 3664369.86 (छत्तीस लाख चौंसठ हजार तीन सौ उनहत्तर रुपये और छियासी पैसे मात्र)** की राशि और **रुपये 39000 (उनतालिस हजार रुपये मात्र)** का खर्च आपके (संयुक्त रूप से और अलग-अलग/पूर्ण रूप से/सीमित) विरुद्ध देय हो गया है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **14.05.2026 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:
(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।
(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 13.02.2026 को दिया गया।

हस्ता/-
वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

1090, फूटा रोड, बारा टूटी चौक, बाना रोड, सदर बाजार, दिल्ली 110006
ईमेल: sadarb@bankofbaroda.co.in

परिशिष्ट-IV
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)
प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

चूंकि अधोहस्ताक्षरी बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी हैं, जिसका प्रधान कार्यालय बड़ौदा भवन, आर.सी. दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात - 390007 में स्थित है और जिसकी एक शाखा 1090, फूटा रोड, बारा टूटी चौक, सदर बाजार, दिल्ली 110006 में है, ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और धारा 13(12) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10.12.2025 को एक डिमांड नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता मेसर्स हाउस ऑफ टेस्टिंग, प्रोप: श्री साहिल थरेजा पुत्र श्री रमेश कुमार थरेजा निवासी बी-78, सेक्टर-5, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 और गारंटर श्री रमेश कुमार थरेजा पुत्र कन्हैया लाल थरेजा, जिनका निवास पता फ्लैट नंबर के-315, तीसरी मंजिल, गौर ग्रीन एवेन्यू, अभय खंड- **II** इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी. 201010 और यहाँ पर भी: ए-56, आर्य नगर अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 91, आईपी.एक्सटेंशन पटपड़गंज, पूर्वी दिल्ली 110092 को नोटिस में उल्लिखित राशि, यानी दिनांक 7-12-2025 तक 2,36,97,819.11 रुपये (दो करोड़ छत्तीस लाख सत्तानवे हजार आठ सौ उन्नीस और ग्यारह पैसे मात्र) (जिसमें 7-12-2025 तक का ब्याज शामिल है) और दिनांक 7.12.2025 से प्रभावी भविष्य का ब्याज तथा एनपीए की तिथि से वसूली तक की अन्य लागतें, शुल्क और व्यय का भुगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर करना होगा।

ऋणकर्ता और गारंटर द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता और गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी ने 7 मार्च वर्ष 2026 की तारीख को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

ऋणकर्ता और गारंटर और आम जनता को विशेष रूप से आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि दिनांक 7-12-2025 तक 2,36,97,819.11 रुपये (दो करोड़ छत्तीस लाख सत्तानवे हजार आठ सौ उन्नीस और ग्यारह पैसे मात्र) (जिसमें 7-12-2025 तक का ब्याज शामिल है) और दिनांक 7.12.2025 से प्रभावी भविष्य का ब्याज तथा एनपीए की तिथि से वसूली तक की अन्य लागतें, शुल्क और व्यय भी शामिल है।

ऋणकर्ता और गारंटर का ध्यान गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

1. श्री रमेश कुमार थरेजा के नाम पर आर्य नगर सीजीएचएस लिमिटेड (वर्तमान में आर्य नगर अपार्टमेंट्स के नाम से जाना जाता है) के प्लॉट नंबर 91, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 में स्थित आवासीय फ्लैट संख्या ए-56, दूसरी मंजिल पर, 69.96 वर्ग मीटर या 753.00 वर्ग फुट का कवर्ड एरिया है।
सीमाएँ:
उत्तर: 24 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिण: पंच महल
पश्चिम: 24 मीटर चौड़ी सड़क पूर्व: पार्क

2. श्री साहिल थरेजा पुत्र श्री रमेश कुमार थरेजा के नाम पर गौर ग्रीन एवेन्यू, मॉड्यूल 1 और 2 के मुक्तधारक आवासीय प्लॉट पर, ''के'' प्रकार के मकान में, अभय खंड-**II**, इंदिरापुरम, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में में स्थित, फ्लैट संख्या 315, तीसरी मंजिल, डुप्लेक्स, क्षेत्रफल 2335 वर्ग फुट, छत का क्षेत्रफल 1574 वर्ग फुट, कुल क्षेत्रफल 3909 वर्ग फुट है। सीमाएँ:
उत्तर: फ्लैट संख्या के -314 दक्षिण: लिफ्ट/प्रवेश द्वार
पश्चिम: अन्य पूर्व: खुला

दिनांक: 07.03.2026 **अधिकृत अधिकारी,**
स्थान: दिल्ली **बैंक ऑफ बड़ौदा**

1090, फूटा रोड, बारा टूटी चौक, बाना रोड, सदर बाजार, दिल्ली 110006
ईमेल: sadarb@bankofbaroda.co.in

परिशिष्ट-IV
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)
प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

चूंकि अधोहस्ताक्षरी बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी हैं, जिसका प्रधान कार्यालय बड़ौदा भवन, आर.सी. दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात - 390007 में स्थित है और जिसकी एक शाखा 1090, फूटा रोड, बारा टूटी चौक, सदर बाजार, दिल्ली 110006 में है, ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और धारा 13(12) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10.12.2025 को एक डिमांड नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता श्री साहिल थरेजा पुत्र श्री रमेश कुमार थरेजा, श्री रमेश कुमार थरेजा पुत्र कन्हैया लाल थरेजा और श्रीमती सरोज बाला पत्नी रमेश कुमार थरेजा, जिनका निवास पता फ्लैट नंबर के-315, तीसरी मंजिल, गौर ग्रीन एवेन्यू, अभय खंड- **II** इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी. 201010 और यहाँ पर भी: ए-56, आर्य नगर अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 91, एनपीए एक्सटेंशन पटपड़गंज, पूर्वी दिल्ली 110092 को नोटिस में उल्लिखित राशि, यानी 07-12-2025 तक की तारीख से 1,16,09,774.56/- रुपये (एक करोड़ सोलह लाख नौ हजार सात सौ चौहत्तर और छप्पन पैसे मात्र), जिसमें 07-12-2025 तक का ब्याज और 07-12-2025 से लागू होने वाला भविष्य का ब्याज, साथ ही एनपीए की तारीख से वसूली तक की अन्य लागतें, शुल्क और व्यय शामिल हैं, का भुगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर करना होगा।

ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी ने 7 मार्च वर्ष 2026 की तारीख को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

ऋणकर्ता और आम जनता को विशेष रूप से आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि 07.12.2025 तक 1,16,09,774.56/- रुपये (एक करोड़ सोलह लाख नौ हजार सात सौ चौहत्तर और छप्पन पैसे मात्र) होगी, जिसमें 07.12.2025 तक का ब्याज और 07.12.2025 तक भविष्य का ब्याज, साथ ही अपाभ्यास की तिथि से वसूली तक के अन्य लागत, शुल्क और व्यय भी शामिल है।

ऋणकर्ता का ध्यान गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

श्री साहिल थरेजा पुत्र श्री रमेश कुमार थरेजा के नाम पर पंजीकृत गौर ग्रीन एवेन्यू, मॉड्यूल 1 और 2 के मुक्तधारक आवासीय प्लॉट पर, ''के'' प्रकार के मकान में, अभय खंड-**II**, इंदिरापुरम, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में में स्थित, फ्लैट संख्या 315, तीसरी मंजिल, डुप्लेक्स, क्षेत्रफल 2335 वर्ग फुट, छत का क्षेत्रफल 1574 वर्ग फुट, कुल क्षेत्रफल 3909 वर्ग फुट है। सीमाएँ:
उत्तर: फ्लैट संख्या के -314 दक्षिण: लिफ्ट/प्रवेश द्वार
पश्चिम: अन्य पूर्व: खुला

दिनांक: 07.03.2026 **अधिकृत अधिकारी,**
स्थान: दिल्ली **बैंक ऑफ बड़ौदा**

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : प्लॉट-15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र इस समाचार पत्र में दिनांक 27-02-2026 को श्री/श्रीमती अन्नपूर्णा अस्थाना पत्नी मनोज अस्थाना, श्री/श्रीमती मनोज अस्थाना पुत्र गंगा शरण अस्थाना, श्री/श्रीमती शुभम अस्थाना पुत्र मनोज अस्थाना **HL11CHLONS000005080325/AP-10192908** के मामले में सरफासी ऐक्ट की धारा (नियम 9(1) के तहत प्रकाशित अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना के संदर्भ में है।

गलत लिखा गया :	कृपया निम्नानुसार पढ़ें :
सुरक्षित मूल्य: रू. 18,00,000/-	सुरक्षित मूल्य: रू. 17,00,000/-
धरोहर राशि : रू. 1,80,000/-	धरोहर राशि : रू. 1,70,000/-

यह परिवर्तन पूर्वतर प्रकाशन के अंश एवं खंड के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

तिथि : 11-03-2026 **वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस**
स्थान : लखनऊ **कार्पोरेशन लिमिटेड**

प्रपत्र नं. 14
[विनियम -33(2) देखें.]
वसूली अधिकारी कार्यालय-I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी-2)
पहली मंजिल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़ (तीसरी और चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित है)
डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

आरसी/1270/2025 **16.02.2026**

पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
मैसर्स राम बाबू ऑफसेट मशीनरी कंपनी

सेवा में,
(सीडी 1) मैसर्स राम बाबू ऑफसेट मशीनरी कंपनी, एमसीएच-18, गली नंबर 1, भुदत्त कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, अपने मालिक स्वर्गीय श्री सुल्तान सिंह के माध्यम से
(सीडी 2) श्री सुल्तान सिंह (अब दिवंगत) पुत्र श्री नेतरपाल सिंह, मैसर्स राम बाबू ऑफसेट मशीनरी कंपनी के मालिक, अपने कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से:

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)** द्वारा **OA/1127/2018** में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, **28/05/2018** से वसूली तक **@12.45%** चक्रवृद्धि मासिक ब्याज की दर से मुकदमे के दौरान और भविष्य के ब्याज सहित **रुपये 7499124 (रुपये चौहत्तर लाख निन्यानवे हजार एक सौ चौबीस मात्र)** की राशि और **रुपये 77005 (सतहत्तर हजार पाँच रुपये मात्र)** का खर्च आपके (संयुक्त रूप से और अलग-अलग/पूर्ण रूप से/सीमित) विरुद्ध देय हो गया है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **06.05.2026 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:
(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।
(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 16.02.2026 को दिया गया।

हस्ता/-
वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
ए-6, आचार्य निकेतन, मयूर विहार-1, दिल्ली-110091
जीएसटीआईएन : 07AAACT6167G1Z9
दूरभाष : +91 (011) 41722031, ईमेल : mvihar@jkbmail.com, वेब : www.jkbank.com

संदर्भ सं.: जेकेबी/एमविहार/2026/179 एच टु 179 एम **दिनाँक : 16-02-2026**

पंजीकृत ए.डी.

श्री आनंद वर्मा पुत्र श्री महेंद्र वर्मा
पता: फ्लैट नंबर एस-4, दूसरा फ्लोर, प्लॉट नंबर 261, सेक्टर-4, रामप्रस्थ ग्रीन्स के सामने, वैशाली, गाजियाबाद, पार्क के पास, 201019, पोस्ट ऑफिस: वैशाली, जिला गाजियाबाद-201019

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना।

प्रिय महोदय/महोदया

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (आगे ''अधिनियम'' द्वारा संदर्भित) की धारा 13 (2) के तहत सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत रूप से सशक्त माँग सूचना मेरे, आदिल कादरी द्वारा 16 फरवरी, 2026 को जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्न कारणों से निर्गत की गई है:

जबकि, जम्मू और कश्मीर बैंक (आगे बैंक द्वारा संदर्भित) की मयूर विहार, दिल्ली व्यावसायिक इकाई ने आपको (आगे कर्जदार द्वारा संदर्भित) ऋण सुविधाएँ स्वीकृत की हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

क) रु. 35,70,500/- (रुपये पैंतीस लाख सत्तर हजार पांच सौ मात्र) का आवास ऋण, स्वीकृति संदर्भ **JKB/Mvihar/Adv/2024** दिनांक 22.02.2024 में।

जबकि उपर्युक्त ऋण सुविधा निम्नलिखित प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत थीः

प्राथमिक प्रतिभूतिः

दूसरी मंजिल पर संपत्ति का बंधक, (2बीएचके) एल-प्रकार बिना छत/टेरेस के अधिकार के, एक हैच बैक के साथ निर्मित संपत्ति नंबर आरजेड-9ए के स्टिल्ट/ग्राउंड फ्लोर पर कार पार्किंग की जगह, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज यानी 41.805 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 211, 212 गांव नसीरपुर, दिल्ली राज्य की राजस्व संपत्ति में स्थित है, दिल्ली कॉलोनी जिसे पश्चिमी सागरपुर, नई दिल्ली-110046 के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्टिल्ट से शीर्ष मंजिल तक जाने वाली सामान्य सीढ़ियां, सामान्य सुविधाएं और नीचे की भूमि के आनुपातिक अधिकार हैं।

संपार्श्विक प्रतिभूतिः शून्य

चूँकि उपरोक्त ऋण सुविधाएँ आपके द्वारा कर्जदार के रूप में बैंक के पक्ष में उपरोक्त उल्लिखित संपत्तियों (प्रतिभूत परिसंपत्तियों) में प्रतिभूति हित के सृजन के बाद प्राप्त की गई थीं।

यद्यपि, कर्जदार उपरोक्त संदर्भित स्वीकृति पत्र/पत्रों के नियमों और शर्तों तथा बैंक के पक्ष में कर्जदार द्वारा निष्पादित दस्तावेजों में निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार ऋण सुविधा को बनाए रखने में विफल रहा है, फलस्वरूप कर्जदार ऋण खाता संख्या 0463265500000207 को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा 29.01.2026 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऋण खाते का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सुविधा	स्वीकृत सीमा	प्राप्त की गई सीमा	एनपीए की तिथि 29/01/2026	एनपीए की राशि	01-01-2026 से 31-01-2026 तक ब्याज	31.01.2026 के अनुसार कुल बकाया
1	आवास ऋण	रु. 35,70,500/-	रु. 35,70,500/-		रु. 35,01,327.40	रु. 23,790.00	रु. 35,25,117.40
	कुल योग	रु. 35,70,500/-	रु. 35,70,500/-		रु. 35,01,327.40	रु. 23,790.00	रु. 35,25,117.40

31.01.2026 तक बकाया राशि के अतिरिक्त, बैंक, प्रतिभूति ऋणदाता के रूप में, उस राशि

खबर कोना

तोक्यो : विश्व बेसबाल क्लासिक खेल में चेक गणराज्य के खिलाफ गेंद फेंकते जापान के हिरोतो ताकाहशी।

मनु भाकर राष्ट्रीय चयन ट्रायल की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में शीर्ष पर

नई दिल्ली, 10 मार्च (भाषा)।

ओलंपियन मनु भाकर मंगलवार को संपन्न राष्ट्रीय चयन ट्रायल तीन (ग्रुप ए) की महिला 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में शीर्ष पर रहीं। ट्रायल दो की विजेता संयम दूसरे स्थान पर रहीं जबकि ईशा सिंह ने आठ निशानेबाजों के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल किया। अंतिम क्वालीफायर के रूप में फाइनल में जगह बनाने वाली मनु ने दूसरी सीरीज के अंत में बढ़त बनाई और फिर 246.1 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने संयम को 4.2 अंक से पछाड़ा जिन्होंने 241.9 अंक जुटाए। एशियाई चैंपियनशिप की स्वर्ण और विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता ईशा 220.6 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। ईशा ने क्वालीफिकेशन में 580 अंक के साथ शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी।

भारत के पांच मुक्केबाजों ने फ्यूचर्स कप में दर्ज की जीत

बैंकाक, 10 मार्च (भाषा)।

भारत के पांच युवा मुक्केबाजों ने मंगलवार को विश्व मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप के तीसरे दिन जीत दर्ज की। चंद्रिका पुजारी (50 किग्रा) ने सुबह के सत्र में वेनेजुएला की मुक्केबाज पर 5-0 के सर्वसम्मत निर्णय से शानदार जीत हासिल की, जबकि जायश्री देवी (54 किलोग्राम) ने कजाकिस्तान की प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ तीसरे दौर में रेफरी द्वारा रोके गए मुकाबले को अपने नाम कर मजबूत प्रदर्शन जारी रखा। एल अंबेकर (50 किग्रा) ने पुरुषों के वर्ग में इक्वाडोर के अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से 5-0 से हराया। शाम के सत्र में गुंजन (48 किग्रा) ने करीबी मुकाबले में इटली की प्रतिद्वंद्वी को 3-2 से हराया, जबकि प्राची (60 किलोग्राम) ने पहले दौर में आरएससी से इक्वाडोर की प्रतिद्वंद्वी को हराकर दबदबा कायम किया।

कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में दोहरी सफलता

हैदराबाद, 10 मार्च (भाषा)।

पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने मंगलवार को सातवीं सीनियर राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के एसएच 6 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक जीते। कृष्णा ने पुरुषों के एकल एसएच 6 फाइनल में सुदर्शन एमएस को 21-10, 21-19 से हराकर खिताब अपने नाम किया। कृष्णा ने इसके बाद मिश्रित एसए 6 वर्ग में नित्या श्री सुमति सिवन के साथ मिलकर अपना दूसरा स्वर्ण पदक मेडल जीता। इस जोड़ी ने सुदर्शन एमएस और श्रेया कुमारी को 21-7, 21-11 से हराया। एसएच 6 पैरा बैडमिंटन में छोटे कद के खिलाड़ियों के लिए एक वर्ग है जो आमतौर पर बौनेपन जैसी स्थिति के कारण होता है।

बीसीसीआइ ने किया एलान

टी20 विश्व कप विजेता टीम को मिलेगा 131 करोड़ रुपए का पुरस्कार

नई दिल्ली, 10 मार्च (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआइ) ने तीसरी बार पुरुष टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए मंगलवार को 131 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार राशि 15 खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और अन्य सहयोगी स्टाफ में वितरित की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का बड़ा हिस्सा मिलना तय है, जबकि सहयोगी स्टाफ के सदस्यों के लिए पुरस्कार राशि उनके पद के अनुसार तय की जाएगी। यह राशि 2024 में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली चैंपियन टीम को दिए गए 125 करोड़ रुपए से छह करोड़ रुपए अधिक है। सूत्रों के अनुसार, 15 खिलाड़ियों में से प्रत्येक को छह करोड़ रुपए मिलेंगे जबकि शेष 41 करोड़ रुपए सहयोगी स्टाफ के सदस्यों में वितरित किए जाएंगे। बीसीसीआइ सचिव देवजीत सैकिया ने बयान में कहा, 'बोर्ड इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ के सदस्यों और चयनकर्ताओं को एक बार फिर बधाई देता है और भविष्य में उनकी निरंतर सफलता की कामना करता है।'

भारत ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर यह प्रतिष्ठित ट्राफी अपने नाम की थी। वह टी20 विश्व कप में खिताब का सफल बचाव करने वाली पहली टीम है। भारतीय टीम ने तीसरी बार यह टूर्नामेंट जीता। यह कारनामा करने वाली वह पहली टीम बन गई है।

क्रिकेट

सैमसन ने 'प्लेयर आफ द टूर्नामेंट' बनकर बनाया अनोखा रिकार्ड

भारत को तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने 'प्लेयर आफ द टूर्नामेंट' बनकर एक अनोखा रिकार्ड अपने नाम दर्ज कर दिया। वे पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आइसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) के पुरुष या महिला वर्ग के किसी टूर्नामेंट में अपनी टीम की तरफ से चार मैच नहीं खेलने के बावजूद 'प्लेयर आफ द टूर्नामेंट' का पुरस्कार हासिल किया। उनसे पहले चार खिलाड़ी ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी टीम के सभी मैच नहीं खेलने के बावजूद टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था। इन खिलाड़ियों ने हालांकि अपनी टीम की तरफ से केवल एक मैच नहीं खेला था। प्रतियोगिता के शुरू होने पर सैमसन रन बनाने के लिए जूझ रहे थे और इसलिए उन्हें शुरुआती मैचों में अंतिम एकादश में नहीं चुना गया था।

मिचेल को गेंद मारने के लिए अर्शदीप पर जुर्माना

दुबई, 10 मार्च (भाषा)।

भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर अहमदाबाद में आइसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल के दौरान न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल पर 'आक्रामक और अनुचित तरीके से' गेंद फेंकने के लिए मैच फीस का 15 फीसद जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा अर्शदीप के अनुशासनात्मक रिकार्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है जो 24 महीने के समय में उनका पहला अपराध है।

आइसीसी ने मंगलवार को कहा कि अर्शदीप को आइसीसी की खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ से संबंधित आचार संहिता के नियम 2.9 के उल्लंघन का दोषी पाया गया जो 'अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी खिलाड़ी पर या उसके पास अनुचित और/या खतरनाक तरीके से गेंद फेंकने' से जुड़ा है। यह घटना रविवार को न्यूजीलैंड की पारी के 11वें ओवर में हुई जब अर्शदीप ने गेंद को रोका और फिर आक्रामक तरीके से बल्लेबाज की ओर फेंका जो न्यूजीलैंड के उप कप्तान के पैड पर लगी।

तैयारी

जर्मनी : चैंपियंस लीग के राउंड 16 में आर्सेनल एफसी के खिलाफ फुटबाल मैच से पहले अभ्यास करते बेयर लेवरकुसेन के गोलकीपर जेनिस ब्लासविच।

भारत 22 साल बाद एशिया कप तीरंदाजी की मेजबानी करेगा

कोलकाता, 10 मार्च (भाषा)।

दिल्ली को 2027 में होने वाले एशिया कप तीरंदाजी के दूसरे चरण की मेजबानी मिली है, जिससे भारत 22 साल में पहली बार किसी शीर्ष अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी करने के लिए तैयार है। विश्व तीरंदाजी एशिया की यहां हुई बैठक में मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को इसकी घोषणा की गई। भारत ने पिछली बार 2005 में दिल्ली में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के रूप में पिछली बार किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी की थी।

तीन दिवसीय दौरे पर कोलकाता आए विश्व तीरंदाजी एशिया के अध्यक्ष काजी राजिब उद्दीन अहमद चपोल ने भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव वीरेंद्र सचदेवा से कहा, 'हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली इसकी बेहतरीन मेजबानी करेगा और इसमें कोई

घोषणा

भारत ने पिछली बार 2005 में दिल्ली में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के रूप में पिछली बार किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी की थी।

दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर भारतीय तीरंदाजी संघ चाहेगा तो वे इसकी मेजबानी करेंगे। हम अगले साल होने वाली राष्ट्रमंडल तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए भी दिल्ली स्थल के रूप में चुनने के बारे में सोच रहे हैं।' एक और अच्छी खबर यह है कि अहमदाबाद इस साल सितंबर में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस बीच कोलकाता को भी कई वर्षों बाद एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी करने का मौका मिलेगा।

वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के भारत में फंसे होने का मामला

आइसीसी व्यावसायिक उड़ानों से भेजेगा

कोलकाता, 10 मार्च (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने भारत में फंसी वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए अलग-अलग व्यावसायिक उड़ानों में बुकिंग की, क्योंकि कोलकाता से उड़ान भरने वाली उनकी चार्टर्ड उड़ान रद्द हो गई थी।

इस मामले की जानकारी रखने वाले आइसीसी के एक सूत्र ने बताया, 'वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका के सभी खिलाड़ियों की अलग-अलग व्यावसायिक विमान कंपनियों की उड़ान में बुकिंग की गई है। सभी की बुकिंग एक ही उड़ान में नहीं हो सकती लेकिन आइसीसी ने व्यक्तिगत बुकिंग का ध्यान रखा है। आइसीसी चेयरमैन जय शाह ने खुद बात की है और खिलाड़ियों को सुरक्षित स्वदेश वापसी का भरोसा दिलाया है।' सूत्र ने कहा, 'यह बताना जरूरी है कि डेरेन सैमी सोमवार रात को स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं।'

संकट

आइसीसी के एक सूत्र ने बताया कि सभी की बुकिंग एक ही उड़ान में नहीं हो सकती लेकिन आइसीसी ने व्यक्तिगत बुकिंग का ध्यान रखा है। आइसीसी चेयरमैन जय शाह ने खुद बात की है और खिलाड़ियों को सुरक्षित स्वदेश वापसी का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि डेरेन सैमी सोमवार रात को स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं।

कोलकाता में अपने आखिरी मैच खेलने वाली दो टीम वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में अंतरराष्ट्रीय वायु क्षेत्र पर लगी पाबंदियों रोक की वजह से उड़ान नहीं भर पाई हैं।

कोलकाता में अपने आखिरी मैच खेलने वाली दो टीम (वेस्ट इंडीज ने एक मार्च को सुपर आठ मुकाबला और दक्षिण अफ्रीका ने चार मार्च को सेमीफाइनल) ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में अंतरराष्ट्रीय वायु क्षेत्र पर लगी पाबंदियों रोक की वजह से उड़ान नहीं भर पाई हैं। आइसीसी की साझेदार विमान कंपनी एमिरेट्स है और दुबई में वायु क्षेत्र बंद होने की वजह से वे अपनी उड़ानों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं।

चीनी ताइपे से हार के साथ भारत एशियाई कप से बाहर

सिडनी, 10 मार्च (भाषा)।

खराब फार्म से जूझ रही भारतीय टीम मंगलवार को एएफसी महिला एशियाई कप फुटबाल टूर्नामेंट के ग्रुप चरण के अपने आखिरी मैच में चीनी ताइपे से 1-3 से हारकर बाहर हो गई। भारतीय टीम को मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रहने की भारी कीमत चुकानी पड़ी।

मैच के बड़े हिस्से में हावी रहने और कई मौके बनाने के बावजूद भारतीय टीम को मौकों को भुनाने में नाकामी का खामियाजा भुगतना पड़ा और टीम पहली बार मेरिट के आधार पर इस बड़े टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने के बाद जल्दी बाहर हो गई। भारत के लिए एकमात्र गोल मनीषा कल्याण ने 39वें मिनट में किया। इस विंगर ने लगभग 30 यार्ड की दूरी से दमदार शाट लगाकर गोल दागा।

फुटबाल

स्वीटी देवी और पंथोई चानू को लगी चोट, अस्पताल में भर्ती

भारतीय फुटबाल टीम की कप्तान स्वीटी देवी और गोलकीपर पंथोई चानू मंगलवार को एएफसी महिला एशियाई कप के अपने आखिरी ग्रुप लीग मैच में चीनी ताइपे से 1-3 से हार के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) ने एक बयान में कहा, 'आज के मैच के दौरान चोट लगने के बाद एलांगबाम पंथोई चानू और स्वीटी देवी नगनबाम को अस्पताल ले जाया गया है। उनकी जांच के नतीजे का इंतजार है।'

आस्ट्रेलिया ने ईरान की पांच महिला खिलाड़ियों को शरण दी

गोल्ड कोस्ट, 10 मार्च (एपी)।

आस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने मंगलवार को बताया कि आस्ट्रेलिया ने ईरान की महिला फुटबाल टीम की पांच सदस्यों को शरण दी है, जो ईरान में युद्ध शुरू होने से पहले एक टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए देश का दौरा कर रही थीं। आस्ट्रेलिया में ईरानी समूहों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आस्ट्रेलिया की सरकार से उन महिलाओं की मदद करने का आग्रह किया था, जो सार्वजनिक रूप से शरण नहीं मांग पा रही हैं। टीम की खिलाड़ियों ने अपने शुरुआती मैच से पहले ईरान का राष्ट्रगान नहीं गाया था जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी और इसे मीडिया में भी काफी कवरेज मिली थी।

मंगलवार तड़के आस्ट्रेलिया की संघीय पुलिस ने शरण के लिए आवेदन करने वाली पांच महिला

फुटबाल

टीम की खिलाड़ियों ने अपने शुरुआती मैच से पहले ईरान का राष्ट्रगान नहीं गाया था जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी।

खिलाड़ियों को गोल्ड कोस्ट में उनके होटल से 'सुरक्षित स्थान' पर पहुंचाया। बर्क ने बताया कि उन्होंने इन महिला खिलाड़ियों से मुलाकात की और मानवीय आधार पर उनकी वीजा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बर्क ने कहा, 'मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि प्रत्येक महिला के लिए यह फैसला करना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन निश्चित रूप से कल रात खुशी और राहत का माहौल था।'

गुजरात सरकार अहमदाबाद को ओलंपिक के लिए तैयार शहर बनाएगी

गांधीनगर, 10 मार्च (भाषा)।

गुजरात सरकार ने राज्य को एक खेल केंद्र (स्पोर्ट्स हब) में बदलने और अहमदाबाद को एक 'ओलंपिक के लिए तैयार' शहर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 1,331 करोड़ रुपए का एक 'ऐतिहासिक' बजटीय प्रावधान किया है। कैबिनेट मंत्री जीतू वाघाणी ने मंगलवार को विधानसभा को यह जानकारी दी। खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग की बजटीय मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए वाघाणी ने कहा कि विभाग के लिए

खेलों के लिए 1,331 करोड़ का एक 'ऐतिहासिक' बजटीय प्रावधान किया है।

दो हजार करोड़ रुपए से अधिक का कुल आवंटन ओलंपिक स्तर का खेल बुनियादी ढांचा बनाने और युवा प्रतिभाओं को निखारने के प्रति भारतीय जनता पार्टी सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कृषि विभाग का कार्यभार संभालने वाले वाघाणी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने पूरे राज्य में विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं बनाने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की हैं। मंत्री ने कहा, 'इस वर्ष खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कुल 2,006 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्षों में किए गए आवंटन से काफी अधिक है। इसमें से 1,331 करोड़ रुपए विशेष रूप से खेल क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं।' वह उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की ओर से बोल रहे थे, जो खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग का कार्यभार संभालते हैं।

इस साल की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने भरोसा जताया था कि अहमदाबाद शहर को 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के अधिकार मिल जाएंगे। उनकी यह टिप्पणी तब आई जब अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार दिए गए थे। वाघाणी ने घोषणा की कि अहमदाबाद को लगभग 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ओलंपिक के लिए तैयार शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।

विश्व कप क्वालीफायर के सेमीफानल के लिए मुकाबला | महिला हाकी | भारत दो मैचों में चार अंक के साथ पूल बी में शीर्ष पर

अंतिम चार में जगह के लिए वेल्स के खिलाफ ड्रा की जरूरत

हैदराबाद, 10 मार्च (भाषा)।

भारत को एफआइएच महिला हाकी विश्व कप क्वालीफायर के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पूल चरण के अपने अंतिम मैच में बुधवार को वेल्स के खिलाफ कम से कम ड्रा हासिल करने की कोशिश करनी होगी। भारत फिलहाल पूल बी में दो मैचों में चार अंकों के साथ शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर मौजूद स्काटलैंड के भी चार अंक हैं, लेकिन भारत का गोल अंतर बेहतर है। प्रत्येक पूल से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी और भारत को अगर-मगर के बिना अंतिम चार में पहुंचने के लिए ड्रा या जीत की आवश्यकता होगी।

भारतीय टीम इस मुकाबले में अगर हार का सामना करती है तो उसके चार अंक ही रहेंगे और उसका क्वालीफिकेशन स्काटलैंड और उरुग्वे के

भारतीय महिला टीम का अब तक का अभियान शानदार रहा है। उसने आठ मार्च को उरुग्वे पर 4-0 की बड़ी जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की और फिर सोमवार को स्काटलैंड के खिलाफ कड़े संघर्ष के बाद 2-2 से ड्रा खेला। युवा फारवर्ड सुनेलिता टोप्पो बेहतरीन फार्म में हैं और उन्होंने दोनों मैचों में गोल किए हैं।

बीच होने वाले मैच पर निर्भर करेगा। भारतीय महिला टीम का अब तक का अभियान शानदार रहा है। उसने आठ मार्च को उरुग्वे पर 4-0 की बड़ी जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की और फिर सोमवार को स्काटलैंड के खिलाफ कड़े संघर्ष के बाद 2-2 से ड्रा खेला। युवा फारवर्ड सुनेलिता टोप्पो बेहतरीन फार्म में हैं और उन्होंने दोनों मैचों में गोल किए हैं। अग्रिम पंक्ति की खिलाड़ी लालरेम्सियामी, नवनीत कौर और रुतुजा दादासो पिसाल ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल दागे हैं और गोल करने के कई मौके बनाए हैं। गोलकीपर बिचु देवी ने लगातार महत्वपूर्ण बचाव किए हैं।

हैदराबाद में अपने घरेलू दर्शकों के उत्साह से भरे माहौल में खेलने से मेजबान टीम को जबरदस्त ऊर्जा मिली है। भारतीय कप्तान सलीमा टेटे अब तक टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा, 'शुरुआती दो मैचों के बाद टीम में सकारात्मक माहौल है। युवा खिलाड़ी मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम बेहतरीन तरीके से खेल रही है और यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम विश्व कप के लिए क्वालीफाई करना चाहते हैं और चैंपियन बनना चाहते हैं। जब टीम एक साथ होती है तो हम इसी बारे में बात करते हैं और यही हमारा लक्ष्य है।' वेल्स के खिलाफ भारत का रिकार्ड शानदार है। भारत ने दोनों देशों के बीच छह मुकाबलों में से पांच में जीत दर्ज की है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 43, अंक 113

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए रमेश चंदर मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,

बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरपी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

JOIN OUR PAID SERVICE – 2026

Daily PDF Access | Editorial Bonus | Almost All Editions

ENGLISH NEWSPAPERS

The Hindu, Indian Express, Hindustan Times, Business Line, Business standard, The Live Mint, Times of India, Telegraph, New Indian Express, Asian Age, Statesman, Tribune, Pioneer, Financial Express, The Economic Times, Mid-Day, Deccan Chronicle, Employment News, Free Press Journal, Hans India, Deccan Herald, Lokmat Times, Mirror, Telangana Today

HINDI NEWSPAPERS

दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, बिज़नेस स्टैण्डर्ड, राजस्थान पत्रिका, हरी भूमि, लोकसत्ता , पायनियर , दैनिक ट्रिब्यून , द हिन्दू, राष्ट्रीय सहारा , नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, जनसत्ता, देशबंधू, प्रभात खबर, दैनिक नवज्योति, आईनेक्स्ट लाइव, लोकमत, नव भारत, नई दुनिया

🎁 Bonus Included :

- The Hindu Analysis
- Editorial Complation
- The Hundu in Hindi

🎁 Bonus Included :

- The Hindu Analysis
- Editorial Complation
- The Hundu in Hindi

All in One English. Telegram

(Starter)	**1 Month = ~~129~~ ₹69**
(⭐ Popular)	**6 Month = ~~449~~ ₹269**
(👑 Best Value)	**1 Year = ~~699~~ ₹449**

Special Offer

All in One Hindi. Telegram

(Starter)	**1 Month = ~~99~~ ₹59**
(⭐Popular)	**6 Month = ~~399~~ ₹259**
(👑 Best Value)	**1 Year = ~~599~~ ₹399**

Special Offer

All Major Hindi & English Newspapers - 2026

✍️ UPSC Essensial ePaper

The Hindu, BL, IE,NIE. Telegram

(Starter)	**1 Month = ~~99~~ ₹49**
(⭐ Popular)	**6 Month = ~~399~~ ₹249**
(👑 Best Value)	**1 Year = ~~599~~ ₹389**

Special Offer

You will Get

- The Hindu
- Business Line
- Indian Express
- New Indian Express
- Editorial Complation
- The Hindu Analysis

You Get All Editions of These Premium Newspapers

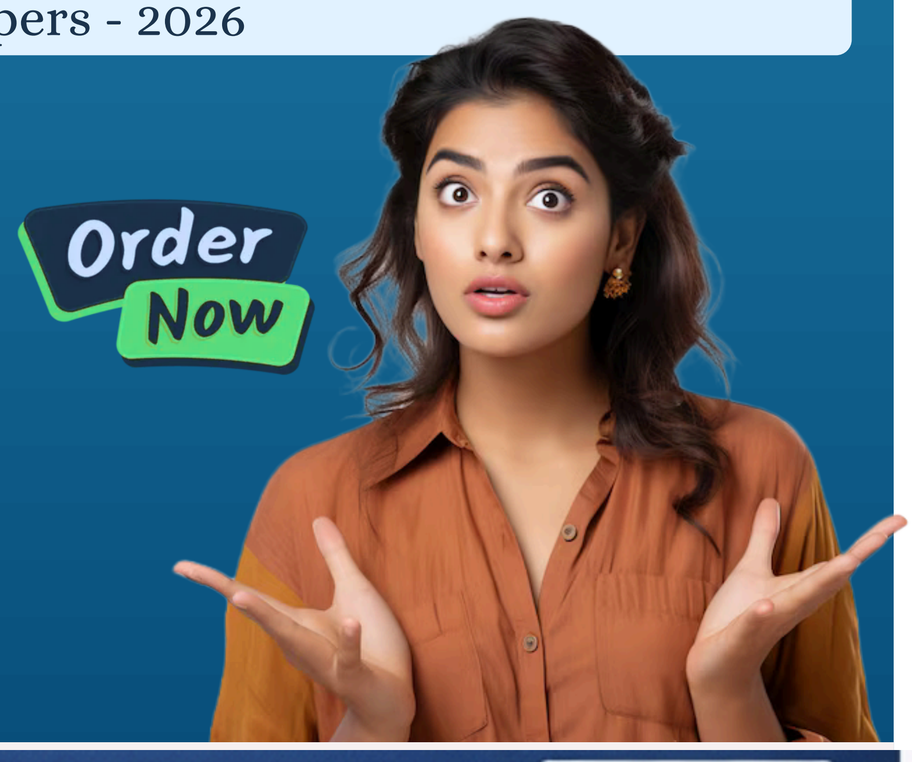

LIMITED TIME OFFER

Telegram Access Available

→ CLICK HERE & JOIN NOW